# अध्याय 11

## अकुशल कर्मचारी

11.1. इस अध्याय में राज्य-सरकार के अकुशल कर्मचारियों के वेतनमान का विवेचन है। इनलोगों के कर्त्तव्य ऐसे हैं कि इनकी भरती के लिए शैक्षिक योग्यता, विशेष प्रशिक्षण, सुविज्ञता, प्रवीणता या अनुभव किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये लोग निरक्षर या साक्षर हो सकते हैं। इसलिए ये लोग राज्य-सरकार के निम्नतम वेतनभोगी कर्मचारी की कोटि में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के सामान्य पदनामों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :—

(1) चपरासी, अर्दली, अर्दली-चपरासी।
(2) परिचर, प्रयोगशाला परिचर, वार्ड (हल्का) परिचर।
(3) नौकर, सेवक।
(4) दूत, डाक पहुंचाने वाला।
(5) अनुचर, पदचर।
(6) प्रयोगशाला ब्वाय, भोजशाला ब्वाय, फ्लाई ब्वाय।
(7) वाहक, कैमरा वाहक।
(8) नाविक (मांझी-केवट)/जल संवाहक।
(9) खलासी, प्रयोगशाला खलासी।
(10) मजदूर, श्रमिक, जल-श्रमिक, माली।
(11) कुली, पल्लेदार (पोर्टर)।
(12) झाड़ूकश, जमादार, मेहतर।
(13) प्रहरी (गार्ड), रात्रि पहरेदार (रात्रि गार्ड), चौकीदार (वाचमैन), प्रहरी, चौकीदार, चाभी रखनेवाला, दरवान।
(14) नौकरानी, आया, अप्रशिक्षित दाई।
(15) तामील करने वाला।
(16) चेनमैन।
(17) फर्रास।
(18) क्लीनर।
(19) हेल्पर।
(20) पशु-गृह व्यवस्थापक (साईस)।
(21) अंतड़ी काटने वाला (विसरा कटर)।
(22) मसालची।

11.2. विभागों के विवेचन वाले अध्यायों में अन्य पदनामों की चर्चा की गई है।

11.3. फिलहाल कर्मचारियों की पूर्वोक्त कोटियां 155—190 रु० के वेतनमान में हैं जिसका आत्यांतिक पुनरीक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए। समिति की सिफारिश है कि इनलोगों का वेतनमान उत्क्रमित कर 350—425 रु० कर दिया जाय।

### पर्यवेक्षी पद

11.4. कर्मचारियों की पूर्वोक्त अनेक कोटियों में से बहुत कोटियां ऐसी हैं जिनके काम पर्यवेक्षण-प्रकृति के भी हैं अर्थात् अपने सह-कार्यकर्ता के कार्यों की देख-रेख करने का दायित्व। यद्यपि पर्यवेक्षी के अनेक पद 155—190 रु० के वेतनमान में हैं, इनमें से कुछ पद पहले ही से उच्चतर वेतनमान, अर्थात् 165—204 रु० में हैं जैसाकि निम्नलिखित से पता चलेगा :—

| पदनाम | मौजूदा वेतनमान |
|---|---|
| | रु० |
| 1. मेट .. .. .. | 155—190 |
| 2. प्रधान मेट .. .. .. | 155—190 |
| 3. टिन्डल .. .. .. | 155—190 |
| 4. प्रधान पहरेदार (हेड वाचमैन) .. .. | 165—204 |
| 5. प्रधान सर्विस ब्वाय .. .. | 165—204 |

| पदनाम | मौजूदा वेतनमान |
|---|---|
| | रु० |
| 6. हेड बेयरा .. .. .. | 165—204 |
| 7. प्रधान झाड़ूकश .. .. .. | 165—204 |
| 8. प्रधान प्रयोगशाला परिचर .. .. | 165—204 |
| 9. सरदार .. .. .. | 155—190 |
| 10. सरदार .. .. .. | 180—242 |
| 11. कामदार-सह-सरदार .. .. | 165—204 |
| 12. हेड सरदार .. .. .. | 165—204 |
| 13. जमादार/चोबदार .. .. .. | 180—242 |
| 14. प्रधान खानसामा .. .. .. | 165—204 |
| 15. मेट रसोइया .. .. .. | 180—242 |
| 16. सेकेंड रसोइया (द्वितीय रसोइया) .. .. | 205—254 |
| 17. उद्यान मुंशी .. .. .. | 180—242 |
| 18. उद्यान-योजक (फिटर) .. .. | 180—242 |

11.5. वर्ग IV के वरिष्ट कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान तथा वर्ग IV के शेष कर्मचारियों पर नियंत्रण का अतिरिक्त दायित्व देने की मौजूदा पद्धति का विकास जनवरी, 1909 से हुआ, जब बंगाल सरकार के विशेष निर्णयानुसार हरेक जिला पदाधिकारी के अर्दली को अर्दलियों की शेष संख्या पर ( देखें राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध संचिका संख्या एफ-1-एस/8/1909) नियंत्रण रखने के लिए उच्चतर वेतनमान के साथ-साथ वरीयता की हैसियत भी दी गई।

11.6. समिति यह महसूस करती है कि पर्यवेक्षी कर्तव्यों वाले कर्मचारियों की पूर्वोक्त कोटि उच्चतर वेतनमान के योग्य हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं कि वे पर्यवेक्षण करते हैं बल्कि इसलिए कि उनके कार्य-दायित्व से संबंधित अन्य बातें भी हैं तथा इनमें से अधिकांश पर्यवेक्षक पर्यवेक्षिक कर्मचारी की अपेक्षा पहले से उच्चतर वेतनमान पा रहे हैं।

अत: समिति पर्यवेक्षी कर्मचारी की पूर्वोक्त कोटियों के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**पदनाम संबंधी स्पष्टीकरण**

11.7. जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है कि अधिकांश पदनाम काफी भ्रामक हैं। उदाहरण के लिए "जमादार" शब्द का अर्थ झाड़ूकश, वरीय अर्दली चपरासी या पुलिस बल के कनीय कमीशन प्राप्त पदाधिकारी तक हो सकता है। अत: इसका ध्यान रखना है कि ऐसे भ्रामक पदनाम के कारण गलत कर्मचारी को गलत वेतनमान देकर विसंगति उत्पन्न न की जाए। ऐसे सभी मामलों में सामान्य आदेश जारी करने के पहले कर्मचारी विशेष से संबंधित कार्य पर विचार कर लेना होगा कि वह कार्य किस किस्म का है।

# अध्याय 12

## अर्द्ध-कुशल कर्मचारी

12.1. इस अध्याय में कर्मचारी की वैसी कोटियों का विवेचन है जिन्हें वैसे कार्य दिये जाते हैं जिनके लिए कुशलता या अनुभव या प्रवीणता की अपेक्षा रहती है, हालांकि सामान्यत: कोई शैक्षिक योग्यता विहित नहीं होती है। आजकल ऐसे कर्मचारियों के लिए वेतनमान में समानता नहीं है। नीचे दी गई कंडिकाओं में ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि इनमें से कुछ 155—190 रु० के वेतनमान में हैं तो दूसरे 70—100 रु० और तीसरे 165—204 रु० के वेतनमान में। समिति उनलोगों को अर्द्ध-कुशल कर्मचारी मानती है और कुछ मामलों को छोड़कर जहां यह विशेष रूप से उल्लिखित है, उनलोगों के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

12.2. तथापि विभागों के विवेचनवाले अध्यायों में कुछ योग्य मामलों में उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की गई है।

**माली और माईनर**

12.3 निम्नतम स्तर पर विसंगति का ज्वलत उदाहरण मालियों का वेतनमान हैं। हालांकि सभी मालियों से एक ही प्रकार के कार्य सम्पादन की आशा की जाती हैं, कुछ 180—242 रु० के वेतनमान में हैं, दूसरे 165—204 रु० के, कुछ अन्य 155—190 रु० के और कुछ 70—100 रु० के वेतनमान में हैं जैसाकि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा :—

| क्रम संख्या | पदनाम | विभाग | मौजूदा वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | माली .. .. | फ्लाईंग संस्थान .. | 70—100 |
| 2 | माली .. .. | मिट्टी संरक्षण .. | 155—190 |
| 3 | माली .. .. | वन .. .. | 165—204 |
| 4 | माली .. .. | पशुपालन .. .. | 165—204 |
| 5 | माली .. .. | कृषि .. .. | 180—242 |
| 6 | माली .. .. | मिट्टी संरक्षण .. | 180—242 |
| 7 | प्रधान माली .. | पंचायत .. .. | 180—242 |
| 8 | प्रधान माली .. | लोक-कार्य विभाग .. | 190—254 |
| 9 | उद्यान-पर्यवेक्षक .. | राजभवन .. .. | 240—396 |

12.4. इन लोगों की कार्य-प्रकृति और अपेक्षित प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए समिति इन लोगों के लिए 375—480 रु० के समान वेतनमान की सिफारिश करती हैं।

12.5. जैसाकि पहले बताया गया है लोक-निर्माण विभाग और पंचायत विभाग में भी प्रधान मालियों के कुछ पद उच्चतर वेतनमान में हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन लोगों का पर्यवेक्षी कर्त्तव्य और अतिरिक्त कुशलता को ध्यान में रखते हुए ये लोग उच्चतर वेतनमान के योग्य हैं। इसलिए समिति सभी प्रधान मालियों के लिए 400—500 रु० के वेतनमान की और राजभवन के उद्यान पर्यवेक्षक के लिए 580—860 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती हैं।

**धोबी और वाशरमैन**

12.6. समिति की राय है कि राज्य सरकार के अधीन सभी धोबी 155—190 रु० के वेतनमान में हैं, जबकि समिति की राय में इनकी कार्य-प्रकृति और अपेक्षित प्रवीणता उन्हें उच्चतर वेतनमान का हकदार बनाती हैं। इसलिए समिति इनलोगों के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**नाई (हजाम)**

12.7. स्पष्टतया नाई का पद केवल दो संगठनों, अर्थात् गृह विभाग के गृह रक्षा संगठन और शिक्षा विभाग के अधीन नेतरहाट विद्यालय में चल रहा है। दोनों ही संगठनों में ये कर्मचारी 155—190 रु० के वेतनमान में हैं। समिति की राय है कि इनलोगों की कार्य-प्रकृति में कुछ प्रवीणता, प्रैक्टिस या अनुभव शामिल हैं जिसके लिए उनलोगों को अर्द्ध-कुशल कर्मचारी मान लेना चाहिए और इसलिए समिति की सिफारिश हैं कि इनलोगों का वेतनमान उत्क्रमित कर 375—480 रु० कर दिया जाए।

**नाविक (बोटमैन)**

12.8. बहुत से विभागों में 155—190 रु० के वेतनमान में नाविक (बोटमैन) के पद हैं। नाव चलाने में जिस दक्षता की अपेक्षा होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए समिति उन्हें अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) कर्मचारी समझती हैं और उनके लिए 375—480 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती हैं।

**ट्रेजरी गार्ड एवं स्मारक गार्ड**

12.9. ट्रेजरी गार्डों का वेतनमान 165—204 रु० है जबकि स्मारक गार्डों का वेतनमान 180—242 रु० है। समिति की राय है कि ट्रेजरी गार्डों से जिस कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की और खासकर सावधानी एवं सतर्कता की अपेक्षा की जाती है वह स्मारक गार्डों से कम नहीं है। इसलिए समिति ने इन दोनों कोटियों के लिए 375—480 रु० का वेतनमान प्रस्तावित किया है।

**फायरमैन**

12.10. राज्य अग्निशाम सेवा के अतिरिक्त कई एक विभागों में फायरमैनों की नियुक्ति की जाती है। राज्य अग्निशाम सेवा के सदस्य पुलिस कांस्टेबुल के बराबर समझे जाते हैं, और इसलिए उनके मामलों पर विचार गृह विभाग से संबंधित अध्याय में किया गया है। इस खंड में ऐसे अन्य फायरमैनों पर विचार किया गया है जो राज्य अग्निशाम सेवा के सदस्यों के समतुल्य नहीं हैं।

12.11. फायरमैन के वेतनमान में कोई एकरूपता प्रतीत नहीं होती है, जैसाकि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा :—

| क्रम संख्या | पदनाम | विभाग | विद्यमान वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | फायरमैन .. .. | सचिवालय भवन .. .. | 155—190 |
| 2 | फायरमैन .. .. | मुद्रणालय (गुलजारबाग) .. | 155—190 |
| 3 | फायरमैन .. .. | उद्योग (रेशम उत्पादन स्कीम) | 155—190 |
| 4 | फायरमैन .. .. | पशुपालन .. .. | 155—190 |
| 5 | प्रधान फायरमैन .. | सचिवालय भवन .. | 165—204 |
| 6 | फायरमैन .. .. | कृषि .. .. | 165—204 |
| 7 | फायरमैन .. .. | राज्य अग्निशाम सेवा .. | 205—284 |
| 8 | अर्दली फायरमैन .. | राज्य अग्निशाम सेवा .. | 205—284 |
| 9 | प्रमुख फायरमैन .. | राज्य अग्निशाम सेवा .. | 220—315 |
| 10 | फायरमैन .. .. | वन .. .. | 220—315 |

12.12. भिन्न-भिन्न प्रकार की आग बुझाने तथा इसी प्रकार के आकस्मिक संकट से निबटने की जिम्मेदारी फायरमैनों पर रहती है, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनमें इसके प्रयोजनार्थ आवश्यक दक्षता और सतर्कता हो। इसलिए समिति की राय है कि उन्हें अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) कर्मचारी माना जाए और उनका वेतनमान राज्य अग्निशाम सेवा तथा वन विभाग के फायरमैन को छोड़कर 375—480 रु० कर दिया जाये।

12.13. समिति ने राज्य अग्निशाम सेवा तथा वन सेवा के फायरमैनों पर खास तौर से विचार किया है क्योंकि उनके कार्यों में एक बहुत ऊंचे दर्जे की विशिष्टता मौजूद है। उनके मामले पर विभागों से संबंधित समुचित अध्यायों में विचार किया गया है।

**पैकर**

12.14. इसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में पैकरों के वेतनमान में भी कोई एकरूपता नहीं प्रतीत होती जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | पैकर .. .. | गृह फौरेंसिक प्रयोगशाला .. .. | 155—190 |
| 2 | पैकर .. .. | स्वास्थ्य (औषधि नियंत्रण) .. .. | 155—190 |
| 3 | पैकर .. .. | उद्योग (रेशम उत्पादन स्कीम) .. .. | 155—190 |
| 4 | बाइन्डर-सह-पैकर .. .. | कृषि .. .. .. | 155—190 |

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 5 | पैंकर .. | .. सहकारिता (हैंडलूम) .. .. | 155—190 |
| 6 | पैंकर .. | .. आई० पी० आर० डी० .. .. | 155—190 |
| 7 | पैंकर-सह-बाईंडर .. | .. परिवार कल्याण .. .. .. | 165—204 |
| 8 | बाईंडर-सह-पैंकर .. | .. कृषि .. .. .. | 165—204 |
| 9 | दफ्तरी-सह-पैंकर .. | .. पर्यटन .. .. .. | 165—204 |
| 10 | पैंकर .. | .. मुद्रणालय .. .. .. | 180—242 |
| 11 | प्रधान पैंकर .. | .. मुद्रणालय .. .. .. | 180—242 |
| 12 | पैंकर .. | .. लेखन सामग्री .. .. .. | 180—242 |
| 13 | वरीय पैंकर .. | .. लेखन सामग्री .. .. .. | 180—242 |
| 14 | प्रधान पैंकर .. | .. लेखन सामग्री .. .. .. | 180—242 |
| 15 | पैंकर (प्रवर कोटि) .. | .. आई० पी० आर० डी० .. .. | 180—242 |

12.15. समिति वेतनमान के इस अंतर का कोई औचित्य नहीं पाती। पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय की सूचना समिति को भी मिली है जिसमें पैंकरों के संबंध में उपर्युक्त सिद्धांत दर्शाया गया है और जिसके अनुसरण में सरकारी मुद्रणालय के पैंकरों की कुछ कोटियों का वेतनम न बढ़ाकर 165—204 रु० से 180—242 रु० किया गया था। जाहिर है कि अन्य विभागों ने कोई तत्समान अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की और असंगतियां बनी हुई हैं। समिति ने विभिन्न विभागों के पैंकरों की सभी कोटियों के लिए उसी वेतनमान (375—480 रु०) की अनुशंसा की है।

**दफ्तरी और बुक बाईंडर**

12.16. दफ्तरी एवं बुक बाईंडर के वेतनमान में कोई एकरूपता नहीं प्रतीत होती, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से पता चलेगा :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | दफ्तरी .. | .. राजस्व (भू-अभिलेख निदेशालय) .. .. | 155—190 |
| 2 | दफ्तरी .. | .. निबंधन .. .. .. | 155—190 |
| 3 | दफ्तरी .. | .. पौलिटेकनिक .. .. | 155—190 |
| 4 | दफ्तरी .. | .. मिथिला इंस्टिच्यूट .. .. | 155—190 |

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 5 | सहायक दफ्तरी .. .. | मिथिला इंस्टिच्यूट .. .. | 155—190 |
| 6 | बाईंडर-सह-पैंकर .. .. | कृषि .. .. .. | 155—190 |
| 7 | बाईंडर-सह-पैंकर .. .. | कृषि .. .. .. | 165—204 |
| 8 | पैंकर-सह-बाईंडर .. .. | परिवार कल्याण .. .. | 165—204 |
| 9 | दफ्तरी-सह-पैंकर .. .. | पर्यटन .. .. .. | 165—204 |
| 10 | दफ्तरी .. .. | राजस्व .. .. .. | 165—204 |
| 11 | दफ्तरी .. .. | निबंधन .. .. .. | 165—204 |
| 12 | मेसेंजर-सह-दफ्तरी .. .. | सिंचाई .. .. .. | 165—204 |
| 13 | दफ्तरी .. .. | पौलिटेकनिक .. .. .. | 165—204 |
| 14 | दफ्तरी .. .. | बी० सी० ई० .. .. .. | 165—204 |
| 15 | दफ्तरी .. .. | बी० आई० टी० .. .. | 165—204 |
| 16 | दफ्तरी .. .. | एम० आई० टी० .. .. | 165—204 |
| 17 | दफ्तरी .. .. | सचिवालय ग्रंथागार .. .. | 165—204 |
| 18 | साक्षर परिचर (लिटरेट अटेंडेंट) .. | सचिवालय ग्रंथागार .. .. | 165—204 |
| 19 | दफ्तरी .. .. | शिक्षा .. .. .. | 180—242 |
| 20 | दफ्तरी .. .. | श्रम .. .. .. | 180—242 |
| 21 | दफ्तरी .. .. | साहाय्य एवं पुनर्वास .. .. | 180—242 |
| 22 | दफ्तरी .. .. | सिंचाई .. .. .. | 180—242 |
| 23 | बुकबाईंडर .. .. | सिंचाई .. .. .. | 180—242 |
| 24 | दफ्तरी (प्र० को० एस० जी०) .. | आई० पी० आर० डी० .. .. | 180—242 |
| 25 | भेंडर-सह-बुक बाईंडर .. .. | अभिलेखागार .. .. .. | 180—242 |
| 26 | दफ्तरी .. .. | राजभवन .. .. .. | 180—242 |
| 27 | दफ्तरी-सह-अभिलेखवाह .. | राजभवन .. .. .. | 180—242 |
| 28 | दफ्तरी .. .. | ग्रा० अभि० सं० (आर०ई०ओ०) .. .. | 180—242 |
| 29 | दफ्तरी .. .. | नगर प्लानिंग .. .. | 165—204 |

12.17. समिति महसूस करती है कि कंडिका 12.16 में उल्लिखित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दफ्तरी एवं बुक बाईंडरों का काम चूंकि लगभग एक ही समान है, इसलिए उनके वेतनमान में किसी प्रकार का विभेद होने का कोई कारण नहीं है। उनके काम में निम्नतम वेतनमान वाले कर्मचारियों की अपेक्षा कुछ अधिक दक्षता की अपेक्षा होती है, इसलिए समिति ने उन्हें अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) कर्मचारी माना है तथा उनके लिए 375—480 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

12.18. कुछ अन्य पद हैं, जैसे मुद्रणालय एवं सर्वे कार्यालय के बुक बाईंडर, जिनका वेतनमान तुलनात्मक दृष्टि से ऊंचा है, जैसा कि आगे के विवरण से मालूम होगा। स्पष्टतः उनसे कार्यालयों में संलग्न दफ्तरी की अपेक्षा अधिक कुशल कार्य की अपेक्षा की जाती है और इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से उनका वेतनमान अधिक होना चाहिए। इसलिए समिति उनके लिए निम्नलिखित उच्च वेतनमान की सिफारिश करती है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | बुक बाईंडर .. .. | सर्वे कार्यालय .. | 205—284 | 400—540 |
| 2 | जुनियर बुक बाईंडर .. | सरकारी मुद्रणालय .. | 205—284 | 400—540 |
| 3 | बुक बाईंडर/सीनियर बुक बाईंडर | सरकारी मुद्रणालय .. | 220—315 | 425—605 |
| 4 | बुक बाईंडर (प्रवर कोटि) .. | सरकारी मुद्रणालय .. | 230—340 | 480—680 |
| 5 | सहायक बाईंडिंग जमादार .. | सरकारी मुद्रणालय .. | 230—340 | 480—680 |
| 6 | बाईंडिंग जमादार .. | सरकारी मुद्रणालय .. | 240—396 | 535—765 |

**अभिलेखवाह (रेकर्ड सप्लायर)**

12.19. सम्बद्ध विभाग में अभिलेखवाह की नियुक्ति शिक्षित चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा की जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पुराने अभिलेखों के साथ-साथ सरकारी अभिलेखों की विभिन्न कोटियों के अभिलेखों को छांटने एवं व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करने तथा उन्हें ढूंढ निकालने के कार्य में दक्ष और अनुभवी होंगे। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सचिवालय के अधिकांश विभागों में उनका वेतनमान 180—242 रु० है जबकि पशुपालन विभाग और बिहार इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, सिन्दरी में उनका वेतनमान 165—204 रु० है। समिति की राय में वेतनमानों में इस तरह की भिन्नता का कोई औचित्य नहीं है।

12.20. अभिलेखवाहों ने वेतन पुनरीक्षण समिति के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि यद्यपि उनकी प्रोन्नति चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों में से की जाती है तथापि वे फिलहाल उसी वेतनमान के हकदार होते हैं जो कि चतुर्थवर्गीय स्टाफ की प्रवर कोटि का वेतनमान है। उन्होंने समिति को यह भी अभ्यावेदन दिया है कि ऐसे अनेक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जो कि प्रवर कोटि में प्रोन्नति पाने के पहले अभिलेखवाहों से कनीय थे, प्रवर कोटि में प्रोन्नति के बाद वेतन निर्धारण होने पर अभिलेखवाहों से वस्तुतः अधिक वेतन पाते हैं। इसलिए उन्होंने चतुर्थवर्गीय प्रवर कोटि के स्टाफ से उच्च वेतनमान के लिए अनुरोध किया है। समिति ने उनकी बातें सुनी और संबंधित सभी प्रश्नों पर सावधानी से विचार किया है। वेतनमान या प्राप्त वास्तविक वेतन किसी पद की वरीयता या स्तर का सूचक नहीं है। फिर भी प्रवर कोटि वैसे वरिष्ठ और योग्य स्टाफ के लिए बनाई गई है जिन्हें उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के अवसर नहीं मिलते हैं क्योंकि ऐसे उच्चतर पदों का सृजन तबतक नहीं किया जाता जबतक ऐसे गुरुतर उत्तरदायित्व वाले कार्य की आवश्यकता न हो। इसलिए समिति इस पद्धति में कोई विषमता नहीं देखती कि अभिलेखवाहों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की प्रवर कोटि के बराबर वेतनमान मिले।

12.21. सावधानी से विचार करने के बाद समिति ने अभिलेखवाहों की हरेक कोटि के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

ट्रेजरी सरकार

12.22. ट्रेजरी सरकारों की बहाली अधिकांशत: ऐसे अनुभवी चतुर्थवर्गीय स्टाफ से प्रोन्नति द्वारा की जाती है जो कि नकद संव्यवहार कर सकते हों। यद्यपि सचिवालय के अधिकांश विभागों में उनका वेतनमान 180—242 रु० है, तथापि पशुपालन विभाग और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग जैसे कुछ अन्य विभागों में उनका वेतनमान कम है। निम्नलिखित विवरण से उनके मौजूदा वेतनमानों का पता चलेगा, जो कि विभिन्न विभागों से समिति को प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | ट्रेजरी सरकार .. | पोलीटेकनिक .. .. | 155—190 |
| 2 | ट्रेजरी सरकार .. | बी० सी० ई० .. .. | 165—204 |
| 3 | ट्रेजरी सरकार .. | बी० आई० टी० .. .. | 165—204 |
| 4 | ट्रेजरी सरकार .. | एम० आई० टी० .. .. | 165—204 |
| 5 | ट्रेजरी सरकार .. | पशुपालन .. .. | 165—204 |
| 6 | ट्रेजरी सरकार .. | अन्य विभाग .. .. | 180—242 |

12.23. समिति उनके वेतनमानों में उपर्युक्त भिन्नता का कोई औचित्य नहीं पाती, और कहीं भी नियुक्त सभी ट्रेजरी सरकारों के लिए एक ही वेतनमान की अनुशंसा करती है।

12.24. ट्रेजरी सरकारों ने समिति को यह अभ्यावेदन दिया है कि यद्यपि उनकी प्रोन्नति अभिलेखवाह से की जाती थी, तथापि उनका मौजूदा वेतनमान वही है जो कि अभिलेखवाहों का वेतनमान है और इसलिए उन्होंने अभिलेखवाहों की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि पहले वे अभिलेखवाहों से अधिक वेतनमान पाते थे इसलिए उन्हें अभिलेखवाहों से कम-से-कम एक स्टेज ऊपर का वेतनमान दिया जाए। इसके संबंध में वित्त विभाग से भी निर्देश प्राप्त हुआ है (देखें संचिका सं० पी०ए०-आर०-3-18/876, दिनांक 21 मई 1979)। समिति को यह मालूम हुआ है कि ट्रेजरी सरकार पहले अभिलेखवाहों की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान पाते थे, किन्तु अब स्थिति यह है कि दोनों का वेतनमान धीरे-धीरे बराबर हो गया है। प्रथम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अभिलेखवाहों को 20—40 रु० और ट्रेजरी सरकार को 35—55 रु० का वेतनमान दिया गया था। द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अभिलेखवाहों को 85—110 रु० का वेतनमान मिलता था तथा वित्त विभाग को छोड़ अन्य कार्यालयों के ट्रेजरी सरकार को भी यही वेतनमान मिलता था। किन्तु वित्त विभाग के ट्रेजरी सरकार को 105—155 रु० का वेतनमान मिलता था। किन्तु तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार अभिलेखवाह और सभी कोटियों के ट्रेजरी सरकारों का वेतनमान 180—242 रु० कर दिया गया और यही स्थिति अबतक बनी हुई है। चूंकि अभिलेखवाह और ट्रेजरी सरकार उसी वेतनमान में हैं जिस वेतनमान में प्रवर कोटि के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं, इसलिए ट्रेजरी सरकार के रूप में अभिलेखवाहों की प्रोन्नति की पहलेवाली प्रणाली का महत्व अपने आप समाप्त हो गया है और अब दोनों कोटियाँ बराबर हो गई हैं। अत: वर्तमान अनुरूपता को अस्त-व्यस्त करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। इसलिए समिति ट्रेजरी सरकारों के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

# अध्याय 13

## दक्ष कर्मचारी, शिल्पकार और व्यापारी (ट्रेड्समैन)

13.1. इस अध्याय में विभिन्न कोटियों के दक्ष कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतनमानों पर विचार किया गया है, जिसमें दर्जी, राजमिस्त्री, लोहार, बिजली मिस्त्री, पेंटर एवं पॉलिशर आदि जैसे शिल्पकार एवं व्यापारी आते हैं। उनके कर्त्तव्य का जो स्वरूप है उसके लिए कुछ दक्षता अपेक्षित है जो वंशानुगत पेशा, लम्बा अनुभव या संस्थागत प्रशिक्षण से प्राप्त होती है।

13.2. समिति ने पाया है कि ऐसे बहुत से कर्मचारियों का मौजूदा वेतनमान उनकी पेशागत दक्षता, कार्य के स्वरूप तथा शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण के समरूप नहीं है। समिति ने इन सभी सुसंगत एवं अन्य पहलुओं की जाँच सावधानी से की है और तदनुसार अनुवर्ती कंडिकाओं में अनुशंसा की है। वेल्डरों के मामले को छोड़कर इन कोटियों के लिए जो न्यूनतम वेतनमान अनुशंसित है वह 400—540 रु० है।

दर्जी

13.3. जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा, दर्जियों का वेतनमान 165—204 रु० से 230—340 रु० के रेंज में है। दर्जियों की कुछ कोटियों का वेतनमान बहुत कम है। उदाहरणस्वरूप पटना मेडिकल कॉलेज होस्पिटल के दर्जियों ने समिति को अभ्यावेदन दिया है कि इस तथ्य के बावजूद कि उनकी बहाली के लिए आई० टी० आई० के प्रशिक्षण की योग्यता आवश्यक थी, उन्हें 165—204 रु० का न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है। समिति इन विसंगतियों पर सावधानी से विचार करने के बाद दर्जियों और मेकेनिकों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | विभाग। | विद्यमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | दर्जी .. .. | नेतरहाट स्कूल .. | 165—204 .. | 400—540। |
| 2 | दर्जी .. .. | पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल | 165—204 . | |
| 3 | दर्जी मास्टर .. | राजभवन .. .. | 205—284 .. | 425—605। |
| 4 | दर्जी .. .. | कर्मचारी राज्य बीमा .. | 220—315 .. | |
| 5 | टेंट दर्जी .. .. | जेल .. .. | 220—315 .. | |
| 6 | सहायक दर्जी मास्टर .. | जेल | 220—315 .. | |
| 7 | दर्जी .. .. | जेल .. .. | 220—315 .. | |
| 8 | सिलाई मशीन मेकैनिक .. | जेल | 220—315 .. | |
| 9 | दर्जी मास्टर .. .. | जेल .. .. | 230—340 .. | 480—680। |
| 10 | दर्जी मास्टर .. .. | बोर्स्टल स्कूल .. | 230—340 .. | |

राजमिस्त्री

13.4. उसी प्रकार विभिन्न विभागों के राजमिस्त्रियों के भी भिन्न-भिन्न वेतनमान 155—190 रु० से 220—315 रु० के रेंज में हैं, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा। समिति महसूस करती है कि वेतनमान को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और इसलिए वह निम्नलिखित अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सहायक राजमिस्त्री (कार्यभारित) | लोक-अभियंत्रण विभाग | 165—204 .. | 375—480 |
| 2 | राजमिस्त्री .. .. | विद्युत् .. .. | 155—190 .. | 400—540। |
| 3 | राजमिस्त्री .. .. | विद्युत् .. .. | 180—242 .. | |
| 4 | राजमिस्त्री .. .. | सिंचाई .. .. | 180—242 .. | |
| 5 | राजमिस्त्री .. .. | विद्युत् .. .. | 180—242 .. | |
| 6 | राजमिस्त्री .. .. | लघु-सिंचाई .. | 180—242 .. | |
| 7 | राजमिस्त्री (कार्यभारित) .. | लोक-अभियंत्रण विभाग .. | 180—242 . | |
| 8 | राजमिस्त्री .. .. | एम० आई० टी० .. | 190—254 .. | |
| 9 | राजमिस्त्री .. .. | बी० आई० टी० .. | 220—315 .. | 525—605। |

काष्ठकार

13.5. काष्ठकार भी विभिन्न विभागों में 180—242 रु० से लेकर 240—396 रु० तक के आठ विभिन्न वेतनमानों में हैं, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से पता चलेगा। समिति का सुझाव है कि उनके वेतनमानों को भी तर्कसंगत बनाया जाए। अतः समिति ने निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | काष्ठकार (अकुशल) .. | सर्वे कार्यालय .. | 180—242 | 400—540 |
| 2 | काष्ठकार .. .. | प्रेस .. .. | 180—242 | |
| 3 | काष्ठकार .. .. | लेखन सामग्री .. .. | 180—242 | |
| 4 | कर्मशाला काष्ठकार .. | स्वास्थ्य विभाग कर्मशाला .. | 180—242 | |
| 5 | काष्ठकार .. .. | बी० आई० टी० .. | 180—242 | |
| 6 | काष्ठकार .. .. | कृषि .. .. | 180—242 | |
| 7 | काष्ठकार .. .. | पशुपालन .. .. | 180—242 | |
| 8 | काष्ठकार .. .. | लोक-निर्माण विभाग .. | 180—242 | |
| 9 | सिपाही काष्ठकार .. .. | आरक्षी विभाग .. | 205—284 | 425—605 |
| 10 | काष्ठकार .. .. | आरक्षी मोटर परिवहन .. | 220—315 | |
| 11 | काष्ठकार .. .. | बी० आई० टी० .. | 220—315 | |
| 12 | काष्ठकार .. .. | रेशम उत्पादन स्कीम .. | 220—315 | |
| 13 | काष्ठकार .. .. | कृषि .. .. | 220—315 | |
| 14 | काष्ठकार .. .. | पशुपालन .. .. | 220—315 | |
| 15 | काष्ठकार .. .. | सिंचाई .. .. | 220—315 | |
| 16 | काष्ठकार .. .. | कर्मचारी राज्य बीमा .. | 220—315 | |
| 17 | काष्ठकार मास्टर .. .. | कारा .. .. | 230—340 | 480—680 |
| 18 | काष्ठकार मास्टर .. .. | बोर्स्टल विद्यालय .. | 230—340 | |
| 19 | काष्ठकार (कुशल) .. | सर्वे कार्यालय .. .. | 180—242 | 535—735 |
| 20 | काष्ठकार-सह-पैटर्न मेकर .. | कृषि .. .. | 240—396 | |
| 21 | काष्ठकार .. .. | कृषि .. .. | 240—396 | |
| 22 | काष्ठकार .. .. | फ्लाइंग इंस्टीच्यूट .. | 115—380 .. | 580—860 |

लोहार

13.6. ऐसा लगता है कि सभी लोहार 165—204 रु० से लेकर 296—460 रु० तक के छः विभिन्न वेतनमानों में हैं, जैसाकि निम्नलिखित विवरण से पता चलेगा। समिति ने निर्णय लिया है कि उनके वेतनमानों को तर्कसंगत बनाया जाए। अतः समिति ने निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लोहार | पशुपालन | 165—204 | 400—540 |
| 2 | लोहार | लोक-निर्माण विभाग | 165—204 | |
| 3 | लोहार | प्रेस | 180—242 | |
| 4 | लोहार | बी० आई० टी० | 180—242 | |
| 5 | लोहार | कृषि | 180—242 | |
| 6 | लोहार (आई० टी० आई० प्रशिक्षित) | स्वास्थ्य (विभाग) कर्मशाला | 180—242 | 425—605 |
| 7 | लोहार | कारा | 220—315 | |
| 8 | लोहार | रेशम उत्पादन | 220—315 | |
| 9 | वरीय लोहार | कृषि | 220—315 | |
| 10 | लोहार | कृषि | 220—315 | |
| 11 | लोहार | मिट्टी संरक्षण | 220—315 | |
| 12 | लोहार | विद्युत् जलीय | 220—315 | |
| 13 | लोहार | सिंचाई जलीय अनुसंधान संस्थान (हाईड्रोलिक इस्टीच्यूट), खगौल। | 220—315 | |
| 14 | वरीय लोहार | कृषि | 284—372 | 535—765 |
| 15 | लोहार | कृषि | 240—396 | |
| 16 | लोहार | आई० पी० आर० डी० | 296—460 | 580—860 |
| 17 | लोहार | आरक्षी विभाग | 296—460 | |

**इलेक्ट्रीशियन**

13.7. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित बिजली मिस्तिरियों (इलेक्ट्रीशियन) में लिफ्टमैन, वायरमैन, लाइनमैन और मेकैनिक आते हैं। वे भी 155—190 रु० से लेकर 400—660 रु० तक के 11 विभिन्न वेतनमानों में हैं। कुछ लिफ्टमैन तो 155—190 रु० के वेतनमान में भी हैं, हालांकि उनके लिए लिफ्ट के जटिल विद्युत्-यंत्र की कम-से-कम काम-चलाऊ जानकारी भी अपेक्षित है। अतः ऐसे सभी बिजली मिस्तिरियों (इलेक्ट्रीशियन) के वेतनमानों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए अनुशंसित वेतनमान निम्न प्रकार है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लिफ्टमैन .. | .. श्रम विभाग .. | .. 155—190 | 400—540 |
| 2 | लिफ्टमैन .. | .. विद्युत .. | .. 155—190 | |
| 3 | वायरमैन .. | .. बी० आई० टी० | .. 180—242 | |
| 4 | विद्युत वायरमैन .. | .. बी० आई० टी० | .. 180—242 | |
| 5 | विद्युत मेकैनिक .. | .. पशुपालन .. | .. 180—242 | |
| 6 | वायरमैन श्रेणी-III | .. विद्युत् .. | .. 180—242 | |
| 7 | लाईन मैन .. | .. विद्युत् .. | .. 180—242 | |
| 8 | इलेक्ट्रीशियन .. | .. सिंचाई .. | .. 190—254 | |
| 9 | वाररमैन, श्रेणी-II | .. विद्युत् .. | .. 205—282 | |
| 10 | लाइनमैन .. | .. विद्युत् .. | .. 205—284 | |
| 11 | लाइनमैन, श्रेणी-II | .. विद्युत् .. | .. 205—284 | |
| 12 | इलेक्ट्रीशियन-सह-मेकैनिक | .. स्वास्थ्य (विभाग) कर्मशाला .. | 220—315 | |
| 13 | विद्युत् आर्मेचर वाइन्डर | .. बी० आई० टी० | .. 220—315 | 425—605 |
| 14 | लाइनमैन .. | .. बी० आई० टी० | .. 220—315 | |
| 15 | वायरमैन .. | .. बी० आई० टी० | .. 220—315 | |
| 16 | इलेक्ट्रीशियन .. | .. भूतत्व .. | .. 220—315 | |
| 17 | इलेक्ट्रीशियन श्रेणी—II | .. सिंचाई (क्षेत्र) | .. 220—315 | |
| 18 | लिफ्ट मेकैनिक .. | .. विद्युत् .. | .. 220—315 | 425—605 |
| 19 | लाइनमैन .. | .. विद्युत् .. | .. 220—315 | |

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 20 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | लोक निर्माण विभाग .. | 220—315 | 535—765 |
| 21 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | सर्वे कार्यालय .. .. | 230—340 | |
| 22 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | मिट्टी संरक्षण .. .. | 240—396 | |
| 23 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | मत्स्य पालन .. .. | 240—396 | |
| 24 | प्रधान लाइनमैन .. .. | विद्युत् .. .. | 240—396 | |
| 25 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | विद्युत् .. .. | 240—396 | |
| 26 | बिजली मिस्त्री श्रेणी—II (कार्यभारित) | लोक-निर्माण विभाग .. | 240—396 | |
| 27 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | पर्यटन .. .. | 240—396 | |
| 28 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | कर्मचारी राज्य बीमा .. | 240—396 | |
| 29 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। | 240—396 | |
| 30 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | आई० पी० आर० डी० .. | 260—408 | |
| 31 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | आरक्षी विभाग .. | 296—460 | 580—860 |
| 32 | विद्युत् अनुरक्षण पर्यवेक्षक .. | विद्युत् .. .. | 296—460 | |
| 33 | इलेक्ट्रीशियन .. .. | कृषि विभाग .. .. | 296—460 | |
| 34 | बिजली मेकैनिक .. .. | आई० पी० आर० डी० .. | 340—490 | 680—965 |
| 35 | इलेक्ट्रीशियन, श्रेणी-I .. | सिंचाई (क्षेत्र स्थापना) .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 36 | इलेक्ट्रीशियन-सह-मेकैनिक .. | मत्स्य पालन .. .. | 400—660 | 785—1,210 |

**पेन्टर एवं पालिशर**

13.8. विभिन्न विभागों में कार्यरत पेन्टर एवं पालिशर भी 105—175 रु० से लेकर 296—460 रु० तक के कम-से-कम 7 विभिन्न वेतनमानों में हैं। समिति का प्रस्ताव है कि उनके वेतनमानों को भी तर्कसंगत बनाया जाए। अतः समिति ने उनके लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | विभाग। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | पालिशर .. .. | उद्योग .. .. | 165—204 | 400—540 |
| 2 | कर्मशाला पेन्टर .. .. | स्वास्थ्य विभाग कर्मशाला .. | 180—242 | |
| 3 | स्प्रे पेंटर .. .. | बी० आई० टी० .. | 180—242 | |
| 4 | पेंटर .. .. | बी० आई० टी० .. | 180—242 | |
| 5 | पालिशर .. .. | बी० आई० टी० | 180—242 | |
| 6 | पेंटर .. .. | विद्युत् .. .. | 180—242 | |
| 7 | पेंटर .. .. | विद्युत् .. .. | 180—242 | |
| 8 | पेंटर .. .. | लोक-निर्माण विभाग .. | 180—242 | |

| क्रम संख्या। | पदनाम | विभाग | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 9 | पेंटर .. | .. फ्लाइंग इंस्टीच्युट .. | 105—175 | 425—605 |
| 10 | पालिशर .. | .. उद्योग .. .. | 220—315 | |
| 11 | पेंटर .. | .. उद्योग .. .. | 220—315 | |
| 12 | पेंटर/ड्राई (मैट्रिक) | .. उद्योग .. .. | 205—284 | 535—765 |
| 13 | पेंटर-सह-पालिशर .. | .. उद्योग .. .. | 240—396 | |
| 14 | पेंटर .. | .. पशुपालन .. .. | 240—396 | |
| 15 | पेंटर .. | .. आरक्षी विभाग .. | 296—460 | 580—860 |
| 16 | पेंटर .. | .. विमान (एयरक्राफ्ट) प्रशाखा .. | 296—460 | |
| 17 | पेंटर .. | .. आई० पी० आर० डी० .. | 296—460 | |

वेल्डर

13.9. वेल्डरों के दुसाध्य एवं कष्टकर-कार्य को देखते हुए उन्हें ऊपर वर्णित अन्य कोटि के व्यवसायियों (ट्रेड्समेन) उसे बहुत उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए तथा ऐसे अन्य व्यवसायियों की तुलना में उन्हें पहले से ही उच्चतर वेतनमानों में रखा भी गया है। अतः समिति यह महसूस करती है कि ऐसे अन्य व्यवसायियों के लिए अनुशंसित वेतनमानों से वेल्डरों का न्यूनतम वेतनमान उच्चतर बनाए रखा जाए। समिति का सुझाव है कि वेल्डरों के लिए न्यूनतम वेतनमान 535—765 रु० का होना चाहिए।

13.10. राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में अधिकांश वेल्डर 240—396 रु० के वेतनमान में हैं ही, सिर्फ सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में वेल्डरों को 296—460 रु० का उच्चतर वेतनमान दिया जाता है, क्योंकि वहां कार्य के स्वरूप के अतिरिक्त लम्बी अवधि का अनुभव भी अपेक्षित है। आवश्यक विचार-विमर्श के उपरान्त, समिति ने उनके लिए निम्न-लिखित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | विभाग। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वेल्डर .. | .. कृषि .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 2 | विद्युत् गैस वेल्डर .. | .. कृषि .. .. | 240—396 | |
| 3 | वेल्डर .. | .. मिट्टी संरक्षण .. .. | 240—396 | |
| 4 | वेल्डर .. | .. लघु सिंचाई .. .. | 240—396 | |
| 5 | वेल्डर श्रेणी-I .. | .. लघु सिंचाई .. .. | 240—396 | |
| 6 | वेल्डर श्रेणी–I .. | .. सिंचाई (जलीय अनुसंधान संस्थान) | 240—396 | |
| 7 | डेन्टिंग वेल्डर .. | .. आई० पी० आर० डी० .. | 296—460 | 580—860 |

**प्रकीर्ण संवर्ग**

13.11. पूर्व विवेचित सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कुशल कामगारों, कारीगरों एवं व्यवसायियों के विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की गई है :—

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लोक-निर्माण विभाग .. | प्लम्बर (कार्यभारित) .. | 180—242 | 400—540 |
| 2 | श्रम विभाग .. .. | कुशल कारीगर .. | 205—284 | 425—605 |
| 3 | श्रम विभाग .. .. | कुशल महिला कारीगर .. | 205—284 | 425—605 |
| 4 | उद्योग .. .. | कुशल कारीगर .. | 220—315 | 425—605 |
| 5 | उद्योग .. .. | कुशल कारीगर .. | 220—315 | 425—605 |
| 6 | कल्याण विभाग .. .. | कनीय कुशल कारीगर .. | 220—315 | 425—605 |
| 7 | कल्याण विभाग .. .. | वरीय कुशल कारीगर .. | 220—315 | 425—605 |
| 8 | सहकारिता .. .. | बुनाई मिस्त्री .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 9 | उद्योग .. .. | बुनाई मिस्त्री .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 10 | कारा विभाग .. .. | चर्म अनुदेशक .. | 220—315 | 425—605 |
| 11 | कारा विभाग .. .. | कालीन अनुदेशक .. | 220—315 | 425—605 |
| 12 | कारा विभाग .. .. | पेंट मास्टर .. .. | 230—340 | 480—680 |
| 13 | कारा विभाग .. .. | डाईंग मास्टर.. .. | 230—340 | 480—680 |
| 14 | उद्योग .. .. | दक्ष शिल्पकार .. | 284—372 | 535—765 |
| 15 | कारा विभाग .. .. | फर्स्ट लूम जौबर .. | 240—396 | 535—765 |
| 16 | कारा विभाग .. .. | बुनाई जौबर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 17 | उद्योग .. .. | तानी मास्टर .. | 240—396 | 535—765 |
| 18 | उद्योग .. .. | बुनाई मास्टर.. .. | 240—396 | 535—765 |
| 19 | उद्योग .. .. | रालिंग मास्टर.. .. | 240—396 | 535—765 |
| 20 | उद्योग .. .. | फिनिसिंग मास्टर .. | 240—396 | 535—765 |
| 21 | उद्योग .. .. | कुशल कारीगर .. | 240—396 | 535—765 |
| 22 | स्वास्थ्य (मलेरिया) .. | टिनस्मिथ (फाइलेरिया) .. | 220—315 | 580—860 |
| 23 | उद्योग .. .. | वरीय कारीगर .. | 296—460 | 580—860 |
| 24 | कारा विभाग .. .. | क्राफ्ट अनुदेशक .. | 296—460 | 580—860 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 25 | कल्याण विभाग .. | .. बुनाई मिस्त्री .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 26 | उद्योग .. | .. उच्चतर कुशल कारीगर (इस्पात) | 340—490 | 680—965 |
| 27 | उद्योग .. | .. उच्चतर कुशल कारीगर (काष्ठ) | 340—490 | 680—965 |
| 28 | उद्योग .. | .. बुनाई अभियंता .. | 296—460 | 680—965 |
| 29 | सहकारिता .. | .. रूपांकन (डिजाइनर) .. | 240—396 | 730—1,080 |
| 30 | श्रम .. | .. कारीगर .. .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 31 | कारा विभाग .. | .. धुनाई (कार्डिंग) मास्टर .. | 415—745 | 880—1,510 |
| 32 | कारा विभाग .. | .. कताई (स्पिनिंग) मास्टर .. | 415—745 | 880—1,510 |
| 33 | कारा विभाग .. | .. बुनाई (वीभिंग) मास्टर .. | 415—745 | 880—1,510 |

# अध्याय 14

## मेकैनिक, तकनीशियन तथा कामगार

14.1. इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रतिष्ठान में नियोजित मेकैनिकों, तकनीशियनों तथा सामान्य कोटि के कर्मशाला कर्मचारियों का विवेचन किया गया है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों के कार्य में उनके प्रतिष्ठान के अनुसार बहुत अन्तर पड़ेगा, फिर भी समिति का विचार है कि ऐसे अधिकांश कर्मचारियों को सामान्य कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि उनके वेतनमानों को तर्कसंगत बनाया जा सके। समिति ने देखा है कि ऐसे कर्मचारियों के पदनामों, योग्यताओं तथा वेतनमानों के मानकीकरण के लिए अभीतक कोई प्रयास नहीं किया गया है। उनके वेतनमानों को तर्कसंगत बनाने के लिए समिति का प्रयास मानकीकरण की उस प्रक्रिया की शुरूआत है, जिसे सरकार यथासमय हाथ में ले सकती है।

**मेकैनिक एवं मिस्त्री**

14.2. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित मेकैनिक और मिस्त्री 165—204 रु० से लेकर 415—720 रु० तक के कम-से-कम 15 विभिन्न वेतनमानों में हैं। उनके लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता मात्र साक्षरता से लेकर मैट्रिक तक की है तथा विशेष योग्यता मात्र कुशलता अथवा निपुणता होने से लेकर आई० टी० आई० का नियमित प्रशिक्षण तथा कहीं-कहीं अभियंत्रण में डिप्लोमा भी है। अपेक्षित जिम्मेवारी एवं कुशलता में भी भिन्नता है। उनके पदनामों, योग्यताओं एवं वेतनमानों में बहुत अधिक विषमताओं के निस्संदेह मानकीकरण की आवश्यकता है। चूंकि, उनके कार्य में भी बहुत अधिक अन्तर है, अतः उसकी वास्तविक प्रकृति का पता चले बिना यह संभव नहीं है। समिति ऐसी आशा करती है कि प्रकारों (पैटर्नों) की बहुविधता को कम करने के लिए सरकार मेकैनिकों के पदनामों एवं योग्यताओं का मानकीकरण करने का प्रयास करेगी।

14.3. समिति ने कई मामले में ऐसा भी देखा है कि उच्चतर योग्यता वाले कार्मिक अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत अपने समकक्ष कार्मिकों से बहुत कम वेतन पाते हैं। अतः समिति ने उच्चतर योग्यता वाले कार्मिकों के लिए उचित उच्चतम

वेतनमानों का सुझाव देकर इस दिशा में समानता लाने का प्रयास किया है, किन्तु, कई ऐसे मामले भी हैं जहां पर्यवेक्षी या प्रोन्नति वाले पदों पर रहने के कारण अथवा बहुत गुरुतर जिम्मेवारी संभालने के कारण कुछ मेकैनिक पहले से ही बहुत उच्चतर वेतनमानों में हैं ।

14.4. मेकैनिकों एवं मिस्त्रियों के लिए अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतनमानों के बराबर न्यूनतम वेतनमानों की ही अनुशंसा की गई है । उनके लिए अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान 375—480 रु० है ।

14.5. इस कोटि के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा सूचित निम्नलिखित पदनाम हैं:—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | पशुपालन .. | .. गैस मिस्त्री .. .. | 165—204 | 375—480 |
| 2 | लघु सिंचाई .. | .. मिस्त्री .. .. | 165—204 | 375—480 |
| 3 | पशुपालन .. | .. नलकूप मेकैनिक .. | 180—242 | 375—480 |
| 4 | सिंचाई | .. मेकैनिक-सह-अर्द्धकुशल परिचर | 180—242 | 375—480 |
| 5 | लोक-निर्माण .. | .. कनीय मेकैनिक श्रेणी II .. (कार्यभारित) | 180—242 | 375—480 |
| 6 | लोक-निर्माण .. | .. मेकैनिक (कार्यभारित) .. | 180—242 | 375—480 |

14.6. किन्तु जैसाकि नीचे सूची में दिया गया है, बहुत से मेकैनिक ऐसे भी हैं जिनके कार्य एवं जिम्मेवारियां बहुत उच्चतर कोटि की हैं । उनमें से अधिकांश के लिए विहित योग्यता एवं प्रशिक्षण का स्तर भी उच्चतर रखा गया है । इनमें से अधिकांश पद पर्यवेक्षी पद हैं, तथा उनकी पूर्त्ति भी प्रोन्नति द्वारा की जाती है । पदों के कार्य एवं जिम्मेवारियों के स्वरूप भी भिन्न-भिन्न स्तर के होंगे, अतः विभिन्न पदों के लिए विभिन्न वेतमान भी अपेक्षित होंगे । समिति ने उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद इन पदों के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य विभाग (फार्मेसी विद्यालय, रांची)। | मेकैनिक .. | 155—190 | 425—605 |
| 2 | कल्याण .. | .. मिस्त्री .. .. | 180—242 | 400—540 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग .. | .. ग्राइन्डिग मेकैनिक .. | 180—242 | 400—540 |
| 4 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. प्रधान मेकैनिक .. | 180—242 | 400—540 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 5 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | द्वितीय (सेकेन्ड) मेकैनिक .. | 180—242 | 400—540 |
| 6 | वन .. .. | मेकैनिक .. | 180—242 | 400—540 |
| 7 | कृषि .. .. | मिस्त्री .. | 180—242 | 400—540 |
| 8 | कृषि .. .. | कनीय मेकैनिक .. | 180—242 | 400—540 |
| 9 | लोक-निर्माण .. .. | कनीय मेकैनिक, श्रेणी-I (कार्यभारित)। | 205—284 | 425—605 |
| 10 | पशुपालन .. .. | मेकैनिक .. .. | 205—284 | 400—540 |
| 11 | कारा .. .. | सिलाई मशीन मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 12 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक जेनरल मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 13 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 14 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक लाइनो मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 15 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक लाइनो एवं मोनो मेकैनिक | 220—315 | 425—605 |
| 16 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक मोनो मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 17 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक मेकैनिक-सह-शौर्ट कास्टर | 220—315 | 425—605 |
| 18 | सरकारी प्रेस, गया .. | फिटर (मशीन मिस्त्री) .. | 220—315 | 425—605 |
| 19 | सरकारी प्रेस, गया .. | बिजली मिस्त्री .. | 220—315 | 425—605 |
| 20 | स्वास्थ्य (ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजर) | मेकैनिक .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 21 | स्वास्थ्य (फार्मेसी स्कूल, पटना) .. | मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 22 | स्वास्थ्य .. .. | इलेक्ट्रीशियन-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 23 | लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | कर्मशाला मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 24 | लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | टाइप मेकैनिक.. .. | 220—315 | 425—605 |
| 25 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | मेकैनिक .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 26 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | प्रधान मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 27 | उद्योग .. .. | मेकैनिक .. .. | 220—315 .. | 425—605 |
| 28 | कृषि .. .. | मिस्त्री .. .. | 220—315 .. | 425—605 |
| 29 | पशुपालन .. .. | आइस प्लान मिस्त्री (मत्स्यपालन) .. | 220—315 .. | 425—605 |
| 30 | राजस्व .. .. | मेकैनिक (सर्वे कार्यालय) .. | 220—315 .. | 425—605 |
| 31 | आयुक्त स्थापना .. .. | मोटर मेकैनिक .. | 220—315 .. | 425—605 |
| 32 | सिंचाई .. .. | मेकैनिक .. .. | 230—315 .. | 425—605 |
| 33 | सरकारी प्रेस, गया .. .. | सहायक रोटरी मेकैनिक .. | 230—340 .. | 480—680 |
| 34 | लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | वरीय टाइपराइटर मेकैनिक .. | 244—356 .. | 480—680 |
| 35 | सरकारी प्रेस, गया .. | प्रधान मेकैनिक .. | 240—396 .. | 535—765 |
| 36 | लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन, गुलजारबाग। | प्रधान टाइपराइटर मेकैनिक .. | 240—396 .. | 535—765 |
| 37 | उद्योग .. .. | काष्ठ मेकैनिक .. | 240—396 .. | 535—765 |
| 38 | पशुपालन .. .. | मेकैनिक .. .. | 240—396 .. | 535—765 |
| 39 | लोक-निर्माण .. .. | सीनियर मेकैनिक, श्रेणी-II (कार्य-भारित)। | 240—396 .. | 535—765 |
| 40 | स्वास्थ्य (मलेरिया) .. | मीटर मेकैनिक .. | 220—315 .. | 535—765 |
| 41 | स्वास्थ्य कर्मशाला .. .. | कनीय मेकैनिक .. | 220—315 .. | 535—765 |
| 42 | स्वास्थ्य .. .. | एक्स-रे मेकैनिक .. | 220—315 .. | 535—765 |
| 43 | सिंचाई (चिकित्सा स्थापना) .. | एक्स-रे मेकैनिक .. | 220—315 .. | 535—765 |
| 44 | भूतत्व .. .. | मेकैनिक .. .. | 220—315 .. | 535—765 |
| 45 | भूतत्व .. .. | मेकैनिक .. .. | 240—396 .. | 535—765 |
| 46 | स्वास्थ्य कर्मशाला .. .. | वरीय मेकैनिक .. | 240—396 .. | 535—765 |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 47 | लोक-निर्माण .. | .. वरीय मेकैनिक, श्रेणी-I (कार्य-भारित)। | 296—423 .. | 580—860 |
| 48 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. मेकैनिक .. | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 49 | पशुपालन .. | .. मेकैनिक .. | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 50 | विद्युत् .. | .. मोटर मेकैनिक | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 51 | विद्युत् .. | .. विद्युत् अनुरक्षण पर्यवेक्षक | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 52 | विद्युत् .. | .. मेकैनिक, श्रेणी-I | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 53 | सूचना एवं जन-सम्पर्क | .. ओटो मेकैनिक | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 54 | वित्त (सरकारी वायुयान) | .. मेकैनिक, श्रेणी-II | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 55 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. गैर-प्लान्ट मेकैनिक | .. 296—460 .. | 580—860 |
| 56 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. औजार (इन्स्ट्रूमेंट) मेकैनिक | .. 240—396 .. | 580—860 |
| 57 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. मेकैनिक .. | .. 240—396 .. | 580—860 |
| 58 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. सहायक मेकैनिक | .. 240—396 .. | 580—860 |
| 59 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. रेडियो मेकैनिक | .. 240—396 .. | 580—860 |
| 60 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. कनीय मेकैनिक | .. 240—396 .. | 580—860 |
| 61 | भूतत्त्व .. | .. मेकैनिक .. | .. 240—396 .. | 580—860 |
| 62 | सचिवालय प्रेस .. | .. जेनरल मेकैनिक | .. 340—490 .. | 680—965 |
| 63 | सचिवालय प्रेस .. | .. लाइनो मेकैनिक | .. 340—490 .. | 680—965 |
| 64 | सचिवालय प्रेस .. | .. मोनो मेकैनिक | .. 340—490 .. | 680—965 |
| 65 | सचिवालय प्रेस .. | .. बिजली मेकैनिक | .. 340—490 .. | 680—965 |
| 66 | कृषि (मिट्टी संरक्षण) | .. मेकैनिक .. | .. 340—490 .. | 680—965 |
| 67 | सूचना एवं जन-सम्पर्क | .. प्रोजेक्टर मेकैनिक | .. 340—490 .. | 680—965 |
| 68 | सूचना एवं जन-सम्पर्क | .. ध्वनि (साउण्ड) मेकैनिक | .. 340—490 .. | 680—965 |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 69 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | औजार मेकैनिक, एम०आई०टी० | 335—555 | 730—1,080 |
| 70 | सिंचाई .. .. | वरीय मेकैनिक, श्रेणी-I .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 71 | सरकारी प्रेस .. .. | मेकैनिक फोरमैन .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 72 | सूचना एवं जन-सम्पर्क .. | प्रधान मेकैनिक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 73 | वित्त (सरकारी वायुयान स्थापना) | मेकैनिक, श्रेणी-I .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 74 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | औजार मेकैनिक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 75 | पशुपालन .. .. | रेफ्रिजरेटर मेकैनिक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 76 | भूगर्भ विज्ञान .. .. | मेकैनिक फोरमैन .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 77 | कृषि .. .. | मेकैनिक .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 78 | कृषि .. .. | प्रधान मिस्त्री .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 79 | कृषि .. .. | मशीनमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |

14.7. फिटर राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों में 180—242 रु० से लेकर 340—490 रु० तक के आठ विभिन्न वेतनमानों में हैं। उनकी योग्यता में भी अंतर है। कहीं मात्र अनुभव प्राप्त फिटर से लेकर प्रवेशिका के बाद आई०टी०आई० में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त फिटर तक हैं।

14.8. सबसे निचली श्रेणी के फिटर भी अपने पदनाम की परिभाषा के अनुसार कुशल कामगार की कोटि में आयेंगे। समिति ने यह भी देखा है कि 180—242 रु० और 205—284 रु० के वेतनमानों में नियोजित फिटरों के लिए कमोबेश एक ही योग्यता या तुलनीय निपुणता, अर्थात् पांच वर्षों का अनुभव अथवा संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में आई०टी०आई० का प्रशिक्षण अपेक्षित है। समिति इसका कोई औचित्य नहीं समझती कि कुछ फिटरों को निम्नतर वेतनमान क्यों दिया जाए। अतः समिति ने उपर्युक्त दोनों वेतनमानों में नियोजित फिटरों के लिए 400—540 रु० के एक ही वेतनमान की अनुशंसा की है।

14.9. इस वर्ग के अधीन निम्नलिखित कोटियां हैं :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | सहायक फिटर .. | 180—242 | 400—540 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फिटर .. .. | 180—242 | 400—540 |
| 3 | वन .. .. | फिटर .. .. | 180—242 | 400—540 |
| 4 | कृषि .. .. | फिटर .. .. | 180—242 | 400—540 |
| 5 | विद्युत् .. .. | फिटर .. .. | 205—284 | 400—540 |

14.10. समिति ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि काफी संख्या में ऐसे फिटर भी हैं जिन्हें अपेक्षाकृत उच्चतर वेतनमान में होने, या उच्चतर योग्यता रखने और कार्य अधिक कठिन या गुरुतर जिम्मेदारी रहने के कारण समुचित उच्चतर वेतनमान अवश्य दिया जाना चाहिए। समुचित विचार करने के बाद समिति ने उनके लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लोक-निर्माण अभियंत्रण .. | फिटर, श्रेणी-II .. | 180—242 | 375—480 |
| 2 | लोक-निर्माण .. .. | फिटर, श्रेणी-II .. | 205—284 | 425—605 |
| 3 | पर्यटन निदेशालय .. .. | फिटर .. .. | 205—284 | 400—540 |
| 4 | गृह (आरक्षी) .. .. | सहायक फिटर .. | 220—315 | 425—605 |
| 5 | उद्योग .. .. | फिटर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 6 | उद्योग .. .. | बेंच फिटर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 7 | उद्योग .. .. | अनुरक्षण फिटर .. | 220—315 | 425—605 |
| 8 | कृषि .. .. | सहायक फिटर .. | 220—315 | 425—605 |
| 9 | कृषि .. .. | कनीय फिटर .. | 220—315 | 425—605 |
| 10 | सूचना एवं जन-सम्पर्क .. | फिटर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 11 | कृषि .. .. | सहायक फिटर .. | 284—372 | 535—765 |
| 12 | कृषि .. .. | कनीय फिटर .. | 240—396 | 535—765 |
| 13 | उद्योग .. .. | फिटर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 14 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फिटर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 15 | विद्युत् .. .. | फिटर, श्रेणी-I .. | 240—396 | 535—765 |
| 16 | लोक-निर्माण .. .. | फिटर, श्रेणी-I (कार्य भारित) | 240—396 | 535—765 |
| 17 | कृषि (पौधा संरक्षण) .. | फिटर .. .. | 296—423 | 580—860 |
| 18 | उद्योग .. .. | अनुरक्षण फिटर .. | 296—460 | 580—860 |
| 19 | उद्योग .. .. | उच्च कुशल फिटर .. | 340—490 | 680—965 |
| 20 | कृषि .. .. | फिटर .. .. | 340—490 | 680—965 |
| 21 | गृह (आरक्षी) .. .. | फिटर .. .. | 340—490 | 680—965 |

**टर्नर**

14.11. राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों के टर्नर भी छः विभिन्न वेतनमानों में हैं, जो 180—242 रु० से लेकर 340—490 रु० तक के हैं। निम्नतम वेतनमान में नियोजित टर्नरों के लिए विहित योग्यता केवल साक्षरता है, लेकिन कार्य के स्वरूप को देखते हुए इस धंधे में कुछ प्रवीणता आवश्यक लगती है। इसलिए निम्नतम स्तर पर टर्नरों को अर्द्धकुशल कामगार माना जाए और वे 375—480 रु० के वेतनमान के हकदार हों।

14.12. अधिकांश टर्नर जो उच्च प्रवीणता, उच्च योग्यता या उच्च कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों के कारण पहले से ही उच्च वेतनमान में हैं। समिति, ऐसी उच्च योग्यता और उच्च प्रकार के कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए निम्नलिखित समुचित उच्चतर वेतनमान की सिफारिश करती है :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | जेल .. .. | टर्नर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 2 | कृषि .. .. | टर्नर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 3 | लोक-निर्माण .. .. | टर्नर, श्रेणी-I (कार्यभारित) | 240—396 | 535—765 |
| 4 | उद्योग .. .. | टर्नर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 5 | कृषि .. .. | टर्नर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 6 | सूचना और जन-सम्पर्क .. | टर्नर, नन-मैट्रिक .. | 296—460 | 580—860 |
| 7 | कृषि .. .. | टर्नर, मैट्रिक .. | 296—460 | 580—860 |
| 8 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी .. | टर्नर, मैट्रिक .. | 296—460 | 680—965 |
| 9 | उद्योग .. .. | उच्च टर्नर .. .. | 340—490 | 680—965 |

14.13. समिति को लोक-निर्माण विभाग में 240—396 रु० के वेतनमान में टर्नर, श्रेणी-I का पद मिला है जिसे मैट्रिकुलेशन के बाद आई० टी० आई० में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। समिति को पता चला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उद्योग विभागों में समान न्यूनतम योग्यता ,समान कर्त्तव्य और समान उत्तरदायित्व वाले टर्नरों का क्रमशः 296—460रु० और 340—490 रु० का उच्चतर वेतनमान है। समिति महसूस करती है कि लोक-निर्माण विभाग के समान योग्यता वाले टर्नर को निम्न वेतनमान में रखना भेदमूलक होगा। इसलिए, समिति उसके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**बॉयलर कर्मचारी**

14.14. बॉयलर कर्मचारी की विभिन्न कोटियाँ हैं, जिनके विभिन्न पदनाम हैं, जैसे बॉयलर अटेंडेंट, बॉयलर आपरेटर या बॉयलर मैन। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, पशुपालन तथा वन-विभागों में नियोजित हैं। ये चार विभिन्न वेतनमानों में हैं, जो 155—190 रु० और 296—460 रु० के बीच पड़ते हैं। वाष्पित्र निरीक्षणालय (बॉयलर इंस्पेक्टरेट) द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार बॉयलर संबंधी काम करनेवाले सभी कर्मचारियों को आवश्यक प्रवीणता प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। यह प्रमाणपत्र केवल अनुभव के ही आधार पर प्राप्त किया जाता है। प्रमाणपत्र की तीन कोटियाँ हैं—श्रेणी-III, श्रेणी-II और श्रेणी-I, समिति, बॉयलर कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप पर विचार करने के बाद, महसूस करती है कि निम्नतम स्तर वाला ऐसे कर्मचारी भी अर्द्धकुशल कार्मिक माना जाए और उसे 375—480 रु० का वेतनमान मिले।

14.15. समिति ने देखा है कि बॉयलर कर्मचारियों के न तो पदनाम में और न वेतनमान में ही एकरूपता है। साथ ही पदनाम, कर्त्तव्य स्वरूप और वर्त्तमान वेतनमान में कोई संबंध भी नहीं है, जैसा कि अधोलिखित विवरण से पता चलेगा। समुचित पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश करते समय समिति ने बॉयलर कर्मचारी से उनके कष्टों के बारे में प्राप्त अभिवेदनों और शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार किया है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित बॉयलर कर्मचारियों के वेतनमान हैं और उनके लिए अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बॉयलर) .. | स्ट्रोकर, बी० आई० टी०, सिन्द्री। | 155—190 | 375—480 |
| 2 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (कार्यभारित) | बॉयलर अटेंडेंट .. | 165—204 | 375—480 |
| 3 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (कार्यभारित) | बॉयलर अटेंडेंट, बी०आई०टी० | 220—315 | 425—605 |
| 4 | उद्योग .. .. | बॉयलर अटेंडेंट .. | 220—315 | 425—605 |
| 5 | पशुपालन .. .. | बॉयलर मैन .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 6 | वन .. .. | बॉयलर मैन .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 7 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | बॉयलर ऑपरेटर .. | 296—460 | 680—965 |
| 8 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | बॉयलर अटेंडेंट .. | 296—460 | 680—965 |

**ड्रिलिंग और पम्पिंग कर्मचारी**

14.16. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकांश ड्रिलिंग और पम्पिंग कर्मचारी 180—242 रु० के वेतनमान में हैं। उन्हें मात्र साक्षर एवं अपने काम में प्रवीण होना चाहिए। समिति उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारी मानती है।

14.17. उन्होंने समिति के समक्ष अभिवेदन दिया है कि पूर्व में उनका तथा मोटरगाड़ी चालक और अमीन का वेतनमान बराबर था। जहां विभिन्न वेतन समितियों द्वारा उन दोनों कोटियों के वेतनमान बढ़ाए गए, वहीं उनके साथ भेदभाव बरता गया है। समिति ने पूर्व में विसंगतियों के अध्याय में उल्लेख किया है कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पूर्ववर्ती समानता में कोई परिवर्तन विसंगति का द्योतक न होकर विसंगतियों के निराकरण का द्योतक है। मोटरगाड़ी चालक के कार्य का स्वरूप पम्प ऑपरेटर या बोरर से बहुत अधिक भिन्न, श्रम साध्य और कठिन है। इसलिए मोटरगाड़ी चालक को ठीक ही उच्चतर वेतनमान दिया गया है। इसी प्रकार, इन दिनों अमीनों को मैट्रिकुलेशन के साथ-साथ लगभग छह महीने या इससे अधिक समय तक अमानत में प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। उनकी योग्यता और कर्त्तव्य का स्वरूप पम्प चालकों या बोररों से निश्चय ही अधिक उच्च है। इसलिए यह बिल्कुल न्यायोचित है कि अमीनों को उच्चतर वेतनमान दिया जाए। इसलिए समिति पुनः पहलेवाली समानता नहीं लौटा सकती।

14.18. ड्रिलिंग और पम्पिंग कर्मचारियों के लिए 375—480 रु० के अनुशंसित न्यूनतम वेतनमान [illegible]रा निम्नलिखित है :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सिंचाई .. .. | पम्प चालक .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 2 | पशुपालन .. .. | पम्प चालक .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 2 | पशुपालन .. .. | नलकूप आपरेटर .. | 180—242 | 375—480 |
| 4 | लघु सिंचाई .. .. | बोरर .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 5 | लोक-निर्माण (कार्यभारित) .. | रिगन, श्रेणी-2 .. | 180—242 | 375—480 |
| 6 | लोक निर्माण .. .. | बोरिंग आपरेटर .. | 180—242 | 375—480 |

14.19. समिति की दृष्टि में बहुत अधिक योग्यता और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य तथा उच्चतर वेतनमान वाले बोररों और ड्रिलरों की कुछेक कोटियाँ आई हैं। इनमें से अनेक प्रोन्नति वाले भी पद हैं। इसलिए, उनलोगों के लिए अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लघु सिंचाई .. .. | नलकूप बोरर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 2 | लघु सिंचाई .. .. | सहायक ड्रिलर .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 3 | भूतत्व .. .. | सहायक ड्रिलर .. .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 4 | भूतत्व .. .. | ड्रिलर .. .. | 415—720 | 850—1,360 |

**फोरमैन**

14.20. फोरमैन जिनका पर्यवेक्षणात्मक उत्तरदायित्व अधिक हुआ करता है, निस्संदेह विभिन्न कर्मशालाओं के मुख्य कार्मिक हैं। इनकी नियुक्ति अधिकांशतः वरीय मेकैनिकों से प्रोन्नति द्वारा की जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा इनकी जो योग्यताएँ बतायी गई हैं वे भिन्न हैं। जहां प्रोन्नत कर्मचारियों की दशा में यह साक्षरता भर है वहीं पौधा संरक्षण विभाग के फोरमैन की योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न कोटियों के फोरमैन के लिए आठ प्रकार के वेतनमान हैं। ये वेतनमान 284—372 रु० से लेकर 455—840 रु० तक हैं। निम्न वेतनमान वाले फोरमैन खासकर स्वास्थ्य विभाग के फोरमैन की शिकायत है कि समान योग्यता जैसे आई० टी० आई० में प्रशिक्षण और मैट्रिकुलेशन के बाद आवश्यक अनुभव के बावजूद, उनका वेतनमान अन्य विभागों के फोरमैन से कम है। समिति द्वारा अनेक निर्देश किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग में फोरमैन के लिए विहित न्यूनतम योग्यता सिर्फ मैट्रिकुलेशन है। इसलिए, समिति की राय में, उनकी तुलना ऊँची योग्यता वाले अन्य फोरमैन के साथ नहीं की जा सकती जो पहले से ही उच्चतर वेतनमान में हैं। फिर भी समिति ने पाया है कि स्वास्थ्य विभाग के फोरमैन 284—372 रु० के वेतनमान में हैं, जो कम-से-कम पद के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए, समिति का प्रस्ताव है कि फोरमैन का न्यूनतम वेतनमान जिसमें स्वास्थ्य का फोरमैन विभाग भी शामिल है, 535—765 रु० होना चाहिए।

14.21. समिति को यह भी पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग में ही कुछ और फोरमैन हैं जो उच्चतर वेतनमान 340—490 रु० में हैं। उस विभाग के ऐसे फोरमैनों का उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य स्वरूप उच्चतर हैं। इसलिए, समिति उनके लिए उच्च वेतनमान अर्थात् 680—965 रु० की सिफारिश करती है।

14.22. सरकारी मुद्रणालय (प्रेस), गया के फाउन्ड्री फोरमैन को 240—396 रु० का वेतनमान मिलता है। वह साक्षर भर होता है और मेकैनिकों से प्रोन्नत होता है। इसलिए, समिति उसके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

14.23. अधिकांश फोरमैन 335—555 रु० के वेतनमान अर्थात् कनीय अभियंताओं के वेतनमान में हैं। समिति महसूस करती है कि उनके कर्त्तव्य का स्वरूप और उत्तरदायित्व तुलनीय हैं और वेतनमान के संबंध में वर्त्तमान समानता खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समिति, उनलोगों के लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

14.24. समिति को अनेक विभागों में फारमैन की एक उच्च कोटि देखने में आई है जिसका वेतनमान 415—720 रु० या 415—745 रु० है। इनमें से अधिकांश को मैट्रिकुलेशन के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और ये 3 से 10 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जाहिर है कि उन्हें उच्च वेतनमान मिलना चाहिए। समिति उनलोगों के लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

14.25. पूर्वोक्त कोटि में प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर (एम०आई०टी०) के फोरमैन अनुदेशक भी शामिल हैं। समिति को पता चला है बिहार इंजीनियरिंग कालेज, भागलपुर में भी फोरमैन-अनुदेशक का एक ऐसा ही पद है जिसकी योग्यता

और अनुभव तो प्राय: समान हैं किन्तु जिसका वेतनमान न्यून है यानी 400—660 रु०। उनसे एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भेदभाव बरतने का आरोप लगाया गया है और अनुरोध किया गया है कि एम०आई०टी० में उनके सहकर्मी के वेतनमान के बराबर ही उनका वेतन कर दिया जाए। समिति महसूस करती है कि उनकी शिकायत सही है और ऐसे भेदभाव का कोई कारण नहीं है। इसलिए, समिति उनके लिए एम०आई०टी० में उनके सहकर्मी के वेतनमान के समान यानी 850—1,360 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

14.26. पौधा संरक्षण विभाग में फोरमैन का एकाकी पद है जो 455—840 रु० के वेतनमान में है। इसलिए, समिति उसके लिए उच्च पुनरीक्षित वेतनमान यानी 880—1,510 रु० की सिफारिश करती है।

14.27. राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा फोरमैन की जो विभिन्न कोटियां बतायी गई हैं उनके लिए अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य कर्मशाला .. .. | मोबाइल फोरमैन .. | 284—372 | 535—765 |
| 2 | सरकारी मुद्रणालय (प्रेस), गया | फाउन्ड्री फोरमैन . | 240—396 | 535—765 |
| 3 | स्वास्थ्य कर्मशाला .. | कर्मशाला फोरमैन .. | 340—490 | 680—965 |
| 4 | लोक-निर्माण .. .. | फोरमैन (कार्यभारित) .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 5 | सचिवालय मुद्रणालय (प्रेस) .. | फोरमैन .. .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 6 | सचिवालय मुद्रणालय .. | मशीन एवं बाइन्डिंग फोरमैन .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 7 | सरकारी मुद्रणालय, गया .. | फोरमैन .. .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 8 | विद्युत् .. .. | फोरमैन .. .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 9 | सूचना एवं जन-संपर्क .. | फोरमैन (मशीन शाला) .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 10 | सूचना एवं जन-संपर्क .. | आटो फोरमैन .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 11 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फोरमैन अनुदेशक (बी०सी०ई०) | 400—660 | 850—1,360 |
| 12 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फोरमैन (बी०सी०ई०) .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 13 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 14 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फोरमैन, एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर। | 415—720 | 850—1,360 |
| 15 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फोरमैन अनुदेशक, बी०आई०टी०, सिन्द्री। | 415—720 | 850—1,360 |
| 16 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | फोरमैन, बी०आई०टी०, सिन्द्री | 415—720 | 850—1,360 |
| 17 | भूतत्व .. .. | मेकैनिक फोरमैन .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 18 | लघु सिंचाई .. .. | ड्रिलिंग फोरमैन .. | 415—720 | 850—1,360 |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 19 | कृषि (भूमि संरक्षण) .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 20 | सिंचाई .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 21 | सिंचाई .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 22 | लोक-निर्माण .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 23 | पर्यटन .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1.360 |
| 24 | उद्योग .. .. | फोरमैन .. .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 25 | कृषि .. .. | फोरमैन .. .. | 415—840 | 880—1,510 |

**उप-ओवरसियर (सब-ओवरसियर)**

14.28. लघु सिंचाई, सिंचाई और लोक-निर्माण विभागों से 240—396 रु० के वेतनमान वाले उप-ओवरसियर (सब-ओवरसियर) के पदों का प्रतिवेदन दिया गया है। इन पदों को ऐसे कर्मचारियों से भरा जाता था जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का पूर्ण प्रशिक्षण-कोर्स पूरा किया है किन्तु जिन्होंने आवश्यक परीक्षा नहीं पास की है और डिप्लोमा नहीं प्राप्त किया है। उप-ओवरसियरों के ऐसे पदों पर भर्त्ती रोक दी गयी है। समिति, उनके कार्य के स्वरूप और योग्यता पर विचार करके उनके लिये 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

**प्रेस कर्मचारी**

14.29. राज्य-सरकार के अनेक विभागों में, जैसे वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और कल्याण विभाग में छोटी या बड़ी मुद्रणालय स्थापनायें हैं। सबसे बड़ी स्थापना सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग है जिसकी शाखायें सचिवालय और रांची में हैं। इसके अलावा सरकारी मुद्रणालय, गया और गुलजारबाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय का मानचित्र छापाखाना भी हैं। सचिवालय मुद्रणालय से संलग्न और उसी निदेशक के अधीन लेखन सामग्री और भंडार कार्यालय, गुलजारबाग भी है जिसमें कनीय स्तर के अनेक ऐसे पद हैं जो नियमित मुद्रणालय स्थापना के पद जैसे हैं। दुर्भाग्यवश, उनके पदनाम, कर्त्तव्य, स्वरूप और वेतनमान में कोई मानकीकरण नहीं प्रतीत होता है। समिति के सामने अनेक उदाहरण आये हैं जहां एक ही प्रकार का काम करनेवाले और एक ही पदनाम वाले कर्मचारी विभिन्न स्थापनाओं में विभिन्न वेतनमानों में हैं। उन्हें सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

14.30. प्रेस कर्मचारियों से प्राप्त अभिवेदन मुख्यत: सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग और सरकारी मुद्रणालय, गया से संबंधित हैं। अभिवेदन में मुख्य तर्क उच्च वेतनमान के लिये दिया गया है। यह मांग केवल श्रम साध्य कार्य के आधार पर नहीं बल्कि अन्य कर्मचारियों की तुलना में 6½ घंटे काम के बदले 8 घंटे काम के आधार पर भी की गई है। सरकारी मुद्रणालय, गया के कर्मचारियों ने अपने और सचिवालय मुद्रणालय, पटना के सहकर्मियों के बीच वेतनमान में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उसी प्रकार, राजस्व विभाग के सर्वेक्षण कार्यालय के अधीन मानचित्र मुद्रणालय के कर्मचारियों ने वित्त विभाग के अधीन पूर्वोक्त मुद्रणालय वालों की तुलना में अपने वेतनमान में भेदभाव बरते जाने का आरोप लगाया है।

14.31. समिति ने इन अभिवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यथासंभव स्थिति को बुद्धिसंगत करने के लिए समुचित वेतनमान की सिफारिश की है। समिति ने पाया है कि प्रेस स्थापनाओं का कार्य शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा अधिकतर प्रवीणता पर आधारित है। तदनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश की गई है।

14.32. विभिन्न प्रेस स्थापनाओं में कर्मचारियों की बहुत अधिक कोटियां 155—190 रु० के निम्नतम वेतनमान में हैं जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। समिति का विचार है कि उनके कार्य में चपरासी से अधिक प्रवीणता अपेक्षित है। इसलिए

उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारी माना जाना चाहिए । अतः समिति उनलोगों के लिए निम्नलिखित वेतनमान (अर्थात् 375—480 रु०) की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय प्रेस .. | .. प्रेस फ्लाइबुआय .. | 155—190 | |
| 2 | सचिवालय प्रेस .. | .. प्रेस इंकमैन | | |



| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 35 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | इम्बोसर .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 36 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग | फोल्डर .. .. | 180—242 | |
| 37 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | ऑपरेटर .. .. | 180—242 | |
| 38 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | काउन्टर .. .. | 180—242 | |
| 39 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | ग्रेनिंग मशीनमैन .. | 180—242 | |
| 40 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | पलाई ब्वाय .. .. | 180—242 | |
| 41 | राजस्व .. .. | हेलियो-सह-डेस्पैच ऑपरेटर.. | 180—242 | |
| 42 | राजस्व .. .. | पाउडर प्रोसेस ऑपरेटर .. | 180—242 | |
| 43 | राजस्व .. .. | जिंक प्लेट कोटर .. | 180—242 | |

14.34. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी यद्यपि कि वे 180--242 रु० के वेतनमान में हैं, उच्चतर प्रकार के कार्यों का सम्पादन कर रहे हैं या ऊपर वर्णित कर्मचारियों की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर हैं । उदाहरणार्थ, मशीन ऑपरेटर, वरीय प्रिंटर, प्रधान ग्रेनर, आदि को सहायक मशीन ऑपरेटर और प्रिंटर के समकक्ष नहीं माना जा सकता । अतः वे उच्च वेतनमान पाने के पात्र हैं । इसलिए, समिति ने उन्हें कुशल कामगारों के समकक्ष माना है और उनके लिए अगले उच्च वेतनमान की सिफारिश की है यानी 400---540 रु० ।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 19 | कृषि (भूमि संरक्षण) .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 20 | सिंचाई .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 21 | सिंचाई .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 22 | लोक-निर्माण .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 23 | पर्यटन .. .. | फोरमैन .. .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 24 | उद्योग .. .. | फोरमैन .. .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 25 | कृषि .. .. | फोरमैन .. .. | 415—840 | 880—1,510 |

**उप-ओवरसियर (सब-ओवरसियर)**

14.28. लघु सिंचाई, सिंचाई और लोक-निर्माण विभागों से 240—396 रु० के वेतनमान वाले उप-ओवरसियर (सब-ओवरसियर) के पदों का प्रतिवेदन दिया गया है। इन पदों को ऐसे कर्मचारियों से भरा जाता था जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का पूर्ण प्रशिक्षण-कोर्स पूरा किया है किन्तु जिन्होंने आवश्यक परीक्षा नहीं पास की है और डिप्लोमा नहीं प्राप्त किया है। उप-ओवरसियरों के ऐसे पदों पर भर्त्ती रोक दी गयी है। समिति, उनके कार्य के स्वरूप और योग्यता पर विचार करके उनके लिये 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

**प्रेस कर्मचारी**

14.29. राज्य-सरकार के अनेक विभागों में, जैसे वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और कल्याण विभाग में छोटी या बड़ी मुद्रणालय स्थापनायें हैं। सबसे बड़ी स्थापना सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग है जिसकी शाखायें सचिवालय और रांची में हैं। इसके अलावा सरकारी मुद्रणालय, गया और गुलजारबाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय का मानचित्र छापाखाना भी हैं। सचिवालय मुद्रणालय से संलग्न और उसी निदेशक के अधीन लेखन सामग्री और भंडार कार्यालय, गुलजारबाग भी है जिसमें कनीय स्तर के अनेक ऐसे पद हैं जो नियमित मुद्रणालय स्थापना के पद जैसे हैं। दुर्भाग्यवश, उनके पदनाम, कर्त्तव्य, स्वरूप और वेतनमान में कोई मानकीकरण नहीं प्रतीत होता है। समिति के सामने अनेक उदाहरण आये हैं जहां एक ही प्रकार का काम करनेवाले और एक ही पदनाम वाले कर्मचारी विभिन्न स्थापनाओं में विभिन्न वेतनमानों में हैं। उन्हें सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

14.30. प्रेस कर्मचारियों से प्राप्त अभिवेदन मुख्यत: सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग और सरकारी मुद्रणालय, गया से संबंधित हैं। अभिवेदन में मुख्य तर्क उच्च वेतनमान के लिये दिया गया है। यह मांग केवल श्रम साध्य कार्य के आधार पर नहीं बल्कि अन्य कर्मचारियों की तुलना में 6½ घंटे काम के बदले 8 घंटे काम के आधार पर भी की गई है। सरकारी मुद्रणालय, गया के कर्मचारियों ने अपने और सचिवालय मुद्रणालय, पटना के सहकर्मियों के बीच वेतनमान में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उसी प्रकार, राजस्व विभाग के सर्वेक्षण कार्यालय के अधीन मानचित्र मुद्रणालय के कर्मचारियों ने वित्त विभाग के अधीन पूर्वोक्त मुद्रणालय वालों की तुलना में अपने वेतनमान में भेदभाव बरते जाने का आरोप लगाया है।

14.31. समिति ने इन अभिवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यथासंभव स्थिति को बुद्धिसंगत करने के लिए समुचित वेतनमान की सिफारिश की है। समिति ने पाया है कि प्रेस स्थापनाओं का कार्य शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा अधिकतर प्रवीणता पर आधारित है। तदनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश की गई है।

14.32. विभिन्न प्रेस स्थापनाओं में कर्मचारियों की बहुत अधिक कोटियां 155—190 रु० के निम्नतम वेतनमान में हैं जैसा कि नीचे सूचीबद्ध हैं। समिति का विचार है कि उनके कार्य में चपरासी से अधिक प्रवीणता अपेक्षित है। इसलिए

उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारी माना जाना चाहिए । अतः समिति उनलोगों के लिए निम्नलिखित वेतनमान (अर्थात् 375—480 रु०) की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय प्रेस .. | .. प्रेस फ्लाइबुआय .. | 155—190 | |
| 2 | सचिवालय प्रेस .. | .. प्रेस इंकमैन .. .. | 155—190 | |
| 3 | सचिवालय प्रेस .. | .. फार्म वाशर .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 4 | सचिवालय प्रेस .. | .. बारमैन .. .. | 155—190 | |
| 5 | सरकारी प्रेस, गया | .. इंडेंट डार्वर .. .. | 155—190 | |

14.33. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी जो 165—204 रु० या 180—242 रु० के वेतनमान में हैं, अर्द्ध-कुशल प्रकार के कर्त्तव्यों का सम्पादन करते हैं । इसलिए समिति उन सभी के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय प्रेस .. | .. प्रेस मैन .. .. | 165—204 | |
| 2 | सचिवालय प्रेस .. | .. इम्पोजिटर-सह-प्रूफपुलर .. | 165—204 | |
| 3 | सचिवालय प्रेस .. | .. सिलिंडर प्रूफ प्रेस मैन .. | 165—204 | |
| 4 | सचिवालय प्रेस .. | .. गेली प्रूफ प्रेस मैन .. | 165—204 | |
| 5 | सचिवालय प्रेस .. | .. रॉलर कास्टर .. | 165—204 | 375—480 |
| 6 | सचिवालय प्रेस .. | .. हेड टाइप सप्लायर .. | 165—204 | |
| 7 | सचिवालय प्रेस .. | .. टाइप सप्लायर .. | 165—204 | |
| 8 | सरकारी प्रेस, गया | .. सहायक लिफाफा मशीन ऑपरेटर | 165—204 | |

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 9 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक फोल्डिंग मशीन ऑपरेटर | 165—204 | 375—480 |
| 10 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक स्वचालित मशीन ऑपरेटर | 165—204 | |
| 11 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक संख्यांक (नंबरिंग) मशीन ऑपरेटर। .. | 165—204 | |
| 12 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक टिकट छपाई मशीन ऑपरेटर। | 165—204 | |
| 13 | सरकारी प्रेस गया .. | प्रूफ पुलर .. .. | 165—204 | |
| 14 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक स्टोर प्लेट कास्टर .. | 165—204 | |
| 15 | राजस्व प्रेस .. .. | प्रिंटर .. .. | 180—242 | |
| 16 | राजस्व प्रेस .. .. | सहायक प्रिंटर .. | 180—242 | |
| 17 | राजस्व प्रेस .. .. | प्लेट डेवलपर .. | 180—242 | |
| 18 | राजस्व प्रेस .. .. | टिंडल .. .. | 180—242 | |
| 19 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक मशीन माइंडर .. | 180—242 | |
| 20 | सचिवालय प्रेस .. .. | मशीन फ्लाई ब्वाय और इंकमैन | 180—242 | |
| 21 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक स्टाम्प छपाई ऑपरेटर | 180—242 | |
| 22 | सचिवालय प्रेस .. .. | प्लेटेनमैन .. | 180—242 | |
| 23 | सचिवालय प्रेस .. .. | प्रूफ पुलर .. .. | 180—242 | |
| 24 | सचिवालय प्रेस .. .. | हेल्पर .. .. | 180—242 | |
| 25 | सचिवालय प्रेस .. .. | मशीन फ्लाई ब्वाय .. | 180—242 | |
| 26 | सचिवालय प्रेस .. .. | सहायक पेपर इसुअर .. | 180—242 | |
| 27 | सचिवालय प्रेस .. .. | वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) .. | 180—242 | |
| 28 | सरकारी प्रेस, गया .. | इम्पोजिटर .. .. | 180—242 | |
| 29 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक पेपर इसुअर .. | 190—242 | |
| 30 | सरकारी प्रेस, गया .. | फारम इसुअर .. | 180—242 | |
| 31 | सरकारी प्रेस, गया .. | फोल्डर .. .. | 180—242 | |
| 32 | सरकारी प्रेस, गया .. | वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) .. | 180—242 | |
| 33 | सरकारी प्रेस गया .. | सहायक मशीन ऑपरेटर .. | 180—242 | |
| 34 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक रोटरी मशीन ऑपरेटर | 180—242 | |

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 35 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | इम्बौसर .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 36 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग | फोल्डर .. .. | 180—242 | |
| 37 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | ऑपरेटर .. .. | 180—242 | |
| 38 | लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | काउन्टर .. .. | 180—242 | |
| 39 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | ग्रेनिंग मशीनमैन .. | 180—242 | |
| 40 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | पत्राई ब्वाय .. .. | 180—242 | |
| 41 | राजस्व .. .. | हेलियो-सह-डेस्पैच ऑपरेटर.. | 180—242 | |
| 42 | राजस्व .. .. | पाउडर प्रॉसेस ऑपरेटर .. | 180—242 | |
| 43 | राजस्व .. .. | जिंक प्लेट कोटर .. | 180—242 | |

14.34. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी यद्यपि कि वे 180--242 रु० के वेतनमान में हैं, उच्चतर प्रकार के कार्यों का सम्पादन कर रहे हैं या ऊपर वर्णित कर्मचारियों की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर हैं। उदाहरणार्थ, मशीन ऑपरेटर, वरीय प्रिंटर, प्रधान ग्रेनर, आदि को सहायक मशीन ऑपरेटर और प्रिंटर के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अतः वे उच्च वेतनमान पाने के पात्र हैं। इसलिए, समिति ने उन्हें कुशल कामगारों के समकक्ष माना है और उनके लिए अगले उच्च वेतनमान की सिफारिश की है यानी 400—540 रु०।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सरकारी प्रेस, गया .. .. | इनवेलप मेकिंग मशीन ऑपरेटर | 180—242 | 400—540 |
| 2 | सरकारी प्रेस, गया .. .. | हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेटर .. | 180—242 | |
| 3 | सरकारी प्रेस, गया .. .. | बोरिंग मशीन ऑपरेटर .. | 180—242 | |
| 4 | सरकारी प्रेस, गया .. .. | रुटीन मशीन आपरेटर .. | 180—242 | |
| 5 | राजस्व .. .. | सहायक मशीनमैन (प्रिंटरों से प्रोन्नत)। | 180—242 | |
| 6 | राजस्व .. .. | वरीय प्रिंटर .. .. | 180—242 | |
| 7 | राजस्व .. .. | प्रधान ग्रेनर .. .. | 180—242 | |
| 8 | सचिवालय प्रेस .. .. | कारपेन्टर .. .. | 180—242 | |

14.35. समिति की राय में निम्नलिखित कर्मचारियों को भी जो पहले से ही 205—284 रु० के वेतनमान में हैं, अपने कर्त्तव्य के अनुसार, कुशल कर्मचारी माना जाना चाहिए । तदनुसार समिति उनके लिए भी 400—540 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती हैं :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | राजस्व .. .. | मशीनमैन .. .. | 205—284 | 400—540 |
| 2 | राजस्व .. .. | रीटचर .. .. | 205—284 | |
| 3 | सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग .. | पेपर इसुअर .. .. | 205—284 | |
| 4 | सचिवालय प्रेस .. .. | मोनो कास्टर .. .. | 205—284 | |
| 5 | सचिवालय प्रेस .. .. | टाइप कास्टिंग ऑपरेटर .. | 205—284 | |
| 6 | सरकारी प्रेस, गया .. | पेपर इसुअर .. .. | 205—284 | |
| 7 | सरकारी प्रेस, गया .. | स्टेरियोप्लेट कास्टर .. | 205—284 | |
| 8 | सरकारी प्रेस, गया .. | मोनो टाइप कास्टर .. | 205—284 | |

14.36. निम्नलिखित कोटि के कर्मचारी पहले से ही 220—315 रु० के वेतनमान में हैं । उच्चतर कर्त्तव्यों में लगे हुए हैं जिनमें बेहतर प्रवीणता और अनुभव की अपेक्षा है । उनमें से अधिकांश नीचे के पदों से प्रोन्नत हैं । उनके कार्य के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए, समिति उनके लिए 425—605 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है ।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक जेनरल मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 2 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक मेकैनिक .. | 220—315 | |
| 3 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक लाइनो मेकैनिक .. | 220—315 | |
| 4 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक लाइनो एवं मोनो मेकैनिक। | 220—315 | |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 5 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक मोनो मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 6 | सचिवालय प्रेस .. | स्टिरियो टाइपर .. | 220—315 | |
| 7 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक मेकैनिक-सह-सौर्टर कास्टर | 220—315 | |
| 8 | सचिवालय प्रेस .. | रैंडोमैन .. .. | 220—315 | |
| 9 | सचिवालय प्रेस .. | प्लेटेनमैन .. .. | 220—315 | |
| 10 | सचिवालय प्रेस .. | सहायक मशीनमैन .. | 220—315 | |
| 11 | सचिवालय प्रेस .. | मशीनमैन .. .. | 220—315 | |
| 12 | सचिवालय प्रेस .. | मेटल मेल्टर.. .. | 220—315 | |
| 13 | सरकारी प्रेस, गया .. | संख्यांकन (नम्बरिंग) मशीन ऑपरेटर । | 220—315 | |
| 14 | सरकारी प्रेस, गया .. | टास्क चेकर .. .. | 220—315 | |
| 15 | सरकारी प्रेस, गया .. | टिकट छपाई मशीन ऑपरेटर | 220—315 | |
| 16 | सरकारी प्रेस, गया .. | प्लेटेन मशीन ऑपरेटर .. | 220—315 | |
| 17 | सरकारी प्रेस, गया .. | स्वचालित मशीन ऑपरेटर .. | 220—315 | |
| 18 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | कॉपीहोल्डर .. .. | 220—315 | |
| 19 | राजस्व .. .. | कनीय प्रधान प्रिंटर .. | 220—315 | |
| 20 | राजस्व .. .. | प्लेनेटा हेल्पर मशीनमैन .. | 220—315 | |

14.37. 230—340 रु० के वेतनमान में कुछ कोटियों के और पद हैं। इनसे और उच्चतर उत्तरदायित्व को ध्यान में रख कर और चूंकि ये पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, इसलिए भी समिति इनके लिये समुचित उच्चतर वेतनमान 480—680 रु० की सिफारिश करती है ।

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | राजस्व विभाग .. .. | परीक्षक .. .. | 230—340 | 480—680 |
| 2 | सरकारी प्रेस, गया .. | सहायक रोटरी मेकैनिक .. | 230—340 | |

14.38. समिति को पता चला कि प्रेस स्थापना की बहुत-सी कोटियों के कर्मचारियों के लिए उच्च कुशलता और योग्यता अपेक्षित है ताकि ये अधिक उच्च उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यों का सम्पादन कर सकें। ये 220—315 रु० और 240—396 रु० के वेतनमान में हैं। समिति की राय में, वे उच्च वेतनमान के योग्य हैं। अतः समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय प्रेस .. | .. सहायक सेक्सन होल्डर .. | 220—315 | |
| 2 | सचिवालय प्रेस .. | .. कॉपीहोल्डर .. .. | 220—315 | |
| 3 | सचिवालय प्रेस .. | .. सहायक स्टैंडिंग फार्म कीपर.. | 220—315 | |
| 4 | सरकारी प्रेस, गया | .. कॉपीहोल्डर .. .. | 220—315 | |
| 5 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) | .. सहायक मशीनमैन .. | 220—315 | |
| 6 | कृषि .. | .. सहायक प्रेस ऑपरेटर। .. | 220—315 | |
| 7 | राजस्व .. | .. जिंक करेक्टर.. .. | 220—315 | |
| 8 | राजस्व .. | .. लीथो ड्राफ्टमैन .. | 220—315 | |
| 9 | सचिवालय प्रेस .. | .. मशीन माइन्डर .. | 230—340 | |
| 10 | सचिवालय प्रेस .. | .. मशीन जमादार (रात्रि पाली) | 230—340 | |
| 11 | कल्याण .. | .. प्रेस प्रशासक .. .. | 230—340 | |
| 12 | सरकारी प्रेस, गया | .. प्रधान इंडेंट चेकर .. | 284—372 | 535—765 |
| 13 | सरकारी मुद्रणालय, गया | .. स्टैंडिंग फरमा कीपर .. | 284—372 | |
| 14 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) | .. ट्रेडिल मशीनमैन .. | 284—372 | |
| 15 | राजस्व .. | .. सीनियर हेड प्रिंटर .. | 284—372 | |
| 16 | वही .. | .. हेड एक्जामिनर .. | 284—372 | |
| 17 | सचिवालय प्रेस .. | .. स्टाम्प प्रिंटिंग ऑपरेटर .. | 240—396 | |
| 18 | वही .. | .. मशीन जमादार (लॉटरी) .. | 240—396 | |
| 19 | वही .. | प्रेस एंड मशीन जमादार .. | 240—396 | |
| 20 | सरकारी मुद्रणालय, गया | .. रौटरी मशीन ऑपरेटर .. | 240—396 | |
| 21 | वही .. | .. प्रेस जमादार .. | 240—396 | |
| 22 | वही .. | .. मशीन जमादार .. | 240—396 | |
| 23 | वही .. | .. बाइन्डिंग जमादार .. | 240—396 | |
| 24 | वही | .. हेड मेकैनिक .. | 240—396 | |

14.39. प्रेस संवटनों में कर्मचारियों की अनेक ऐसी कोटियां हैं जिनके लिए उच्च स्तर की कुशलता एवं प्रवीणता अपेक्षित हैं। इन कर्मचारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्वरूप ऊपर वर्णित कर्मचारियों से ऊंचे स्तर का है। इनमें से अधिकांश पर्यवेक्षी कार्य करते हैं और प्रायः सभी पदोन्नति वाले पद धारण करते हैं। इनमें से अधिकांश की योग्यता, प्रशिक्षण एवं अनुभव भी उच्चतर हैं। दरअसल वे भिन्न-भिन्न कार्य की जिम्मेदारियों के अनुसार भिन्न-भिन्न वेतनमानों के हकदार होंगे। समिति ने पूर्वोक्त कारणों पर विचार करते हुए उनके लिए निम्न वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | मौजूदा वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय मुद्रणालय .. | मोनो ऑपरेटर .. | 296—423 | 580—860 |
| 2 | वही .. | लाइनो ऑपरेटर .. | 296—423 | |
| 3 | वही .. | प्रेस ऑपरेटर .. | 296—423 | |
| 4 | वही .. .. | प्रेस ऑपरेटर .. | 296—423 | |
| 5 | राजस्व .. .. | सहायक पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) | 296—423 | |
| 6 | सचिवालय मुद्रणालय .. | मशीन माइन्डर (हेवी ड्यूटी मेकैनिक, लॉटरी)। | 296—460 | |
| 7 | पशुपालन .. .. | प्रेस ऑपरेटर .. | 296—460 | |
| 8 | सर्वेक्षण कार्यालय .. | मशीनमैन फॉर प्लैनेटा .. | 296—460 | 680—965 |
| 9 | सचिवालय मुद्रणालय .. | सेक्शन होल्डर .. | 340—490 | |
| 10 | वही .. .. | टाइम वर्क्स चेकर .. | 340—490 | |
| 11 | वही .. .. | जेनरल मेकैनिक .. | 340—490 | |
| 12 | वही .. .. | लाइनो मेकैनिक .. | 340—490 | |
| 13 | वही .. .. | मोनो मेकैनिक .. | 340—490 | |
| 14 | वही .. .. | मोनो सेक्शन होल्डर .. | 340—490 | |
| 15 | वही .. .. | लाइनो सेक्शन होल्डर .. | 340—490 | |
| 16 | वही .. .. | सहायक कैमरामैन-सह-प्लेट-मेकर | 340—490 | |
| 17 | सरकारी मुद्रणालय, गया .. | क्वालिटी प्रिन्टर .. | 340—490 | |
| 18 | वही .. .. | सेक्शन होल्डर .. | 340—490 | |
| 19 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | सोलाना मशीनमैन .. | 340—490 | |
| 20 | वही .. .. | रोमयर मशीनमैन .. | 340—490 | |
| 21 | सचिवालय मुद्रणालय .. | कैमरामैन-कम-प्लेट मेकर .. | 415—745 | 850—1,360 |

14.40. विभिन्न प्रेस स्थापनाओं में वरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी 455 से 840 के वेतनमान से लेकर 1,340 से 1,870 तक के विभिन्न वेतनमानों में हैं। समिति उनकी मौजूदा पंक्ति (रैंक) और कार्य के स्वरूप पर विचार करते हुए, उनके लिए निम्नलिखित समुचित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | मौजूदा वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वित्त (सचिवालय मुद्रणालय) .. | उप-अधीक्षक .. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | वही .. | अधीक्षक .. .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 3 | वही .. | सहायक अधीक्षक .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 4 | वित्त (सरकारी मुद्रणालय, गया) .. | सहायक अधीक्षक .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 5 | वही .. | उप-अधीक्षक .. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 6 | वही .. | अधीक्षक .. .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 7 | वित्त (लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन) | अधीक्षक .. .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 8 | वित्त (मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय) | निदेशक .. .. | 1,340—1,870 | 1,900—2,500 |

14.41. विभिन्न प्रेस स्थापनाओं के कम्पोजिटर और करेक्टर चार विभिन्न वेतनमानों में हैं जैसा कि आगे दिए गए विवरण में बताया गया है। समिति को पता चला है कि वे दो अलग-अलग कोटियों के अन्तर्गत पड़ते हैं अर्थात् नन-मैट्रिक और मैट्रिक। समिति यह महसूस करती है कि इन दोनों कोटियों के वेतनमान में स्पष्ट अन्तर होना चाहिए।

14.42. समिति नन-मैट्रिक कम्पोजिटरों और करेक्टरों के लिए निम्नलिखित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | मौजूदा वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय मुद्रणालय .. | कम्पोजिटर (साक्षर) .. | 220—315 | 425—605 |
| 2 | सरकारी मुद्रणालय, गया .. | कम्पोजिटर (साक्षर) .. | 220—315 | |
| 3 | लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन निदेशालय, गुलजारबाग। | कम्पोजिटर-कम-रबर स्टाम्प मैनुफैक्चरर। | 220—315 | |
| 4 | सचिवालय मुद्रणालय, पटना .. | करेक्टर .. .. | 220—315 | |
| 5 | सरकारी मुद्रणालय, गया .. | सीनियर कम्पोजिटर .. | 230—340 | 480—680 |

14.43. समिति मैट्रिकुलेट कम्पोजिटरों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | मौजूदा वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय मुद्रणालय .. | कम्पोजिटर (प्रभारी राजभवन मुद्रणालय)। | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वही .. .. | कम्पोजिटर .. | 220—315 | |
| 3 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | कम्पोजिटर .. | 220—315 | |
| 4 | नेतरहाट विद्यालय .. | प्रेसमैन-कम-कम्पोजिटर .. | 220—315 | |
| 5 | सचिवालय मुद्रणालय .. | कम्पोजिटर-टंकक .. | 296—423 | 580—860 |
| 6 | कृषि .. .. | कम्पोजिटर-टंकक .. | 296—423 | |
| 7 | पशुपालन .. .. | कम्पोजिटर-कम-टंकक .. | 296—423 | |

14.44. वित्त विभाग के अधीनस्थ प्रेस स्थापना की वाचन (रीडिंग) शाखा में निम्नलिखित पदानुक्रम हैं :—

| क्रम संख्या । | पदनाम । | मौजूदा वेतनमान । |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 1 | कॉपीहोल्डर (मैट्रिक) .. .. | 220—315 |
| 2 | पुनरीक्षक (रिवाइजर) .. .. | 230—340 |
| 3 | जूनियर रीडर .. .. .. | 240—396 |
| 4 | सीनियर रीडर .. .. .. | 340—490 |
| 5 | रीडर (प्रवर कोटि) .. .. .. | 435—555 |
| 6 | हेड रीडर .. .. .. | 400—660 |

14.45. उपर्युक्त पदानुक्रम में प्रथम नियुक्ति कॉपीहोल्डर के स्तर पर की जाती है जिसके लिए न्यूनतम विहित योग्यता मैट्रिक है। समिति महसूस करती है कि कॉपीहोल्डर का 220—315 रु० का मौजूदा वेतनमान अपेक्षाकृत कम है और इसे 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान में उत्क्रमित कर दिया जाय।

14.46. केवल सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग में ही 230—340 रु० के वेतनमान में पुनरीक्षक (रिवाइजर) और 284—372 रु० के वेतनमान में प्रवर कोटि के पुनरीक्षक का पद है। पुनरीक्षक का पद कॉपीहोल्डर से प्रोन्नति द्वारा

प्रभारी प्रमुख,



भरा जाता है। समिति महसूस करती है कि वाचन (रीडिंग) शाखा में इतने स्तरों या पंक्तियों का कोई औचित्य नहीं है और पुनरीक्षक के कार्य के स्वरूप में और इसकी कुछ उच्च कोटियों, यथा जूनियर रीडर में, जिसे पुनरीक्षक से ही प्रोन्नति देकर भरा जाता है, कोई अन्तर नहीं है। इसलिए समिति समझती है कि पुनरीक्षक के पद को उत्क्रमित कर जूनियर रीडर के साथ मिला देना चाहिए। तदनुसार समिति पुनरीक्षकों और जूनियर रीडर के लिए एक ही वेतनमान 535—765 रु० की अनुशंसा करती है।

14.47. सीनियर रीडर पहले से ही 340—490 रु० के वेतनमान में हैं और उनके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

14.48 हेड रीडर 400—660 रु० के वेतनमान में हैं। समिति वाचन प्रशाखा (रीडिंग ब्रान्च) के मुख्य पर्यवेक्षी स्टाफ के रूप में, उसकी जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए, हेड रीडर के लिये 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

14.49. अतः वाचन शाखा (रीडिंग ब्रान्च) के कर्मचारियों के लिए समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान इस प्रकार है :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | कॉपीहोल्डर .. .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | रिभाइजर .. .. .. | 230—340 | 580—860 |
| 3 | जूनियर रीडर .. .. .. | 240—396 | 580—860 |
| 4 | सीनियर रीडर .. .. .. | 340—490 | 680—965 |
| 5 | हेड रीडर .. .. .. .. | 400—660 | 785—1,210 |

**विविध कोटियों के कामगार।**

14.50. यांत्रिक (मेकैनिक), कर्मशाला (वर्कशॉप) स्टाफ, तकनीशियन (टेकनिशियन) और अन्य कामगारों की बहुत-सी ऐसी कोटियां हैं जो पूर्व उल्लिखित समूहों के अन्दर नहीं आते हैं। चूंकि निचले स्तर पर ऐसे कामगारों के लिए सामान्यतः कोई विशेष योग्यता या प्रशिक्षण विहित नहीं है, इसलिए उच्चतर वेतनमानों के कामगारों के लिए नियमित एवं संस्थागत प्रशिक्षण अपेक्षित होना चाहिए। ऐसी विविध कोटियों के कामगारों के पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग-दर्शन का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि संबंधित कार्य के लिए विहित न्यूनतम योग्यता या प्रशिक्षण की अपेक्षा क्या होनी चाहिए।

14.51. समिति महसूस करती है कि सबसे नीचे स्तरवाले ऐसे कामगारों को भी, जो फिलहाल 155—190 रु० के निम्नतम वेतनमान में हैं, अपने-अपने कार्य में कुछ प्रवीणता होनी चाहिए और इसलिए उन्हें अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) कर्मचारी माना जाना चाहिए।

समिति तदनुसार उनके लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार 375—480 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन, गुलजारबाग। | टाइपरायटर क्लिनर .. | 155—190 | 375—480 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी (बी० आई० टी०), सिन्दरी। | साइक्लोस्टाइल अटेंडेंट .. | 155—190 | 375—480 |

14.52. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी, जो या तो 165—204 रु० के वेतनमान में हैं या 180—242 रु० के वेतनमान में, स्पष्टतः ऐसे काम करते हैं जिनके लिए कुछ प्रवीणता अपेक्षित होती हैं। इसलिए उन्हें भी अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) कर्मचारी मानना चाहिए। तदनुसार समिति उनके लिए भी 375—480 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | ग्रामीण विकास .. .. | आपरेटर .. .. | 165—204 | 375—480 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | टूल्स रूम जमादार .. | 165—204 | |
| 3 | वही .. | गैस प्लांट अटेंडेंट .. | 165—204 | |
| 4 | उद्योग .. .. | ब्लाक कटर .. | 165—204 | |
| 5 | वही .. | रीलर-कम-स्पीनर .. | 165—204 | |
| 6 | वही .. | पर्न बाइंडर/हेल्पर .. | 165—204 | |
| 7 | लघु सिंचाई .. .. | टेकनिकल बियरर एंड हेल्पर | 165—204 | |
| 8 | लोक निर्माण .. .. | वाइब्रेटर आपरेटर .. | 165—204 | |
| 9 | वित्त (भविष्य निधि शाखा) .. | मशीन ब्वाय .. | 180—242 | |
| 10 | पंचायती राज .. .. | रोनियो ऑपरेटर एस० जी० .. | 180—242 | |
| 11 | स्वास्थ्य कर्मशाला .. | अपहोल्सटर .. | 180—242 | |
| 12 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | पैटर्न मेकर .. | 180—242 | |
| 13 | पशुपालन .. .. | स्किल्ड अटेंडेंट .. | 180—242 | |
| 14 | वही .. | स्किल्ड कामगार .. | 180—242 | |
| 15 | लोक-निर्माण .. .. | मिक्सर ड्राइवर .. | 180—242 | |
| 16 | वही .. | आपरेटर ग्रेड II (कार्यभारित) | 180—242 | |
| 17 | वही .. | वायल मैन (कार्यभारित) .. | 180—242 | |

14.53. समिति को 180—242 रु० के वेतनमान वाले कर्मचारियों के कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिन्हें प्रशिक्षण और कार्य के स्वरूप के आधार पर उच्चतर वेतनमान में रखा जाना चाहिए। जैसे माइनिंग इंस्टीच्यूट के स्ट्राइकर के लिए मैट्रिकुलेट होना जरूरी नहीं है, किन्तु उसके लिए आई० टी० आई० से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है। इसलिए उसे कम-से-कम कुशल कामगार के समकक्ष माना जाना चाहिए। इसी तरह विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग में फर्नेसमैन का वेतनमान यद्यपि 180—242 रु० है, किन्तु उसके कार्य के लिए कम-से-कम पांच वर्षों का अनुभव अपेक्षित है। यह प्रत्यक्षत: दुष्कर और कष्टजनक है, क्योंकि उसे लगातार भट्ठी (फर्नेस) के पास रहना पड़ता है। इसलिए समिति इन दोनों कोटियों के कर्मचारियों के लिए 400—540 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

14.54. पहले से 205—284 रु० के वेतनमान के निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी कुशल कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं। इसलिए समिति उनके लिए 400—540 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कृषि | ऑपरेटर | 205—284 | 400—540 |
| 2 | पशुपालन | कुशल ऑपरेटर | 205—284 | |
| 3 | पर्यटन | ग्रीजर एरियल रोपवे | 205—284 | |

14.55. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी 220—315 रु० के वेतनमान में हैं, किन्तु उनके लिए या तो आई० टी० आई० से प्रशिक्षित या दीर्घकालीन अनुभव अपेक्षित है। इसलिए उन्हें उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए। समिति उनके लिए 425—605 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कारा | टेंटर | 220—315 | 425—605 |
| 2 | कारा | रॉलर कवरर | 220—315 | |
| 3 | कारा | कटर | 220—315 | |
| 4 | कारा | घानी मास्टर | 220—315 | |
| 5 | योजना एवं विकास | मशीन आपरेटर | 220—315 | |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 6 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | सब-स्टेशन अटेंडेंट .. | 220—315 | 425—605 |
| 7 | वही .. | वुड वर्किंग मशीन आपरेटर | 220—315 | |
| 8 | वही .. | मशीनिस्ट .. | 220—315 | |
| 9 | वही .. | मोलडर .. | 220—315 | |
| 10 | वही .. | पोर्टर .. | 220—315 | |
| 11 | वही .. | जीगर .. | 220—315 | |
| 12 | वही .. | जॉलीमैन .. | 220—315 | |
| 13 | उद्योग .. | वुड मशीनिस्ट .. | 220—315 | |
| 14 | वही .. | मशीनिस्ट .. | 220—315 | |
| 15 | वही .. | शेयर आपरेटर (रूरल वर्कशॉप) .. | 220—315 | |
| 16 | वही .. | इंजिन ड्राइवर .. | 220—315 | |
| 17 | वही .. | एक्सपर्ट आर्टिजन .. | 220—315 | |
| 18 | कृषि .. .. | टाइम्स एवं टूल्सकीपर .. | 220—315 | |
| 19 | विद्युत् .. .. | सहायक एयर कंडीशनिंग आपरेटर | 220—315 | |
| 20 | वही .. | आपरेटर .. .. | 220—315 | |
| 21 | वही .. .. | एयर कंडीशनिंग आपरेटर .. | 220—315 | |
| 22 | लोक-निर्माण .. .. | ग्रीजर श्रेणी-1 (कार्यभारित) .. | 220—315 | |
| 23 | वही .. | रीगर श्रेणी-I (कार्यभारित) .. | 220—315 | |
| 24 | सूचना एवं जन-सम्पर्क .. | बैटरी चार्जिंग तकनीशियन .. | 220—315 | |

14.56. समिति को विद्युत् विभाग में 230—340 रु० के उच्चतर वेतनमान में एयर कंडिशनिंग आपरेटर के दृष्टान्त मिले हैं जिन्हें समिति की राय में निम्नतर वेतनमान 220—315 रु० के अन्तर्गत कार्यरत अन्य एयर कंडिशनिंग आपरेटरों के साथ नहीं रखा जा सकता । इसलिए समिति ऐसे एयर कंडिशनिंग आपरेटरों के लिए, जो 230—340 रु० के वेतनमान में हैं, 480—680 रु० का पुनरीक्षित वेतनमान अनुशंसित करती है ।

14.57. समिति को कारा विभाग के अन्तर्गत 230—340 रु० के वेतनमान में द्वितीय लूम जोबर के एक पद की जानकारी मिली है। समिति उसके लिए 480—680 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

14.58. यद्यपि निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी 220—315 रु०, 240—356 रु०, 284—372 रु० या 240—396 रु० के वेतनमान में हैं, किन्तु उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कम-से-कम मैट्रिकुलेट हों और उनमें से अधिकांश कर्मचारी आई० टी० आई० से प्रशिक्षित या अपने-अपने क्षेत्र में दीर्घकालीन अनुभव रखते हों। समिति का विचार है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को वेतनमान के मामले में समान माना जाए। समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वित्त (भविष्य निधि प्रशाखा) | पम्पिंग और वेरिफाइंग ऑपरेटर | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वित्त (लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन)। | हेड ऑपरेटर | 220—315 | |
| 3 | कल्याण | प्रशिक्षित कामगार | 220—315 | |
| 4 | स्वास्थ्य | बी० सी० सी० तकनीशियन | 220—315 | |
| 5 | शिक्षा (स्टेट इन्स्टीच्यूट ऑफ सायन्स इन्स्टीट्यूशन्स)। | कर्मशाला सहायक | 220—315 | |
| 6 | वित्त (लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन) | पर्यवेक्षक | 244—356 | |
| 7 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी | मैशिनिस्ट | 284—372 | |
| 8 | कारा | कार्डिंग जाबर | 240—396 | |
| 9 | वही | स्पीड फ्रेम जाबर | 240—396 | |
| 10 | वही | रिंग फ्रेम जाबर | 240—396 | |
| 11 | वही | डॉफिंग जाबर | 240—396 | |
| 12 | वही | इंजन ड्राइवर | 240—396 | |
| 13 | वही | फैक्टरी ओवरसीयर | 240—396 | |
| 14 | उद्योग | स्किल्ड आर्टिजन शीटमेटल | 240—396 | |
| 15 | वही | स्किल्ड आर्टिजन ब्लैकस्मिथी | 240—396 | |
| 16 | वही | डालर | 240—396 | |
| 17 | वही | ग्राइंडर | 240—396 | |
| 18 | वही | मेल्टर-कम-शीटर | 240—396 | |
| 19 | वही | बेन्ड सा आपरेटर | 240—396 | |
| 20 | वन | मशीनमैन | 240—396 | |
| 21 | वही | भट्ठा (किल्न) आपरेटर | 240—396 | |
| 22 | कृषि | मोल्डर | 240—396 | |
| 23 | लघु सिंचाई | एयर कम्प्रेसर | 240—396 | |
| 24 | वही | इंजीनियरिंग ओवरसीयर | 240—396 | |
| 25 | लोक-निर्माण | सब-ओवरसीयर (कार्यभारित) | 240—396 | |
| 26 | वही | भवन पर्यवेक्षक (बिल्डिंग सुपरवाईजर)। | 240—396 | |
| 27 | वही | आपरेटर ग्रेड-II (कार्यभारित) | 240—396 | |

14.59. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी, संभवतः उच्चतर या अधिक कठिन कार्य होने के कारण पहले ही से 296—460 रु० के उच्चतर वेतनमान में हैं। समिति उनको 580—860 रु० के उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | उद्योग .. | .. हीट ट्रीटर .. .. | 296—460 | 580—860 रु० |
| 2 | वही .. | .. पावर हैमर आपरेटर .. | 296—460 | |
| 3 | पशुपालन .. | .. आपरेटर .. .. | 296—460 | |
| 4 | विद्युत् .. | .. विद्युत् अनुरक्षण (इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सुपरवाइजर)। | 296—460 | |
| 5 | सिंचाई .. | .. निरीक्षक-सह-कलाकार .. | 296—460 | |
| 6 | सूचना एवं जन-सम्पर्क | .. ट्रांसफार्मर बाइंडर .. | 296—460 | |
| 7 | वही .. | .. सिलिण्डर रि-बोरर .. | 296—460 | |
| 8 | वही .. | .. आटो-मेकैनिक .. | 296—460 | |

14.60. 296—460 रु० या 340—490 रु० के वेतनमान के दायरे में पड़नेवाले निम्न कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल मैट्रिकुलेट हों, अपितु अपने कार्य में आई० टी० आई० से प्रशिक्षण प्राप्त भी हों। उनके कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व भी उच्चतर प्रकार के हैं। अतः समिति का विचार है कि उन्हें वेतनमान के मामले में समान माना जाए और वह उनके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | उद्योग .. | .. अत्यधिक कुशल आपरेटर .. | 296—460 | 680—965 |
| 2 | वही .. | .. शॉ मीलर-सह-वुड कटर .. | 296—460 | |

14.61. 240—396 रु० और 260—408 रु० के वेतनमान वाले निम्न कोटि के कर्मचारियों के लिए कम-से-कम विज्ञान के साथ इन्टरमिडिएट होना आवश्यक है। समिति वेतनमान के मामले में इन्हें बराबर समझती है और दोनों कोटियों के लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य .. | .. प्रयोगशाला तकनीशियन (दन्त) | 240—396 | 680—965 |
| 2 | वित्त (भविष्य निधि प्रशाखा) | .. सार्टर .. .. | 260—408 | |

14.62. समिति को पशुपालन विभाग में 335—555 रु० के वेतनमान में कार्यरत एक यांत्रिक संयंत्र चालक (मेकैनिकल प्लांट आपरेटर) की सूचना मिली है। उसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आई० टी० आई० से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अपेक्षित है। समिति उसके कार्य के स्वरूप को देखते हुए उसके लिए 730—1,060 रु० वेतनमान की अनुशंसा करती है।

14.63. 348—570 रु०, 400—660 रु०, 415—720 रु० या 415—745 रु० के उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत कर्मचारियों की ऐसी कई कोटियां हैं, जिसके लिए अधिक उच्चतर योग्यता अपेक्षित है, जैसे दीर्घकालीन अनुभव के साथ स्नातक डिग्री या विशेषज्ञता प्रशिक्षण। समिति उनकी उच्चतर योग्यता, विशेषज्ञता के साथ प्रशिक्षण या दीर्घकालीन अनुभव तथा कार्य की जिम्मेवारियों को देखते हुए उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वित्त (भविष्य निधि प्रशाखा) .. | मशीन आपरेटर .. | 348—570 | 785—1,210 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | तकनीशियन .. .. | 400—660 | |
| 3 | कृषि (मिट्टी संरक्षण) .. | चार्जमैन .. .. | 400—660 | |
| 4 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | तकनीकी सहायक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 5 | वन .. .. | सहायक मैनेजर .. | 415—720 | |
| 6 | कृषि .. .. | मशीनमैन .. | 415—720 | |
| 7 | पर्यटन .. .. | अधीक्षक, एरियल रोपवे .. | 415—720 | |
| 8 | कल्याण .. .. | सहायक अधीक्षक, औद्योगिक विद्यालय। | 415—720 | |
| 9 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | सहायक कर्मशाला अधीक्षक .. | 415—745 | |
| 10 | वही .. | सीनियर तकनीशियन .. | 415—745 | |

14.64. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी पहले से ही विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के बराबर उच्चतर वेतनमान में हैं। समिति विद्यमान सापेक्षता को भंग करने का कोई कारण नहीं देखती और यह उनके लिए निम्नलिखित समुचित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | उद्योग .. .. | अधीक्षक, माडल कर्मशाला .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | कर्मशाला अधीक्षक .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | भूतत्व .. .. | खनन अभियंता (ड्रिलिंग इंजीनियर) | 620—1,415 | 1,350—2,000 |

**वर्क सरकार**

14.65. वर्क सरकार अभियंत्रण विभाग में होते हैं। वे फील्ड स्टाफ होते हैं जिन्हें वस्तुतः कनीय अभियंताओं (जुनियर इंजीनियरों) के तकनीकी मार्गदर्शन और नियंत्रण में निर्माण-स्थल पर विभिन्न कोटियों के कामगारों, जैसे—मजदूर, कुली, मेट, राजमिस्त्री, मिस्त्री आदि के कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है। वास्तव में, वे निर्माण-स्थल पर मुख्य पर्यवेक्षी कर्मचारी होते हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश कार्यभारित कर्मचारी होते हैं।

14.66. फिलहाल वर्क सरकार के दो वेतनमान हैं। जो मैट्रिक पास नहीं हैं वे 205—284 रु० के वेतनमान में हैं। जो मैट्रिक पास हैं वे 220—315 रु० के वेतनमान में हैं।

14.67. बिहार वर्क सरकार एसोसिएशन ने समिति को अभ्यावेदन दिया है कि अब सभी वर्क सरकार के लिए कम-से-कम मैट्रिकुलेट होना आवश्यक है, अतः वर्क सरकारों के लिए एक ही वेतनमान होना चाहिए, जो कुछेक नन-मैट्रिकुलेट वर्क सरकारों पर भी लागू हो। उन्होंने उच्चतर वेतनमान देने की मांग को उचित बताते हुए कहा है कि चूंकि क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) श्रम साध्य है, इसलिए उनका वेतनमान कनीय अभियंता (जुनियर इंजीनियर) के वेतनमान से थोड़ा ही कम होना चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें प्रवर-कोटि की सुविधा और प्रोन्नति के अवसर दिए जाएं।

14.68. समिति ने यह निश्चित पता लगा लिया है कि सभी वर्क सरकार के लिए विहित न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन है। नन-मैट्रिकुलेट वर्क सरकारों की संख्या बहुत कम है और उनके लिए निम्न और निम्नतर वेतनमान रखना युक्तियुक्त नहीं है, विशेषकर, जबकि उनके कर्त्तव्य का स्वरूप वैसा ही है जैसा मैट्रिकुलेट वर्क सरकारों का है। उनके कर्त्तव्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति यह महसूस करती है कि उनका वर्त्तमान वेतनमान भी बहुत कम है। तदनुसार, समिति वर्क सरकार की सभी कोटियों के लिए एक वेतनमान अर्थात् 535—765 रु० की अनुशंसा करती है।

# अध्याय 15

## भोजन बनाने वाले कर्मचारी

15.1. इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत भोजन बनानेवाले (कूकिंग पर्सोनेल) और पाकशाला कर्मचारियों (किचेन स्टाफ) की विभिन्न कोटियों का विवेचन किया गया है। नीचे के विवरण से पता चलता है कि वे अभी विभिन्न वेतनमान में हैं, जिन्हें युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

15.2. समिति ने कम-से-कम रसोइया, खानसामा, हलवाई, प्रधान रसोइया, प्रधान हलवाई आदि को अर्द्ध-कुशल माना है और उसकी अनुशंसा है कि उन्हें किसी भी स्थिति में 375—480 रु० के वेतनमान से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए।

15.3. परन्तु, राजकीय अतिथिशाला, सरकारी कैंटीन, नई दिल्ली स्थित बिहार भवन जैसी अनेक ऐसी स्थापनाएँ हैं, जहां भोजन बनानेवाले कर्मचारियों से अधिक दक्षता की आशा की जाती है और यह बहुत ही ठीक है कि उन्हें पहले से ही उच्चतर वेतनमान दिया जा रहा है। समिति ने ऐसे उपयुक्त मामलों में उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा की है।

15.4. भोजन बनाने वाले कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए समिति ने निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | परिवहन (फ्लाइंग इंस्टीच्यूट) .. | रसोइया .. .. | 81—90 | 375—480 |
| 2 | वित्त (वाणिज्यकर) विभाग .. | सहायक रसोइया-सह-बैरा .. | 155—190 | 375—480 |
| 3 | राजभवन .. .. | खानसामा .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 4 | लोक-निर्माण (कार्यभारित) .. | रसोइया .. .. | 155—190 | 375—480 |

14.62. समिति को पशुपालन विभाग में 335—555 रु० के वेतनमान में कार्यरत एक यांत्रिक संयंत्र चालक (मेकैनिकल प्लांट आपरेटर) की सूचना मिली है। उसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आई० टी० आई० से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अपेक्षित है। समिति उसके कार्य के स्वरूप को देखते हुए उसके लिए 730—1,060 रु० वेतनमान की अनुशंसा करती है।

14.63. 348—570 रु०, 400—660 रु०, 415—720 रु० या 415—745 रु० के उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत कर्मचारियों की ऐसी कई कोटियां हैं, जिसके लिए अधिक उच्चतर योग्यता अपेक्षित है, जैसे दीर्घकालीन अनुभव के साथ स्नातक डिग्री या विशेषज्ञता प्रशिक्षण। समिति उनकी उच्चतर योग्यता, विशेषज्ञता के साथ प्रशिक्षण या दीर्घकालीन अनुभव तथा कार्य की जिम्मेवारियों को देखते हुए उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वित्त (भविष्य निधि प्रशाखा) .. | मशीन आपरेटर .. | 348—570 | 785—1,210 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | तकनीशियन .. .. | 400—660 | |
| 3 | कृषि (मिट्टी संरक्षण) .. | चार्जमैन .. .. | 400—660 | |
| 4 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | तकनीकी सहायक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 5 | वन .. .. | सहायक मैनेजर .. | 415—720 | |
| 6 | कृषि .. .. | मशीनमैन .. | 415—720 | |
| 7 | पर्यटन .. .. | अधीक्षक, एरियल रोपवे .. | 415—720 | |
| 8 | कल्याण .. .. | सहायक अधीक्षक, औद्योगिक विद्यालय। | 415—720 | |
| 9 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | सहायक कर्मशाला अधीक्षक .. | 415—745 | |
| 10 | वही .. | सीनियर तकनीशियन .. | 415—745 | |

14.64. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी पहले से ही विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के बराबर उच्चतर वेतनमान में हैं। समिति विद्यमान सापेक्षता को भंग करने का कोई कारण नहीं देखती और यह उनके लिए निम्नलिखित समुचित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | उद्योग .. .. | अधीक्षक, माडल कर्मशाला .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | कर्मशाला अधीक्षक .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | भूतत्व .. .. | खनन अभियंता (ड्रिलिंग इंजीनियर) | 620—1,415 | 1,350—2,000 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 5 | लोक-निर्माण (कार्यभारित) .. | खानसामा .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 6 | सिंचाई (सम्पर्क पदाधिकारी-सह-भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय)। | रसोइया .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 7 | राजस्व (समाहरणालय, मुजफ्फरपुर) | खानसामा .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 8 | राजस्व (समाहरणालय, मुंगेर) .. | खानसामा .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 9 | राजस्व (समाहरणालय, हजारीबाग). | खानसामा .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 10 | कारा (सुधारालय) .. | रसोइया .. .. | 155—190 | 375—480 |
| 11 | राजभवन .. .. | वरीय खानसामा .. | 165—204 | 375—480 |
| 12 | सचिवालय कैन्टीन .. .. | सहायक हलवाई .. .. | 165—204 | 375—480 |
| 13 | सचिवालय कैन्टीन .. .. | चाय बनाने वाला .. | 165—204 | 375—480 |
| 14 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | प्रधान रसोइया .. | 165—204 | 375—480 |
| 15 | कारा (बालदोष सुधार शाखा) बोर्स्टल | वरीय रसोइया .. | 165—204 | 375—480 |
| 16 | राजभवन .. .. | खानसामा .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 17 | राजभवन .. .. | मेट रसोइया .. .. | 180—242 | 375—480 |
| 18 | बिहार सचिवालय कैन्टीन .. | सहायक रसोइया .. | 180—242 | 375—480 |
| 19 | राजभवन .. .. | दूसरा रसोइया (सेकन्ड कुक) | 205—284 | 400—540 |
| 20 | राजकीय अतिथिशाला .. | सहायक रसोइया .. | 205—284 | 400—540 |
| 21 | बिहार भवन, नई दिल्ली .. | रसोइया .. .. | 205—284 | 400—540 |
| 22 | पर्यटन निदेशालय .. .. | रसोइया .. .. | 205—284 | 400—540 |
| 23 | वित्त (वाणिज्य-कर) .. | रसोइया-सह-बैरा .. | 205—284 | 425—605 |
| 24 | बिहार सचिवालय कैन्टीन .. | प्रधान हलवाई .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 25 | वही .. .. | प्रधान रसोइया .. | 220—315 | 425—605 |
| 26 | वही .. .. | बैरा .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 27 | राजकीय अतिथिशाला .. | रसोइया .. .. | 230—340 | 480—680 |
| 28 | राजभवन .. .. | प्रधान रसोइया .. | 240—396 | 535—765 |

**पाकशाला सहायक**

15.5. स्थायी रसोइया की सहायता करने के लिये, विभिन्न पाकशाला स्थापनाओं में नियोजित कर्मचारी नीचे दिए गए विभिन्न पदनामों से जाने जाते हैं। चूंकि वे केवल सहायक का कार्य करते हैं और उन्हें वस्तुतः भोजन बनाने का कार्य नहीं करना होता है, इसलिए समिति उन्हें अकुशल कर्मचारी मानती है, और उनके लिए 350—425 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | परिवहन (फ्लाईंग इंस्टीच्यूट) .. | .. मसालची .. .. | 75—85 | 350—425 |
| 3 | वही .. | .. बैरा .. .. | 81—90 | 350—425 |
| 3 | राजभवन .. | .. बैरा .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 4 | वही .. | .. मसालची .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 5 | वही .. | .. पाकशाला मजदूर .. | 155—190 | 350—425 |
| 6 | राजकीय अतिथिशाला | .. बैरा .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 7 | वही .. | .. बैरा-सह-फरास .. | 155—190 | 350—425 |
| 8 | वही .. | .. मसालची .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 9 | बिहार भवन, नई दिल्ली | .. रूम बैरा .. .. | 165—190 | 350—425 |
| 10 | बिहार सचिवालय कन्टीन | .. बैरा .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 11 | वही .. | .. सर्विस ब्वाय .. . | 155—190 | 350—425 |
| 12 | वही .. | .. विक्रेता (सेल्समैन) .. | 155—190 | 350—425 |
| 13 | वही .. | .. वाशिंग ब्वाय .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 14 | वही .. | .. सहायक (हेल्पर) .. | 155—190 | 350—425 |
| 15 | वही .. | .. मसालची .. .. | [illegible]—190 | 350—425 |
| 16 | लोक-निर्माण (कार्यभारित) | .. मसालची .. .. | [illegible]—190 | 350—425 |
| 17 | राजस्व (समाहरणालय, राँची) | .. बैरा .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 18 | स्वास्थ्य विभाग .. | .. बैरा-सह-मसालची .. | 155—190 | 350—425 |
| 19 | वही .. | .. पाकशाला सहायक .. | 155—190 | 350—425 |
| 20 | राजभवन .. | .. पाकशाला मजदूर .. | 165—204 | 350—425 |

15.6. किन्तु, निम्नलिखित पदों पर पर्यवेक्षण कार्य करना होता है और ये प्रोन्नति द्वारा भी भरे जाते हैं, अतः उनके लिए अनुशंसित वेतनमान 375—480 रु० है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सचिवालय कैन्टीन .. .. | प्रधान बैरा .. .. | 165—204 | 375—480 |
| 2 | वही .. .. | प्रधान सर्विस ब्वाय .. | 165—204 | 375—480 |

# अध्याय 16

## ड्राइवर और ओटोमेकैनिक

16.1. इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विभिन्न कोटि के ड्राइवरों के सम्बन्ध में विचार किया गया है, जिनके अन्तर्गत सिर्फ मोटरगाड़ी ड्राइवर ही नहीं, बल्कि रोड रॉलर ड्राइवर, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी ड्राइवर आदि भी हैं। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति तथा विसंगति निराकरण समिति ने उनके वेतनमान को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया तथा राज्य सरकार ने उनकी अनुशंसाओं को स्वीकार भी किया, किन्तु इसके बावजूद, विभिन्न विभागों में नियोजित एक ही तरह के ड्राइवर के वेतनमानों में बहुत बड़ी विसंगतियां बनी रहीं। इसका कारण स्पष्टतः यह है कि पूर्व में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया। यह आगे की कंडिका में बतायी गई बातों से स्पष्ट हो जाता है।

16.2. तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने हल्की मोटरगाड़ी के ड्राइवरों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित दो वेतनमानों की अनुशंसा की थी, जिसका समर्थन बाद में विसंगति निराकरण समिति ने भी किया था :—

| | रु० |
|---|---|
| (1) सचिवालय, संलग्न कार्यालयों, विधान-मंडल सचिवालय, लोक-सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और बिहार भवन, नई दिल्ली में नियोजित स्टाफ कार, जीप और स्टेशन वैगन के ड्राइवर। | 220—315 |
| (2) अन्य सभी हल्की मोटरगाड़ी के ड्राइवर .. .. .. | 205—284 |

16.3. किन्तु निम्नलिखित विवरण से यह ज्ञात होगा कि विभिन्न विभागों में हल्की मोटरगाड़ी के ड्राइवरों के लिए 105—175 रु० से 230—340 रु० तक के बहुत से वेतनमान हैं, जबकि इसके अतिरिक्त प्रधान ड्राइवर के लिए 340—490 रु० का उच्चतर वेतनमान अभी भी मौजूद है। यह विसंगति कल्याण, उद्योग, आपूर्ति और सांख्यिकी विभागों में अधिक स्पष्ट है, जहां कुछ ड्राइवर 180—242 रु० के वेतनमान में और कुछ 205—284 रु० के वेतनमान में, प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में कुछ 205—284 रु० के वेतनमान में और एक 220—315 रु० के वेतनमान में, समाहरणालय में कुछ 205—284 रु० के वेतनमान में और अन्य 220—315 रु० के वेतनमान में हैं। इसी प्रकार जहां बिहार भवन, नई दिल्ली में स्टाफ कार के ड्राइवर 220—315 रु० के वेतनमान में हैं वहां उद्योग विभाग, कलकत्ता में स्टाफ कार के ड्राइवर का वेतन 230—340 रु० है। वेतनमान में स्पष्टतः विसंगतियां बनी हुई हैं, जिन्हें न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता है।

16.4. मुफस्सिल स्थापना के ड्राइवरों ने समिति के समक्ष अभ्यावेदन किया है कि जहां सचिवालय से संलग्न स्टाफ कार के ड्राइवरों की तुलना में उनकी काम की शर्त्तें तथा काम के ढंग बहुत अधिक कठिन हैं, वहां स्टाफ कार के ड्राइवरों की तुलना में उनके साथ भेदभाव बरता गया है क्योंकि प्रथमतः उन्हें निम्नतम वेतनमान दिया गया है और द्वितीयतः सचिवालय से संलग्न स्टाफ कार के ड्राइवरों को दिया गया विशेष वेतन उन्हें नहीं दिया जाता है। समिति ऐसा महसूस करती है कि उनका तर्क निराधार नहीं है तथा मुफस्सिल के ड्राइवर और सचिवालय के ड्राइवर में विभेद करने का कोई कारण नहीं है।

16.5. समिति ने बिहार भवन, नई दिल्ली के स्टाफ कार ड्राइवर तथा उद्योग विभाग, कलकत्ता के स्टाफ कार ड्राइवर के बीच मौजूदा वेतनमान भिन्नता पर भी विचार किया है तथा यह महसूस किया है कि इस प्रकार का भेदभाव औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः समिति ने इन दोनों कोटियों के ड्राइवर के लिए समान वेतन की अनुशंसा की है। किन्तु उसने दिल्ली और कलकत्ता में पदस्थापित ड्राइवरों के लिए उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा की है क्योंकि वे सुदूर महानगरी में काम करते हैं।

**ड्राइवर को दी जानेवाली अतिरिक्त परिलब्धियां**

16.6. सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के स्टाफ कार ड्राइवरों को, मौजूदा उच्चतर वेतनमान के अतिरिक्त 30 रु० प्रतिमास विशेष वेतनमान भी मिलता है। साथ ही, बिहार भवन, नई दिल्ली के स्टाफ कार ड्राइवर को अतिरिक्त भत्ता भी स्वीकृत किया गया है, जिसे फरवरी, 1979 से 20 रु० से बढ़ाकर 50 रु० कर दिया गया है। चूंकि 220—315 रु० के वेतनमान वाले सभी ड्राइवरों को विशेष वेतन दिया जाता है, इसलिए इसे वेतन का हिस्सा ही बना देना अधिक उपयुक्त होगा। मुफस्सिल स्थापना के ड्राइवरों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि हालांकि उनके काम की शर्तें तथा कर्त्तव्य के स्वरूप शहरी ड्राइवरों की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन हैं, फिर भी उनके और शहरी ड्राइवर के वेतनमानों में विभेद किया गया है। समिति ने इन अभ्यावेदनों को तर्कसंगत माना है और उन्होंने उनके लिए भी उसी वेतनमान की अनुशंसा की है। समिति सिद्धांततः विशेष वेतन या विशेष भत्ता के रूप में अतिरिक्त परिलब्धियां स्वीकृत करने के पक्ष में नहीं है। उसने पुनरीक्षित वेतनमान तैयार करते समय वर्त्तमान परिलब्धियों पर विचार किया है। समिति विशेष वेतन के रूप में विशेष वेतन या विशेष भत्ता वाले वेतनमान की अपेक्षा वेतनमानों में भिन्नता बनाए रखना पसंद करेगी। अभी स्टाफ कार के ड्राइवरों को, काम के परिमाण पर विचार किए बिना और गाड़ी बैठी रहने या बेकार पड़ी रहने पर भी विशेष वेतन देने की जो प्रणाली है वह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। जैसा कि पहले बताया गया है समिति ने इन ड्राइवरों के लिए भी; प्रस्तावित वेतनमान तैयार करते समय ऐसी अतिरिक्त परिलब्धियों पर विचार किया है। समिति ने सचमुच में बिहार भवन, नई दिल्ली के स्टाफ कार ड्राइवर की अच्छी परिलब्धियों की आवश्यकता महसूस की है तथा उनके लिए और उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की है। अतः ड्राइवर की किसी कोटि के लिए मौजूदा विशेष वेतन और अतिरिक्त भत्ता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

**हल्की मोटरगाड़ी ड्राइवर**

16.7. समिति ने हल्की मोटरगाड़ी ड्राइवर के लिए निम्नलिखित वेतनमान की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं०। | विभाग। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कल्याण (क्षेत्रीय स्थापना) .. | ड्राइवर .. .. | 180—242 | 425—605 |
| 2 | उद्योग (रेशम उत्पादन) .. | ड्राइवर .. .. | 180—242 | 425—605 |
| 3 | आपूर्त्ति विभाग .. .. | जीप ड्राइवर .. | 180—242 | 425—605 |
| 4 | योजना (सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय)। | जीप ड्राइवर .. | 180—242 | 425—605 |
| 5 | गृह (गृह रक्षावाहिनी) .. | सिपाही ड्राइवर (ग्रामीण और शहरी)। .. | 190—254 | 425—605 |
| 6 | गृह (पुलिस मोटर परिवहन) .. | सिपाही ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 7 | गृह (अपराध अनुसंधान विभाग, खाद्य आसूचना)। | सिपाही ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |

| क्रम संख्या । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 8 | गृह (राज्य अग्निशाम सेवा) .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 9 | राजस्व और भूमि सुधार (भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय) | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 10 | राजस्व सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग । | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 11 | राजस्व चकबन्दी निदेशालय .. | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 12 | आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर .. | मोटर ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 13 | आयुक्त कार्यालय, दरभंगा .. | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 14 | आयुक्त कार्यालय, रांची .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 15 | आयुक्त कार्यालय, सहरसा .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 16 | आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग .. | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 17 | गया समाहरणालय .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 18 | रोहतास समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 19 | मुजफ्फरपुर समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 20 | गोपालगंज समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 21 | पूर्वी चम्पारण समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 22 | सिवान समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 23 | वैशाली समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 24 | समस्तीपुर समाहरणालय .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 25 | मधुबनी समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 26 | बेगूसराय समाहरणालय .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 27 | संथाल परगना समाहरणालय ... | जीप ड्राइवर और स्टाफ कार ड्राइवर । | 205—284 | 425—605 |
| 28 | कटिहार समाहरणालय .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 29 | राँची समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 30 | पलामू समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 31 | हजारीबाग समाहरणालय .. | हल्की गाड़ी का ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 32 | सिंहभूम समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 33 | धनबाद समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 34 | शिक्षा विभाग .. .. | ड्राइवर (जीप) .. | 205—284 | 425—605 |
| 35 | शिक्षा (राज्य शिक्षा संस्थान) .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 36 | शिक्षा (वयस्क शिक्षा निदेशालय) .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 37 | शिक्षा विभाग (श्रव्य-दृश्य शाखा) .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 38 | वित्त (वाणिज्यकर) मुफस्सिल स्थापना | मोटर ड्राइवर.. .. | 205—284 | 425—605 |
| 39 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, हेहल, रांची)। | हल्की गाड़ी का ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 40 | कल्याण (क्षेत्रीय स्थापना) .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 41 | वित्त (लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन, गुलजारबाग)। | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 42 | वही .. .. | स्कूटर वान ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 43 | ग्रामीण विकास (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) (अभियंत्रण)। | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 44 | कृषि (मुख्यालय और क्षेत्र) .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 45 | कृषि (मिट्टी संरक्षण निदेशालय) .. | जीप ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 46 | सहकारिता (मुफस्सिल) .. | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 47 | लघु सिंचाई .. .. | ड्राइवर (हल्की गाड़ी) .. | 205—284 | 425—605 |
| 48 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | ड्राइवर (क्षेत्रीय) .. | 205—284 | 425—605 |
| 49 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | ड्राइवर (मुख्यालय) .. | 205—284 | 425—605 |
| 50 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | ड्राइवर (चेचक) .. | 205—284 | 425—605 |
| 51 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | ड्राइवर (हैजा) .. | 205—284 | 425—605 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 52 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 53 | पशुपालन और मत्स्य विभाग, सचिवालय स्थापना। | ड्राइवर (क्षेत्रीय स्थापना) | 205—284 | 425—605 |
| 54 | पशुपालन और मत्स्य विभाग, सचिवालय स्थापना। | मोटर ड्राइवर (हल्की गाड़ी) | 205—284 | 425—605 |
| 55 | मत्स्य निदेशालय .. .. | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 56 | उद्योग विभाग (जिला उद्योग केन्द्र) | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 57 | उद्योग (ईख विकास प्रभाग) .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 58 | श्रम (नियोजन निदेशालय) .. | मोटर ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 59 | श्रम (उप-श्रमायुक्त, बोकारो स्टील सिटी)। | मोटर ड्राइवर<br>जीप ड्राइवर | 205—284 | 425—605 |
| 60 | श्रम (प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी) (कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम) | मोटर ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 61 | श्रम (मुख्य कारखाना निरीक्षक) | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 62 | लोक-निर्माण विभाग (मुख्यालय स्थापना)। | वान ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 63 | लोक-निर्माण विभाग (स्थानीय कार्यालय) | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 64 | सिंचाई (मुख्यालय स्थापना) .. | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 65 | सिंचाई (राजस्व स्थापना) .. | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 66 | सिंचाई (भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय)। | जीप ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 67 | सिंचाई (सहायक निदेशक, जन-सम्पर्क स्थापना)। | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 68 | सिंचाई (जलशोध संस्थान, खगौल) | ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 69 | सिंचाई (विशेष पदाधिकारी-सह-विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी)। | ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 205—284 | 425—605 |
| 70 | खनन एवं भूतत्व विभाग .. | ड्राइवर (स्थानीय) .. | 205—284 | 425—605 |
| 71 | भूतत्व विभाग .. .. | ड्राइवर (हल्की गाड़ी) .. | 205—284 | 425—605 |
| 72 | उत्पाद एवं मद्य निषेध .. | वान ड्राइवर .. .. | 205—284 | 425—605 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम। | पद नाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 73 | साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग, क्षेत्रीय इकाई। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 74 | मंत्रिमंडल सचिवालय .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 75 | मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी विभाग)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 76 | मंत्रिमंडल सचिवालय (निर्वाचन विभाग)। | स्टाफ कार ड्राइवर-सह-मेकैनिक | 220—315 | 425—605 |
| 77 | मंत्रिमंडल सचिवालय (तकनीकी परीक्षक कोषांग)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 78 | गृह (विशेष) विभाग .. | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 79 | गृह (असैनिक प्रतिरक्षा) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 80 | गृह, कारा एवं सुधार सेवा (मुख्यालय स्थापना)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 81 | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (मुख्यालय स्थापना)। | मोटर ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 82 | लोक-सेवा आयोग .. .. | जीप ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 83 | लोकायुक्त का कार्यालय .. | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 84 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | वान ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 85 | पर्यटन विभाग .. .. | वान ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 86 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 87 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (कृषि गणना प्रभाग)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 88 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग। | जीप ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 89 | आयुक्त का कार्यालय, पटना .. | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 90 | मुंगेर समाहरणालय .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 91 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 92 | शिक्षा (राजकीय महिला कालेज, गुलजारबाग)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 93 | शिक्षा (प्राकृत, जैन विद्या एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली) । | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 94 | नव नालन्दा महाविहार .. | मेकैनिकल ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 95 | शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय कैडेट कोर) | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 96 | शिक्षा विभाग (प्रशिक्षण महाविद्यालयों से सम्बद्ध प्रसार सेवा) । | जीप ड्राइवर-सह-क्लीनर .. | 220—315 | 425—605 |
| 97 | शिक्षा (वयस्क शिक्षा निदेशालय) (मुख्यालय) । | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 98 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (मुख्यालय) । | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 99 | वित्त विभाग (सचिवालय मोटर सेवा) | स्टाफ कार ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 100 | वित्त (वाणिज्यकर) (मुख्यालय स्थापना) । | मोटर ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 101 | वित्त (राष्ट्रीय बचत) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 102 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान, हेहल, रांची) । | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 103 | कल्याण विभाग (मुख्यालय स्थापना) | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 104 | कल्याण विभाग (क्षेत्रीय स्थापना) | जीप ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 105 | कल्याण विभाग ( बिहार जनजाति कल्याण शोध संस्थान, रांची) । | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 106 | नगर विकास (नगर निवेशन) .. | जीप ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 107 | ग्रामीण विकास (सचिवालय स्थापना) | मोटर ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 108 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज निदेशालय) । | जीप ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 109 | ग्रामीण विकास (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन) । | स्टेशन वैगन ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 110 | ग्रामीण विकास (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन) । | जीप ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 111 | कृषि विभाग (सचिवालय एवं क्षेत्रीय स्थापना)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 112 | कृषि विभाग (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्थापना)। | वान ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 113 | कृषि (भूमि संरक्षण निदेशालय) | जीप ड्राइवर (सचिवालय) .. | 220—315 | 425—605 |
| 114 | कमांड क्षेत्र विकास स्कीम (मुख्यालय) | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 115 | सहकारिता (मुख्यालय) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 116 | लघु सिंचाई .. .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 117 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | ड्राइवर (मुख्यालय) .. | 220—315 | 425—605 |
| 118 | स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम)। | मोटर मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 119 | स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम)। | मोटर ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 120 | पशुपालन और मत्स्य विभाग (सचिवालय स्थापना)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 121 | पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (सचिवालय स्थापना)। | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 122 | पशुपालन और मत्स्य विभाग (सचिवालय स्थापना)। | जीप ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 123 | मत्स्य निदेशालय .. | जीप ड्राइवर (मुख्यालय) .. | 220—315 | 425—605 |
| 124 | उद्योग विभाग (रेशम उत्पादन) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 125 | ईख विभाग (मुख्यालय) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 126 | श्रम (कृषि श्रम निदेशालय) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 127 | श्रम (उप-श्रमायुक्त, भागलपुर) .. | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 128 | श्रम (उप-श्रमायुक्त, जमशेदपुर) .. | मोटरवान .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 129 | श्रम (सहायक श्रमायुक्त, पटना) .. | वान ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |
| 130 | श्रम (सहायक श्रमायुक्त, बेगूसराय) | ड्राइवर .. .. | 220—315 | 425—605 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | | रु० | रु० |
| 131 | श्रम (सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर) | ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—6 |
| 132 | श्रम (सहायक श्रमायुक्त, पटना) | वान ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—6 |
| 133 | लोक-निर्माण (स्थानीय कार्यालय) | जीप ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—6 |
| 134 | परिवहन विभाग (जल परिवहन) | जीप ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—6 |
| 135 | लोक-निर्माण (कार्यभारित) .. | जीप ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—6 |
| 136 | सिंचाई विभाग (चिकित्सा स्थापना) | ड्राइवर-सह-मेकैनिक | .. | 220—315 | 425—6 |
| 137 | सिंचाई विभाग (चिकित्सा स्थापना) | ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—6 |
| 138 | सिंचाई विभाग (भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय)। | जीप ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—60 |
| 139 | सिंचाई विभाग (जल शोध संस्थान) | जीप ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—60 |
| 140 | खान एवं भूतत्व .. .. | ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—60 |
| 141 | साहाय्य एवं पुनर्वास (मुख्यालय) .. | मोटर ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—60 |
| 142 | योजना एवं विकास (मुख्यालय स्थापना) | मोटर ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—60 |
| 143 | योजना एवं विकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त का कार्यालय, रांची। | ड्राइवर .. | .. | 220—315 | 425—60 |
| 144 | योजना एवं विकास (अग्र शोध परियोजना)। | मोटर ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—60 |
| 145 | योजना एवं विकास (बिहार राज्य योजना बोर्ड)। | ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 146 | विद्युत् विभाग (पटना विद्युत् निर्माण प्रमंडल)। | ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 147 | विद्युत् विभाग (मुजफ्फरपुर विद्युत् निर्माण प्रमंडल)। | जीप ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 148 | विद्युत् विभाग (रांची बिजली निर्माण प्रमंडल)। | ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 149 | विधान-सभा .. | ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 150 | विधान परिषद् .. | मोटर ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 151 | विधि विभाग .. | ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |
| 152 | उच्च न्यायालय .. | स्टाफ कार ड्राइवर | .. | 220—315 | 425—605 |

16.8. राज्य के बाहर नियोजित स्टाफ कार चालकों के संबंध में समिति ने यह दर्ज किया है कि उद्योग विभाग के अधीन कलकत्ता में रहनेवाले का वेतनमान 230—340 रु० है, जबकि बिहार भवन, नई दिल्ली में रहनेवाले का वेतनमान 220—315 रु०। बिहार भवन, नई दिल्ली में रहनेवाले, जैसाकि पहले बताया गया है, निस्संदेह उच्चतर विशेष भत्ता पाते हैं। राज्य के बाहर पदस्थापित ऐसे सभी चालकों के लिए समिति ऐसे किसी विशेष वेतन या भत्ता के बिना समान वेतनमान की अनुशंसा करती है। अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित है :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | मंत्रिमंडल सचिवालय (बिहार भवन, नई दिल्ली)। | कार ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 2 | उद्योग (जन-सम्पर्क कार्यालय, कलकत्ता) | कार ड्राइवर .. | 230—340 | 480—680 |

## भारी मोटरगाड़ी ड्राइवर

16.9. भारी मोटरगाड़ी ड्राइवरों में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर शामिल हैं। ऐसे सभी पद फिलहाल 220—315 रु० के वेतनमान में हैं। समिति इनके लिए 480—680 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | गृह (कारा और शुद्धिकरण सेवा, क्षेत्रीय स्थापना)। | ट्रक ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 2 | हजारीबाग समाहरणालय .. | भारी सवारी ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 3 | विज्ञान और तकनीक (बी० आई० टी०, सिन्द्री) (मुजफ्फरपुर तकनीक संस्थान) | बस ड्राइवर .. .. | 220—315 | 480—680 |
| 4 | विज्ञान और तकनीक (बिहार तकनीक संस्थान, सिंद्री)। | बस ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 5 | विज्ञान और तकनीक (सरकारी बहु-तकनीकी एवं खनन संस्थान)। | बस ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 480—680 |
| 6 | वित्त (मुद्रणालय एवं फारम, गया) .. | ट्रक ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 480—680 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 7 | वित्त विभाग (लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन, गुलजारबाग) । | ट्रक ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 8 | कृषि विभाग (मुख्यालय और क्षेत्रीय स्थापना) । | मिनी बस ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 9 | कृषि विभाग (भूमि संरक्षण निदेशालय) | भारी सवारी ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 10 | लघु सिंचाई .. .. | ड्राइवर (भारी सवारी) .. | 220—315 | 480—680 |
| 11 | पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, सचिवालय स्थापना । | ट्रक ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 12 | पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग (डेयरी शाखा) । | मोटर ड्राइवर (भारी सवारी) | 220—315 | 480—680 |
| 13 | मत्स्यपालन निदेशालय .. | ट्रक ड्राइवर .. .. | 220—315 | 480—680 |
| 14 | लोक-निर्माण विभाग .. | ट्रक ड्राइवर .. .. | 220—315 | 480—680 |
| 15 | लोक-निर्माण विभाग (कार्यभारित स्थापना) । | ट्रक ड्राइवर .. .. | 220—315 | 480—680 |
| 16 | सिंचाई (कार्यभारित) .. | ट्रक ड्राइवर .. .. | 220—315 | 480—680 |
| 17 | भूतत्व विभाग .. .. | ड्राइवर (भारी ट्रक सवारी) .. | 220—315 | 480—680 |
| 18 | साहाय्य एवं पुनर्वास (क्षेत्रीय इकाई) | ट्रक ड्राइवर .. .. | 220—315 | 480—680 |

**मेकैनिक-सह-ड्राइवर**

16.10. जैसाकि निम्नलिखित सूची से स्पष्ट होगा कि ड्राइवर के अनेक पद मेकैनिक पदनाम के भी हैं । तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के विचारों के अनुरूप इस समिति की भी राय है कि मेकैनिक का कार्य ड्राइवर के कर्त्तव्यों का अन्तर्भूत हिस्सा है और ऐसे पदनाम के लिए कोई विशेष अहमियत ( weightage ) देने की आवश्यकता नहीं है । समिति ने तदनुसार, हल्की मोटरगाड़ी ड्राइवरों या भारी मोटरगाड़ी ड्राइवरों के लिए अनुशंसित वेतनमान की तरह इनके लिए भी समुचित वेतनमान की अनुशंसा की है ।

16.11. जो भी हो, समिति को फ्लाइंग इन्स्टीच्यूट में जीप ड्राइवर-सह-कनीय मेकैनिक का पद मिला है, जो ग्लाइडर सहित हवाई जहाज की मरम्मत का कार्य करता है । समिति को सूचना एवं जन-संपर्क विभाग में ऑटोमेकैनिक का पद मिला है, जिसका कार्य साधारण मेकैनिक-सह-ड्राइवर से बहुत भिन्न है । अतः समिति ने कार्य के विभिन्न स्वरूप पर विचार करते हुए पूर्वोक्त दोनों पदों के लिए उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की है ।

16.12. इसलिए, मेकैनिक और ड्राइवरों के संबंध में समिति ने निम्नलिखित वेतनमान की सिफारिश की है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सिंचाई विभाग (साहाय्य पदाधिकारी और विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारी, नेपाल) । | ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 205—284 | 425—605 |
| 2 | मंत्रिमंडल सचिवालय (निर्वाचन विभाग) । | स्टाफकार ड्राइवर-सह-मेकैनिक | 220—315 | 425—605 |
| 3 | कार्मिक विभाग (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, रांची) । | मेकैनिक-सह-जीप ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 4 | शिक्षा विभाग (पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय) । | ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 5 | वित्त विभाग (सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग) । | बंदगाड़ी ड्राइवर-सह-मेकैनिक | 220—315 | 425—605 |
| 6 | कृषि विभाग ( भूमि संरक्षण निदेशालय) । | मिस्त्री-सह-ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 7 | लोक-निर्माण (कार्यभारित स्थापना) | ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 8 | सिंचाई विभाग (चिकित्सीय स्थापना) | ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 425—605 |
| 9 | परिवहन (उड़ान संस्थान) .. | जीप ड्राइवर-सह-कनीय मेकैनिक | 105—175 | 480—680 |
| 10 | विज्ञान और तकनीक विभाग (सरकारी बहुतकनीकी) । | बस ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 480—680 |
| 11 | वित्त विभाग (मुद्रणालय एवं फारम, गया ) । | ट्रक ड्राइवर-सह-मेकैनिक .. | 220—315 | 480—680 |
| 12 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | ऑटो मेकैनिक .. | 296—460 | 580—860 |

**प्रधान ड्राइवर**

16.13. जैसा नीचे की सूची से स्पष्ट होगा, अनेक विभागों में प्रधान ड्राइवर के पद हैं। प्रधान ड्राइवर के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के अन्तर्गत संबंधित संगठनों में मोटर यानों के दस्ते का पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण भी शामिल हैं। प्रधान ड्राइवरों के विभिन्न पदों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के विभिन्न स्वरूप पर विचार करते हुए समिति उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | गृह (पुलिस मोटर परिवहन) .. | हवलदार ड्राइवर .. | 220—315 | 480—680 |
| 2 | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (राज्यपाल का सचिवालय)। | प्रधान ड्राइवर .. | 230—340 | 480—680 |
| 3 | लोक-निर्माण विभाग (कार्यभारित स्थापना)। | ड्राइवर-सह-फिटर, ग्रेड-I .. | 296—423 | 580—860 |
| 4 | मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी विभाग)। | प्रधान ड्राइवर .. | 340—490 | 680—965 |
| 5 | वित्त विभाग (सचिवालय मोटर सेवा) | प्रधान स्टाफ कार ड्राइवर-सह-पर्यवेक्षक | 340—490 | 680—965 |

**स्कूटर वान ड्राइवर**

16.14. वित्त विभाग के लेखन सामग्री एवं भंडार निदेशालय द्वारा 205—284 रु० वेतनमान वाले स्कूटर वान चालक का केवल एक दृष्टान्त समिति को प्रस्तुत किया गया है। उसके दायित्वों को ध्यान में रखते हुए समिति उसके लिए 425—605 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**ड्राइविंग इन्सट्रक्टर (चालन अनुदेशक)**

16.15. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा समिति के समक्ष 220—315 रु० वेतनमान वाले मोटर गाड़ी चालन अनुदेशक के केवल एक पद का हवाला दिया गया है। उसके कार्यों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए समिति उसके लिए 480—680 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**ट्रैक्टर ड्राइवर**

16.16. ट्रैक्टर ड्राइवरों के पद अनेक विभागों में पाये जाते हैं, जैसाकि नीचे दी गई सूची से विदित होगा। किन्तु वे सम्प्रति एक ही विभाग, जैसे कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न वेतनमानों में हैं। उनके कार्यों के स्वरूप पर विचार करते हुए समिति उनके लिए 425—605 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कृषि (मुफस्सिल स्थापना) .. | ट्रैक्टर ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 2 | कृषि (भू-संरक्षण) .. | ट्रैक्टर ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 3 | लोक कार्य विभाग .. | ट्रैक्टर ड्राइवर .. | 220—315 | 425—605 |
| 4 | पशुपालन एवं मत्स्यपालन .. | आयल इंजीनियर-सह-ट्रैक्टर ड्राइवर | 220—315 | 425—605 |

**बुलडोजर ऑपरेटर**

16.17. लोक-निर्माण विभाग के केवल कार्यभारित स्थापना द्वारा बुलडोजर ऑपरेटर के पद के संबंध में सूचना भेजी गई है। वे सम्प्रति 296—423 रु० के वेतनमान में हैं। उनके कार्य के कठिन स्वरूप और इसके लिए अपेक्षित विशेष दक्षता को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए 580—860 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**रोड रौलर ड्राइवर**

16.18. सभी रोड रौलर ड्राइवर जिनके विषय में समिति को जानकारी दी गई है, लोक-निर्माण विभाग से संबद्ध हैं। सम्प्रति 180—242 रु० के वेतनमान में हैं। उनकी ओर से दिए गए अभिवेदनों में यह अनुरोध किया गया है कि उनके कार्य के कठिन स्वरूप और भारी गाड़ी के लिए चालन लाइसेंस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उच्चतर वेतनमान दिया जाय। उनके कार्य के स्वरूप पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए समिति ने विचार किया है कि उनका वेतनमान उत्क्रमित किया जाना चाहिए और समिति उनके लिए 425—605 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**मोटर लांच ड्राइवर**

16.19. विभिन्न विभागों से मोटर लांच ड्राइवरों के अनेक पदों के संबंध में समिति को सूचनाएं भेजी गई हैं, जैसाकि नीचे दी गई सूची से विदित होगा। वे सम्प्रति विभिन्न वेतनमानों में हैं। उनके कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए 425—605 रु० के निम्नतम वेतनमान की अनुशंसा करती है।

16.20. मोटर लांच ड्राइवर के कुछ ऐसे पद भी हैं जिनसे बड़े-बड़े मोटर चलाने और इसके लिए विशेष दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। उनके कार्यों एवं दायित्वों के कठिन स्वरूप पर विचार करते हुए समिति ने उनके लिए उपयुक्त उच्चतर वेतनमानों की अनुशंसा की है।

16.21. मोटर लांच ड्राइवर की विभिन्न कोटियों के लिए समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | समाहरणालय, कटिहार .. | मोटर बोट मैन .. | 205—284 | 425—605 |
| 2 | मत्स्यपालन निदेशालय .. | मोटर बोट ड्राइवर .. | 205—284 | 425—605 |
| 3 | लोक कार्य विभाग .. | मोटर लांच ड्राइवर .. | 240—396 | 535—765 |
| 4 | परिवहन .. .. | मेरिन ड्राइवर .. | 296—423 | 580—860 |

# अध्याय 17

## स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

17.1. इस अध्याय में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, जैसे दाई, टीका लगाने वाले, कीटानुनाशक, ड्रेसर-आली, नर्स, कम्पाउन्डर, औषधकारक (फर्मासिस्ट), स्वास्थ्य प्रवेश (हेल्थ विजिटर), आदि की सामान्य कोटियों पर विचार किया गया है। यद्यपि उचित यह था कि ऐसे सभी पदों को केवल स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध होना चाहिए था, फिर भी समिति इन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में फैला हुआ पाती है, जिनमें पदनामों, निम्नतम योग्यताओं और वेतनमानों की कोई एकरूपता नहीं है। अतएव समिति महसूस करती है कि इस विषय को सरल और कारगर तभी बनाया जा सकेगा जब इन पदों को समान कोटियों के अंतर्गत माना जाय।

**आया और दाई**

17.2. चूंकि आया और दाई के लिए किसी विशेष योग्यता, दक्षता, प्रवीणता अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें बिल्कुल उचित रूप से 155—190 रुपये का निम्नतम वेतनमान मिलता है। समिति उन्हें अकुशल (अन-स्कील्ड) कर्मचारी मानती है और उनके लिए 350—425 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**प्रशिक्षित दाई और धात्री**

17.3. स्वास्थ्य विभाग की प्रशिक्षित धात्री पढ़ी-लिखी और छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त की हुई होती है तथा अन्य विभागों, जैसे सिंचाई एवं श्रम विभागों की प्रशिक्षित दाई एवं धात्री से भी समान योग्यता की अपेक्षा की जाती है। जो भी हो, प्रसूति और शिशु-प्रसव कार्य संपादित करने के लिए उनसे आवश्यक दक्षता की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभागों में सभी दाई और धात्रियों का वेतनमान 165—204 रु० है तथा श्रम विभाग में भी कुछ को तो समान वेतन मिलता है पर कुछ दाई और धात्रियों को उच्चतर वेतनमान 205—284 रु० मिलता है। सिंचाई विभाग में ड्रेसर-धात्री का वेतनमान 180—242 रु० है। समिति महसूस करती है कि उनके कार्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुशल कर्मचारी माना जाना चाहिए। समिति इनके लिए 400—540 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**सहायक नर्स धात्री (ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ )**

17.4. स्वास्थ्य एवं श्रम विभागों से सहायक नर्स धात्री के पदों के संबंध में जानकारी दी गई है। यद्यपि पहले उनसे मैट्रिक पास योग्यता की अपेक्षा नहीं की जाती थी, केवल वृत्तिका पर उन्हें दो वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाता था, पर स्वास्थ्य विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि ऐसे पदों के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक पास होना आवश्यक है और उन्हें पहले की तरह दो वर्षों का विहित प्रशिक्षण भी दिया जायगा। उनकी योग्यता और उनके कार्य के स्वरूप पर विचार करते हुए समिति उनके लिए 580—860 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**नर्सिंग सेवाएं**

17.5. यद्यपि सभी नर्सों को तर्कसंगत रूप से स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध होना चाहिए, फिर भी. जेल विभाग, सिंचाई विभाग, श्रम विभाग और शिक्षा विभाग जैसे अनेक विभाग हैं जहां कुछ छिट-फुट पदों पर अलग से नर्सों की तीन विभिन्न कोटियां होती थीं जिनमें से अधिकांश मैट्रिक पास भी नहीं होती थी, किन्तु उन्हें विहित प्रशिक्षण मिला रहता था। स्वास्थ्य विभाग ने अब इसकी एक मानक पद्धति बना दी है और नर्सों की विभिन्न कोटियों को उच्चतम कोटि में आमेलित कर दिया गया है, जिसे कोटि-1 या कोटि 'ए' कहा जाता है। सम्प्रति स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध नर्सों के लिए मैट्रिक पास और सामान्य उपचर्या एवं प्रसूति विद्या में साढ़े तीन वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है जिसके दौरान उन्हें वृत्तिका भी प्राप्त होती है। वे 296—460 रु० के वेतनमान में हैं। किन्तु कारा विभाग, सिंचाई विभाग और श्रम विभाग में नर्स (परिचारिकाएं) अभी भी 220—315 रु० के पुराने वेतनमान में हैं और शिक्षा विभाग में नर्सिंग सिस्टर 415—575 रु० के वेतनमान में हैं। समिति महसूस करती है कि ऐसी सभी नर्सों की योग्यता और वेतनमान स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानकीकृत पद्धति के अनुरूप कर देना चाहिए।

17.6. समिति ने नर्सों के कर्तव्य और दायित्वों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसे अनुभव हुआ है कि वेतनमान के मामले में उनके साथ उचित न्याय होना चाहिए। अतः समिति सभी विभागों के नर्सों के लिए 730—1,080 रु० के एक ही वेतनमान की अनुशंसा करती है।

17.7. स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग सिस्टर्स का वेतनमान 335—555 रु० है। उनके पद उपर्युक्त स्टाफ नर्स श्रेणी-1 या श्रेणी 'ए' से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उनकी पंक्ति, अनुभव और कर्त्तव्य के स्वरूप को देखते हुए समिति उनके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षा विभाग के अधीन नर्सिंग सिस्टर 415—575 रु० के वेतनमान में हैं। कोई कारण नहीं कि वेतनमान के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाए। अतः समिति उनके लिए भी उसी वेतनमान अर्थात् 785—1,210 रु० की अनुशंसा करती है।

17.8. सहायक मैट्रन, जूनियर सिस्टर ट्यूटर और लोक-स्वास्थ्य नर्स के पद प्रोन्नति द्वारा नर्स के संवर्ग के उन योग्य कर्मचारियों में से भरे जाते हैं, जिन्होंने 10 अथवा 14 महीनों की कालावधि तक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और अस्पताल प्रशासन, नर्सिंग शिक्षा अथवा लोक-स्वास्थ्य नर्सिंग में क्रमशः डिप्लोमा प्राप्त किया हो। वे सभी 400—660 रु० के वेतनमान में हैं। समिति यह महसूस करती है कि उनके विशेष प्रशिक्षण तथा स्टाफ नर्स के रूप में दीर्घ अनुभव से प्राप्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, तथा नर्सिंग सोपान में उनकी पंक्तिक्रम को देखते हुए, वेतनमान के मामले में भी न्याय होना चाहिए। समिति उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

17.9. वरीय मैट्रन, वरीय सिस्टर ट्यूटर और लेडी हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग स्कूल के अधीक्षक के पद भी प्रोन्नति द्वारा क्रमश: पूर्वोक्त सहायक मैट्रन, जूनियर सिस्टर ट्यूटर तथा लोक-स्वास्थ्य परिचारिका से भरे जाते हैं। वे सभी 445—745 रु० के वेतनमान में हैं। पूर्वोक्त कारणों से समिति उनके लिए 880—1,510 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

17.10. राज्य नर्सिंग सुपरिंटेंडेन्ट का पद सर्वोच्च पद है जिसे नर्सों के संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है और वह 640—940 रु० के वेतनमान में है। समिति उनके लिए 940—1,660 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

टीका लगानेवाला तथा रोगाणुनाशक (वैक्सिनेटर एंड डिसइन्फेक्टर)

17.11. ऐसे पद सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में हैं। उनके लिए कोई योग्यता विहित नहीं की गई है किन्तु, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षर हों तथा अपने कार्यों का कुछ ज्ञान रखते हों। फिलहाल वे 155—190 रु० के निम्नतम वेतनमान में हैं। समिति महसूस करती है कि वे लोग अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निष्पादन कर सकें, इसके लिए कुछ प्रवीणता आवश्यक है, जो अनपढ़ लोगों से संभव नहीं है। अत: इस दृष्टि से उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारी माना जा सकता है। अतएव समिति उनलोगों के लिए 375—480 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

ड्रेसर

17.12 विभिन्न विभागों, जैसे स्वास्थ्य, कारा, श्रम एवं नियोजन तथा पशुपालन में नियोजित ड्रेसरों के लिए कोई योग्यता विहित नहीं की गई है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षर हों और ड्रेसिंग संबंधी काम का प्रशिक्षण तथा अनुभव पाये हों। कुछ ड्रेसर ऐसे सुयोग्य चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त होते हैं जिन्हें अपेक्षित कार्य कुशलता प्राप्त रहती है। वे सभी 165—204 रु० के वेतनमान में हैं। समिति उनलोगों को कुशल कर्मचारी मानती है और उनके लिए 400—540 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

17.13. राज्य सरकार के बहुतेरे विभागों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की अनेक कोटियां हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग में नाना प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की संख्या इनके और कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामले में भी, जिनके काम का स्वरूप समान ढंग का है पदनाम, योग्यताएँ और वेतनमानों में काफी असमानता है। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि इस विभाग की विभिन्न शाखाओं में किसी प्रकार पारस्परिक समन्वय अथवा सह-संबंध कायम नहीं रहने के कारण विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी गई हैं जिनका मुख्य कारण यह है कि इन शाखाओं ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथानिर्देशित पद्धतियां अपनायी हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग अपनी विभिन्न शाखाओं में विद्यमान स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की बहुसंख्यक पद्धतियों को एक जैसी बना दे, तो अधिकांश अस्तव्यस्तताएँ दूर हो सकती हैं।

17.14. सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के निम्नतम स्तर में लगभग तीन महीनों से नौ महीने तक के प्रशिक्षण प्राप्त साक्षर अथवा नन-मैट्रिक कर्मचारी हैं। जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा कि यद्यपि उनलोगों में से कुछ को "अप्रशिक्षित" करके पदनामित किया गया है, तथापि उनलोगों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

| क्रम संख्या। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (अप्रशिक्षित) .. .. .. | 165—204 |
| 2 | निगरानी टीम लीडर (सर्वेलेंस टीम लीडर) (सिंचाई विभाग) .. | 180—242 |
| 3 | स्वास्थ्य सहायक (कुष्ठ) .. .. .. | 180—242 |
| 4 | स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (प्रशिक्षित) .. .. | 205—284 |

17.15. ऊपर उल्लिखित इन चारों कोटि के कर्मचारियों के लिए सिर्फ साक्षर होना आवश्यक है, और उनमें से अधिकांश को निम्न वेतनमान के पदों से प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है। इन सभी कोटियों के कर्त्तव्यों का स्वरूप न्यूनाधिक एक समान है जिसमें सूई लगाना भी शामिल है। समिति को तीन अलग-अलग वेतनमान बनाए रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। समिति की यह राय है कि उन्हें कुशल कर्मचारी माना जाए। उन्हें 400—540 रु० का वेतनमान दिया जाए।

17.16. स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की विभिन्न कोटियों में से अधिकांश के लिए विशेष प्रशिक्षण सहित या रहित उच्च योग्यताएँ अपेक्षित हैं, और ऐसी कोटियों के कर्मचारी उच्च वेतनमान में हैं। किन्तु समिति का यह विचार है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्र कामियों में से अधिकांश कर्मचारी खासकर वे, जिन्हें मैट्रिक पास होना जरूरी है, अपेक्षाकृत कम वेतन पाते हैं। अतः समिति उन लोगों के लिए उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है, जो इस प्रकार है :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य (मलेरिया) .. | मूल स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वही .. .. | निरीक्षक .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 3 | स्वास्थ्य (कुष्ठ) .. .. | विशेष टीका लगाने वाला निरीक्षक | 220—315 | 535—765 |
| 4 | स्वास्थ्य (हैजा) .. .. | विशेष हैजा कार्यकर्त्ता .. | 220—315 | 535—765 |
| 5 | स्वास्थ्य (हैजा) .. .. | स्वास्थ्य निरीक्षक .. | 220—315 | 535—765 |
| 6 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | मूल स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता .. | 220—315 | 535—765 |
| 7 | वन विभाग .. .. | स्वच्छता निरीक्षक .. | 220—315 | 535—765 |
| 8 | सिंचाई विभाग .. .. | शल्य क्रिया भवन—एक्स-रे मशीन परिचर। | 220—315 | 535—765 |
| 9 | वही .. .. | स्वास्थ्य निरीक्षक .. | 220—315 | 535—765 |
| 10 | वही .. .. | मलेरिया पर्यवेक्षक .. | 220—315 | 535—765 |
| 11 | स्वास्थ्य (चेचक) .. .. | अधि-चिकित्सक सहायक (पारा-मेडिकल असिस्टेंट)। | 230—340 | 535—765 |
| 12 | स्वास्थ्य (हैजा) .. .. | हैजा पर्यवेक्षक .. | 230—340 | 535—765 |
| 13 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | गृह-प्रबंधक (हाउसकीपर) .. | 230—340 | 535—765 |
| 14 | वही .. .. | स्वच्छता निरीक्षक (सैनिटरी इन्सपेक्टर)। | 230—340 | 535—765 |

17.17. निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारीगण, जो पहले से ही उच्चतर वेतनमान में हैं स्पष्टतः गुरुतर कर्त्तव्यों का निष्पादन करते हैं। उनमें से अधिकांश ऊँची योग्यता वाले भी हैं, अर्थात् कम-से-कम आई० ए० पास हैं। इन तथ्यों पर विचार करते हुए समिति उनके लिए 680—965 रु० के उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कल्याण विभाग .. | .. लेडी हेल्थ विजिटर | .. 290—460 | 580—860 |
| 2 | स्वास्थ्य (हैजा) .. | .. सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | .. 240—396 | 680—965 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग .. | .. सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | .. 240—396 | 680—965 |
| 4 | वही .. | .. विशेष कार्यकर्त्ता | .. 296—423 | 680—965 |
| 5 | वही .. | .. स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका | .. 296—460 | 680—965 |
| 6 | स्वास्थ्य (कुष्ठ) .. | .. यक्ष्मा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | .. 296—460 | 680—965 |
| 7 | वही .. | .. गैर-चिकित्सा सहायक | .. 296—460 | 680—965 |
| 8 | स्वास्थ्य विभाग .. | .. स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | .. 296—460 | 680—965 |

17.18. स्वास्थ्य विभाग के कुष्ठ नियंत्रण परियोजना के अधीन कार्यरत निम्न कोटियों के कर्मचारीगण, पहले से ही, उच्चतर वेतनमान में हैं। ये प्रोन्नति वाले पद हैं, जिनकी पूर्त्ति नीचे के वेतनमान के कर्मचारियों से की जाती है। अतएव समिति उनके लिए 730—1,080 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य (कुष्ठ) .. | .. मेडिकल सोशल वर्कर | .. 335—555 | 730—1,080 |
| 2 | वही .. | .. हेल्थ एजुकेटर | .. 335—555 | 730—1,080 |

**कम्पाउन्डर**

17.19. आगे जो विवरण दिया गया है, उससे पता चलेगा कि स्वास्थ्य और अन्य विभागों में नियोजित कम्पाउण्डर कोई चार विभिन्न वेतनमानों में हैं। उनमें से बहुतों का पदनाम ड्रेसर-सह-कम्पाउण्डर और कुछ का पदनाम कम्पाउण्डर-सह-भैषजज्ञ (फर्मासिस्ट) है, हालांकि उन्हें भैषजज्ञ (फर्मासिस्ट) का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। पहले जिला अस्पतालों में भावी कम्पाउण्डरों के लिए जो मैट्रिक या नन-मैट्रिक भी हो सकते थे, एक वर्ष के प्रशिक्षण कोर्स की व्यवस्था हुआ करती थी।

किन्तु, जब से यह प्रणाली बन्द कर दी गयी है तब से कम्पाउण्डरों की नियुक्ति सामान्यतः कम वेतनमान वाले ऐसे उपयुक्त कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा होती है जिन्हें सम्मिश्रण कार्य का कुछ अनुभव या प्रवीणता प्राप्त हुआ करती है। शिक्षा विभाग में प्राच्य शिक्षा के महाविद्यालय (कॉलेज ऑफ ओरियेन्टल एजुकेशन) में भी एक कम्पाउण्डर है, जो "शास्त्री" की योग्यता रखता है। यह योग्यता प्रवेशिका (मैट्रिक) पास करने के बाद चार वर्षों तक अध्ययन करके अर्जित की जाती है। किन्तु, वह 180—242 रु० के वेतनमान में है। इसका कारण प्रत्यक्षतः यह है कि उस तरह के कार्य में ऐसी ऊँची योग्यता अपेक्षित नहीं है। जब स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से यह प्रश्न पूछा गया कि कम्पाउण्डरों को भिन्न-भिन्न वेतनमान क्यों दिये जा रहे हैं, जबकि उन्हें प्रायः समान योग्यता और अनुभव प्राप्त हैं, तब उन्होंने बताया कि कम्पाउण्डरों के जो पद अधिकांशतः देशी चिकित्सा के अंतर्गत मौजूद हैं, उनपर परम्परागत रूप से अप्रशिक्षित लोगों को रखा जाता था। ऐसे पदों के धारक 180—242 रु० के वेतनमान में चले आ रहे हैं, किन्तु जो कम्पाउण्डर अधिकांशतः नियमित अस्पतालों में कार्यरत हैं वे 220—315 रु० के वेतनमान में चले आ रहे हैं। समिति यह महसूस करती है कि निरे साक्षर कम्पाउण्डरों को, जिन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, वेतनमानों के विषय में उन कम्पाउण्डरों के बराबर नहीं माना जा सकता, जो प्रवेशिकोत्तीर्ण और प्रशिक्षित हैं। इसलिए इस विषय को निम्नलिखित रूप में सुलझाया जाना चाहिए :—

(1) जो कम्पाउण्डर प्रवेशिकोत्तीर्ण और प्रशिक्षित नहीं हैं और अधिकतर 180—242 रु० के वेतनमान में हैं, उन्हें 480—680 रु० के वेतनमान में रखा जाए।

(2) जो कम्पाउण्डर प्रवेशिकोत्तीर्ण नहीं हैं, किन्तु कम्पाउण्डरी कार्य में प्रशिक्षित हैं और जो कंपाउण्डर प्रवेशिकोत्तीर्ण हैं किन्तु जिन्हें कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, पर जिन्होंने अनुभव और अभ्यास से आवश्यक प्रवीणता अर्जित कर ली है, ऐसे दोनों ही प्रकार के कम्पाउण्डरों को राज्य-सरकार बराबर मान चुकी है और उन्हें 220—315 रु० के एक ही वेतनमान में रख चुकी है। समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

(3) भैषजज्ञ (फर्मासिस्ट) के कर्तव्यों के संबंध में अपनी जानकारी और प्रवीणता के कारण प्रत्यक्षतः कुछ कम्पाउण्डर पहले से ही उच्चतर वेतनमान में हैं। समिति उनके लिए 680—965 रु० के उच्चतर वेतनमान की सिफारिश करती है।

(4) अतः समिति ने विभिन्न कोटियों के कम्पाउण्डरों के लिए जिन वेतनमानों की सिफारिश की है, वे नीचे दिये जाते हैं :—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य (देशी चिकित्सा) .. | कम्पाउण्डर (अप्रशिक्षित) .. | 180—242 | 480—680 |
| 2 | स्वास्थ्य (देशी चिकित्सा) .. | ड्रेसर-सह-कम्पाउण्डर .. | 180—242 | 480—680 |
| 3 | शिक्षा .. .. | कम्पाउण्डर, प्राच्य शिक्षा .. | 180—242 | 480—680 |
| 4 | पशुपालन .. .. | कम्पाउण्डर (अप्रशिक्षित) .. | 180—242 | 480—680 |
| 5 | पशुपालन .. .. | कम्पाउण्डर (प्रशिक्षित) .. | 205—284 | 535—765 |
| 6 | स्वास्थ्य .. .. | नन-मैट्रिक कम्पाउण्डर .. | 220—315 | 535—765 |
| 7 | स्वास्थ्य .. .. | प्रवेशिकोत्तीर्ण कम्पाउण्डर .. | 220—315 | 535—765 |
| 8 | कल्याण विभाग .. .. | कम्पाउण्डर .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 9 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी .. | ड्रेसर-सह-कम्पाउण्डर .. | 220—315 | 535—765 |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 10 | सिंचाई .. .. | कम्पाउण्डर .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 11 | साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग .. | कम्पाउण्डर .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 12 | श्रम .. .. | कम्पाउण्डर .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 13 | सरकारी मुद्रणालय, गया .. | फर्मासिस्ट-सह-कम्पाउण्डर .. | 240—396 | 680—965 |
| 14 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई० टी०) | ड्रेसर-सह-कम्पाउण्डर .. | 240—396 | 680—965 |
| 15 | कारा विभाग .. .. | कम्पाउण्डर-सह-फर्मासिस्ट .. | 240—396 | 680—965 |

**भैषजज्ञ (फर्मासिस्ट)**

17.20. स्वास्थ्य विभाग से अलग, कारा तथा साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग में भी भैषजज्ञों (फर्मासिस्टों) के पद मौजूद हैं। इन पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता भैषजी (फार्मेसी) में डिप्लोमा है जिसके लिए प्रवेशिका (मैट्रिक) के बाद भैषजी (फार्मसी) में दो वर्ष का कोर्स होता है। दोनों ही विभागों में भैषजज्ञ (फर्मासिस्ट) 240—396 रु० के वेतनमान में हैं, हालांकि कारा विभाग में फर्मासिस्ट कम्पाउण्डर-सह-फर्मासिस्ट के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि फर्मासिस्टों के वेतनमान आकर्षक नहीं हैं, फलतः बहुत से पद रिक्त हैं और बार-बार विज्ञापन देने के बाद भी बहुत कम लोग आ पाए हैं। प्रत्यक्षतः ऐसा इसलिए हुआ है कि औषधि निर्माण उद्योग सतत बढ़ रहे हैं, जिनमें फर्मासिस्टों के नियोजन के काफी अवसर मिल रहे हैं। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद समिति उनके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

17.21. स्वास्थ्य विभाग में प्रधान फर्मासिस्ट के पद पर फर्मासिस्टों में से ही प्रोन्नति होती है, जिसका वेतनमान 296—460 रु० है। समिति उनके लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**मुख्य चिकित्सालय-फर्मासिस्ट और औषधि-निरीक्षक**

17.22. मुख्य चिकित्सालय-फर्मासिस्ट और औषधि निरीक्षक के पद परस्पर स्थानांतरणीय हैं और ये 465—940 रु० के वेतनमान में हैं। पहले जब फर्मासिस्ट में उच्च शिक्षा की गुंजाइश कम थी तब इन पदों पर विज्ञान स्नातकों की भर्त्ती की जाती थी और उन्हें संबद्ध कार्यों का 45 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता था। परन्तु आजकल इन पदों पर भर्त्ती की न्यूनतम योग्यता बैचलर ऑफ फार्मेसी है। इसके लिए विज्ञान में इन्टरमीडियट के बाद तीन या चार वर्षों का कोर्स हुआ करता है।

17.23. औषधि-निरीक्षकों ने समिति के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करके यह मांग की है कि उनके वेतनमान और पंक्ति को बढ़ाकर एम०बी०, बी०एस० डिग्री वाले नियमित चिकित्सकों के बराबर कर दिया जाय। उन्होंने इसका कारण यह बताया है कि द्वितीय वेतन पुनरीक्षण से पहले औषधि-निरीक्षकों और सहायक असैनिक शल्य-चिकित्सकों के वेतनमानों में समानता थी। उन्होंने अनुपूरक अभिवेदन प्रस्तुत कर ऐसे उत्क्रमण के लिए यह कारण भी बताया है कि उन्हें प्रोन्नति और प्राइवेट प्रैक्टिस का यथेष्ट अवसर नहीं है। समिति ने विसंगति वाले अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि यह संयोग की बात थी कि पहले समता या सापेक्षता थी, जो अपने-आप में कोई विसंगति नहीं है, किन्हीं खास कार्यों और सेवाओं के महत्व अथवा सामाजिक मूल्यों में हुए परिवर्त्तन के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता पर विचार करते हुए ऐसे परिवर्त्तन जान-बूझकर किये जाते हैं। समिति यह अनुभव करती है कि न तो अर्जित योग्यताओं के आधार पर और न ही कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर औषधि-निरीक्षक और मुख्य अस्पताली फर्मासिस्टों को नियमित सहायक असैनिक शल्य-चिकित्सकों के बराबर माना जा सकता है। समिति सभी सुसंगत बातों पर विचार करने के बाद औषधि निरीक्षकों और अस्पताली मुख्य फर्मासिस्टों के लिए 940—1,660 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**एक्स-रे तकनीशन**

17.24. यद्यपि एक्स-रे उपस्करों (इक्वीपमेंट) से संबंधित अधिकांश कर्मचारी मूलत: स्वास्थ्य विभाग के हुआ करते हैं, तथापि समिति को अन्य विभागों अर्थात् श्रम विभाग और पशुपालन विभाग में भी ऐसे इक्के-दुक्के कर्मचारियों के उदाहरण मिले हैं। अत: उनके मामले पर सामान्य कोटियों के कर्मचारियों के तौर पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

17.25. समिति को ऐसे कर्मचारियों के दो सेवा संघों से अर्थात् बिहार रेडियोग्राफर एसोसियेशन और बिहार राज्य एक्स-रे कर्मचारी संघ से प्राप्त अभिवेदनों का अध्ययन करने का अवसर लाभ हुआ था और उनके साथ समिति को उनके विचारों के बारे में विमर्श करने का मौका भी मिला था। संक्षेप में इन संघों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इनका कार्य का स्वरूप तकनीकी है और खासतौर से विकिरण से बराबर सम्पर्क होने की वजह से उनका पेशा जोखिमवाला है और इस दृष्टि से उनको बेहतर वेतनमान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि 220—315 रु० के वेतनमान वाले एक्स-रे मेकैनिक के पदों का 240—396 रु० के वेतनमान वाले एक्स-रे तकनीशन तथा डीप एक्स-रे तकनीशन के पदों तथा 296—460 रु० के वेतनमान वाले वरीय एक्स-रे तकनीशियन के पदों के साथ विलयन कर दिया जाय और उन्हें प्रोन्नति का काफी अवसर दिया जाय।

17.26. समिति ने ऐसे कर्मचारियों की ओर से दिए गए अभिवेदनों पर सावधानी से विचार किया है और एक्स-रे विकिरण से बार-बार होनेवाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को भी ध्यान में रखा है। समिति ने यह महसूस किया है कि ऐसे कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के मौजूदा वेतनमान अपर्याप्त हैं और समिति का प्रस्ताव है कि ऐसे सभी वेतनमानों को और उत्क्रमित कर दी जाय।

17.27. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एक्स-रे कर्मचारियों की छह विभिन्न कोटियाँ हैं और ऐसी सभी कोटियों के संबंध में समिति निम्नलिखित अनुशंसाएँ करती है :—

(1) डार्करूम सहायकों के लिए कोई खास शैक्षिक योग्यता अपेक्षित नहीं है, और फोटो प्लेट तैयार करने के उनके अनुभव या प्रवीणता के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है। फिलहाल उनका वेतनमान 180—242 रु० है। समिति यह महसूस करती है कि उन्हें अन्य अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के समान माना जाना चाहिए और उन्हें 375—480 रु० का प्रस्तावित वेतनमान मिलना चाहिए।

(2) महिला एक्स-रे पोजिशनर का चुनाव प्रशिक्षित दाई या निम्नांकित के अन्य उपयुक्त महिला कर्मचारियों में से किया जाता है। फिलहाल उनका वेतनमान 205—284 रु० है। समिति उनके लिए 400—540 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

(3) एक्स-रे मिस्त्रियों (मेकैनिक) के लिए प्रवेशिकोत्तीर्ण होना जरूरी है और उन्हें अपने कार्य में छह मास का प्रशिक्षण लेना भी अपेक्षित है। तब जाकर उनका चुनाव होता है। वे फिलहाल 220—315 रु० के वेतनमान में हैं। पूर्वोक्त संघों ने अपने अभिवेदन में कहा है कि पूर्वोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें प्रवेशिकोत्तीर्ण होने के बाद केवल छ: महीनों तक प्रशिक्षण लेना पड़ता था अब समाप्त कर दिया गया है और एक्स-रे मेकेनिकों के लिए राँची मेडिकल कॉलेज अस्पताल या दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक वर्ष के पाठ्यक्रम वाले रेडियोग्राफी में डिप्लोमा के साथ कम-से-कम आई० एस०-सी० की योग्यता निर्धारित कर दी गई है। यही योग्यता डीप एक्स-रे तकनीशियनों सहित एक्स-रे तकनीशियनों के लिए भी विहित है, जो अभी 240—396 रु० के वेतनमान में हैं। तदनुसार संघों ने अभिवेदन में एक्स-रे मिस्त्रियों और एक्स-रे तकनीशिनों के वेतनमान में एक रूपता की मांग की है। किन्तु स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की संपुष्टि की है कि इस समय एक्स-रे मिस्त्रियों के लिए विहित योग्यता मैट्रिक के बाद छ: मास का प्रशिक्षण ही चली आ रही है और एक्स-रे मिस्त्रियों का कार्य एक्स-रे तकनीशनों और डीप एक्स-रे तकनीशनों के समतुल्य नहीं है। इसलिए समिति महसूस करती है कि यद्यपि एक्स-रे मिस्त्री बेहतर वेतनमान पाने योग्य हैं तथापि उन्हें एक्स-रे तकनीशिनों और डीप एक्स-रे तकनीशनों के बराबर नहीं माना जा सकता। समिति सम्यक रूप से सोच-विचार कर के एक्स-रे मिस्त्रियों के लिए 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(4) फिलहाल, एक्स-रे तकनीशन और डीप एक्स-रे तकनीशन 240—396 रु० के वेतनमान में हैं। उनके लिए विहित योग्यता है रेडियोग्राफी में डिप्लोमा के साथ-साथ विज्ञान में इंटरमिडियट के बाद आर० एम० सी० एच० या डी० एम० सी० एच० में एक वर्ष का प्रशिक्षण है। समिति उनके योग्यता और कार्य के स्वरूप पर विचार करने के बाद उनके लिए 680—965 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(5) वरीय एक्स-रे तकनीशन संप्रति 296—460 रु० के वेतनमान में हैं। सामान्यत: वे एक्स-रे तकनीशनों में से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। समिति उनके कार्य के स्वरूप पर सावधानी से विचार करने के बाद

यह महसूस करती है कि उन्हें उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए और उनके लिए प्रस्तावित 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(6) वरीय रेडियोग्राफर के पद पर आम तौर से वरीय एक्स-रे तकनीशियनों में से प्रोन्नति दी जाती है। फिलहाल वे 335—555 रु० के वेतनमान में हैं। ऐसा लगता है कि उनके कार्य के स्वरूप की दृष्टि से यह वेतनमान कदाचित कम है। समिति उनके लिए 785—1,210 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है। ऐसी जानकारी मिली है कि श्रम विभाग तथा पशुपालन विभाग में एक्स-रे कर्मचारी हैं।

17.28. श्रम विभाग में एक्स-रे तकनीशियन और एक्स-रे रेडियोग्राफर का वेतनमान 240—396 रु० है अर्थात् उनका यह वेतनमान स्वास्थ्य विभाग के एक्स-रे तकनीशियनों और एक्स-रे रेडियोग्राफरों के वेतनमान के बराबर है। इसलिए समिति उनके लिए स्वास्थ्य विभाग के उनके समकक्ष पदाधिकारियों जैसा 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

17.29. किन्तु, ऐसी जानकारी मिली है कि श्रम एवं नियोजन विभाग के अन्तर्गत एक्स-रे मुख्य कारखाना निरीक्षणालय के तकनीशियन और पशुपालन विभाग के एक्स-रे तकनीशन 296—460 रु० के वेतनमान में हैं। इसमें कोई तुक नहीं दीखता कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एक्स-रे तकनीशियनों के बदले वरीय एक्स-रे तकनीशियनों के बराबर क्यों माना जाये। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य विभाग का पदसोपान अन्य विभागों के समान पदों के लिए भी आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए समिति कारखाना निरीक्षणालय के और पशुपालन विभाग के इन एक्स-रे तकनीशियनों के लिए 680—965 रु० के समान वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी**

17.30 राज्य सरकार के अधीन 400—600 रु० के वेतनमान में सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी के कुछ छिट-फुट पद भी हैं जिन पर पहले की एल० एम० पी० की योग्यता रखनेवाले चिकित्सा पदाधिकारी रखे गये हैं। किन्तु ऐसे पद बहुत कम हैं। साथही, जैसे-जैसे इन पदों के धारक सेवा-निवृत्त होते जाते हैं अथवा उन्हें सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक के संवर्ग में मिला लिया जाता है वैसे-वैसे ये पद कम होते जा रहे हैं। समिति उनके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

# अध्याय 18

## संचार कर्मचारी

18.1. इस अध्याय में उन टेलीफोन ऑपरेटरों, टेलिप्रिन्टर ऑपरेटरों, वायरलेस ऑपरेटरों आदि की चर्चा की गई है, जो विभिन्न विभागों में नियोजित हैं। इनमें आरक्षी विभाग के संचार कर्मचारी शामिल नहीं किए गये हैं, क्योंकि वे उक्त विभाग में आरक्षी कर्मचारियों के ही अंग हैं।

**टेलिफोन ऑपरेटर/अटेंडेन्ट**

18.2. टेलीफोन ऑपरेटरों को राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित स्थापनाओं में नियोजित किया गया है :—

(1) राज्य सचिवालय, श्रम विभाग के नियंत्रणाधीन,
(2) बिहार भवन, नई दिल्ली मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के नियंत्रणाधीन,
(3) बिहार विधान परिषद्;
(4) बिहार विधान-सभा।

18.3. ऐसे सभी आपरेटर 244—356 रु० के वेतनमान में हैं। ऐसे सभी टेलीफोन ऑपरेटरों की न्यूनतम विहित योग्यता टेलीफोन स्वीच बोर्ड प्रणाली के ज्ञान सहित मैट्रिक है। उनकी योग्यता और कर्त्तव्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स ऑपरेटर**

18.4. राज्य-सरकार के टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स आपरेटर संगठन सीधे गृह (विशेष) विभाग के नियंत्रण में है। इस संगठन के कर्मचारी न केवल सचिवालय में रखे जाते हैं बल्कि विभिन्न प्रमंडलीय, जिला अथवा अनुमंडलीय मुख्यालय में भी और बिहार भवन, दिल्ली में भी रखे गये हैं। इस समय लगभग 170 टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स ऑपरेटर हैं और ये सभी, 244—356 रु० के वेतनमान में हैं अर्थात्, टंकक, श्रेणी I के साथ उनके विलयन के पूर्व उसी वेतनमान में थे जो वेतनमान टंकक, श्रेणी II का है। टेलीप्रिन्टर ऑपरेटरों के लिए स्नातक होना अपेक्षित है। इसके साथ-ही-साथ उन्हें

टंकन का अनुभव तथा टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स साज-सामानों के संचालन की जानकारी भी होनी चाहिए। उनकी शिकायत है कि यद्यपि उनके पास उच्च योग्यता विशेष प्रवीणता है तथा उन्हें कठिन कर्त्तव्यों का संपादन करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय देना पड़ता है तथापि सचिवालय के टंकक से भी कम वेतनमान में रहने दिया गया है। उनकी शिकायत सही प्रतीत होती है। समिति, उनकी योग्यता, प्रवीणता और कर्त्तव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए उनके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

18.5. टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स ऑपरेटरों की यह भी शिकायत है कि वे सभी एक ही वेतनमान और कोटि में हैं। उन्हें प्रवर कोटि भी नहीं दी गई है, उनके लिए प्रोन्नति का कोई अवसर बिलकुल नहीं है। रिपोर्ट के भाग 2 के समुचित अध्याय में अंतर्विष्ट प्रवर कोटि और प्रोन्नति की संभावनाओं से संबंधित समिति की सामान्य सिफारिश उनके संवर्ग पर भी लागू होगी। समिति ने टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स ऑपरेटरों की शिकायत पर विचार किया है और उसकी यह राय है कि उनके कार्य के स्वरूप को देखते हुए उन्हें 785—1,210 रु० का वेतनमान मिलना चाहिए।

18.6. निर्वाचन विभाग में भी उसी वेतनमान में टेलेक्स ऑपरेटर का एक पद है। समिति उसके लिए भी वही वेतनमान, यानी 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**वायरलेस ऑपरेटर**

18.7. सिंचाई विभाग में वायरलेस ऑपरेटर के कुछ पद हैं जिनका पदनाम और वेतनमान निम्नलिखित हैं:—

(1) सहायक वायरलेस ऑपरेटर .. .. .. 220—315 रु०

(2) वायरलेस ऑपरेटर .. .. .. 230—340 रु०

18.8. विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि वायरलेस ऑपरेटर की दोनों ही कोटियों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है और उन्हें प्रशिक्षण का एक छोटा कोर्स भी करना है। दोनों ही कोटियों के कर्त्तव्यों का स्वरूप एक ही है।

18.9. सहायक वायरलेस ऑपरेटर तथा वायरलेस ऑपरेटर की विहित न्यूनतम योग्यता और उनके कर्त्तव्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**संदेशवाहक (मैसेंजर)**

18.10. मुख्यत: तारलेखी (टेलीप्रिंटर) तथा टेलेक्स संगठन में संदेशवाहकों के कुछ पद सृजित किये गये हैं जिनका मुख्य काम द्रुतगति से संदेश पहुंचाना है। उनके कर्त्तव्यों के स्वरूप और मौजूदा वेतनमान को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है:—

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण .. | हरकारा (डाकरनर) .. | 155—190 | 350—425 |
| 2 | गृह (विशेष) विभाग (असैनिक प्रतिरक्षा संगठन) | संदेशवाहक .. .. | 155—190 | 350—425 |
| 3 | मंत्रिमंडल सचिवालय (बिहार भवन, नई दिल्ली) | साईकिल संदेशवाहक (मैसेंजर) | 155—190 | 350—425 |
| 4 | मंत्रिमंडल सचिवालय (बिहार भवन, नई दिल्ली) | मोटर साईकिल संदेशवाहक (मैसेंजर) | 155—190 | 350—425 |

# अध्याय 19

## श्रव्य-दृश्य तकनीशियन

19.1. इस अध्याय में, फोटोग्राफरों, कैमरामैनों, सिनेमा परिचालकों (ऑपरेटर), प्रोजेक्टर मेकैनिकों, ध्वनि अभिलेखकों (साउन्ड रेकर्डर) और ऐसे अन्य कोटियों के श्रव्य-दृश्य तकनीशियनों के बारे में विचार किया गया है, जो राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित हैं।

### फोटोग्राफर और कैमरामैन

19.2. समिति को फोटोग्राफरों का प्रतिनिधित्व करनेवाले कई संघों और व्यक्तियों से ज्ञापन प्राप्त करने का अवसर हुआ है। उन्होंने यह दलील दी है कि फोटोग्राफरों और कैमरामैनों के वेतनमान को अपराध अनुसंधान विभाग की पुलिस-प्रयोगशाला के बराबर किया जाना चाहिए, जिसे हाल ही में राज्य-सरकार ने उत्क्रमित करके 510—1,155 रु० कर दिया। समिति ने ऐसे अन्य फोटोग्राफरों के कर्त्तव्यों के स्वरूप को फोटो विशेषज्ञों के कर्त्तव्यों के स्वरूप से मिलाकर जांचा-परखा है और उसकी राय है कि इन दोनों कोटियों को इस कारण से बराबर नहीं माना जा सकता कि फोटो विशेषज्ञों के कर्त्तव्य और जिम्मेवारियां जटिल और संदेहास्पद फोटोग्राफों की परीक्षा करनी है ताकि वह विशेषज्ञतापूर्ण राय दे सके। फिर भी, समिति ने महसूस किया है कि विभिन्न विभागों में फोटोग्राफरों के वेतनमानों में जो विषमता है उसे युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है।

19.3. आगे जो विवरण दिया गया है उससे पता चलेगा कि राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित फोटोग्राफरों तथा कैमरामैनों के वेतनमान में कोई एकरूपता नहीं है। उन्हें आठ प्रकार के अलग-अलग वेतनमान दिये गये हैं जो 248—372 रु० से 400—660 रु० के बीच हैं। समिति का विचार है कि उनके वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

19.4. समिति ने फोटोग्राफरों तथा कैमरामैनों के कर्त्तव्यों पर सम्यक् विचार करने के बाद उनके लिए जिन वेतनमानों की सिफारिश की है, वे इस प्रकार हैं:—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सिंचाई विभाग .. .. | फोटोग्राफर .. .. | 240—396 | 580—860 |
| 2 | कृषि विभाग .. .. | कैमरामैन .. .. | 296—423 | 580—860 |
| 3 | कृषि विभाग .. .. | कैमरामैन .. .. | 296—423 | 580—860 |
| 4 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (बी० आई०टी०, सिन्दरी। | फोटोग्राफर .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 5 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (बी० आई० टी०, सिन्दरी)। | फोटो प्रोजेक्शनिष्ट .. | 296—460 | 580—860 |
| 6 | स्वास्थ्य विभाग (परिवार कल्याण) | फोटोग्राफर (प्रोसेस कैमरामैन) | 296—460 | 580—860 |
| 7 | राजस्व विभाग .. .. | कैमरामैन .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 8 | शिक्षा विभाग (मिथिला संस्थान) .. | फोटोग्राफर .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 9 | शिक्षा विभाग (नवनालंदा महाविहार) | फोटोग्राफर .. .. | 296—460 | 580—860 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 10 | शिक्षा विभाग (के० पी० जायसवाल शोध संस्थान)। | फोटोग्राफर .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 11 | शिक्षा विभाग (संग्रहालय भवन, पटना) | फोटोग्राफर-सह-प्रारूपक .. | 296—460 | 580—860 |
| 12 | शिक्षा विभाग (पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय)। | फोटोग्राफर .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 13 | पशुपालन विभाग .. .. | कैमरामैन-सह-प्लेट मेकर .. | 296—460 | 580—860 |
| 14 | कल्याण विभाग .. .. | सिने कैमरामैन .. | 340—490 | 680—965 |
| 15 | वन विभाग .. .. | कलाकार फोटोग्राफर एवं संग्रहालय अध्यक्ष (क्यूरेटर)। | 340—490 | 680—965 |
| 16 | सिंचाई विभाग .. .. | कलाकर-सह-फोटोग्राफर .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 17 | लोक-निर्माण विभाग .. | फोटोग्राफर .. .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 18 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | कैमरामैन .. .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 19 | योजना विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन)। | कैमरा ऑपरेटर .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 20 | गृह (आरक्षी) विभाग (न्याय वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला)। | कनीय फोटोग्राफर .. | 284—372 | 785—1,210 |
| 21 | वही .. | वरीय फोटोग्राफर .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 22 | शिक्षा (सचिवालय) .. | फोटोग्राफर .. .. | 387—600 | 785—1,210 |
| 23 | शिक्षा (श्रव्य-दृश्य) .. | फोटोग्राफर .. .. | 387—600 | 785—1,210 |
| 24 | पर्यटन विभाग .. .. | फोटोग्राफर .. .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 25 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | कैमरा सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 26 | वही .. | मुख्य कैमरामैन .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 27 | पशुपालन विभाग .. .. | कलाकर-सह-फोटोग्राफर .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 28 | कृषि विभाग .. .. | वरीय कैमरामैन .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 29 | वही .. .. | कलाकर-सह-फोटोग्राफर .. | 240—396 | 850—1,360 |
| 30 | वही .. .. | वरीय कलाकार/फोटोग्राफर .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 31 | वित्त विभाग (सरकारी मुद्रणालय) | कैमरामैन-सह-प्लेटमेकर .. | 415—720 | 850—1,360 |

19.5. कृषि विभाग ने कलाकार-सह-फोटोग्राफर के कुछ पदों की रिपोर्ट की हैं। इन्हें ललित कला एवं व्यावसायिक कला में डिग्री या डिप्लोमा का विशेष प्रशिक्षण तथा फोटोग्राफी में अनुभव प्राप्त करना अपेक्षित हैं। सम्प्रति वे दो अलग-अलग वेतनमानों में अर्थात् 240—396 रु० और 400—660 रु० के वेतनमान में हैं। समिति उनकी उच्चतर प्रवीणता एवं प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती हैं।

19.6. सरकारी मुद्रणालय में कैमरामैन-सह-प्लेट मेकर का एक पद 415—720 रु० के वेतनमान में है। इसके कर्त्तव्य इस ढंग के हैं, जिसमें फोटोग्राफी के मुद्रण और प्रोद्धरण (रिप्रोडक्शन) के लिये प्लेट तैयार करने में काफी प्रवीणता अपेक्षित है। इसके कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अतिशय तकनीकी स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए समिति इसके लिये 850—1,360 रु० की सिफारिश करती है।

19.7. जन-संपर्क एवं सूचना निदेशालय में सिने-कैमरामैन का एक पद, 640—940 रु० के वेतनमान में है। उसे चलचित्र फोटोग्राफ लेना पड़ता है और तदनुसार उसमें विशेष योग्यता होना अपेक्षित है। उसके लिए विज्ञान में प्रवर-स्नातक (इंटरमिडियट) और चलचित्र में डिप्लोमाधारी होना न्यूनतम विहित योग्यता है। इसके अलावा सहायक कैमरामैन के रूप में कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। उसकी विशेष योग्यताओं और कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति उसके लिए 940—1,660 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

19.8. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस प्रयोगशाला के फोटोग्राफी ब्यूरो में फोटो विशेषज्ञ के पद हैं। इनके वर्त्तमान पर सम्यक् विचार करने के बाद हाल ही में राज्य सरकार ने 510—1,155 रु० के वेतनमान को पुनरीक्षित किया है। इनके कार्य के अन्तर्गत न केवल दैनन्दिन फोटोग्राफी करनी है बल्कि संपूर्ण विशेषज्ञता पूर्ण फोटोग्राफी की परीक्षा करके अपना विचार देना है। समिति सम्यक् विचार करने के बाद उनके लिये 1,000—1,820 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**फोटो सहायक और डार्करूम स्टाफ**

19.9. फोटोग्राफरों की सहायता के लिए विभिन्न विभागों में नियोजित फोटो सहायक और डार्करूम स्टाफ अनावृत (एक्सपोज्ड) चलचित्र तैयार करते हैं। ये दो भिन्न-भिन्न वेतनमानों में हैं जैसा कि निम्नलिखित विवरण से मालूम होगा :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | पशुपालन विभाग .. .. | डार्करूम अटेंडेंट .. .. | 165—204 |
| 2 | राजस्व विभाग .. .. | प्लेट डेवलपर .. .. | 180—242 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | डार्करूम सहायक .. .. | 180—242 |
| 4 | कृषि विभाग .. .. | डार्करूम सहायक .. .. | 180—242 |
| 5 | सूचना और जन-संपर्क विभाग .. | शिक्षित डार्करूम ब्वाय (डार्करूम) | 180—242 |
| 6 | स्वास्थ्य विभाग (परिवार कल्याण) .. | डार्करूम सहायक .. .. | 180—242 |
| 7 | राजस्व विभाग .. .. | फोटो सहायक .. | 180—242 |
| 8 | सिंचाई विभाग (जन-संपर्क और संपर्क कार्यालय)। | फोटो सहायक .. .. | 180—242 |

19.10. पशुपालन विभाग के डार्करूम परिचर का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उचित वेतनमान देने में उसकी उपेक्षा की गई है, उसका मामला पशुपालन विभाग द्वारा भी समिति को निर्दिष्ट किया गया है। समिति महसूस करती है कि वस्तुतः उसके वेतनमान के संबंध में अनुचित भेदभाव बरता गया है।

19.11. समिति का विचार है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) कर्मचारी माना जाए और उन्हें 375—480 रु० के वेतनमान में रखा जाए।

19.12. 230—340 रु० के वेतनमान में, स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण शाखा (विंग) में, और राजस्व विभाग के सर्वेक्षण कार्यालय में भी, प्रधान फोटो सहायक के पद हैं। उनलोगों से मैट्रिकुलेट होना अपेक्षित है और उनके कार्य का स्वरूप पर्यवेक्षणात्मक है। अतः उनके लिये समिति 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**सिनेमा प्रोजेक्टर ऑपरेटर**

19.13. सिनेमा प्रोजेक्टर (प्रक्षेपी) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित सिनेमा प्रोजेक्टर ऑपरेटर अधिकांशतः प्रवेशिकोत्तीर्ण हैं और साथ ही उन्हें जिला दंडाधिकारी से 16 एम० एम० और 35 एम० एम० की सिनेमा मशीनों को चलाने का लाइसेंस प्राप्त है, किन्तु जैसा कि नीचे दिये विवरण से पता चलेगा, ऐसे आपरेटरों के लिये 220—315 रु० से लेकर 296—460 रु० तक के बीच के पांच भिन्न-भिन्न वेतनमान हैं, जबकि उनकी योग्यता लगभग समान है और उनके कार्य का स्वरूप भी समान है:—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रु० |
| 1 | ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 220—315 |
| 2 | कृषि विभाग .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 220—315 |
| 3 | लोक-निर्माण विभाग .. .. | फिल्म ऑपरेटर .. .. | 220—315 |
| 4 | पर्यटन .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 284—372 |
| 5 | पशुपालन विभाग .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 284—372 |
| 6 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 7 | पर्यटन .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 8 | कृषि विभाग .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 9 | पशुपालन विभाग .. .. | श्रव्य-दृश्य ऑपरेटर .. | 240—396 |
| 10 | सिंचाई विभाग .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 11 | सूचना और जन-संपर्क विभाग .. | टाकीज ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 12 | वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत) .. | फिल्म ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 13 | कार्मिक विभाग (प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान)। | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 240—396 |
| 14 | श्रम विभाग .. .. | सिनेमा ऑपरेटर .. .. | 296—423 |
| 15 | विज्ञान और प्रोद्योगिकी (बी० आइ० टी०, सिन्दरी)। | फोटो प्रोजेक्सनिस्ट .. .. | 296—460 |

19.14. ऐसे सिनेमा ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशन और व्यक्तियों का कथन है कि वेतनमानों की इस विविधता और कुछ विभागों में किये गये भेदमूलक व्यवहार के कारण विसंगतियां विद्यमान हैं। समिति का विचार है कि उनका कथन सही है और पूर्वोक्त ऐसे ऑपरेटरों के लिये 580—860 रु० के सामान्य वेतनमान की अनुशंसा करती है।

19.15. स्वास्थ्य विभाग में सहायक सिनेमा ऑपरेटर का एक पद 190—254 रु० के वेतनमान में है। उसके कार्य का स्वरूप सामान्य सिनेमा ऑपरेटरों के काम से निम्न ढंग का है। समिति उसके लिये 425—605 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

19.16. जन-संपर्क और सूचना निदेशालय में चित्रपट-पुस्तकाध्यक्ष-सह-प्रक्षेपी (फिल्म लाइब्रेरियन कम-प्रोजेक्सनिस्ट) का एक पद 400—660 रु० के वेतनमान में है। यह पद सिनेमा ऑपरेटरों में से प्रोन्नति के द्वारा भरा जाता है। पदनाम से ही उस पद के उच्चतर कर्त्तव्य और विशेष उत्तरदायित्व का पता चलता है। समिति उसके लिये 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

19.17. शिक्षा विभाग के अधीन शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण के राज्य परिषद् में चित्रपट-पुस्तकालय-सह-प्रक्षेपी (फिल्म लाइब्रेरियन-कम-प्रोजेक्सनिस्ट) का पद 387—600 रु० के वेतनमान में है। पूर्वोक्त कारणों के आधार पर, समिति उनके लिए भी 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**संग्राहक (रेकर्डर) और तकनीशियन**

19.18. समिति महसूस करती है कि संग्राही कर्मचारी (रेकार्डिंग स्टाफ), ध्वनि-तकनीशियन, रेडियो मेकैनिक और प्रोजेक्टर मेकैनिक को कम-से-कम सिनेमा प्रोजेक्टर ऑपरेटरों के समतुल्य माना जाना चाहिए, और वह उनके लिए कम-से-कम 580—860 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

19.19. ऐसे पदों में से कई पद पहले से ही उच्चतर कोटि या उच्चतर वेतनमान में हैं। उनके विशेष प्रशिक्षण, उच्च दक्षता, पर्यवेक्षण कार्य या विशेष तरह के कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए आनुपातिक रूप से उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

19.20. ऐसे तकनीशियनों के लिए समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान इस प्रकार है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लोक-निर्माण विभाग .. | टेप रेकार्डिंग ऑपरेटर .. | 220—315 | 580—860 |
| 2 | विज्ञान और टेकनौलाजी (बी०आई० टी०)। | रेडियो मेकेनिक .. | 240—396 | 580—860 |
| 3 | सूचना और जन-सम्पर्क विभाग .. | रेडियो मेकैनिक .. | 240—396 | 580—860 |
| 4 | कल्याण विभाग .. | ध्वनि तकनीशियन .. | 340—490 | 680—965 |
| 5 | सूचना और जन-सम्पर्क विभाग .. | प्रोजेक्टर मेकैनिक .. | 340—490 | 680—965 |
| 6 | वही .. | ध्वनि मेकैनिक .. | 340—490 | 680—965 |
| 7 | वही .. | सहायक ध्वनि अभियन्ता .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 8 | वही .. | सहायक अभियन्ता रेडियो .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 9 | वही .. | सहायक फिल्म सम्पादक .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 10 | स्वास्थ्य विभाग (परिवार कल्याण) | श्रव्य-दृश्य पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

# अध्याय 20

## कलाकार

20.1. इस अध्याय में विभिन्न कोटियों के कलाकारों के वेतन निर्धारण की सामान्य समस्या पर विचार किया गया है, जिसमें संगीतज्ञ, नाटककार, मूर्तिकार, मॉडेलर, आदि आते हैं। उनके कार्य का स्वरूप ऐसा है कि सामान्यतः वांछित निपुणता प्राप्त करने के लिए लम्बी अवधि तक अभ्यास की जरूरत होती है। कला (जिसमें ललित कला और परफौमिंग कला शामिल है) के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए हाल के वर्षों में अनेक संस्थाएं खुली हैं, और कलाकारों के विभिन्न पदों के पारस्परिक पदकोटिकरण से इस बात का संकेत मिलता है कि ऐसी योग्यताओं पर विचार करना बढ़ता जा रहा है। किंतु अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अभीतक नियमित सांस्थनिक प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, समिति की राय है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता के अभाव से कलाकारों को उचित पारिश्रमिक देना वांछित नहीं होना चाहिए, जब कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कलाकारों को भी उस प्रशिक्षण के लिए यथोचित वेटेज मिलना चाहिए।

20.2. समिति की जानकारी में कलाकारों के जो पद आये हैं उन्हें सुविधा से दो कोटियों में वर्गित किया जा सकता है। पहली कोटि में परफार्मिंग कलाओं के विशेषज्ञ आते हैं, यथा संगीतज्ञ, नाटककार आदि। ऐसे काम अधिकांशतः सूचना और जन-सम्पर्क निदेशालय के गीति-नाट्य प्रभाग तक सीमित हैं। पदों की दूसरी कोटि का सम्बन्ध कलाकारों की दूसरी कोटि से है, यथा चित्रकार, मानचित्रकार, मूर्ति शिल्पी, मूर्तिकार आदि, अर्थात् ललितकला अथवा दृश्य-कला के विशेषज्ञ। ऐसे पद अधिकांशतः एकांकी (आइसोलेटेड) हैं, और सूचना तथा जन-संपर्क निदेशालय सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में फैले हुए हैं।

20.3. वैयक्तिक कलाकारों के अलावा कलाकारों के अनेक एसोसिएशनों से ज्ञापन और सुझाव समिति को प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं—गीति नाट्य अर्थात् पटना सचिवालय अराजपत्रित कलाकार संघ, जो कि सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय के गीति नाट्य प्रभाग में नियोजित पहली कोटि के कलाकारों का प्रतिनिधित्त्व करता है, और पटना सचिवालय कलाकार संघ, जो कि उपर्युक्त दूसरी कोटि के कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका अभिकथन सामान्यतः यह है कि उनके वेतनमान के मामले में अन्य पदों की तुलना में कलाकारों के साथ भेदमूलक नीति अपनायी गई है। उनका अभिकथन यह भी है कि समान योग्यता और दक्षतावाले कलाकारों में भी कुछ को अन्य विभागों में नियोजित उनके प्रतिरूप कलाकारों की अपेक्षा, अनुचित रूप से निम्नतर वेतनमान दिया गया है। समिति को उनसे उनकी समस्याओं और सुझावों पर विमर्श करने के भी अवसर प्राप्त हुए हैं।

### परफार्मिंग कलाकार

20.4. ऐसे कलाकार जो गीत, संगीत, नृत्य या नाटक में विशेषज्ञता प्राप्त हैं, अधिकांशतः सूचना और जन-सम्पर्क निदेशालय के संगीत और नाटक प्रभाग में हैं और उनके पदनाम इस प्रकार हैं :—

| | | | मौजूदा वेतनमान |
|---|---|---|---|
| | | | रु० |
| 1. सदस्य मोद मंडली | .. | .. | 230—340 |
| 2. सदस्य यात्रा पार्टी | .. | .. | 230—340 |
| 3. कनीय कलाकार | .. | .. | 230—340 |
| 4. वरीय कलाकार | .. | .. | 260—408 |
| 5. सितारवादक | .. | .. | 260—408 |
| 6. तबला वादक | .. | .. | 260—408 |
| 7. वायलिन वादक | .. | .. | 260—408 |
| 8. सहायक आयोजक | .. | .. | 260—408 |
| 9. आयोजक | .. | .. | 340—490 |
| 10. मोदमंडली के नायक और उप-नायक | | .. | 340—490 |
| 11. यात्रापार्टी का नायक | .. | .. | 340—490 |
| 12. विद्यापति संगीतज्ञ | .. | .. | 340—490 |
| 13. सहायक कला अनुदेशक | .. | .. | 348—570 |
| 14. मुख्य अनुदेशक | .. | .. | 415—745 |
| 15. संगीत अनुदेशक | .. | .. | 415—745 |
| 16. साहित्य पदाधिकारी | .. | .. | 415—745 |
| 17. आयोजन सचिव | .. | .. | 455—840 |
| 18. कला अनुदेशक | .. | .. | 455—840 |
| 19. सहायक सचिव, गीत-नाट्क | | .. | 455—840 |

20.5. गीति-नाट्य प्रभाग के कलाकारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एसोसिएशन ने यह दलील दी है कि सचिवालय के पहले के निम्नवर्गीय सहायकों के उच्चवर्गीय सहायकों के साथ विलयन की साम्यता के आधार पर श्रेणी-2 के कलाकारों के वेतनमान का श्रेणी-1 के कलाकारों के वेतनमान के साथ विलयन कर दिया जाना चाहिए, और चूंकि श्रेणी-1 के कलाकारों का वेतनमान सचिवालय के पहले के निम्नवर्गीय सहायकों के बराबर था जिसका उत्क्रमण कर सचिवालय के उच्चवर्गीय सहायकों के बराबर कर दिया गया है। इसलिए श्रेणी-2 के कलाकारों तथा श्रेणी-1 के कलाकारों का वेतनमान उच्चवर्गीय सहायकों के बराबर कर दिया जाना चाहिये। वस्तुतः, एसोसियेशन का कथन है कि यह एक गंभीर विसंगति है और कलाकारों के वेतनमानों को उच्चवर्गीय सहायकों के वेतनमान के बराबर उत्क्रमित नहीं किया गया है। समिति इस तर्क को मानने में असमर्थ है, जिसके कारणों की व्याख्या विसंगति वाले अध्याय में की गयी है। तो भी, समिति महसूस करती है कि वेतनमान के मामले में कलाकारों को बेहतर व्यवहार मिलना चाहिए और कलाकारों तथा सचिवालय के सहायकों के वेतनमान के अन्तर को यथेष्ट रूप से कम किया जाना चाहिए।

20.6. एसोसिएशन ने इस बात की भी दलील दी है कि सहायक आयोजकों के वेतनमान को उत्क्रमित कर आयोजकों के वेतनमान के बराबर का दिया जाना चाहिए। समिति ने पाया है कि बाद वाले पद पहले वाले पदों को प्रोन्नति के पद हैं, और वह इस बात से सहमत नहीं है कि विलयन की आवश्यकता है।

20.7. मोद मंडली के सदस्य, यात्रा पार्टी के सदस्य और कनीय कलाकार भी दूसरी श्रेणी के कलाकर माने जाते हैं, और उनके लिए यह भी अपेक्षित नहीं है कि वे प्रवेशिकोतीर्ण भी हों। लेकिन उनलोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे संगीत, गीत, नृत्य और नाटक में प्रवीण और अनुभवी हों। अभिनय-कला में ऐसी निपुणता हासिल करने के लिए यथेष्ट परिश्रम, अभ्यास और धैर्य अपेक्षित हैं और इस तरह समिति यह महसूस करती है कि उनका वेतनमान काफी अच्छा होना चाहिए ताकि इससे प्रतिमान व्यक्ति आकर्षित हो सकें। इसीलिए समिति उनके लिए 580—860 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

20.8. सितारवादक, तबलावादक और वायलिन वादक को अपने-अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और स्पष्ट रूप से उन्हें उच्च वेतनमान मिलना चाहिए। समिति ने उनके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.9. वरीय कलाकार के पद, जो श्रेणी I के कलाकार के रूप में भी अभिज्ञात हैं, कनीय कलाकारों अथवा कलाकार श्रेणी-II से भरे जानेवाले प्रोन्नति के पद हैं। इसलिए समिति ने उनके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.10. सहायक आयोजक के पद स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षी पद हैं। उनमें से कुछ पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाते हैं जिसके लिए विहित न्यूनतम योग्यता है मैट्रिकुलेशन और कम से कम तीन साल का अनुभव। उनसे न सिर्फ कार्यक्रम के आयोजन की ही अपेक्षा की जाती है, अपितु गीत और नाटक की रचना की भी अपेक्षा की जाती है। इसलिए समिति ने उनके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.11. आयोजक के पद सहायक आयोजकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। समिति ने उनके कार्यों और उत्तरदायित्वों पर विचार करते हुए उनके लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.12. मोद मंडली के नायक और उप-नायक तथा यात्रा पार्टी के नायक के पद भी प्रोन्नति के पद हैं, जो क्रमशः मोद मंडली और यात्रा पार्टी के सदस्यों से भरे जाते हैं। स्पष्ट रूप से ये पर्यवेक्षी पद हैं। उनके कर्त्तव्यों और उत्तर दायित्वों को ध्यान में रखते हुए समिति ने उनके लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.13. विद्यापति संगीतज्ञ से विद्यापति के गीतों में निपुणता और अनुभव की अपेक्षा की जाती है। उनकी निपुणता और वांछित विशेषता को ध्यान में रखते हुए समिति ने उनके लिए भी 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.14. सहायक कला अनुदेशक का पद मोद मंडली के नायक और उप-नायक की प्रोन्नति से भरा जाता है। उनकी निपुणता, अनुभव और कर्त्तव्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति ने उनके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.15. मुख्य अनुदेशक का पद सहायक कला अनुदेशक की प्रोन्नति से भरा जाता है। समिति ने उनके कर्त्तव्यों के स्वरूप और लम्बे अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.16. संगीत अनुदेशक का पद मोद मंडली के नायक और यात्रा पार्टी के नायक की प्रोन्नति से भरा जाता है। उनके लम्बे अनुभव और कार्य के स्वरूप पर विचार करते हुए समिति ने उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

20.17. साहित्य पदाधिकारी के पद की न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएट डिग्री और नाटक रचना में कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि यह पद रिक्त है और बारबार विज्ञापन करने पर भी आवेदकों की संख्या नगण्य है, क्योंकि 415—745 रु० के मौजूदा वेतनमान में ऐसा कोई योग्य उम्मीदवार नहीं आता। समिति महसूस करती है कि इस पद की विहित योग्यता और लम्बे अनुभव तथा उनसे अपेक्षित कार्य के स्वरूप को देखते हुए इसके वेतनमान को उत्क्रमित किया जाए। इसलिए, समिति इसके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

20.18. आयोजन सचिव, सहायक सचिव और कला अनुदेशक इन सभी पदों का वेतनमान 455—840 रु० है। ऐसे सभी पद मुख्य अनुदेशक या संगीत अनुदेशक के पदों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि ऐसे पदों में सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता, संगीत में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तथा इसके अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत और लोकनृत्य में विशेषज्ञता एवं वाद्य यंत्रों को बजाने की क्षमता और गीत रचना करने तथा अभिनय करने की योग्यता भी है। उनके कर्त्तव्य के सन्तोषजनप्रद निष्पादन के लिए उनकी अपेक्षित निपुणता को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिए 880—1,510 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**दृश्य-कला वाले कलाकार**

20.19. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ललित कला या दृश्य-कला की विभिन्न शाखाओं के कई पद हैं, जिनके पदनाम भिन्न-भिन्न हैं, यथा कलाकार, मानचित्रकार, कलाकार-सह-फोटोग्राफर, कलाकार-सह-संग्रहाध्यक्ष, कलाकार-सह-संकलनकर्त्ता, कलाकार-सह-सहायक, कलाकार-सह-रूपांकक, कलाकार-सह-आयोजक, मूर्त्ति शिल्पी, मूर्त्तिकार, डेकोरेटर एक्जीबीशनिस्ट, आदि। उनके पदनाम, न्यूनतम योग्यता और वेतनमान में किसी भी तरह की एकरूपता नहीं प्रतीत होती और, जैसा कि उनके एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने ठीक ही बताया है, मैट्रिक और ललित कला-डिप्लोमा की समान मूलभूत योग्यतावाले कर्मचारियों को भी ऐसे वेतनमान में रखा गया है जो कि काफी भेदमूलक है। समिति महसूस करती है कि उनके वेतनमानों के मानकीकरण की आवश्यकता है।

20.20. 1950 से पूर्व दृश्य-कला अथवा वाणिज्यिक कला में सांस्थानिक प्रशिक्षण का कोई मानक ढर्रा नहीं था, और परिणामस्वरूप ऐसे कलाकारों के लिए कोई विहित मानक योग्यता नहीं थी। किन्तु पूर्वोक्त वर्षों में ऑल इंडिया बोर्ड फॉर टेकनिकल एजुकेशन ने प्रायौगिक कला और शिल्प के कोर्स की एक स्कीम को अंतिम रूप देकर उसे अनुमोदित किया, जिसे ऑल इंडिया बोर्ड फॉर टेकनिकल स्टडीज इन अप्लायड आर्ट्स ने तैयार किया था। उसके बाद, इस क्षेत्र में सांस्थानिक प्रशिक्षण अधिक मानकीकृत और व्यवस्थित हो गया है। दिये जानेवाले प्रशिक्षण में चित्रकला, मूर्त्तिकला, प्रायौगिक या वाणिज्यिक कला और हस्तशिल्प शामिल हैं। बिहार में, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय एक डिप्लोमा कोर्स चलाता था, जिसमें मैट्रिकुलेशन के बाद पांच वर्षों का प्रशिक्षण था। पटना विश्वविद्यालय में इस महाविद्यालय के अंतरित होने के बाद, डिप्लोमा कोर्स को हटाकर डिग्री कोर्स चलाया गया है, किन्तु यह प्रशिक्षण भी पांच वर्षों का ही है। महाविद्यालय ने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया है जिसमें लगभग तीन वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से, राज्य-सरकार के विभिन्न विभाग, जो अपने कलाकारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विहित योग्यता निर्धारित करते हैं, इस सर्टिफिकेट कोर्स से अनभिज्ञ हैं, और जाहिर है कि वे वैसे पदों के लिये भी, जिनमें वैसे उच्च विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, डिप्लोमा डिग्री का दीर्घकालीन और उच्च कोर्स रूटीन तौर पर न्यूनतम योग्यता के रूप में विहित करते रहे हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के ड्राइंग-शिक्षकों के लिये भी न्यूनतम योग्यता, ललित कला में डिप्लोमा या डिग्री विहित की है, जिसे शिक्षा विभाग निम्न अवर-सेवा के लिए विहित वेतनमान से अधिक वेतनमान नहीं दे सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि सम्बद्ध विभागों द्वारा कलाकारों के लिए विहित योग्यताओं का पुनर्विलोकन किया जाए और अनावश्यक रूप से उच्चतर योग्यता विहित न की जाये।

20.21. जिन कर्मचारियों से ललित कला या वाणिज्य कला में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता की अपेक्षा होती है, उन्हें, जैसाकि ऊपर कहा गया है, मैट्रिकुलेशन के बाद पांच वर्षों का लम्बा प्रशिक्षण लेना होता है। इसलिए, द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका 312 में यह ठीक ही कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को स्नातकों से कुछ अधिक रेटिंग मिलना चाहिए। यह समिति भी इस विचार से सहमत है, और उनकी उच्च निपुणता पर विचार करते हुए उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

20.22. विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि ललित कला में डिग्री या डिप्लोमा की समान योग्यता रखनेवाले और एक ही तरह का कार्य करनेवाले कलाकारों को छः भिन्न-भिन्न वेतनमान दिये गये हैं जो 240—396 रु० से लेकर 510—1,155 रु० तक है। एक ही विभाग में (जैसे कि कृषि तथा श्रम एवं नियोजन) वेतनमानों की असमानता मौजूद है, जैसाकि नीचे प्रस्तुत विवरण से पता चलेगा। राज्य-सरकार ने हाल ही में, सूचना और जन-सम्पर्क विभाग के ऐसे कार्मिकों के वेतनमान को उत्क्रमित कर 400—660 रु० से 455—840 रु० कर दिया है। इसलिए अन्य विभागों के कलाकारों की यह शिकायत उचित ही है कि उनके मामले की उपेक्षा की गयी है। न्यूनतम वेतनमान देने का उपर्युक्त सिद्धांत बना देने के बाद, समिति का यह विचार है कि भिन्न वेतनमानों वाले सभी पदों को इस स्तर तक ले आया जाए,

और जो पद उच्चतर वेतनमानों के हैं उनकी अपनी सापेक्षता बनाये रहने दी जाए। इसलिए समिति ने ऐसे कलाकारों के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | श्रम विभाग .. .. | कलाकार .. .. | 240—396 | 850—1,360 |
| 2 | कृषि विभाग .. .. | कलाकार-सह-फोटोग्राफर .. | 240—396 | |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | कलाकार-सह-फोटोग्राफर .. | 240—396 | |
| 4 | कृषि विभाग .. .. | कलाकार .. .. | 296—460 | |
| 5 | उद्योग विभाग .. | कलाकार-सह-आयोजक .. | 335—555 | |
| 6 | कृषि विभाग .. .. | वरीय कलाकार .. | 400—660 | |
| 7 | ग्रामीण विकास विभाग .. | कलाकार-प्रदर्शक .. | 400—660 | 880—1,510 |
| 8 | पंचायती राज निदेशालय .. | कलाकार-सह-संगणक .. | 400—660 | |
| 9 | पशुपालन .. | कलाकार-सह-फोटोग्राफर .. | 400—660 | |
| 10 | सहकारिता विभाग . | कलाकार-सहायक .. | 400—660 | |
| 11 | पर्यटन निदेशालय .. .. | कलाकार .. .. | 400—660 | |
| 12 | श्रम एवं नियोजन .. | कलाकार .. .. | 400—660 | |
| 13 | नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय .. | कलाकार-कारीगर .. | 400—660 | |
| 14 | नगर विकास विभाग .. | मूर्तिकार .. .. | 415—720 | |
| 15 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. (प्रदर्शन शाखा)। | कलाकार .. .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 16 | आई० पी० आर० डी० .. (प्रेस और प्रकाशन प्रभाग) | कलाकार .. | 455—840 | |
| 17 | विज्ञान और तकनीकी .. (सायंस एंड टेकनोलाजी)। | रूपांकक और कलाकार .. | 455—840 | |
| 18 | उद्योग विभाग .. | आयोजक-सह-कलाकार .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 19 | कृषि विभाग .. .. | कलाकार .. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

**मानचित्रकार**

20.23. अनेक विभागों ने मानचित्रकारों के पदों की सूचना दी है । उनकी कार्य-पद्धति में कोई एकरूपता नहीं है, और फलत: उनकी योग्यता के स्तर और वेतनमान में भी एकरूपता नहीं है । इसलिए समिति ने, इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कोटि के लिए समुचित वेतनमान की अनुशंसा की है ।

20.24. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग में मानचित्रकार का वेतनमान 240—396 रु० है । इस पद की न्यूनतम योग्यता है मैट्रिकुलेशन तथा ड्राइंग का ज्ञान । समिति उनके लिए 580—860 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

20.25. योजना विभाग में मानचित्रकार की न्यूनतम अपेक्षित योग्यता है आनर्स डिग्री सहित ग्रैजुएशन अथवा भूगोल में मास्टर्स डिग्री । उनका वेतनमान है 296—460 रु० । योजना विभाग में मानचित्रकार से जिस काम की अपेक्षा है वह खाद्य, आपूर्ति और वाणिज्य विभाग के मानचित्रकार के काम की अपेक्षा स्पष्टत: अधिक तकनीकी है, जैसा कि विहित न्यूनतम योग्यता और मौजूदा वेतनमानों से भी प्रतीत होता है । इसलिए, समिति ने योजना विभाग के मानचित्रकार के लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है ।

20.26. सांख्यिकी निदेशालय में मानचित्रकार का वेतनमान 400—660 रु० है । वह ऐसे कलाकार के समतुल्य है जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हो और जिसे ललित कला अथवा वाणिज्य कला में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त हो । तदनुसार समिति उसके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

**कलाकार के विविध पद**

20.27. कुछेक विभागों में कलाकारों के और पद हैं जिनकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन तथा ललित कला में डिप्लोमा या डिग्री की मानक योग्यता से भिन्न है, जैसे—

(1) वन विभाग में कलाकार-सह-फोटोग्राफर और कलाकार-सह-क्यूरेटर के पद 340—490 रु० के वेतनमान में हैं । इन पदधारियों के लिए मैट्रिकुलेट होना तथा आवश्यक निपुणता और अनुभव अपेक्षित हैं । समिति उनके कार्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

(2) सिंचाई विभाग में 335—555 रु० के वेतनमान में कलाकार-सह-फोटोग्राफर का एक पद है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता फोटोग्राफी की जानकारी सहित मैट्रिकुलेशन है । समिति उनके लिए भी 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

20.28. अभिनव कला और दृश्य कला विषयों के शिक्षकों और अनुदेशकों के भी कई पद हैं । इन पदों पर शिक्षक और अनुदेशक से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है ।

# अध्याय 21

## विज्ञान एवं शोध कार्मिक

21.1. इस अध्याय में प्रयोगशाला कर्मचारियों, टेकनोलॉजिस्टों, केमिस्टों और एनालिस्टों, अर्थशास्त्रियों, योजना और मूल्यांकन कर्मचारियों सहित विज्ञान एवं शोध कार्य में लगे कर्मचारियों की सामान्य कोटियों पर विचार किया गया है।

21.2. समिति को प्रयोगशाला सहायक संघ, प्रयोगशाला टेकनोलॉजिस्ट संघ, भू-विज्ञानी संघ आदि जैसे कई संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों को पढ़ने का मौका मिला और साथ ही उनके प्रतिनिधियों के साथ उनके दावों पर भी विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। समिति को एक नवगठित विज्ञान सेवा संघ से विलम्ब से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ लेकिन इस संघ ने प्रश्नावली का उत्तर समय पर दे दिया था और इसलिये समिति को इस संघ से विचार-विमर्श करने का मौका मिला। संघ के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों में एक सुझाव यह था कि किसी अन्य मुख्य सेवा की तरह विज्ञान सेवा का सृजन किया जाय। दूसरा सुझाव यह था कि विज्ञान में डिग्री धारण करनेवाले सभी विज्ञान कर्मचारियों और अभियंत्रण सेवा के कर्मचारियों के बीच समता लायी जाय और उन्हें प्रवर कोटियां और समयबद्ध प्रोन्नति भी दी जाय। जैसा कि मुख्य सेवाओं वाले अध्याय में समिति कह चुकी है कि विज्ञान कर्मचारियों की इतनी विभिन्न कोटियां हैं और वे इतने पृथक पदों पर बिखरे हुए हैं और इतने विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं कि न तो इन कर्मचारियों के लिए एक ही सेवा गठित करना संभव है और न ऐसे अधिकांश पृथक पदों की एक-दूसरे से तुलना करना ही संभव है। इसलिए इस अध्याय में कुछ ऐसी कोटियों के पदों पर विचार किया गया है जो अनेक विभागों में विद्यमान हैं।

21.3. जहां तक विज्ञान और शोध-कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए समुचित वेतनमान का प्रश्न है समिति ने योजना आयोग द्वारा स्वर्गीय डॉ० जे०सी० घोष की अध्यक्षता में गठित वैज्ञानिकों के पैनेल की सिफारिश पर ध्यान दिया है, जिसने सिफारिश की थी कि विज्ञान कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतनमान ऐसे होने चाहिये जो उत्तम प्रतिभाओं को शोध कार्य की ओर आकृष्ट कर सकें। अन्य क्षेत्रों में समान क्षमता रखनेवाले कर्मचारियों को जो सुअवसर और प्रेरणाएं उपलब्ध हैं वही उन्हें भी उपलब्ध होने चाहियें। विशिष्ट योग्यता रखनेवाले विज्ञान पदाधिकारियों को त्वरित प्रोन्नतियां दी जानी चाहिए। शोध और शिक्षण में लगे व्यक्तियों को कुछ अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए और जहां तक उनके वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों की बात है वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों को कम-से-कम प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारियों के बराबर रखना चाहिए।

21.4. प्रशासनिक और विज्ञान कर्मचारियों के बीच समता रखने के प्रश्न ने अतीत काल में कई वेतन आयोगों और तत्समान निकायों का ध्यान आकृष्ट किया है। उदाहरणार्थ, द्वितीय केंद्रीय वेतन आयोग ने विज्ञान सेवाओं और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बीच समता रखने के प्रश्न पर विचार किया था और कहा था कि—

"विज्ञान सेवाओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्वरूप सामान्यत: प्रशासनिक सेवाओं से काफी भिन्न हैं; आयु, बहाली की पद्धतियों और सेवाओं के ढांचे में भी भिन्नता है। इन भिन्नताओं के कारण मूल्यांकन का एक सामान्य मापदण्ड लागू करने में, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान अपनाने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सुझाव दिया गया है कि विज्ञान सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का ढांचा कमो-बेश स्वतंत्र रूप से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वह इन सेवाओं की अपेक्षाओं की पूर्त्ति कर सके।"

21.5. जहां तक विज्ञान कर्मचारियों में गत्यवरोध से उत्पन्न बहुचर्चित निराशा का प्रश्न है; इस प्रश्न पर भी द्वितीय वेतन आयोग ने भी विचार किया है। आयोग ने इस कठिनाई से उत्पन्न समस्या पर विचार किया है कि ऐसी कोटि में पद संख्या सख्ती से निर्धारित होने के कारण उच्चतर कोटि में अक्सर ऐसी कोई रिक्ति नहीं रहती है, जिस पर एक विशिष्ट योग्यतावाले शोध कार्यकर्त्ता को, उसमें निराशा का संचार होने के पहले, अथवा अपने विषय से अलग किसी उच्चतर वेतन पानेवाले पद की ओर आकृष्ट होने के पूर्व प्रोन्नति दी जा सके। इस आयोग ने, इसलिए एक "विशेष योग्यता-प्रोन्नति की योजना" लागू करने की सिफारिश की। इस समिति ने महसूस किया है कि यह बात कमो-बेश सभी कोटियों के कर्मचारियों के साथ लागू है। समिति ने गत्यवरोध और प्रोन्नति की संभावनाओं से संबंधित अध्याय में इस संबंध में सामान्य सिफारिश की है।

21.6. जहां तक एक वैज्ञानिक सेवा के गठन संबंधी सुझाव का संबंध है, द्वितीय केंद्रीय वेतन आयोग ने निम्नलिखित विचार दिया है:—

"एक संघटित सेवा के लिए आवश्यक है कि इसके सदस्यों की सामान्य योग्यता हो, उनकी एक सामान्य पदक्रमसूची हो और नियुक्ति की पारस्परिक परिवर्त्तनीयता हो। * * * इस अर्थ में एकल विज्ञान सेवा का सृजन असंभव है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में नियुक्ति प्रत्यक्षत: उन शाखाओं में विशिष्ट योग्यताप्राप्त व्यक्तियों के बीच ही सीमित होनी चाहिये। एक भौतिक विज्ञानी और एक प्राणि विज्ञानी की एक सामान्य पदक्रमसूची भी नहीं तैयार की जा सकती है। भौतिक विज्ञान के किसी उच्चतर पद पर नियुक्ति के लिए एक प्राणि विज्ञानी पर स्पष्टत: किसी भी तरह से विचार नहीं किया जा सकता चाहे उसकी सेवा कितने ही दिनों की क्यों न हो अथवा अपने क्षेत्र में उसे कितनी ही विशिष्टतायें क्यों न प्राप्त हों। हां, कई विज्ञान सेवाओं का गठन किया जा सकता है और ऐसी कई सेवाएं पहले से विद्यमान भी हैं। आवश्यकता सिर्फ यह है कि इन सेवाओं में, पारिश्रमिक की दरों, प्रोन्नति की संभावनाओं और सेवा-शर्त्तों में, जहां तक हो सके, एकरूपता लायी जाए।"

21.7. वरीय विज्ञान सेवाओं के लिए तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के खंड 1 के अध्याय 15 में निम्नलिखित सिद्धांतों की सिफारिश की है:—

(1) अधिकांश संघटित केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 की तरह विज्ञान सेवा में भी कनीय श्रेणी-1 में प्रवेश करने के बाद लगभग छठें वर्ष में वरीय वेतनमान में प्रोन्नति होती है।
(2) पद सृजन में लचीलापन अख्तियार किया जाना चाहिए ताकि ऐसे योग्य वैज्ञानिकों के लिए, जो रिक्ति नहीं रहने के कारण अन्यथा रुके रहेंगे, वरीय वेतनमान से अधिक वेतनवाले पद भी आसानी से सृजित किये जा सकें।
(3) ऐसे लचीलापन के फलस्वरूप सृजित उच्चतर पद पदधारियों के लिए वैयक्तिक होने चाहियें।
(4) यद्यपि और उच्चतर कोटियों में इस तरह के लचीलापन की आवश्यकता नहीं है तथापि विशिष्ट योग्यतावाले वैज्ञानिकों को उनके अवदान की स्वीकृति स्वरूप किसी भी विहित उच्चतर श्रेणी में उनकी योग्यता के अनुरूप, वैयक्तिक आधार पर पद सृजित कर प्रोन्नति दी जा सकती है।
(5) किसी खास वैज्ञानिक के अवदान का मूल्यांकन एक खास हद तक की विषयनिष्ठता के साथ किया जाना चाहिये और यह कार्य संस्था के प्रधान और संबद्ध विद्या के विशेषज्ञ को लेकर गठित एक या एक से अधिक समिति को सौंपा जाना चाहिए।

(6) यह सिफारिश किसी मंत्रालय और विभाग के परामर्शी और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित पदों पर लागू नहीं होगी ।

(7) उपयुक्त मामलों में, वरीय श्रेणी-1 केन्द्रीय और कनीय प्रशासनिक कोटि में भी सीधी नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि इसका उपबंध पहले से ही था लेकिन उस उपबंध का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

21.8. यह समिति ऐसी कोटि के कर्मचारियों द्वारा अक्सर प्रकट की जानेवाली नाराजगी और निराशा के प्रति भी जागरूक है, जिनका विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण प्रायोगिक जनशक्ति शोध संस्थान द्वारा "प्रतिभा पलायन" के प्रश्न पर विचार करने के लिये गठित अन्तर्मंत्रालयीय दल ने किया था। इस दल ने 1971 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था—

"अन्यत्र के वेतन ढांचे से संबंधित जानकारी के साथ-साथ आन्तरिक वेतन विषमताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती गई है ।"

**समिति का दृष्टिकोण**

21.9. विज्ञान और शोध कार्मिकों की सेवाओं का महत्त्व अक्सर नजरअंदाज और कम कर दिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों का फल तत्काल सामने नहीं आता और न उनकी उपलब्धियों को उत्पादन के रूप में नापा ही जा सकता है, इसलिये समिति ने विज्ञान और शोध कार्मिकों के लिए अनुशंसित किए जानेवाले वेतनमान पर बहुत ध्यान से विचार किया है। मूल धारा के साथ दैनन्दिन सम्पर्क से वंचित होने के कारण, वे दूसरी कोटि के कर्मचारियों को मिलनेवाली परोक्ष सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं । इसलिए इस कोटि के औसत कार्मिक अपने को उपेक्षित और निराश महसूस करते हैं । हालांकि दूसरी ओर निस्संदिग्ध रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि उनके कार्य परिणाम की समीक्षा तत्काल नहीं की जा सकती, इसलिये उनके कार्यों का मूल्यांकन भी कठिन है। किन्तु समिति महसूस करती है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन कर्मचारियों के साथ उनके वेतनमान, अन्य सुविधाओं और प्रोन्नति की संभावनाओं के मामलों पर भेदमूलक रूख अपनाया जाय। विज्ञान और शोध कार्मिकों के संबंध में समिति की सुस्पष्ट राय है कि —

(1) पृथक-पृथक कार्य के लिये अपेक्षित प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करने लायक एक युक्तिसंगत वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

(2) ऐसे कर्मचारियों के साथ उनके वेतनमान और प्रोन्नति की संभावनाओं सहित अन्य सामान्य सुविधाओं के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ।

(3) चूंकि अलग-अलग कार्य के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं से ही इन लोगों के कार्य का स्वरूप सर्वोत्तम ढंग से जाना जा सकता है, अतः इनके वेतनमान के निर्धारण में योग्यता को एक महत्त्वपूर्ण कसौटी माना जाना चाहिये ।

**विभिन्न पदनामों को सरल एवं चुस्त बनाने की आवश्यकता**

21.10. विज्ञान और शोध कार्मिकों की विभिन्न कोटियों के बीच पदनाम, वेतनमान और विहित न्यूनतम योग्यताओं में काफी विषमता पायी जाती है। इस प्रणाली को सरल एवं चुस्त बनाने की काफी गुंजाइश है। समिति को यह जानकारी है कि लोक-निर्माण विभाग के केंन्द्रीय डिजाइन संगठन के अन्तर्गत नियुक्त विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के बहुसंख्यक पदनामों को सरल एवं चुस्त बना चुका है। उसने उनके लिए निम्नलिखित छः नए पदनाम दिये हैं (देखें संकल्प सं० 1500, ता० 31 अक्तूबर 1979) :—

| पहले के पदनाम | संशोधित पदनाम |
|---|---|
| (1) कनीय शोध सहायक<br>रसायनविद्<br>खाद विश्लेषक (स्लिट एनालिस्ट) | शोध सहायक |
| (2) वरीय शोध सहायक<br>शोध सहायक<br>सहायक शोध पदाधिकारी<br>जीवाणु विज्ञानी | सहायक शोध पदाधिकारी |
| (3) सहायक निदेशक<br>शोध पदाधिकारी<br>कनीय शोध पदाधिकारी<br>सहायक शोध पदाधिकारी | सहायक निदेशक |
| (4) उप-निदेशक<br>वरीय शोध पदाधिकारी | उप-निदेशक |
| (5) अपर निदेशक | अपर निदेशक |
| (6) निदेशक | निदेशक |

21.11. समिति अन्य विभागों और स्थापनाओं से भी यह आशा करती है कि वे अपने-अपने संवर्गों में इसी प्रकार पदनामों को सरल और चुस्त बनाने की कारवाई करेंगे ।

**प्रयोगशाला परिचर (अटेन्डेन्ट)**

21.12. कई विभागों में, प्रयोगशाला सहायकों से भिन्नता रखने के लिए प्रयोगशाला परिचर अथवा ब्वॉय के पद हैं । इन प्रयोगशाला परिचरों को अक्सर बैरा, ब्वॉय, या प्रयोगशाला अनुरक्षक (लेबोरेटरी कीपर) कहा जाता है । इन्हें प्रयोगशाला और प्रयोगशाला की विभिन्न वस्तुओं के रख-रखाव संबंधी सामान्य कार्य सौंपा जाता है । इन प्रयोगशाला परिचरों में से अधिकांश, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, 155—190 रु० के वेतनमान में हैं । समिति इनको अकुशल श्रमिक के बराबर मानती है और उनके लिये 350—425 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है ।

| क्रम सं० । | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | आरक्षी विभाग .. | .. प्रयोगशाला बैरा .. | 155—190 | 350—425 |
| 2 | स्वास्थ्य (औषधि नियंत्रण) | .. प्रयोगशाला ब्वॉय .. | 155—190 | 350—425 |
| 3 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | .. प्रयोगशाला परिचर (बी० सी० ई० )। | 155—190 | 350—425 |
| 4 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | .. प्रयोगशाला ब्वॉय (बी०आई० टी०, सिन्द्री) । | 155—190 | 350—425 |
| 5 | सिंचाई (एच०आर०आई०) | .. प्रयोगशाला परिचर .. | 155—190 | 350—425 |
| 6 | आई० पी० आर० डी० | .. प्रयोगशाला परिचर .. | 155—190 | 350—425 |

21.13. किन्तु, प्रधान प्रयोगशाला परिचरों, वरीय प्रयोगशाला परिचरों और प्रयोगशाला अनुरक्षकों के कुछेक पद 165—204 रु० या 180—242 रु० के उच्चतर वेतनमान में भी हैं, जैसा कि नीचे उल्लिखित है । स्पष्टत: इनका कार्य और उत्तरदायित्व पूर्व वर्णित प्रयोगशाला परिचरों के कार्य और उत्तरदायित्व से उच्च स्तर के हैं । तदनुसार, समिति इनके लिये 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है ।

| क्रम संख्या । | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य विभाग .. | .. प्रधान प्रयोगशाला परिचर .. | 165—204 | 375—480 |
| 2 | शिक्षा विभाग .. | .. प्रयोगशाला चपरासी .. | 165—204 | 375—480 |
| 3 | सिंचाई विभाग .. | .. वरीय प्रयोगशाला परिचर .. | 180—242 | 375—480 |

21.14. किन्तु मत्स्य विभाग में एक प्रयोगशाला परिचर का पद 205—284 रु० के और उच्चतर वेतनमान में है जिसके लिए अपेक्षित योग्यता कम-से-कम मैट्रिकुलेट है। समिति उसके कार्य के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए तथा उस पद के लिये उच्चतर योग्यता के आधार पर उसके लिए 535—765 रु० के उच्चतर वेतनमान की सिफारिश करती है।

**प्रयोगशाला सहायक**

21.15. राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों में विहित शैक्षिक योग्यताओं की दृष्टि से दो योग्यताओं वाले प्रयोगशाला सहायक नियुक्त किए जाते हैं—मैट्रिक और स्नातक। स्नातक प्रयोगशाला सहायकों की जिम्मेवारियां भी अधिक हैं। किन्तु, दुर्भाग्यवश, इन विभिन्न कोटियों के लिए विहित वेतनमानों में भी एकरूपता नहीं है। समिति निम्नांकित मैट्रिक प्रयोगशाला सहायकों के लिए 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कृषि विभाग .. .. | प्रयोगशाला सहायक .. | 180—242 | 535—765 |
| 2 | निगरानी (तकनीकी परीक्षक कोषांग) | प्रयोगशाला सहायक .. | 220—315 | 535—765 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | प्रयोगशाला सहायक .. | 220—315 | 535—765 |
| 4 | पशुपालन विभाग .. .. | प्रयोगशाला सहायक .. | 220—315 | 535—765 |
| 5 | उत्पाद विभाग .. .. | क्षेत्र सहायक-सह-प्रयोगशाला सहायक। | 220—315 | 535—765 |
| 6 | सिंचाई विभाग .. .. | क्षेत्र सहायक-सह-प्रयोगशाला सहायक। | 220—315 | 535—765 |
| 7 | सिंचाई विभाग .. .. | वरीय प्रयोगशाला सहायक .. | 284—372 | 535—765 |

21.16. स्वास्थ्य विभाग में 296—460 रु० के उच्चतर वेतनमान में प्रधान प्रयोगशाला सहायक का एक पद है, जिसके लिए अपेक्षित योग्यता मैट्रिक है। किन्तु चूंकि इस पद के पदधारी को पर्यवेक्षी कार्य करना पड़ता है, इसलिये इन्हें उच्चतर वेतनमान देना ठीक लगता है। समिति इनके लिये 580—860 रु० के उच्चतर वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.17. निम्नांकित कोटियों के प्रयोगशाला सहायकों के लिये अपेक्षित योग्यता स्नातक है और उनसे अधिक जिम्मेवारी वहन करने की अपेक्षा की जाती है और चूंकि उनका कार्य अधिक तकनीकी और अधिक जटिल किस्म का है, इसलिये समिति महसूस करती है कि वे उच्चतर वेतनमान के हकदार हैं। समिति उनके लिये 785—1,210 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लोक-निर्माण विभाग .. | प्रयोगशाला सहायक (स्नातक) | 220—315 | 785—1,210 |
| 2 | शिक्षा विभाग .. .. | प्रयोगशाला सहायक (महिला महाविद्यालय)। | 296—423 | 785—1,210 |
| 3 | शिक्षा विभाग .. .. | प्रयोगशाला सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | आरक्षी विभाग .. .. | प्रयोगशाला सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 5 | विज्ञान और तकनीकी शिक्षा .. | प्रयोगशाला सहायक (एम०आई० टी०)। | 296—460 | 785—1,210 |
| 6 | विज्ञान और तकनीकी शिक्षा .. | प्रयोगशाला सहायक (बी०सी० ई०)। | 296—460 | 785—1,210 |
| 7 | विज्ञान और तकनीकी शिक्षा .. | प्रयोगशाला सहायक (बी०आई० टी०)। | 296—460 | 785—1,210 |
| 8 | विज्ञान और तकनीकी शिक्षा .. | प्रयोगशाला सहायक (पालिटेकनिक)। | 296—460 | 785—1,210 |

21.18. नेतरहाट विद्यालय के प्रयोगशाला सहायक, जिसके लिये अपेक्षित योग्यता स्नातक है, पहले से ही इस विद्यालय के अनेकों अन्य शिक्षण कर्मचारियों की भांति 415—745 रु० के और भी उच्चतर वेतनमान में हैं। स्पष्टत: ऐसा इस विद्यालय के विशेष स्वरूप को देखते हुए ही है। समिति तदनुसार ऐसे प्रयोगशाला सहायक के लिए 850—1,360 रु० के और भी उच्चतर वेतनमान की सिफारिश करती है।

**विज्ञान और तकनीकी सहायक**

21.19. निम्नांकित विभिन्न पदनामों वाले विज्ञान और तकनीकी सहायक 180—242 रु० से 455—840 रु० के विभिन्न वेतनमानों में विभिन्न विभागों में भी नियुक्त हैं। ऐसे कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यताएं भी मात्र साक्षरता से स्नातकोत्तर डिग्री तक की है।

21.20. ऐसे एक ही तकनीकी सहायक का एकमात्र उदाहरण पशुपालन विभाग में मिला है जिनके लिये मात्र साक्षर होना अपेक्षित है। वे 180—242 रु० के वेतनमान में हैं। यह पद अनुभवी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के बीच से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। समिति उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारी के समतुल्य मानती है और उनके लिए 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.21. इस कोटि के निम्नांकित कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रखी गई है और अधिकांश कर्मचारियों को अपने-अपने विषय में संक्षिप्त प्रशिक्षण लेना होता है। समिति इनके लिये 535—765 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य विभाग .. .. | प्रयोगशाला तकनिशियन (अप्रशिक्षित)। | 220—315 | 535—765 |
| 2 | स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया) .. | सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन | 220—315 | 535—765 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग (आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक)। | तकनीकी सहायक .. | 220—315 | 535—765 |
| 4 | स्वास्थ्य विभाग (आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक)। | प्रयोगशाला तकनीशियन .. | 240—396 | 535—765 |
| 5 | स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया) .. | प्रयोगशाला तकनीशियन .. | 240—396 | 535—765 |
| 6 | स्वास्थ्य विभाग (हैजा) .. | प्रयोगशाला तकनीशियन .. | 240—396 | 535—765 |
| 7 | श्रम विभाग .. .. | प्रयोगशाला तकनीशियन .. | 240—396 | 535—765 |

21.22. निम्नांकित तकनीकी सहायकों से अतिरिक्त योग्यता रखने की अपेक्षा की जाती है जो पहले से ही 296—460 रु० के उच्चतर वेतनमान में हैं। इनके कार्य संबंधी उत्तरदायित्व भी अधिक हैं। इसलिए समिति इनके लिये 580—860 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | रु० |
| 1 | शिक्षा विभाग .. .. | तकनीकी सहायक (प्राकृत) .. | 296—460 | 580—860 |
| 2 | उद्योग विभाग .. .. | तकनीकी सहायक (कर्मशाला) .. | 296—460 | 580—860 |

21.23. कृषि विभाग में तकनीकी सहायक का एक पद है, जिसके लिए प्रशिक्षित प्रारूपकार की योग्यता रखी गई है। यह पद 296—423 रु० के वेतनमान में है। संबंधित अध्याय में प्रारूपकारों के लिए अनुशंसित वेतनमान को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिये 680—965 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.24. विज्ञान या तकनीकी सहायक की केवल एक कोटि है जिनके लिए विहित न्यूनतम योग्यता विज्ञान में इन्टरमीडियट है। वे श्रम विभाग के रोग-विज्ञान सहायक हैं। उनका वेतनमान 296—460 रु० है। इस पद की जिम्मेवारियां उपर्युक्त 21.22 कंडिका में उल्लिखित पदों की जिम्मेवारियों से अधिक हैं। समिति उनके लिए भी 620—965 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.25. वित्त विभाग के मुद्रण और लेखन सामग्री निदेशालय में एक तकनीकी सहायक का पद है जिनके लिए यद्यपि सिर्फ मैट्रिक की योग्यता रखी गई है, तथापि उनसे अपने कार्य में 10 वर्षों के अनुभव की अपेक्षा की जाती है। वे 348—570 रु० के वेतनमान में हैं। उनके कार्य के उच्च तकनीकी स्वरूप के कारण समिति उनके लिये 730—1,080 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.26. निम्नांकित कोटियों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री रखी गई है, हालांकि वे लोग तीन विभिन्न वेतनमानों में हैं। उनके द्वारा निष्पादित कार्य भी एक समान हैं। समिति उनके लिये 785—1,210 रु० के एक समान वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम सं०। | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | आरक्षी विभाग .. | तकनीशियन/विज्ञान सहायक .. | 355—555 | 785—1,210 |
| 2 | राज्य अभिलेखागार .. | तकनीकी सहायक .. | 348—570 | 785—1,210 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग (औषध नियंत्रण) | वरीय विज्ञान सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 4 | स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया) .. | वरीय विज्ञान सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 5 | शिक्षा विभाग .. | तकनीकी सहायक (के० पी० जे० संस्थान)। | 400—660 | 785—1,210 |

21.27. सूचना और जन-सम्पर्क विभाग की रेडियो प्रशाखा में भी 400—660 रु० के वेतनमान में तकनीकी सहायक का एक पद प्रोन्नति से भरा जानेवाला पद है। उनके कार्य के स्वरूप को देखते हुए तथा कुछ उपयुक्त पदों के साथ उनकी मौजूदा समता को ध्यान में रखते हुए समिति उनके लिये भी 785—1,210 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.28. श्रम और नियोजन विभाग में 400—660 रु० के वेतनमान में तकनीकी सहायकों के कुछ पद हैं। इन पदों के लिये न्यूनतम योग्यता आनर्स डिग्री है। इन पदों के लिए चयन और नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इस कार्य की उत्कृष्टता को देखते हुए समिति उनके लिये 850—1,360 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

21.29. 415—720 रु० या 415—745 रु० के वेतनमान वाले निम्नांकित तकनीकी सहायकों से अपने कार्यों में दीर्घ अनुभव की आशा की जाती है और तदनुसार वे उच्चतर वेतनमान के हकदार हैं। समिति ऐसी सभी कोटियों के लिए 850—1,360 रु० के एक सामान्य वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | शिक्षा विभाग .. | तकनीकी सहायक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 2 | खनन एवं भूतत्व .. | विज्ञान सहायक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 3 | विज्ञान और तकनीकी शिक्षा .. | तकनीकी सहायक (बी०आई०टी०) | 415—720 | 850—1,360 |
| 4 | विज्ञान और टेकनोलाजी .. | विज्ञान सहायक (बी०आई०टी०) .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 5 | विज्ञान और टेकनोलाजी .. | वरीय तकनीशियन (बी०आई०टी०) | 415—745 | 850—1,360 |
| 6 | मुद्रण और लेखन सामग्री निदेशालय। | तकनीकी निजी सहायक .. | 415—745 | 850—1,360 |

21.30. विज्ञान अथवा तकनीकी सहायकों की कुछ कोटियों के लिए न्यूनतम विहित योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री है, हालांकि जैसा कि नीचे बताया गया है, वे 335—555 रु० से 445—765 रु० के वेतनमान में हैं। समिति महसूस करती है कि इनके लिये जो बहुत ऊंची योग्यता विहित है वह इनके कार्य की अत्यधिक जटिलता का द्योतक है, और इसलिए उन्हें उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए। समिति इनके लिये 880—1,510 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

| क्रम संख्या | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | शिक्षा विभाग .. | तकनीकी सहायक (संग्रहालय) .. | 335—555 | 880—1,510 |
| 2 | आरक्षी विभाग .. | वरीय विज्ञान सहायक .. | 400—660 | 880—1,510 |
| 3 | खनन एवं भूतत्व विभाग .. | भूतत्व सहायक .. | 415—720 | 880—1,510 |
| 4 | लघु सिंचाई .. | भूतत्व सहायक .. | 415—720 | 880—1,510 |
| 5 | लघु सिंचाई .. | भू-भौतिकी सहायक .. | 415—720 | 880—1,510 |
| 6 | शिक्षा विभाग .. | वरीय तकनीकी सहायक (संग्रहालय) | 415—745 | 880—1,510 |
| 7 | आरक्षी विभाग .. | तकनीकी पदाधिकारी .. | 445—765 | 880—1,510 |

21.31. निम्नांकित कर्मचारी विभिन्न कोटियों के पदाधिकारियों के तुल्य वेतनमानों में हैं, और समिति ऐसा महसूस नहीं करती कि उनकी मौजूदा आपेक्षिकता या समता को बिगाड़ा जाय। समिति इनके लिये निम्नांकित तुल्य वेतनमानों की सिफारिश करती है:—

| क्रम सं० । | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | समाज विज्ञानी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 2 | उद्योग विभाग .. | तकनीकी सहायक .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 3 | कृषि विभाग .. | तकनीकी पदाधिकारी (पटसन) .. | 510—1,155 | 880—1,510 |
| 4 | सिंचाई विभाग .. | तकनीकी सहायक .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 5 | आरक्षी विभाग .. | वरीय विज्ञान पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 6 | योजना विभाग .. | तकनीकी पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 7 | उद्योग विभाग .. | तकनीकी विशेषज्ञ .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 8 | खान एवं भूतत्व .. | विज्ञान पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 880—1,510 |
| 9 | कृषि विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |

**रसायनज्ञ एवं विश्लेषक**

21.32. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, विभिन्न पदनामों, विभिन्न न्यूनतम योग्यताओं और विभिन्न वेतनमानों वाले रसायनज्ञों एवं विश्लेषकों (केमिस्ट एवं एनेलिस्ट) के बहुत से पद हैं। उनके लिये विहित न्यूनतम योग्यताओं, कार्य के स्वरूप एवं वर्तमान वेतनमानों को मद्देनजर रखते हुए समिति ने उनके लिये निम्नलिखित उचित वेतनमानों की अनुशंसा की है।

21.33. सिंचाई विभाग के अधीन गेज रीडर-सह-सिल्ट विश्लेषकों के कुछ पद हैं, किन्तु ये पद 180—342 रु० और 205—284 रु० के दो भिन्न वेतनमानों में हैं। उनके लिए कामचलाउ अनुभव के साथ कम-से-कम प्रवेशिकोत्तीर्ण होना आवश्यक है। उनके लिये विहित न्यूनतम योग्यता एवं कार्य के स्वरूप पर विचार करते हुए समिति महसूस करती है कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है। अतः समिति उनके लिये 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.34. खान एवं भूतत्व विभाग में भूतत्व विश्लेषकों (जिओलाजिकल एनेलिस्ट) के पद 335—555 रु० के वेतनमान में हैं। इन पदों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता रसायन शास्त्र में स्नातक डिग्री है और समिति महसूस करती है कि उनकी उच्च योग्यता एवं कार्य के स्वरूप को देखते हुए उनका वर्तमान वेतनमान अपर्याप्त है। समिति उनके लिये 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.35. श्रम एवं नियोजन विभाग में 348—600 रु० के वेतनमान में अन्वेषक-सह-विश्लेषक के कुछ पद हैं। उनके कार्य के स्वरूप एवं वर्तमान वेतनमान को मद्देनजर रखते हुए समिति उनके लिये 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.36. श्रम एवं नियोजन विभाग में 400—660 रु० के वेतनमान में रसायन सहायकों (केमिकल असिस्टेंट) के भी कुछ पद हैं। इन पदों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता रसायन शास्त्र में स्नातक डिग्री तथा उसमें कम-से-कम प्रतिष्ठा अथवा विशिष्टता भी है। इन पदों पर भर्त्ती लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। उनकी उच्च योग्यता एवं कार्य के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए समिति महसूस करती है कि उन्हें उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए। अतः समिति उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.37. कृषि विभाग में 415—720 रु० के वेतनमान में मेकैनिकल परीक्षण सहायक (टेस्टिंग असिस्टेंट) एवं वरीय परीक्षण सहायक के कुछ पद हैं जिनके लिए विहित न्यूनतम योग्यता कृषि अभियंत्रण में स्नातक या डिप्लोमा है। समिति उनके लिये 850—1,360 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.38. परिवार कल्याण संगठन में 335—555 रु० के वेतनमान में सहायक रसायन विश्लेषक के तथा खान एवं भूतत्व विभाग में 415—720 रु० के वेतनमान में रसायनज्ञ के कुछ पद हैं। इनके लिये विहित न्यूनतम योग्यता रसायन शास्त्र अथवा प्रयुक्त रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री है। इन कोटियों के कर्मचारियों के कार्य के जटिल स्वरूप पर समिति ने ध्यान दिया है। उनकी बहुत ऊंची शैक्षिक योग्यता को मद्देनजर रखते हुए, समिति महसूस करती है कि उनके लिये कोई भेदभावपूर्ण वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार समिति उनके लिये 880—1,510 रु० के उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.39. उद्योग विभाग में भी 455—840 रु० के वेतनमान में रसायनज्ञ (केमिष्ट) का पद है। इस पद के लिए रसायन शास्त्र में कम-से-कम स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस पद पर भर्त्ती बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए तथा उद्योग परामर्शी के रूप में उसके विशेष प्रकार के कार्य स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए समिति उनके लिए 940—1,660 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.40. निम्नलिखित कोटि के कर्मचारी पहले से ही राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के वेतनमान में हैं, और समिति को वर्तमान सापेक्षता में किसी प्रकार के परिवर्त्तन का कोई कारण नजर नहीं आता। अतः समिति उनके लिए निम्नलिखित समतुल्य वेतनमानों की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या। | विभाग | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य विभाग, औषध नियंत्रण (ड्रग कंट्रोल)। | लोक विश्लेषक (पब्लिक एनेलिस्ट) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | स्वास्थ्य विभाग (औषध नियंत्रण) | उप-रसायन विश्लेषक (डिप्टी केमिकल एनेलिस्ट)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

| क्रम संख्या। | विभाग | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग, औषध नियंत्रण | वरीय रसायनज्ञ (सीनियर केमिस्ट) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 4 | खान एवं भूतत्व | रसायनज्ञ (केमिस्ट) .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 5 | पशुपालन .. | रसायनज्ञ (केमिस्ट) (बेकन फैक्ट्री) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 6 | उत्पाद विभाग .. | रसायन परीक्षक (केमिकल एक्जामिनर) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 7 | लघु सिंचाई .. | रसायनज्ञ (केमिस्ट) .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 8 | लघु सिंचाई .. | वरीय विश्लेषक (सीनियर ऐनेलिस्ट) | 1,060—1,580 | 1,575—2,300 |

**भूगर्भ विज्ञानी (जिओलाजिस्ट), भूभौतिक शास्त्री (जिओफिजिसिस्ट), जलविज्ञानी (हाइड्रोलाजिस्ट) और शैलविज्ञानी (पिट्रालाजिस्ट)।**

21.41. खान एवं भूतत्व विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग में या तो 510—1,155 रु० के वेतनमान में या 890—1,415 रु० के वेतनमान में, जैसा कि नीचे सूची में दिया गया है, भूगर्भ विज्ञानी, भूभौतिक शास्त्री, जलविज्ञानी और शैल विज्ञानी (पिट्रालोजिस्ट) के कई पद हैं। अन्य बड़ी सेवाओं के साथ उनकी वर्तमान सापेक्षता को मद्देनजर रखते हुए समिति उनके लिये निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या। | विभाग। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | खान एवं भूतत्व .. | भूगर्भ विज्ञानी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | खान एवं भूतत्व .. | भूभौतिक शास्त्री .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | कृषि (मिट्टी संरक्षण) .. | मृदा भौतिकशास्त्री (स्वायल फिजिसिस्ट)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 4 | कृषि (मिट्टी संरक्षण) .. | जलविज्ञानी (हाइड्रोलाजिस्ट) .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 5 | लघु सिंचाई .. | भूगर्भ विज्ञानी .. | 510—1155 | 1,000—1,820 |
| 6 | लघु सिंचाई .. | जल विज्ञानी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 7 | लघु सिंचाई .. | भूभौतिक शास्त्री (जिओफिजिसिस्ट). | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 8 | खान एवं भूतत्व .. | सहायक निदेशक-सह-वरीय भूगर्भ विज्ञानी। | 890—1,415 | 1,350—2,000 |
| 9 | खान एवं भूतत्व .. | शैलविज्ञानी (पिट्रालाजिस्ट) .. | 890—1,415 | 1,350—2,000 |
| 10 | लघु सिंचाई .. | वरीय भूगर्भ विज्ञानी .. | 890—1,415 | 1,350—2,000 |
| 11 | लघु सिंचाई .. | वरीय जलविज्ञानी (हाइड्रोलाजिस्ट) | 890—1,415 | 1,350—2,000 |
| 12 | लघु सिंचाई .. | वरीय भूभौतिक शास्त्री .. | 890—1,415 | 1,350—2,000 |

**अनुसंधान कर्मचारी**

21.42. विभिन्न विभागों में 335—555 रु० से लेकर 620—1,415 रु० तक के विभिन्न वेतनमानों में विभिन्न पदनामों के अनुसंधान कर्मचारी हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। ऐसे अनुसंधान कार्मिकों के लिये विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम-से-कम स्नातक डिग्री है। अत: ऐसे कुछ कोटि के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता है। समिति अनुशंसा करती है कि नीचे की सूची में दिए गए अनुसंधान कर्मचारियों की ऐसी कोटि को जिनके लिये विहित न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री है, 785—1,210 रु० का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय।

| क्रम सं०। | विभाग | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | ग्राम्य अभियंत्रण संगठन .. | अनुसंधान सहायक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 2 | कृषि विभाग .. | कनीय अनुसंधान सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 3 | सिंचाई विभाग .. | अनुसंधान सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 4 | सिंचाई विभाग .. | कनीय अनुसंधान सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | लोक-निर्माण विभाग .. | अनुसंधान सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 6 | निगरानी (तकनीकी परीक्षक कोषांग)। | अनुसंधान सहायक ... | 335—555 | 785—1,210 |
| 7 | योजना विभाग .. | वरीय अनुसंधान सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 8 | पशुपालन .. | गव्य (डेयरी) अनुसंधान सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 9 | पशुपालन .. | कनीय मत्स्यपालन अनुसंधान पदाधिकारी | 400—660 | 785—1,210 |
| 10 | सिंचाई विभाग .. | सहायक अनुसंधान पदाधिकारी .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 11 | सिंचाई विभाग .. | अनुसंधान पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 12 | संसदीय कार्य .. | अनुसंधान सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |

21.43. अनुसंधान कर्मचारियों के निम्नलिखित पद सामान्यतया पूर्वोक्त कोटियों के बीच से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अत:, तदनुसार समिति उनके लिए 850—1,360 रु० के उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कृषि विभाग .. | अनुसंधान सहायक/सहायक अनुसंधान पदाधिकारी। | 400—660 | 850—1,360 |
| 2 | लोक-निर्माण विभाग .. | वरीय अनुसंधान सहायक/सहायक अनुसंधान पदाधिकारी। | 400—660 | 850—1,360 |
| 3 | सिंचाई विभाग .. | अनुसंधान सहायक/सहायक अनुसंधान पदाधिकारी। | 400—660 | 850—1,360 |

21.44. श्रम विभाग के भी अनुसंधान सहायक के पद 400—660 रु० के वेतनमान में है। इन पदों के लिए भी न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री है तथा इन पदों पर भर्त्ती लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। समिति उनके विशिष्ट प्रकार के कार्य को ध्यान में रखकर उन पदों के लिए भी 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

21.45. अनुसंधान सहायक के निम्नलिखित पद जिनके लिये भी अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक डिग्री है, 415—720 रु० या 415—745 रु० के उच्चतर वेतनमान में है। सामान्यत: ये पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। समिति इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए भी 850—1,360 रु० के समान वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कृषि विभाग .. | वरीय परीक्षण सहायक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 2 | कृषि विभाग .. | परीक्षण एवं अनुसंधान सहायक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 3 | लघु सिंचाई .. | वरीय अनुसंधान सहायक .. | 415—745 | 850—1,360 |

21.46. यद्यपि 455—840 रु० के वेतनमान के निम्नलिखित अनुसंधान कर्मचारी भी समान न्यूनतम योग्यता रखते हैं फिर भी उन्हें अपने-अपने विषयों में बहुत लम्बा अनुभव या अतिरिक्त योग्यता होना आवश्यक है। इन पदाधिकारियों के कार्यों का उत्तरदायित्व भी विशिष्ट प्रकृति का है। समिति उनके मौजूदा वेतनमान को मद्देनजर रखते हुए उनके लिये, 880—1,510 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं०। | विभाग। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | रु० |
| 1 | उद्योग विभाग .. | वरीय अनुसंधान पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 2 | सिंचाई विभाग .. | सहायक अनुसंधान पदाधिकारी | 455—840 | 880—1,510 |

21.47. निम्नलिखित कोटियों के अनुसंधान कार्मिकों को अपने-अपने विषयों में कम-से-कम स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है। समिति का विचार है कि उनके कार्य की प्रकृति उच्च कोटि की है, अतएव समिति उनके लिए 880—1,510 रु० के उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं०। | विभाग। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | रु० |
| 1 | राजस्व विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 348—600 | 880—1,510 |
| 2 | राज्य अभिलेखागार .. | अनुसंधान सहायक .. | 400—660 | 880—1,510 |
| 3 | ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास संस्थान, रांची)। | अनुसंधान सहायक .. | 400—660 | 880—1,510 |
| 4 | शिक्षा विभाग .. | अनुसंधान सहायक (पुरातत्व एवं संग्रहालय)। | 415—745 | 880—1,510 |
| 5 | शिक्षा विभाग .. | अनुसंधान सहायक (अरबी एवं फारसी संस्थान)। | 415—745 | 880—1,510 |
| 6 | शिक्षा विभाग .. | अनुसंधान सहायक (राष्ट्रभाषा परिषद्)। | 415—745 | 880—1,510 |
| 7 | कल्याण विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |

21.48. निम्नलिखित कोटियों के अनुसंधान पदाधिकारी 510—1,155 रु०, 610—1,155 रु० या 620—1,415 रु० के वेतनमानों में हैं। समिति के समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अन्य प्रमुख सेवाओं के विभिन्न स्तरों के साथ उनके मौजूदा वेतनमान की सापेक्षता में कोई परिवर्त्तन करे। समिति उनके लिए निम्नलिखित समतुल्य वेतनमानों की अनुशंसा करती है :—

| क्रम सं०। | विभाग। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वित्त विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | योजना विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | योजना विभाग .. | कनीय अनुसंधान पदाधिकारी (सांख्यिकी)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 4 | शिक्षा विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी (राष्ट्रभाषा परिषद्)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 5 | शिक्षा विभाग .. | अनुसंधान अध्येता (फेलो) (अनुसंधान संस्थान, वैशाली)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 6 | शिक्षा विभाग .. | अनुसंधान अध्येता (फेलो) (के० पी० जायसवाल संस्थान)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 7 | उद्योग विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 8 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, सामान्य रोग। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 9 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, यक्ष्मा (टी० बी०)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 10 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, कुक्कटपालन | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 11 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, सांख्यिकी | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 12 | पशुपालन विभाग .. | सहायक रिन्डरपेस्ट उन्मूलन पदाधिकारी। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 13 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, जैव उत्पादन, पटना/रांची। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 14 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी [गुणवत्ता (क्वालिटी) नियंत्रण]। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 15 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, टिशू कल्चर | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 16 | सिंचाई विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 17 | लोक-निर्माण विभाग .. | सहायक निदेशक, अनुसंधान .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 18 | आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथी | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 |
| 19 | कृषि विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 20 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी, जिनेटिक्स | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 21 | पशुपालन विभाग .. | जिनेटिक्स अनुसंधान पदाधिकारी (पारासाइटोलॉजी) । | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 22 | पशुपालन विभाग .. | वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (पैथोलॉजी) । | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 23 | पशुपालन विभाग .. | वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (जैव उत्पादन) । | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 24 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदा० (रिन्डरपेस्ट) | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 25 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदा० (पोषाहार).. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 26 | पशुपालन विभाग .. | अनुसंधान पदाधिकारी (जीवाणु विज्ञान) (बैक्टिरियोलॉजी) | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 27 | श्रम विभाग .. | सहायक निदेशक .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |

**अर्थशास्त्री**

21.49. कृषि, मत्स्यपालन एवं उद्योग विभाग में अर्थशास्त्री के कुछ पद हैं । उन सभी के लिए उच्च योग्यता, कम-से-कम स्नातक डिग्री और कुछ में स्नातकोत्तर डिग्री अपेक्षित है । समिति उनके कार्य के स्वरूप और उच्च योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप वेतनमानों का प्रस्ताव करती है ।

21.50. उद्योग विभाग में आर्थिक अनुसंधानकर्त्ता का एक पद है, जिसकी विहित न्यूनतम योग्यता अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी या वाणिज्य के साथ स्नातक डिग्री है । वह सम्प्रति 400—660 रु० के वेतनमान में है । समिति उनके लिए 785—1,210 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

21.51. उसी विभाग में 620—1,415 रु० के उच्चतर वेतनमान में खनिज अर्थशास्त्री का भी एक पद है । इस पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यता माइनिंग इंजिनीयरिंग में डिग्री है और इस पद की पूर्त्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा होती है । इस पद की वर्त्तमान सापेक्षता में परिवर्त्तन का कोई कारण नहीं है । समिति उनके लिए 1,350—2,000 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

21.52. मत्स्यपालन विभाग में भी उसी वेतनमान में एक मत्स्य अर्थशास्त्री का पद है, जिस पर नियुक्ति पशुपालन सेवा की श्रेणी II से प्रोन्नति द्वारा होती है । समिति उसके लिए 1,350—2,000 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

21.53. उद्योग विभाग में 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में उद्योग अर्थशास्त्री का एक पद है । इस पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यता अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम-से-कम पांच वर्षों का अनुभव भी है । ऐसे पदों की पूर्त्ति बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा होती है । यह अपने आपमें एक बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए काफी विशेषज्ञता अपेक्षित है । समिति उसके लिए 1,575—2,300 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है ।

21.54. कृषि विभाग के अन्तर्गत 1,340—1,870 रु० के और भी उच्चतर वेतनमान में विपणन अर्थशास्त्री का भी एक पद है। इस पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यता कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पद की पूर्ति ऐसी योग्यता रखनेवाले उपयुक्त पदाधिकारियों के बीच से प्रोन्नति द्वारा की जाती है। इस पद के कर्त्तव्यों में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और व्यावसायिक कुशलता की अपेक्षा निहित है। समिति उसके लिए 1,900—2,500 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**योजना और मूल्यांकन पदाधिकारी**

21.55. राज्य सरकार के कतिपय विभागों में कुछेक ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके जिम्मे योजना और मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। उनके कार्य की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि उन पदों पर चयन के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा है। समिति ने यह भी पाया है कि ऐसे पदों के लिए न केवल विहित न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री, प्राय: प्रशिक्षण के साथ है, बल्कि उनमें से अधिकांश को राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के समकक्ष वेतनमान भी दिया गया है। समिति ने अनवर्ती कंडिकाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता, कार्य की प्रकृति एवं मौजूदा वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उचित वेतनमानों की अनुशंसा की है।

21.56. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कनीय योजना पदाधिकारी के कई पद हैं जो अवर-शिक्षा सेवा के सदस्य होते हैं और जिनके लिए कम-से-कम प्रशिक्षित स्नातक की योग्यता आवश्यक है। वे 415—745 रु० के वेतनमान में हैं। समिति उनके लिए वही वेतनमान अनुशंसित करती है जिसकी अनुशंसा अवर-शिक्षा सेवा के लिए की गई है अर्थात् 850—1,360 रु०।

21.57. योजना और उद्योग विभाग में निम्नलिखित पदाधिकारी 510—1,155 रु० के वेतनमान में हैं। उनके लिए अपने-अपने काम के अनुभव या बिना अनुभव के साथ विनिर्दिष्ट विषयों जैसे अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी या वाणिज्य में कम-से-कम स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री का होना आवश्यक है। ऐसे सभी पदों पर भरती लोक सेवा आयोग की सहमति से की जाती है। समिति को राज्य सेवाओं की आधारभूत कोटि में पदाधिकारियों के साथ उनकी वर्त्तमान समता में हेर-फेर करने का कोई कारण नहीं दिखता और, तदनुसार, ऐसे सभी पदाधिकारियों के लिए समिति 1,000—1,820 रु० का वेतनमान अनुशंसित करती है।

| क्रम संख्या। | विभाग। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | योजना विभाग .. | योजना पदाधिकारी .. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | योजना विभाग .. | मूल्यांकम पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | उद्योग विभाग .. | योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी। .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 4 | उद्योग विभाग .. | योजना-सह-सर्वेक्षण पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

21.58. योजना विभाग में योजना पदाधिकारी के कुछ ऐसे पद भी है, जो इससे भी उच्चतर वेतनमान, 620—1,415 रु० में हैं। ये पद पूर्वोक्त योजना और मूल्यांकन पदाधिकारी के पदों के बीच से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अत: समिति उनके लिए 1,350—2,000 रु० का वेतनमान अनुशंसित करती है।

# अध्याय 22

## सर्वेक्षक और प्रारूपक

22.1. इस अध्याय में सामान्य कोटि के अमीनों, सर्वेक्षकों, अनुरेखकों, नील-चित्रकों और प्रारूपकों इत्यादि पर विचार किया गया है, जो राज्य सरकार के बहुतेरे विभागों में नियोजित हैं। समिति को ऐसी कोटि के कर्मचारियों का

प्रतिनिधित्व करनेवाली बहुत-सी संस्था का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ और उनके साथ उनके दावों पर विचार-विमर्श करने का भी अवसर मिला। ऐसे कर्मचारियों की मुख्य शिकायत यह रही है कि खासकर अमीन, सर्वेक्षक और प्रारूपक के मामले में एक ही कोटि, एक ही योग्यता और काम की प्रवृति एक होने पर भी उन्हें बहुत-से वेतनमानों में रखा गया है। समिति पाती है कि इनके वेतनमानों की बहुविधता को कम करने और उसे सुप्रवाहित बनाने के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति और विसंगति निराकरण समिति द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद खासकर अमीनों, अनुरेखकों, सर्वेक्षकों और प्रारूपकों के मामले में स्थिति विसंगतिपूर्ण बनी ही रही, जैसा कि आगे की कंडिकाओं से स्पष्ट होगा।

**नील-चित्रक (ब्लू प्रिन्टर्स)**

22.2. नील-चित्रकों के पदों की सूचना छः विभिन्न विभागों, अर्थात् लोक-निर्माण विभाग, लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, नगर निवेश विभाग और भू-संरक्षण विभाग से मिली है। सभी पद 180—242 रु० के वेतनमान में हैं। नील-चित्रक के काम की प्रकृति को देखते हुए उनके लिए नील-चित्रक का ज्ञान, अनुभव या अभ्यास के अलावे किसी विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक नहीं जान पड़ता, यद्यपि कुछ विभागों ने ऐसे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण रखने का उल्लेख किया है। समिति समझती है कि नील-चित्रकों को कुशल कामगार मानकर उन्हें 400—540 रु० के वेतनमान में रखा जाना चाहिए।

**अमीन**

22.3. अमीन के पदों की सूचना निम्नलिखित विभागों या स्थापनाओं से मिली है:—

| क्रम संख्या। | विभाग। | वर्त्तमान वेतनमान। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु० |
| 1 | नगर निवेशन विभाग .. | 190—254 |
| 2 | योजना (सांख्यिकी और मूल्यांकन) | 190—254 |
| 3 | वन विभाग .. .. | 190—254 |
| 4 | भू-संरक्षण विभाग .. .. | 190—254 |
| 5 | सिंचाई विभाग .. .. | 190—254 |
| 6 | लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | 190—254 |
| 7 | राजस्व विभाग .. .. | 190—254 |
| 8 | हजारीबाग समाहरणालय .. | 190—254 |
| 9 | नालन्दा समाहरणालय .. | 190—254 |
| 10 | गया समाहरणालय .. | 190—254 |
| 11 | गिरीडीह समाहरणालय .. | 190—254 |
| 12 | धनबाद समाहरणालय .. | 190—254 |
| 13 | मुजफ्फरपुर समाहरणालय .. | 190—254 |
| 14 | गोपालगंज समाहरणालय .. | 190—254 |
| 15 | पूर्वी चम्पारण समाहरणालय .. | 190—254 |
| 16 | वैशाली समाहरणालय .. | 190—254 |
| 17 | मधुबनी समाहरणालय .. | 190—254 |
| 18 | बेगुसराय समाहरणालय .. | 190—254 |
| 19 | भागलपुर समाहरणालय .. | 190—254 |
| 20 | मुंगेर समाहरणालय .. | 190—254 |
| 21 | संथाल परगना समाहरणालय .. | 190—254 |
| 22 | सहरसा समाहरणालय .. | 190—254 |
| 23 | पूर्णियां समाहरणालय .. | 190—254 |
| 24 | कटिहार समाहरणालय .. | 190—254 |
| 25 | रांची समाहरणालय .. | 190—254 |
| 26 | रोहतास समाहरणालय .. | 205—284 |
| 27 | नवादा समाहरणालय .. | 205—284 |
| 28 | राजस्व विभाग .. .. | 205—284 |

22.4. समिति पाती है कि अमीन के लिए दो भिन्न वेतनमान प्रचलित है, अर्थात् 190—254 रु० और 205—284 रु०। इन दो भिन्न वेतनमानों का मूलाधार तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा प्रतीत होती है, जिसने अप्रवेशिकोत्तीर्ण (नन-मैट्रिक) अमीन के लिए निम्न वेतनमान और प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन के लिए उच्चतर वेतनमान का प्रस्ताव दिया था। समिति के समक्ष लाये गए तथ्यों से यह पता चलता है कि प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन भी अभी निम्न वेतनमान में बने हुए हैं। संभवतः इसका कारण यही है कि उसके बाद से अधिकांश विभागों ने अमीन के लिए विहित न्यूनतम योग्यता बढ़ाकर, अमानत में छः महीने के सामान्य प्रशिक्षण के साथ, प्रवेशिकोत्तीर्ण कर दिया है। संघों ने इन दो तर्कों के आधार पर कि अधिकांश विभागों में अमीन के लिए विहित न्यूनतम योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण है और प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन एवं अप्रवेशिकोत्तीर्ण (नन-मैट्रिक) अमीनों के काम या प्रशिक्षण की प्रकृति में कोई अन्तर नहीं है, ऐसे भेदभाव को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की है। राज्य सरकार के कई विभागों ने भी इस आधार पर कि अब सभी अमीनों के लिए अपेक्षित योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण हो गई है, उनके लिए समान वेतनमान की मांग की है। समिति समझती है कि विसंगति निराकरण समिति के सोचने की प्रवृति भी यही रही है कि वह इन कोटियों के कर्मचारियों के बीच सिर्फ योग्यता के आधार पर अर्थात् अप्रवेशिकोत्तीर्ण (नन-मैट्रिक) और प्रवेशिकोत्तीर्ण के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाय। अतः समिति महसूस करती है कि सभी अमीनों को एक ही वेतनमान में रखा जाए और उनके लिए 535—765 रु० का वेतनमान अनुशंसित करती है।

**अनुरेखक**

22.5. अनुरेखक के पदों की सूचना निम्नलिखित विभागों और स्थापनाओं से मिली है :—

| क्रम संख्या। | विभाग। | वर्तमान वेतनमान। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु० |
| 1 | परिवहन (जल परिवहन प्रमंडल) .. | 190—254 |
| 2 | विद्युत विभाग .. .. | 190—254 |
| 3 | खान विभाग .. .. | 190—254 |
| 4 | वन विभाग .. .. | 190—254 |
| 5 | कृषि विभाग .. .. | 190—254 |
| 6 | पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग .. | 190—254 |
| 7 | सिंचाई विभाग .. .. | 190—254 |
| 8 | योजना एवं विकास विभाग .. | 190—254 |
| 9 | भू-संरक्षण विभाग .. .. | 205—284 |
| 10 | लोक-निर्माण विभाग .. | 205—284 |
| 11 | लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | 205—284 |
| 12 | वाणिज्यकर विभाग .. | 205—284 |
| 13 | सिंचाई विभाग .. .. | 205—284 |
| 14 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | 205—284 |
| 15 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | 205—284 |
| 16 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | 205—284 |
| 17 | ईख विभाग .. .. | 205—284 |
| 18 | कृषि विभाग .. .. | 205—284 |
| 19 | विद्युत विभाग .. .. | 205—284 |
| 20 | नगर विकास विभाग (नगर निवेशन संगठन)। | 205—284 |
| 21 | लघु सिंचाई विभाग.. .. | 205—284 |
| 22 | ग्राम्य अभियंत्रण संगठन .. | 205—284 |

22.6. अनुरेखक के लिए न्यूनतम योग्यता अनुरेखन का ज्ञान, अनुभव या अभ्यास है, यद्यपि कई विभागों ने अनुरेखक के लिए न्यूनतम योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण विहित की है। एक विभाग, अर्थात् लघु सिंचाई विभाग का कहना है कि अनुरेखक को आई० टी० आई० प्रशिक्षित होना चाहिए और दूसरे विभाग, यानी नगर निवेशन विभाग, का कथन है कि कम-से-कम वास्तुशिल्प (आर्किटेक्चर) के डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष पूरा किया हुआ अवश्य होना चाहिए।

22.7. परम्परागत रूप से अनुरेखक वेतनमान के मामले में अमीन के बराबर समझे जाते रहे हैं। जब तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने अप्रवेशिकोत्तीर्ण (नन-मैट्रिक) और प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीनों के लिए दो भिन्न वेतनमान विहित किया और अनुरेखक के लिए अप्रवेशिकोत्तीर्ण (नन-मैट्रिक) अमीन के लिए निर्धारित निम्न वेतनमान विहित किया तो अनुरेखकों ने विसंगति निराकरण समिति को अभ्यावेदन दिया। उक्त समिति ने अनुभव किया कि अनुरेखकों को प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन के लिए विहित उच्चतर वेतनमान अर्थात 205—284 रु० का वेतनमान दिया जाए। जैसा कि उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि विसंगति निवारण समिति की अनुशंसाओं के बावजूद कम-से-कम सात विभागों में अनुरेखक (ट्रेसर) का वेतनमान निम्न-स्तर अर्थात् 190 रु० से 254 रु० बना हुआ है। समिति ने पाया है कि अनुरेखक चार विभिन्न वेतनमानों में हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। समिति ने इसके लिए 535—765 रु० के एक सामान्य वेतनमान की अनुशंसा की है।

22.8. विद्युत विभाग में अनुरेखक का एक पद 296—460 रु० के उच्चतर वेतनमान में है, जो स्पष्टतः इस पद के विशेष स्वरूप और दायित्व को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इसलिए समिति ने अनुरेखक के लिए 580—860 रु० का वेतनमान अनुशंसित किया है।

**सर्वेक्षक (सर्वेयर)**

22.9. सर्वेक्षक का पद अमीन से ऊपर होता है। नीचे से प्रोन्नति द्वारा चुने जानेवाले सर्वेक्षकों को छोड़कर इनके लिए कम-से-कम योग्यता मैट्रिक है। उनमें से कितनों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) में विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है। एक विभाग अर्थात् सिंचाई विभाग ने सर्वेक्षक के पद के संबंध में सूचना दी है कि इस पद के लिए मात्र पढ़ने-लिखने की योग्यता आवश्यक है। जैसा कि आगे की विवरणी से पता चलेगा, उसके पदनाम, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं और वेतनमान में भी कोई समानता नहीं है। दरअसल समिति को यह जानकार आश्चर्य हुआ है कि अभी वे लोग आठ विभिन्न वेतनमानों में अर्थात् 190—254 रु० से लेकर 335—555 रु० के वेतनमानों में हैं। सर्वेक्षक के संबंध में, जो संघ या लोग प्रतिनिधित्व करने आए, उन्होंने एक ही प्रकार के काम और एक ही योग्यता के लिए विभेदक वेतनमान का आरोप लगाया है। उनके इस कथन में काफी दम दिखाई पड़ता है। समिति का विचार है कि सरल और कारगर बनाकर इन पदों को निम्नलिखित तीन कोटियों में रखा जाना चाहिए :—

(1) ऐसे सभी सर्वेक्षक, जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विशेष प्रशिक्षण लेना अपेक्षित नहीं हो, भले ही वे मैट्रिक पास हों या नहीं, एक ही वेतनमान में रखे जाएं। समिति उनके लिए 580—860 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(2) ऐसे सभी सर्वेक्षकों को, जिन्हें मैट्रिक पास करने के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विशेष प्रशिक्षण लेना था, सर्वेक्षण में डिप्लोमा हासिल करना होता हो अथवा जो अपने पर्यवेक्षीय कर्त्तव्यों के कारण पहले से ही अपेक्षाकृत उच्च वेतनमान में हों, उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए। समिति ऐसे लोगों के लिए 680—965 रु० का वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(3) भूतत्व विभाग, मत्स्य विभाग आदि में नियोजित विशेष कोटि के सर्वेक्षकों को अपनी योग्यता और कर्त्तव्य के स्वरूप के आधार पर उचित वेतनमान दिया जाना चाहिए।

22.10. विभिन्न विभागों या स्थापनाओं द्वारा उचित भिन्न-भिन्न कोटियों के सर्वेक्षकों के लिए निम्न वेतनमान अनुशंसित किया जाता है:—

| क्रम संख्या। | विभाग। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लघु सिंचाई .. | .. सर्वेक्षक .. | .. 165—204 | 580—860 |
| 2 | सिंचाई विभाग .. | .. सर्वेक्षक (परिमापक) | .. 190—254 | 580—860 |
| 3 | मुजफ्फरपुर समाहरणालय | .. सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 4 | पूर्वी चम्पारण समाहरणालय | .. सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 5 | धनबाद समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 6 | मधुबनी समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 7 | मुंगेर समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 8 | नालन्दा समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 9 | सिवान समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 10 | लोक-कार्य विभाग (प्रारुपक एवं रेखांकन कर्मचारी) | सर्वेक्षक .. | .. 205—284 | 580—860 |
| 11 | भू-संरक्षण विभाग .. .. | कनीय सर्वेक्षक | .. 220—315 | 580—860 |
| 12 | सिंचाई विभाग .. .. | परिमापक .. | .. 220—315 | 580—860 |
| 13 | राजस्व विभाग .. .. | सर्वेक्षक निरीक्षक | .. 220—315 | 580—860 |
| 14 | रांची समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 220—315 | 580—860 |
| 15 | साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग .. | सर्वेक्षक .. | .. 220—315 | 580—860 |
| 16 | राजस्व विभाग .. .. | सर्वेक्षक मुन्सरीम | .. 220—315 | 580—860 |
| 17 | भागलपुर समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 220—315 | 580—860 |
| 18 | राजस्व विभाग .. .. | चकबन्दी निरीक्षक-सह-सर्वेक्षण निरीक्षक। | 220—315 | 580—860 |
| 19 | राजस्व विभाग .. .. | सांरेखक (ट्रैवर्सर) | .. 220—315 | 580—860 |
| 20 | पूर्णियां समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 220—315 | 580—860 |
| 21 | गया समाहरणालय .. | सर्वेक्षक .. | .. 220—315 | 580—860 |
| 22 | सिंचाई विभाग .. .. | सर्वेक्षक .. | .. 240—396 | 680—965 |
| 23 | राजस्व विभाग .. .. | वरीय सांरेखक (ट्रैवर्सर) | .. 284—372 | 680—965 |
| 24 | राजस्व विभाग .. .. | प्रधान सर्वेक्षण निरीक्षक | .. 240—396 | 680—965 |
| 25 | भू-संरक्षण विभाग .. .. | वरीय सर्वेक्षक .. | .. 296—423 | 680—965 |
| 26 | नगर निवेशन विभाग .. | सर्वेक्षण सहायक | .. 296—423 | 680—965 |
| 27 | भूतत्व विभाग .. .. | सर्वेक्षक .. | .. 335—555 | 730—1,050 |
| 28 | मत्स्य विभाग .. .. | सर्वेक्षक .. | .. 296—460 | 785—1,210 |

**प्रारूपक**

22.11. अक्सर प्रारूपक की बहाली नीचे से प्रोन्नति द्वारा अथवा अमानत या प्रारूपण में विशेष योग्यता या प्रशिक्षण प्राप्त तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या उसी प्रकार के किसी अन्य संस्थान में 2-3 वर्षों का प्रशिक्षण-प्राप्त, प्रारूपण-प्रमाण-पत्रधारी या डिप्लोमाधारी मैट्रिकुलेट उम्मीदवारों में से सीधी भरती द्वारा की जाती है। नीचे जो विवरणी संकलित की गई है उसमें विभिन्न विभागों या स्थापनाओं द्वारा सूचित प्रारूपक के पदनाम या न्यूनतम योग्यता में एकरूपता नहीं है। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने प्रारूपक के लिए चार भिन्न-भिन्न वेतनमान अर्थात् गैर योग्यता प्राप्त प्रारूपक के लिए 220—315 रु० प्रारूपक श्रेणी-2 के लिए 240—396 रु०, प्रारूपक श्रेणी-1 के लिए 296—423 रु० और वरीय कोटि प्रारूपक के लिए 415—720 रु० का वेतनमान अनुशंसित किया था। किन्तु निम्नलिखित विवरणी में 190—254 रु० से लेकर 415—745 रु० तक कम-से-कम 10 भिन्न-भिन्न वेतनमान दिखलाये गये हैं। वस्तुतः अभी भी कई ऐसे प्रारूपक के दृष्टांत हैं जो तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित 220—315 रु० के न्यूनतम वेतनमान से भी कम वेतनमान में हैं। निश्चय ही यह एक विसंगति है जिसके विरुद्ध प्रारूपक के प्रतिनिधि संघ या व्यक्ति ने उचित विरोध किया है।

22.12. समिति महसूस करती है कि प्रारूपक का दर्जा सर्वेक्षक से बेहतर होना चाहिए और परम्परा से ऐसा है भी। उनके कर्त्तव्य और दायित्व के स्वरूप को देखते हुए वेतनमान के मामले में प्रारूपक को कनीय अभियंता के निकट लाया जाना चाहिए। इसलिए समिति प्रारूपक के लिए कम-से-कम 680—965 रु० का वेतनमान अनुशंसित करती है।

22.13. समिति यह भी महसूस करती है कि वेतनमान के मामले में प्रारूपक को दो से अधिक वर्गों में रखने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार समिति ऐसे प्रारूपक के लिए, जो पहले से ही 415—720 रु० या 415—745 रु० के वेतनमान में हैं, उच्चतर वेतनमान प्रस्तावित करती है। उनका काम बहुत ही तकनीकी है। ये पद प्रोन्नति द्वारा भी भरे जाते हैं। समिति उनके लिए 850—1,360 रु० का वेतनमान अनुशंसित करती है।

22.14. समिति के सामने भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के प्रारूपक का अकेला केस आया है जो 400—660 रु० के वेतनमान में है। यह वेतनमान अधिकांश प्रारूपकों के वेतनमान से काफी है। समिति यह महसूस करती है कि इन दोनों वर्गों में से किसी के साथ इसका आमेलन नहीं किया जा सकता। इसलिए समिति उसके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

22.15. विभिन्न विभागों और स्थापनाओं के अधीन प्रारूपकों के लिए अनुशंसित वेतनमान निम्न प्रकार है :—

| क्रम सं०। | विभाग। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | मुंगेर समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 190—254 | 680—965 |
| 2 | राजस्व विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 205—284 | 680—965 |
| 3 | पूर्णियां समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 205—284 | 680—965 |
| 4 | भागलपुर समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 205—284 | 680—965 |
| 5 | पूर्वी चम्पारण समाहरणालय | प्रारूपक .. .. | 205—284 | 680—965 |
| 6 | सिंहभूम समाहरणालय .. | प्रारूपक .. | 205—284 | 680—965 |
| 7 | रांची समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 8 | सिंचाई विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 9 | सिंचाई विभाग .. | अमीन-सह-प्रारूपक .. | 220—315 | 680—965 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 10 | राजस्व विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 11 | राजस्व विभाग (सर्वेक्षण कार्यालय), गुलजारबाग । | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 12 | पलामू समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 13 | गया समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 14 | मुजफ्फरपुर समाहरणालय | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 15 | सिंहभूम समाहरणालय (भू-अर्जन) । | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 16 | कृषि विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 17 | राज्य योजना पर्षद् .. | प्रारूपक .. .. | 220—315 | 680—965 |
| 18 | पशुपालन विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 284—372 | 680—965 |
| 19 | सिंचाई विभाग .. | सर्वेक्षक-सह-प्रारूपक .. | 284—372 | 680—965 |
| 20 | राजस्व विभाग .. | प्रधान प्रारूपक .. | 284—372 | 680—965 |
| 21 | मुजफ्फरपुर समाहरणालय | प्रारूपक-सह-सर्वेक्षक .. | 284—372 | 680—965 |
| 22 | रांची समाहरणालय .. | सर्वेक्षक-सह-प्रारूपक .. | 284—372 | 680—965 |
| 23 | पूर्वी चम्पारण समाहरणालय | सर्वेक्षक-सह-प्रारूपक .. | 284—372 | 680—965 |
| 24 | धनबाद समाहरणालय .. | प्रारूपक .. .. | 284—372 | 680—965 |
| 25 | मुंगेर समाहरणालय .. | सर्वेक्षक-सह-प्रारूपक .. | 284—372 | 680—965 |
| 26 | गया समाहरणालय .. | सर्वेक्षक-सह-प्रारूपक .. | 284—372 | 680—965 |
| 27 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (सायंस एण्ड टेकनौलौजी डिपार्टमेंट) । | प्रारूपक, खनन, बी० आइ० टी० । .. | 240—396 | 680—965 |
| 28 | राजस्व विभाग .. | वरीय प्रारूपक .. | 240—396 | 680—965 |
| 29 | विद्युत विभाग .. | वरीय प्रारूपक .. | 240—396 | 680—965 |
| 30 | सिंचाई विभाग .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 31 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |
| 32 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक-सह-अनुरेखक .. | 240—396 | 680—965 |
| 33 | लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |
| 34 | लोक-निर्माण विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |
| 35 | ग्राम्य अभियंत्रण .. .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |
| 36 | खनन विभाग .. .. | प्रारूपक .. | 240—396 | 680—965 |
| 37 | वन विभाग .. .. | प्रारूपक .. | 240—396 | 680—965 |
| 38 | भूतत्व विभाग .. .. | प्रारूपक .. | 240—396 | 680—965 |
| 39 | नगर निवेशन विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |
| 40 | लघु सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-2 .. | 240—396 | 680—965 |
| 41 | लोक-निर्माण विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 42 | राजस्व विभाग .. .. | प्रधान प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 43 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 44 | लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | प्रधान प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 45 | लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | सहायक प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 46 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 47 | श्रम विभाग .. .. | प्रारूपक-सह-अनुरेखक .. | 296—423 | 680—965 |
| 48 | कृषि विभाग .. .. | प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 49 | विद्युत विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 50 | ग्राम्य अभियंत्रण विभाग.. .. | प्रधान प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 51 | ग्राम्य अभियंत्रण विभाग.. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 52 | नगर निवेशन विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 53 | शिक्षा विभाग .. .. | कनीय प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 54 | भू-संरक्षण विभाग .. .. | प्रारूपक .. .. | 296—423 | 680—965 |

| क्रम संख्या। | विभाग। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 55 | मत्स्य विभाग .. .. | प्रारूपक .. .. | 296—423 | 680—965 |
| 56 | लघु सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—423 | 680—965 |
| 57 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 296—423 | 680—965 |
| 58 | परिवहन विभाग (जल परिवहन प्रमंडल) | प्रारूपक .. .. | 296—423 | 680—965 |
| 59 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 296—460 | 680—965 |
| 60 | विद्युत विभाग .. .. | प्रारूपक .. .. | 296—460 | 680—965 |
| 61 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक श्रेणी-1 .. | 296—460 | 680—965 |
| 62 | शिक्षा विभाग .. .. | फोटोग्राफर-सह-प्रारूपक .. | 296—460 | 680—965 |
| 63 | शिक्षा विभाग .. .. | वरीय प्रारूपक .. | 296—460 | 680—965 |
| 64 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक-सह-सर्वेक्षक .. | 296—460 | 680—965 |
| 65 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक-सह--प्राक्कलक .. | 296—460 | 680—965 |
| 66 | वन विभाग .. .. | सर्वेक्षक प्रारूपक .. | 296—423 | 680—965 |
| 67 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | प्रारूपक बी० सी० ई० .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 68 | लोक-निर्माण विभाग .. .. | वास्तुशिल्पीय प्रारूपक (आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन)। | 415—720 | 850—1,360 |
| 69 | सिंचाई विभाग .. .. | वास्तुशिल्पीय प्रारूपक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 70 | सिंचाई विभाग .. .. | प्रारूपक वरीय कोटि .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 71 | कृषि विभाग .. .. | यांत्रिक प्रारूपक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 72 | लघु सिंचाई विभाग .. .. | यांत्रिक प्रारूपक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 73 | नगर निवेशन विभाग .. .. | नगर निवेशन प्रारूपक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 74 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | प्रारूपक अनुदेशक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 75 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .. | प्रारूपक .. .. | 415—745 | 850—1,360 |

**प्राक्कलक और उप-प्राक्कलक**

22.16. मात्र विद्युत् विभाग से 240—396 रु० के वेतनमान में एक उप-प्राक्कलक के पद की सूचना मिली है। उसके लिए प्रारूपक का आवश्यक प्रशिक्षण और योग्यता अपेक्षित है। इसलिए समिति उसके लिए 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

22.17. विद्युत्, लघु सिंचाई और लोक-निर्माण विभागों से 335—555 रु० के वेतनमान में प्राक्कलकों के पद की सूचना मिली है। प्राक्कलकों की प्रोन्नति या तो प्रारूपक या उप-प्राक्कलक के पद से होती है या कनीय अभियंता, जिन्हें पहले ओवरसीयर कहा जाता था, बनते हैं। समिति ने उनके लिए कनीय अभियंता का वेतनमान अर्थात् 730—1,080 रु० अनुशंसित किया है।

# अध्याय 23

## अनुवादक

23.1. इस अध्याय में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियोजित उन कर्मचारियों के संबंध में चर्चा की गई है जो अनुवाद और शब्दावली संबंधी कार्य करते हैं। कई ऐसे विभाग हैं, जैसे राजस्व विभाग, जहां राजभाषा विभाग से प्रतिनियुक्त व्यक्ति अनुवाद पदाधिकारी हैं। राजभाषा विभाग के अलावा कई और ऐसे विभाग हैं जैसे—कृषि, सूचना और जन-सम्पर्क, विधि, उच्च न्यायालय, विधान परिषद् और विधान-सभा, जहां इस काम के लिए उनका अपना स्टाफ है। जैसा कि निम्नलिखित विवरण देखने से पता चलेगा, समान योग्यता तथा समान कार्य करने वालों के लिए वेतनमान में कोई एकरूपता नहीं है। यहां तक कि जिस पद के लिए उच्चतर योग्यता और दायित्व अपेक्षित है उसका वेतनमान भी अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले पद के वेतनमान से कम है। समिति की राय है कि यह स्थिति काफी विसंगतिपूर्ण है जिसमें सुधार होना आवश्यक है।

23.2. अनुवाद एवं शब्दावली संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के कई अभ्यावेदन मिले हैं। ऐसे अभ्यावेदनों में मुख्य बात विहित न्यूनतम योग्यता की तुलना में अपर्याप्त वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर में कमी है। इन लोगों में पर्याप्त तर्क दिखाई पड़ता है। इसलिए इस अध्याय के अन्तिम भाग में समिति ने उन्हें समुचित पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिए अनुशंसा करते समय इस पर विचार किया है। राजभाषा विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी ने भी अपने को राष्ट्रभाषा परिषद् के कर्मचारियों के साथ तुलना करने का प्रयास किया है। समिति की राय में, राजभाषा विभाग वालों के कर्त्तव्य और दायित्व सीमित प्रकार के हैं और उनकी तुलना राष्ट्रभाषा परिषद् वालों के साथ नहीं की जा सकती। राजभाषा विभाग के अनुवादकों ने अनुसचिवीय कर्मचारी के सदृश्य पर श्रेणी-III और श्रेणी-II आमेलन का आग्रह किया है। किन्तु समिति को ऐसे आमेलन के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। राजभाषा विभाग के शब्दावली कर्मचारियों ने खेद प्रगट किया है कि राजभाषा विभाग के उच्च पद पर अनुवादकों को ही प्रोन्नति दी जाती है और शब्दावली वालों को उस पद पर प्रोन्नति नहीं दी जाती है। यह स्थिति कुछ महीने पहले तक थी जब शब्दावली प्रशाखा में प्रोन्नति के लिए सबसे ऊंचा पद 580—840 रु० के वेतनमान में प्रशाखा पदाधिकारी का था और अनुवाद पक्ष में प्रोन्नति के लिए 640—940 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक तथा 670—1,155 रु० के वेतनमान में उप-निदेशक का पद उपलब्ध था। जो भी हो, 670—1,155 रु० के वेतनमान में उप-निदेशक (शब्दावली) के एक पद का सृजन हुआ है जो स्पष्टतया शब्दावली वालों को प्रोन्नति देने के लिए है। किसी भी अवस्था में उच्च पदों के सृजन के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है, जो कार्यभार को मद्दे नजर रखते हुए ऐसे पदों की आवश्यकता पर विचार कर सकती है। प्रतिवेदन के उपयुक्त अध्याय में सभी कोटि के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति की संभावनाओं के संबंध में समिति ने आम अनुशंसा की है। इस अध्याय में समिति ने कार्य के स्वरूप और विहित न्यूनतम योग्यता को ध्यान में रखकर उचित वेतनमान देने की सिफारिश की है।

23.3. भाषाविदों और आधुनिक संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में अनुवादकों के जो दायित्व हैं वे सर्वविदित हैं। स्पष्टतया, अनवादकों के विशिष्ट और विद्वत्तापूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए सभी कोटि के अनुवादकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता स्नातक की डिग्री है। विधि विभाग के अधीन कुछेक पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता विधि की डिग्री भी विहित है। कई पद प्रोन्नति वाले पद हैं। समिति ने इन सबों पर विचार किया है और इन अनुवादकों के लिए न्यूनतम वेतनमान 785—1,210 रु० अनुशंसित किया है।

23.4. समिति द्वारा उच्चतर वेतनमान ऐसे अनवादकों के लिए अनुशंसित किया गया है जिनके लिए उच्चतर योग्यता अपेक्षित है या जो तुलनात्मक दृष्टि से उच्च पद पर हैं।

**अनुशंसित वेतनमान**

23.5. राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कोटियों के अनुवादकों के लिए समिति निम्नलिखित वेतनमान की अनुशंसा करती है:—

| क्रम सं० । | पदनाम । | विभाग । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | अनुवाद-सह-प्रूफ रीडर .. | .. कृषि विभाग .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | उर्दू अनुवादक .. | .. स० ज० स० वि० .. | 348—570 | |
| 3 | राजभाषा सहायक, श्रेणी-III | .. राजभाषा .. | 348—600 | |
| 4 | कनीय अनुवादक .. | .. उच्च न्यायालय .. | 348—600 | |
| 5 | हिन्दी विशेषज्ञ .. | .. विधान परिषद् .. | 400—600 | |
| 6 | हिन्दी विशेषज्ञ .. | .. विधान-सभा .. | 400—600 | |
| 7 | राजभाषा सहायक II .. | .. राजभाषा .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 8 | शब्दावली सहायक .. | .. राजभाषा .. | 415—745 | |
| 9 | अनुवादक .. | .. उच्च न्यायालय .. | 415—745 | |
| 10 | हिन्दी सहायक .. | .. विधि .. .. | 415—745 | |
| 11 | सहायक अनुवादक .. | .. विधि .. .. | 415—745 | 880—1,510 |
| 12 | प्रशाखा पदाधिकारी, हिन्दी प्रशाखा | .. विधि .. .. | 580—840 | |
| 13 | राजभाषा पदाधिकारी .. | .. राजभाषा .. | 580—840 | |
| 14 | प्रशाखा पदाधिकारी (शब्दावली) | .. राजभाषा .. | 580—840 | |
| 15 | प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी अनुवाद) | परिषद् .. .. | 580—840 | |
| 16 | वरीय अनुवादक .. | .. उच्च न्यायालय .. | 580—840 | |
| 17 | अनुवाद पदाधिकारी (विधि), रचना शाखा | विधि .. .. | 580—840 | 940—1,660 |

# अध्याय 24

## सम्पादक और जन-सम्पर्क, कार्मिक

24.1. इस अध्याय में ग्राम कोटि के ऐसे कर्मचारियों की चर्चा की गई है जिन्हें पत्रकारिता संबंधी सम्पादकीय या जन-सम्पर्क कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए संबद्ध विषयों में विशेष दक्षता अपेक्षित है। यद्यपि ऐसे कर्मचारियों की सबसे बड़ी संख्या सूचना और जन-सम्पर्क निदेशालय में है, फिर भी कुछ छिट-फुट पदों का सृजन अन्य विभागों में भी हुआ है जिनमें स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग और कृषि विभाग प्रमुख हैं।

सम्पादक और पत्रकार

24.2. जैसा कि आगे के विवरण से पता चलेगा, सम्पादकीय या पत्रकारिता कार्य में लगे कर्मचारियों के पदनाम, कार्य के स्वरूप, न्यूनतम योग्यता और वेतनमान में कोई मानकीकरण नहीं है। फिर भी, वे सभी कम-से-कम स्नातक डिग्रीधारी मालूम पड़ते हैं। इसलिए समिति की राय है कि उनके पदनाम और वेतनमान को आसानी से मानकीकृत और समूहबद्ध कर निम्नलिखित कोटियों में रखा जा सकता है:—

(1) सहायक सम्पादक, कनीय सम्पादक और ऐसे अन्य कार्मिक जिनके लिए पत्रकारिता संबंधी अनुभव के सहित या रहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता स्नातक डिग्री है, उनके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की जाती है।

(2) सम्पादक और ऐसे कार्मिक के लिए, जो उपर्युक्त कोटियों से उच्चतर पद धारण करते हैं, जिनमें अधिकांश पद प्रोन्नति वाले पद हैं, 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की जाती है।

(3) ऐसे सम्पादकों को, जो विशेष प्रकार के कार्य की दृष्टि से पहले से ही उच्चतर वेतनमान में हैं, समुचित उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिये।

24.3. सम्पादकीय और पत्रकारिता संबंधी कार्य में लगे विभिन्न कोटियों के कार्मिकों के लिए प्रस्तावित वेतनमान निम्न प्रकार है:—

| क्रम सं० | विभाग | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | सूचना और जन-सम्पर्क .. | सहायक सम्पादक, 'आदिवासी' | 240—396 | 785—1,210 |
| 2 | सिंचाई .. .. .. | दुभाषिया-सह-प्रेस सम्पादक | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | कृषि .. .. .. | कनीय सम्पादक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | पशुपालन .. .. | सहायक सम्पादक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 5 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | सहायक सम्पादक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 6 | सूचना और जन-सम्पर्क .. .. | प्रेस सहायक .. | 348—570 | 785—1,210 |
| 7 | पशुपालन .. .. | पत्रकार सहायक .. | 400—600 | 785—1,210 |
| 8 | कृषि .. .. .. | सम्पादक, कृषि .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 9 | कृषि .. .. .. | कृषि पत्रकार .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 10 | उद्योग .. .. .. | सम्पादक.. .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 11 | श्रम .. .. .. | सम्पादक.. .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 12 | सूचना और जन-सम्पर्क .. .. | सम्पादक 'होड़' और सम्पादक 'आदिवासी'। | 415—745 | 880—1,510 |
| 13 | सूचना और जन-सम्पर्क .. .. | सम्पादक, 'बिहार समाचार' और 'बिहार की खबरें'। | 415—745 | 880—1,510 |
| 14 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | सम्पादक.. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

**जन-संपर्क पदाधिकारी**

24.4. सूचना और जन-सम्पर्क निदेशालय के अधीन जन-सम्पर्क पदाधिकारी की तीन कोटियां हैं:—

(1) सहायक जन-सम्पर्क पदाधिकारियों के लिए जन-सम्पर्क कार्य के अनुभव के साथ स्नातक होना आवश्यक है। उनका वेतनमान 240—396 रु० है। राज्य सरकार ने पहले ही नीति स्वरूप निर्णय लिया है कि इस संवर्ग के पदधारी प्रोन्नति द्वारा जैसे-जैसे उच्चतर पदों पर जाएंगे वैसे-वैसे क्रमशः इस संवर्ग को खत्म कर दिया जायगा। इसलिए यह ह्रासमान संवर्ग है। समिति उनकी योग्यता और कार्य के स्वरूप पर समुचित विचार करने के बाद उनके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान का प्रस्ताव करती है।

(2) अपर जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी 348—600 रु० के वेतनमान में हैं। इन पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भरती होती है। यह भरती लोक-सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है जिसके लिए सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्य के अनुभव और क्षेत्रीय बोलियों, समाचार-पत्रों और प्रकाशनों के ज्ञान के साथ स्नातक डिग्री की न्यूनतम योग्यता विहित की गयी है। शेष 50 प्रतिशत पदों को सहायक जन-सम्पर्क पदाधिकारियों और अन्य पदों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। समिति का यह विचार है कि जन-सम्पर्क कार्य में उनकी मुख्य भूमिका को देखते हुए वेतनमान को अनुकूल रूप से उत्क्रमित कर दिया जाए। उनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की जाती है।

(3) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी 455—840 रु० के वेतनमान में हैं। उनके 50 प्रतिशत पदों पर भरती लोक-सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यह भरती किसी परीक्षा द्वारा नहीं; वरन् ऐसे स्नातकों से साक्षात्कार द्वारा की जाती है, जिन्हें किसी स्वैच्छिक, सामाजिक या सरकारी संघटन के अधीन जन-सम्पर्क कार्य का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव और मेला, प्रदर्शनी आदि आयोजित करने की योग्यता होती है। शेष 50 प्रतिशत पदों को अपर जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं अन्य पदों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। विभाग के पदाधिकारियों ने समिति से विमर्श के दौरान इन पदाधिकारियों के बढ़ते हुए कर्त्तव्य और दायित्वों के आलोक में उनके वेतनमानों को उत्क्रमित कर श्रेणी II वरीय स्तर के बराबर करने का अनुरोध किया था। समिति का विचार है कि उनके तर्क में औचित्य है। समिति सभी सुसंगत कारणों पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद उनके लिए 1,000—1,820 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

24.5. जन-सम्पर्क पदाधिकारियों के पद कुछ अन्य विभागों में भी हैं जिनकी सूची नीचे दी जाती है। समिति उनके कार्य के स्वरूप और मौजूदा वेतनमानों पर विचार करने के बाद उनके लिए निम्न पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुशंसा करती है—

| क्रम सं० | विभाग का नाम | पदनाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | वित्त (राष्ट्रीय बचत) .. | सहायक जन-सम्पर्क पदाधिकारी | 240—396 | 680—965 |
| 2 | सिंचाई .. .. | सहायक जन-सम्पर्क पदाधिकारी | 240—396 | 680—965 |
| 3 | पर्यटन .. .. | सहायक पर्यटन सूचना पदाधिकारी | 340—490 | 680—965 |
| 4 | स्वास्थ्य (कुष्ठ) .. | स्वास्थ्य शिक्षक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 5 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) | एक्सटेंशन एडूकेटर .. | 240—396 | 785—1,210 |
| 6 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) | जिला सामूहिक शिक्षा एवं सूचना पदाधिकारी (पहले जिला एक्सटेंशन एडूकेटर के नाम से ज्ञात)। | 296—460 | 785—1,210 |

| क्रम सं० । | विभाग | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 7 | पर्यटन .. | .. पर्यटक सूचना पदाधिकारी (कुछ सहायक सूचना पदाधिकारी से प्रोन्नत) । | 400—660 | 785—1,210 |
| 8 | कृषि .. | .. कनीय सूचना पदाधिकारी (कृषि) | 400—660 | 850—1,360 |
| 9 | पर्यटन .. | .. प्रचार पदाधिकारी .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 10 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) | .. असिस्टेन्ट मास एडुकेशन एवं इन्फारमेशन अफसर/डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मास एडुकेशन एवं इन्फारमेशन अफसरों से प्रोन्नत । | 415—745 | 850—1,360 |
| 11 | उद्योग (रेशम स्कीम) | .. प्रचार पदाधिकारी .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 12 | उद्योग .. | .. प्रचार एवं प्रसार पदाधिकारी (पब्लिशिटी ऐंड एक्सटेन्शन अफसर) । | 455—840 | 880—1,510 |
| 13 | कृषि .. | .. सहायक जिला सूचना पदाधिकारी | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 14 | कृषि .. | .. सहायक सूचना पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 15 | सिंचाई .. | .. सहायक निदेशक, जन-सम्पर्क/सम्पर्क पदाधिकारी । | 455—840 | 880—1,510 |
| 16 | वित्त (राष्ट्रीय बचत) | .. उप-निदेशक, प्रचार .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 17 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) | .. प्रचार पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 18 | उद्योग .. | .. सूचना पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 19 | कृषि .. | .. जिला सूचना पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 20 | पर्यटन .. | .. उप-निदेशक, प्रचार .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 21 | पशुपालन .. | .. उप-निदेशक, सूचना एवं प्रसार | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 22 | सिंचाई .. | .. जन-सम्पर्क पदाधिकारी .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 23 | कृषि .. | .. कृषि सूचना पदाधिकारी .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |

**प्रेस एवं प्रकाशन सहायक**

24.6. प्रेस, प्रकाशन और सूचना कार्य से सम्बद्ध कनीय स्टाफ को सामान्यत: प्रेस सहायक या प्रकाशन सहायक कहा जाता है। एक विभाग में इन्हें "बुलेटिन कीपर" कहा जाता है। सामान्यत: इनके लिए अनुसचिवीय कर्मचारियों की सामान्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी विशेष प्रशिक्षण या योग्यता आवश्यक नहीं है।

2. समिति ने ऐसा पाया है कि उनके पदनाम या न्यूनतम विहित योग्यता या वेतनमान में कोई एकरूपता नहीं है तथा वह महसूस करती है कि उपर्युक्त पद्धति को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

24.7. अतः ऐसे पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की जाती है :—

| क्रम सं० | विभाग का नाम | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | पशुपालन .. | .. बुलेटिन कीपर .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | सिंचाई .. | .. प्रेस कतरन सहायक .. | 220—315 | 535—765 |
| 3 | श्रम .. | .. प्रचार सहायक .. | 220—315 | 535—765 |
| 4 | शिक्षा .. | .. प्रकाशन सहायक, मिथिला इन्स्टीच्यूट। | 284—372 | 535—765 |
| 5 | शिक्षा .. | .. प्रकाशन सहायक-सह-विक्रय प्रबंधक (सेल्स मैनेजर), मिथिला इन्सटीच्यूट। | 296—460 | 580—860 |
| 6 | शिक्षा .. | .. प्रकाशन सहायक-सह-विक्रय प्रबंधक (सेल्स मैनेजर, के० पी० जायसवाल इन्सटीच्यूट)। | 284—372 | 680—965 |
| 7 | शिक्षा .. | .. प्रकाशन सहायक, प्राकृत इन्सटीच्यूट | 284—372 | 680—965 |
| 8 | शिक्षा . | .. प्रकाशन शास्त्री, इन्सटीच्यूट ऑफ प्राकृत। | 296—460 | 785—1,210 |

# अध्याय 25

## पुस्तकालय कर्मचारी

25.1. इस अध्याय में पुस्तकालय कार्य में लगे सामान्य कोटियों के कर्मचारी, जैसे पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन), पुस्तकालय सहायक, सूचीकार (कैटलगर), छटाईकार (सार्टर), पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) आदि के बारे में विचार किया गया है। दुर्भाग्यवश, आगे दिए गए विवरण से पता चलेगा कि तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति और असंगति निवारण समिति द्वारा प्रस्तावित सुव्यवस्थीकरण के बावजूद उनके पदनाम, विहित योग्यता या वेतनमान में एकरूपता नहीं है। पुस्तकालय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न एसोसियेशनों ने ऐसी असंगतियों की विशेषकर वैसे कर्मचारियों के मामलों की जानकारी समिति को दी है, जिनकी योग्यता तो समान है किन्तु उनके वेतनमान में काफी असमानता है।

25.2. पुस्तकालय कार्य में लगे कर्मचारियों को सामान्यतः दो कोटियों में बांटा जा सकता है। पहली कोटि में वे अनुसचिवीय कर्मचारी आयेंगे जिन्हें किसी कार्यालय में प्राप्त पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और अभिलेखों का प्रभार सौंपा जाता है और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला रहता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे कर्मचारी केवल लिपिक या सहायक होते हैं जिन्हें पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) कहा जाता है। दूसरी कोटि में वे कर्मचारी आयेंगे, जो पुस्तकालय विज्ञान में विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जिन्हें प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री मिली रहती है। अतः पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण के लिए योग्यता एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। इसलिए इस पर ध्यान रखते हुए मानकीकृत वेतनमान की अनुशंसा की जा रही है। समिति को जानकारी मिली है कि पुस्तकालय विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कोटियों का प्रशिक्षण दिया जाता है:—

(1) मैट्रिकुलेट जिन्हें पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार द्वारा एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) स्नातक (ग्रेजुएट) जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तीन मास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा जिसमें स्नातकों को 9—12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इसे बन्द कर दिया गया है।

(4) पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री में स्नातक को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(5) प्रलेखन (डक्युमेन्टेशन) में प्रशिक्षण, जो स्नातक को लगभग एक वर्ष दिया जाता है। इसे पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री के समकक्ष माना गया है।

(6) पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री। यह पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का कोर्स होता है। इसे किसी भी मास्टर डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

25.3. समिति के समक्ष पुस्तकाध्यक्षों (लाइब्रेरियनों) का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न एसोसियेशनों/व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वेतनमान देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। समिति को भारत सरकार के सम्बद्ध पत्र सं० एफ 1–4/74 यू० आई०, दिनांक 7 जनवरी, 1977 की विषय-वस्तु के अध्ययन का अवसर मिला है, जिसमें पूर्व वेतनमान को निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम | पूर्व वेतनमान | प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | पुस्तकालय कर्मचारी— | | |
| | (क) विश्वविद्यालय— | रु० | रु० |
| | (1) पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) .. | 1,100—1,600 | (1) 1,500—60—1,800—100—2,000—150/2—2,500 |
| | | | (2) 1,500—60—1,800—100—2,000 |
| | (2) उप-पुस्तकाध्यक्ष .. | 700—1,250 | 1,100—50—1,600 |
| | (3) सहायक पुस्तकाध्यक्ष .. | 400—950 | 700—40—1,100—50—1,300 |
| | (4) प्रलेखन पदाधिकारी (डक्युमेन्टेशन आफिसर)। | (i) 700—1,250 | 1,100—50—1,600 |
| | | (ii) 400—950 | 700—40—1,100—50—1,300 |
| | (ख) महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) | (i) 400—950 | 700—40—50—1,200 |
| | | (ii) 400—800 | 700—40—1,100 |
| | | (iii) 300—600 | 550—25—750—द० रो०—30—900 |

25.4. किन्तु समिति ने पाया है कि पूर्वोक्त अनुशंसाएं ऐसे पुस्तकाध्यक्षों के मामले में ही लागू होती हैं जिन्हें उच्च योग्यता और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन का अनुभव प्राप्त है। मिसाल के तौर पर, 1,500—2,500 रु० का वेतनमान ऐसे पुस्तकाध्यक्षों के लिए, जो ख्यातिलब्ध विद्वान हों और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान से भिन्न-विषय में कम-से-कम प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की डिग्री एवं डाक्टरेट डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो; जिनके उच्च स्तरीय प्रकाशित लेख हों, और जिन्हें अधिमानतः शोध-छात्रों का मार्गदर्शन करने का अनुभव प्राप्त हो; तथा पुस्तकालय-सेवा एवं प्रबन्ध का ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो और कम-से-कम 10 वर्षों का स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने का, और किसी उच्चस्तर शिक्षा संघटन में स्वतंत्र हैसियत से शोध का, अथवा उच्च कक्षाओं के छात्र एवं शोधकर्त्ताओं के पुस्तकालय (लाइब्रेरी) में किसी जिम्मेवार पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। स्पष्ट है कि उपर्युक्त अनुशंसाएं राज्य सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं के पुस्तकाध्यक्षों के लिए लागू नहीं होती हैं।

25.5. फिर भी, समिति राज्य सरकार के विभिन्न संघटनों में, खासकर जिन्हें शैक्षिक, शोध और निदेशात्मक (रेफरल) कार्य सौंपे गए हैं, अच्छे और सुव्यवस्थित पुस्तकालयों के महत्व और सक्षम पुस्तकालय कर्मचारियों की आवश्यकता मानती है। उपर्युक्त सन्दर्भ में समिति महसूस करती है कि पुस्तकाध्यक्षों का मौजूदा वेतनमान, खासकर जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तुलनात्मक दृष्टि से कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न कोटियों के पुस्तकालय कर्मचारियों के कार्य का स्वरूप और कर्तव्य, पुस्तकालयों के आकार और स्वरूप पर निर्भर करता है तथा विहित योग्यता विभिन्न कोटियों के पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतनमान के निर्धारण के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन सिद्धान्त हो सकता है। इसलिए, समिति का प्रस्ताव है कि पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण के आधार पर कोटिबद्ध कर दिया जाए तदनुसार समिति उनके वेतनमान के संबंध में समुचित अनुशंसा करती है।

25.6. पुस्तकालय कर्मचारी के अन्तर्गत साक्षर कर्मचारी के स्तर से लेकर ऊपर तक के पद हैं। साक्षर कर्मचारी के निम्नतम स्तर पर भी जिन्हें सामान्यतः पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) कहा जाता है, कम-से-कम पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को छांटने और उन्हें समुचित शेल्फ में व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कुछ दक्षता अपेक्षित है। इसलिए, समिति उन्हें अर्ध-कुशल कर्मचारी मानती है और पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए 375—480 रु० के न्यूनतम वेतनमान की अनुशंसा करती है।

25.7. इसलिए पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) के लिए निम्नलिखित वेतनमान की अनुशंसा की जाती है :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | शिक्षा विभाग .. | पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) | 155—190 | 375—480 |
| 2 | राज्य अभिलेखागार .. | पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) | 155—190 | 375—480 |
| 3 | सचिवालय ग्रंथागार .. | पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) | 180—242 | 375—480 |
| 4 | विधान-सभा पुस्तकालय .. | पुस्तकालय परिचर (लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट) | 180—242 | 375—480 |

25.8. बहुतेरे ऐसे पुस्तकालय कर्मचारी हैं जिन्हें कम-से-कम मैट्रिकुलेट होना आवश्यक है, भले ही इन्हें पुस्तकालय-कार्य में कोई प्रशिक्षण प्राप्त हो या नहीं। वे फिलहाल विभिन्न वेतनमानों में हैं और उनका पदनाम भी भिन्न-भिन्न है जैसा कि नीचे विवरण देखने से पता चलेगा। समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

25.9. सिंचाई शोध-संस्थान, खगौल के पुस्तकाध्यक्ष का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि यद्यपि इस पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यता पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) के साथ-साथ स्नातक डिग्री है किन्तु विहित वेतनमान केवल 220—315 रु० है। अभ्यावेदन करने वाले ने बतलाया है कि तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के पूर्व वे 150—200 रु० के वेतनमान में थे, जो तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अन्य कर्मचारियों के लिए 284—372 रु० कर दिया गया, किन्तु उन्हें 220—315 रु० का निचला वेतनमान दिया गया। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं तो पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) के साथ मैट्रिकुलेशन हैं किन्तु इस पद के लिए विहित योग्यता के अनुसार वेतनमान की मांग करते हैं। सिंचाई विभाग ने सूचित किया है कि इस पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यता केवल मैट्रिकुलेशन है, इसलिए समिति उनके लिए स्नातक (ग्रेजुएट) के वेतनमान की अनुशंसा करने में असमर्थ है। तदनुसार समिति उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

25.10. ऐसे पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए, जिन्हें मैट्रिकुलेशन के बाद पुस्तकालय-विज्ञान में संक्षिप्त प्रशिक्षण (शार्ट ट्रेनिंग) प्राप्त करना होता है, निम्नलिखित वेतनमान अनुशंसित किया जाता है :—

| क्रम संख्या। | विभाग | पदनाम | विहित न्यूनतम योग्यता | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य .. | पुस्तकाध्यक्ष .. | मैट्रिक और पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण। | 220—315 | 535—765 |
| 2 | शिक्षा .. | सहायक पुस्तकाध्यक्ष (मिथिला इन्सटीच्यूट) | मैट्रिक और पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण। | 220—315 | 535—765 |
| 3 | शिक्षा .. | सहायक पुस्तकाध्यक्ष (नव-नालन्दा महाविहार) | मैट्रिक और पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण। | 220—315 | 535—765 |
| 4 | सिंचाई .. | पुस्तकाध्यक्ष (सिंचाई शोध संस्थान, खगौल) | मैट्रिक और पुस्तकालय विज्ञान की जानकारी। | 220—315 | 535—765 |
| 5 | पंचायती राज .. | पुस्तकाध्यक्ष .. | मैट्रिक और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र। | 220—315 | 535—765 |
| 6 | शिक्षा .. | वरीय सहायक पुस्तकाध्यक्ष | मैट्रिक और पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण। | 284—372 | 535—765 |

25.11. अनेक कर्मचारी जिन्हें पुस्तकालय का काम सौंपा गया है, अनुसचिवीय संवर्ग के हैं और वे अपनी-अपनी कोटियों (जैसे निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, प्रवर-कोटि आदि) के लिए निर्धारित वेतनमान ही पाते हैं और पहले ही तुल्य वेतनमान में हैं। इसलिए समिति उनके लिए अनुसचिवीय संवर्ग के तदनुरूप वेतनमान की अनुशंसा करती है जो इस प्रकार है :—

| क्रम सं०। | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास संस्थान) | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | सहायक पुस्तकाध्यक्ष (एम०आई०टी० /बी० सी० ई०/बी० आई० टी०)। | 220—315 | 580—860 |
| 3 | पशुपालन .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 220—315 | 580—860 |
| 4 | विज्ञान एव प्रावैधिकी .. | पुस्तकालय लिपिक .. | 220—315 | 580—860 |
| 5 | उद्योग .. | सहायक पुस्तकाध्यक्ष (रेशम स्कीम) | 220—315 | 580—860 |
| 6 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | सहायक पुस्तकाध्यक्ष (बी०आई०टी०) | 284—372 | 580—860 |
| 7 | कार्मिक विभाग (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिग इन्सटीच्यूट)। | सहायक पुस्तकाध्यक्ष-सह-कलाकार .. | 284—372 | 580—860 |
| 8 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 9 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (मिथिला इन्सटीच्यूट) | 296—460 | 580—860 |
| 10 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (इन्सटीच्यूटह ऑफ प्राकृत) | 296—460 | 580—860 |
| 11 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | पुस्तकाध्यक्ष (पोलिटेकनिक) .. | 340—490 | 680—965 |
| 12 | श्रम (नियोजन निदेशालय) .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 220—315 | 850—1,360 |
| 13 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (इन्सटीच्यूट ऑफ अरैबिक ऐंड पर्सियन लर्निग) | 296—460 | 850—1,360 |

25.12. पुस्तकालय कार्य में लगे ऐसे कई कर्मचारियों से कम-से-कम स्नातक होने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उन्हें पुस्तकालय विज्ञान की जानकारी या उसमें संक्षिप्त प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए जो किसी डिप्लोमा या डिग्री के बराबर नहीं होगा जैसा कि नीचे उल्लिखित है, ऐसे कर्मचारियों के बारे में शिक्षा विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय से सूचना मिली है। वे फिलहाल विभिन्न वेतनमानों में हैं और समिति को ऐसे विभेद का कोई कारण नहीं दिखाई देता। इसलिए समिति उनके लिए एक ही वेतनमान 785—1,210 रु० की अनुशंसा करती है।

25.13. नेतरहाट विद्यालय के पुस्तकालय सहायक ने अभ्यावेदन दिया है कि यद्यपि उनके पद के लिए न्यूनतम विहित योग्यता अधिमानतः पुस्तकालय विज्ञान के साथ स्नातक है किन्तु वह स्वयं वाणिज्य स्नातक एवं पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री धारी है वह 400—660 रु० के वेतनमान में है। उसने "कोठरी आयोग" तथा अन्य निकायों को आधार बनाकर शिक्षण कर्मचारियों के साथ वेतनमान की समानता का दावा किया है, किन्तु समिति की नजर में यह योग्यता ऐसे आयोगों और निकायों द्वारा अनुशंसित कसौटी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा मात्र तरजीही योग्यता है, उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं।

वेतनमान का संबंध उस पद के लिए निर्धारित योग्यताओं से है, न कि पदधारी की वास्तविक योग्यता से। इसलिए समिति महसूस करती है कि यद्यपि उसे उच्च वेतनमान मिलना चाहिए, किन्तु वह पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमाधारी पुस्तकाध्यक्षों के लिए अनुशंसित वेतनमान का हकदार नहीं है। तदनुसार समिति उसके लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

25.14. बिहार राज्य योजना बोर्ड के पुस्तकालय सहायक की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यद्यपि उसके पद के लिए न्यूनतम विहित योग्यता पुस्तकालय कार्य में पांच वर्षों के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री है, वह 400—660 रु० के वेतनमान में ही है और उसने उच्च वेतनमान का दावा किया है। दुर्भाग्यवश, सम्बद्ध विभाग द्वारा वेतन पुनरीक्षण के लिए ऐसे किसी पद के बारे में सूचना नहीं दी गई है। ऐसा कोई पद होने की स्थिति में भी उसे पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमाधारियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, फिर भी वह स्नातकों के लिए अनुशंसित वेतनमान, अर्थात् 785—1,210 रु० पाने का हकदार होगा।

25.15. इसलिए स्नातक या उसके समकक्ष योग्यता धारण करनेवाले पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए अनुशंसित वेतनमान इस प्रकार है :—

| क्रम सं० | विभाग | पदनाम | न्यूनतम योग्यता | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | रु० | रु० |
| 1 | मंत्रिमंडल सचिवालय। | पुस्तकाध्यक्ष (सचिवालय) | स्नातक, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र के साथ। | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | मंत्रिमंडल सचिवालय। | पुस्तकाध्यक्ष (राज्य अभिलेखागार)। | स्नातक, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र के साथ। | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | शिक्षा .. | पुस्तकाध्यक्ष (अरबी और पर्शियन विभाग)। | स्नातक के समकक्ष अरबी, परसियन और उर्दू जानकार। | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | योजना, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन। | वरीय पुस्तकाध्यक्ष (सीनियर लाइब्रेरियन)। | | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | योजना .. | पुस्तकालय सहायक, बिहार राज्य योजना पर्षद। | स्नातक, पांच वर्षों के अनुभव के साथ। | 348—570 | 785—1,210 |
| 6 | शिक्षा .. | पुस्तकालय सहायक (नेतरहाट विद्यालय)। | स्नातक, अधिमानतः पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के साथ। | 400—660 | 785—1,210 |

25.16. इन दिनों पुस्तकाध्यक्ष के लिए मानक योग्यता पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा है जिसके लिए स्नातक डिग्री के बाद कम-से-कम एक वर्ष का कोर्स पढ़ना पड़ता है। जैसा कि सूची से ज्ञात होगा पुस्तकाध्यक्ष पद के लिए यही योग्यता अधिकांश विभागों ने सूचित की है। समिति ने देखा है कि वे 220—315 रु० से लेकर 475—745 रु० तक के पांच विभिन्न वेतनमानों में हैं। समिति पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमाधारी ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान, अर्थात् 850—1,360 रु० की अनुशंसा करती है।

| क्रम सं० | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | श्रम .. .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. .. | 220—315 | 850—1,360 |
| 2 | विधान-सभा .. | कैटलॉगर/सहायक पुस्तकाध्यक्ष .. | 296—460 | 850—1,360 |

| क्रम सं० | विभाग | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 3 | योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन)। | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 296—460 | 850—1,360 |
| 4 | स्वास्थ्य .. .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 296—460 | 850—1,360 |
| 5 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (महिला बालिका महाविद्यालय) | 296—460 | 850—1,360 |
| 6 | भू-विज्ञान .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 348—570 | 850—1,360 |
| 7 | मंत्रिमंडल सचिवालय .. | पुस्तकाध्यक्ष (सचिवालय) .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 8 | कल्याण .. .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 9 | स्वास्थ्य .. .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 10 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी .. | पुस्तकाध्यक्ष (एम०आई०टी०/बी०सी०ई०/बी०आई०टी०)। | 400—660 | 850—1,360 |
| 11 | उद्योग .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (रेशम स्कीम) .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 12 | कार्मिक विभाग .. | पुस्तकाध्यक्ष (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टिच्यूट)। | 400—660 | 850—1,360 |
| 13 | सूचना एवं जन-संपर्क .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 14 | शिक्षा विभाग (स्टेट लाइब्रेरीज)। | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 15 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 415—745 | 850—1,360 |

25.17. फिर भी, पुस्तकालयों से संबंधित कई ऐसे वरीय पद हैं जिनके लिए या तो उच्च योग्यता जैसे स्नातकोत्तर डिग्री या पर्यवेक्षी जिम्मेवारी अपेक्षित है। वे पहले से ही बहुत अधिक उच्च वेतनमानों में हैं। समिति उनके कार्य के स्वरूप और मौजूदा वेतनमान को ध्यान में रखते हुए उनके लिए निम्नलिखित समुचित उच्च वेतनमान का प्रस्ताव करती है :—

| क्रम सं० | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | मंत्रिमंडल सचिवालय .. | प्रधान पुस्तकाध्यक्ष (सचिवालय) .. | 580—840 | 880—1,510 |
| 2 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (राष्ट्रभाषा परिषद्) .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | शिक्षा .. .. | पुस्तकाध्यक्ष (नव नालंदा नव विहार) .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 4 | विधान-सभा .. | अधीक्षक (पुस्तकालय और शोध) .. | 670—1,155 | 1,000—1,820 |
| 5 | शिक्षा .. .. | पुस्तकालयों के अधीक्षक.. .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 6 | विधान-सभा .. | अवर-सचिव, पुस्तकालय .. | 890—1,415 | 1,350—2,000 |

25.18. राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची के पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) और पटना मेडिकल कालेज के सहायक पुस्तकाध्यक्ष की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उच्चतर वेतनमान दिये जायें। उपर्युक्त सामान्य अनुशंसाओं के अनुसार उन्हें उपर्युक्त वेतनमान दिये जायें।

25.19. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त पशुपालन निदेशालय के एक पुस्तकाध्यक्ष से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अपने मौजूदा वेतनमान 220—315 रु० के स्थान पर उच्चतर वेतनमान की मांग की है। आश्चर्य की बात यह है कि उसने अभ्यावेदन में यह लिखा है कि ऐसे पद के लिए कोई शैक्षिक योग्यता विहित नहीं की गई है। उसने इस आधार पर उच्चतर वेतन दिये जाने का दावा किया है कि सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय में ऐसी किसी योग्यता के विहित न रहने पर भी पुस्तकाध्यक्ष को 400—660 रु० का उच्चतर वेतनमान दिया गया है। जांच करने पर इस समिति को पता चला कि सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय में पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यता स्नातक होने के साथ-साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा रखी गई है। इस अभ्यावेदक ने बताया है कि वह आई० ए० है और उसे पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र भी प्राप्त है तथा वह ऐसे पद पर कार्यरत है जिसके लिये कोई योग्यता विहित नहीं की गई है। इसलिए वह उच्चतर योग्यतावाले पदों के उच्चतर वेतनमान के लिए दावा नहीं कर सकता है। उसके वेतन का निर्धारण राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को करना है, जहां वह प्रतिनियुक्त है न कि इस समिति को।

**शिक्षा विभाग के अधीन पुस्तकालय**

25.20. समिति को बिहार राज्य पुस्तकालय कर्मचारी संघ की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य स्तर के पुस्तकालयों में नियोजित पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतनमानों को बढ़ाने का आग्रह किया था। चूंकि शिक्षा विभाग ने अपने पुस्तकाध्यक्षों या कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए शिक्षा आयुक्त से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। शिक्षा आयुक्त ने अपने पत्र सं० एम/एल-1027/80-ई—396, दिनांक 11 जुलाई 1980 द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकारी पुस्तकालय केवल छः हैं जिनमें से पांच राज्य पुस्तकालय कहलाते हैं जो क्रमशः रांची, चाइबासा, दुमका, धनबाद और पूर्णियां में अवस्थित हैं। छठा पटने का सरकारी उर्दू पुस्तकालय है। उन्होंने पत्र के साथ इन सरकारी पुस्तकालयों के कर्मचारियों की एक सूची भी भेजी थी। इसके अलावा उक्त पत्र में उन्होंने यह भी बताया था कि पटने में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जिला मुख्यालयों में जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, अनुमंडल मुख्यालयों में अनुमंडलीय और प्रखंड मुख्यालयों में प्रखंड पुस्तकालय भी हैं, किन्तु ये पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय नहीं हैं, हालांकि उन्हें राज्य सरकार की ओर से समुचित प्रबंध, पुस्तकें, उपस्कर और भवनों के लिए वार्षिक अनुदान दिये जाते हैं। अतः इन पुस्तकालयों के कर्मचारी इस समिति की सीमा से बाहर हैं।

25.21. राज्य पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्षों का वेतनमान 400—660 रु० और छांटनेवाले (सार्टर), जिल्दसाज (बुक बाइंडर), मालियों, चपरासियों और झाड़ूकशों (स्वीपर) को 155—190 रु० के वेतनमान में रखा गया है। उर्दू पुस्तकालय, पटना में भी पुस्तकाध्यक्ष का वेतनमान 400—660 रु० है तथा सार्टर, चपरासी और फराश 155—190 रु० के वेतनमान में हैं। जिल्दसाज (बुक बाइंडर), माली, चपरासी, फराश और झाड़ूकशों (स्वीपर) के बारे में इस भाग के पूर्ववर्त्ती अध्यायों में विचार किया जा चुका है। अतएव आगे अब केवल पुस्तकाध्यक्षों और सार्टरों के संबंध में ही सिफारिश की जायगी।

25.22. 400—660 रु० के वेतनमान वाले पुस्तकाध्यक्षों के लिए पुस्तकालय विज्ञान (लाइब्रेरी सायंस) की योग्यता अपेक्षित है। न्यूनतम विहित योग्यता पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या डिप्लोमा है जो स्नातक होने के बाद एक वर्ष के अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। इन लोगों ने प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की सिफारिशों, 1955 में दिल्ली में आयोजित भारतीय वयस्क शिक्षा संघ के छठें राष्ट्रीय सेमिनार के प्रस्ताव और श्री के० पी० सिन्हा, सेवा-निवृत्त लोक-शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में पुस्तकालय सलाहकार समिति द्वारा 1959 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उच्चतर वेतनमान की मांग की है, जो कम-से-कम राज्य सरकार के श्रेणी-2 के राजपत्रित पदाधिकारी के वेतनमान के बराबर होना चाहिए। समिति ने सावधानी-पूर्वक इन आग्रहों पर विचार किया है और वह समझती है कि यद्यपि उन्हें श्रेणी-2 की बिहार शिक्षा सेवा और अन्य समान सेवाओं के समकक्ष तो नहीं माना जा सकता, फिर भी उनके वेतनमानों को बढ़ाकर उक्त श्रेणी के आसपास लाया जा सकता है। समिति इन पुस्तकाध्यक्षों की योग्यता, निपुणता और कार्य के तकनीकी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इनके लिए 850—1,360 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

25.23. सॉर्टर 155—190 रु० के वेतनमान में हैं। उन्हें मिडिल पास होने के साथ-साथ पुस्तकों की अनुक्रम पद्धति के अनुसार विन्यस्त करने और निकालने के काम में कुशल होना चाहिए। इस तरह समिति उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारी मानती है और प्रवेशिका अनुत्तीर्ण (नन-मैट्रिकुलेट) पुस्तकालय परिचरों के समकक्ष रखते हुए उनके लिए 375—480 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

# अध्याय 26

## शिक्षक और अनुदेशक

26.1. इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित सामान्य कोटि के शिक्षकों और अनुदेशकों पर विचार किया जायगा। असामान्य कोटि के शिक्षकों, यथा अन्धे, बहरे और गूंगे के स्कूलों के शिक्षकों से सम्बन्धित मामलों पर संबद्ध विभाग से सम्बन्धित अध्यायों में विचार किया जायगा।

### शिक्षण कर्मचारी

26.2. विभिन्न कोटि के शिक्षण कार्यों के लिए शैक्षिक योग्यताओं और वेतनमानों से संबंधित सिद्धान्तों के निर्धारण में पहल तो शिक्षा विभाग को ही करनी है। अतः यह बिल्कुल तर्कसंगत होगा कि ऐसे सिद्धान्तों का निर्धारण शिक्षा विभाग में प्रचलित वर्तमान पद्धति को ध्यान में रखकर किया जाए।

### प्रशिक्षित शिक्षक

26.3. विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में नियोजित अधिकांश शिक्षण-कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं और वे या तो निम्न अवर सेवा, या अवर शिक्षा सेवा, या बिहार शिक्षा सेवा में हैं। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षण पेशे के लिए वेतनमान के निर्धारण में शैक्षिक योग्यताओं का भारी महत्व है। किन्तु नीचे दिये गए तथ्यों से ज्ञात होगा कि अबतक इस पहलू को उचित महत्व नहीं दिया गया है।

| क्रम संख्या। | न्यूनतम अपेक्षित योग्यता। | नियोजित करने वाली संस्थाएं। | वेतनमान। | अभ्युक्ति। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | |
| 1 | मिड्ल प्रशिक्षित .. | केवल प्राथमिक विद्यालयों (एलिमेंट्री स्कूल) में प्रवेशिका प्रशिक्षित से कम की भरती अब नहीं की जा रही है। अतएव अब यह संवर्ग समाप्तप्राय है। | 205—284 | राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों को छोड़कर ऐसे सभी शिक्षक निम्न अवर सेवा के अन्तर्गत हैं। |
| 2 | मैट्रिक प्रशिक्षित .. | बुनियादी विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विद्यालयों में। | 230—340 | वही। |
| | प्रवर कोटि (15 प्रतिशत) .. | वही .. | 240—396 | वही। |
| 3 | मैट्रिक प्रशिक्षित .. | केवल बुनियादी विद्यालयों में। | 240—396 | वही। |
| 4 | आई० ए० प्रशिक्षित .. | केवल मध्य और उच्च विद्यालयों में। | 296—423 | वही। |
| | प्रवर कोटि (15 प्रतिशत) .. | वही .. | 296—460 | वही। |
| 5 | प्रशिक्षित स्नातक .. | राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालयों में। | 387—600 | ये अवर शिक्षा सेवा के सदस्य नहीं हैं। |
| | प्रवर कोटि (15 प्रतिशत) .. | वही .. | 415—720 | वही। |
| 6 | प्रशिक्षित स्नातक .. | पुराने सरकारी कन्या मध्य विद्यालयों, सरकारी बुनियादी मध्य विद्यालयों और सरकारी उच्च विद्यालयों में। | 415—745 | ये सभी अवर शिक्षा सेवा में हैं। |
| | प्रवर कोटि (20 प्रतिशत) .. | वही .. | 510—980 | अवर शिक्षा सेवा में होने के चलते। |

**तथाकथित विसंगतियां**

26.4. इस तरह पूर्वोक्त वेतन-संरचना में निम्नलिखित विसंगतियां बतायी गई हैं :—

(1) बुनियादी विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की यह शिकायत है कि जहां उन्हें 230—340 रु० का वेतनमान मिलता है, वहां बुनियादी विद्यालयों के समान योग्यतावाले शिक्षक को उच्चतम वेतनमान, अर्थात् 240—396 रु० का वेतनमान दिया जाता है, जो वेतनमान बुनियादी विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रवर कोटि को दिया जाता है। इन लोगों ने दावा किया है कि इन्हें भी बुनियादी विद्यालयों के मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतनमान मिलना चाहिए।

(2) इनटरमीडियट प्रशिक्षित शिक्षकों की यह शिकायत है कि उनकी प्रवर कोटि का वेतनमान वहीं से शुरू होता है जो उनका मूल वेतनमान (बेसिक स्केल) है, अर्थात् 296 रु०। अतः उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें प्रवर कोटि में उच्चतर शुरूआत दी जाए।

(3) राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की यह शिकायत है कि यद्यपि राष्ट्रीयकृत विद्यालयों तथा सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान के बीच (प्रशिक्षित मिड्ल, प्रशिक्षित मैट्रिक और प्रशिक्षित इन्टरमीडियट शिक्षकों की दशा में) समानता बरती गई है तथापि राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को सरकारी, मध्य, बुनियादी और उच्च विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की अपेक्षा बहुत ही न्यून दर से वेतन भुगतान किया जा रहा है। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें भी शिक्षा सेवा के बराबर वेतनमान दिया जाए। राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया है कि जब ये विद्यालय 1 जनवरी 1971 से सरकार के अधीन कर लिए गये तब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को भी समान स्तर के उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को वेतनमान दिया गया, जो बिहार अवर शिक्षा सेवा के पूर्ववर्ती निम्न वर्ग (लोअर डिवीजन) के सदस्य थे और हैं, अर्थात् मूल कोटि के लिए उन्हें 387—600 रु० का वेतनमान और प्रवर कोटि (15 प्रतिशत) के लिए 415—745 रु० का वेतनमान दिया गया। किन्तु इसके बाद जब अवर शिक्षा सेवा के निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में मिला दिया गया और अवर शिक्षा सेवा के उच्च वर्ग के लिए प्रवर कोटि दी गई, तब वही लाभ राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को नहीं दिया गया, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उन्हें अवर शिक्षा सेवा में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया था। अतएव इन शिक्षकों ने यह शिकायत की कि उनके साथ भेदभाव बरता गया है। उन्होंने कहा कि यह एक के बाद एक सत्ता में आई सरकारों द्वारा बार-बार दिए गये उस आश्वासन के प्रतिकूल है जिसमें यह कहा गया था कि पूर्ववर्त्ती सरकारी विद्यालयों तथा राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। उनमें से कुछ लोगों ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया (5 सितम्बर 1979 को यथानिर्णीत सी० डब्ल्यू० जे० सी० संख्या 252, 1979)।

26.5. समिति महसूस करती है कि ऐसे अभ्यावेदनों में पर्याप्त तथ्य है और विसंगतियों को युक्तियुक्त बनाने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में आगे सिफारिश की गई है।

**अप्रशिक्षित शिक्षक**

26.6. यद्यपि शिक्षा विभाग ने जिस शिक्षा-पद्धति की परिकल्पना की है उसमें अप्रशिक्षित शिक्षक का कोई स्थान नहीं है, फिर भी विभिन्न कारणों से विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में बहुत से अप्रशिक्षित शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया है कि ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को कोई वेतनमान नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रतिमास नियत दर पर वेतन दिया जाएगा, जो उनसे एक स्तर नीचे की मूल शैक्षिक योग्यता रखनेवाले प्रशिक्षित कार्मिकों को, उनकी मूल कोटि के वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर मिलेगा। दूसरे शब्दों में एक अप्रशिक्षित स्नातक को उतना नियत वेतन मिलेगा, जो एक प्रशिक्षित इन्टरमीडियट को उसकी मूल कोटि के वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर मिलेगा। ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए वर्त्तमान वेतन इस प्रकार है :—

| | रु० |
|---|---|
| (1) मिड्ल (अप्रशिक्षित) .. .. | 160 |
| (2) मैट्रिक (अप्रशिक्षित) .. .. | 205 |
| (3) इन्टरमीडियट (अप्रशिक्षित) .. .. | 230 |
| (4) स्नातक (अप्रशिक्षित) .. .. | 296 |

26.7. समिति ऐसा महसूस करती है कि किसी भी कोटि के कर्मचारी को वृद्धियुक्त वेतनमान (इन्क्रीमेंटल स्केल) के लाभ से वंचित कर देना वेतन ढांचा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। समिति यह भी महसूस करती है कि जब कि दूसरे विभागों में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नियमित वृद्धियुक्त वेतनमान दिया जाता है तब शिक्षा कर्मचारियों के साथ भेद-भाव बरते जाने का कोई कारण नहीं है। अतः समिति ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये भी नियमित वृद्धियुक्त वेतनमान की अनुशंसा की है।

### प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका

26.8. समिति ने यह पाया है कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं के लिए कोई स्वतंत्र वेतनमान विहित नहीं किया गया है तथा समिति ऐसा समझती है कि ये पद वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा भरे जाते हैं जो प्रवर-कोटि के होते हैं और उच्चतर वेतनमान के हकदार होते हैं। फिर भी, समिति महसूस करती है कि उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं को विशेष रूप से वह उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए, जो अवर शिक्षा सेवा की प्रवर-कोटि के लिये विहित है। अतः समिति ने आगे दी गई अपनी अनुशंसा में इन पदों का उल्लेख विशेष रूप से किया है।

### शिक्षकों के लिए अनुशंसित वेतनमान

26.9. समिति ने सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए विभिन्न योग्यतावाले शिक्षकों के लिये निम्नलिखित निम्नतम वेतनमानों की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं० | निम्नतम अपेक्षित योग्यताएं | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| | | रु० | रु० |
| 1 | मिड्ल अप्रशिक्षित .. .. .. | 160 नियत | 400—540 |
| 2 | मिड्ल प्रशिक्षित .. .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 3 | मैट्रिक अप्रशिक्षित .. .. .. | 205 नियत | 535—765 |
| 4 | मैट्रिक प्रशिक्षित (बुनियादी विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों में) | 230—340 | 580—860 |
| 5 | मैट्रिक प्रशिक्षित (बुनियादी विद्यालयों में) .. .. | 240—396 | 580—860 |
| 6 | इन्टरमीडिएट (अप्रशिक्षित) .. .. .. | 230 नियत .. | 680—965 |
| 7 | इन्टरमीडिएट (प्रशिक्षित) .. .. .. | 296—423 | 730—1,080 |
| 8 | स्नातक अप्रशिक्षित .. .. .. | 296 नियत | 785—1,210 |
| 9 | स्नातक प्रशिक्षित (जो अवर-शिक्षा सेवा के सदस्य नहीं हैं) .. | 387—600 | 850—1,360 |
| 10 | स्नातक प्रशिक्षित (अवर-शिक्षा सेवा के सदस्य) .. .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 11 | स्नातक प्रशिक्षित (उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक) .. | 415—745 | 940—1,660 |

### चित्रांकन शिक्षक (ड्राइंग टीचर) और हस्तशिल्प शिक्षक (क्राफ्ट टीचर)

26.10. केवल सरकारी मध्य बालिका विद्यालयों तथा सरकारी उच्च विद्यालयों में ही चित्रांकन शिक्षक तथा हस्तशिल्प शिक्षक का अलग-अलग उपबंध किया गया है। उन्हें शिक्षा सेवा के किसी नियमित संवर्ग में शामिल नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में उनके पद संवर्ग-वाह्य पद हैं। वे 296—423 रु० के वेतनमान में हैं, जो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक तथा डिप्लोमा के साथ संगीत शिक्षकों की मूल कोटि के वेतनमान के बराबर हैं।

26.11. ऐसे हस्तशिल्प शिक्षकों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त योग्यता और दक्षता पर विचार करते हुए समिति समझती है कि इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ उनकी मौजूदा समानता बरकरार रखी जाए। अतः समिति ने उनके लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

**व्यायाम अनुदेशक (फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर) तथा खेल-कूद शिक्षक (गेम टीचर)**

26.12. शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी उच्च विद्यालयों में व्यायाम अनुदेशक के पद अवर-शिक्षा सेवा के अन्तर्गत हैं। ये 415—745 रु० के वेतनमान में हैं। इनके लिये निम्नतम विहित योग्यता स्नातक डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा है। चूंकि ये अवर-शिक्षा सेवा में हैं, इसीलिए स्वभावतः ये अवर-शिक्षा सेवा के लिये अनुशंसित वेतनमान (850—1,360 रु०) के हकदार होंगे।

26.13. व्यायाम अनुदेशिका के पद सरकारी बालिका उच्च विद्यालयों तथा मध्य विद्यालयों में भी हैं। ये पद अवर-शिक्षा सेवा के अन्तर्गत आते हैं तथा इनका वेतनमान 296—423 रु० है। निदेशिका ने समिति को बताया है कि यद्यपि व्यायाम अनुदेशिका और अवर-शिक्षा सेवा में व्यायाम अनुदेशक की योग्यता एक ही है जैसे डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री भी। फिर भी अपेक्षित योग्यता वाली व्यायाम अनुदेशिका के उपलब्ध होने में कठिनाई होती है। अतः कार्यरत सभी व्यायाम अनुदेशिका कम योग्यता रखती है तथा इन्हें निम्न अवर-सेवा में निम्न वेतनमान पर रखा गया है। उन्होंने दलील पेश की कि उन व्यायाम अनुदेशिकाओं को भी जिन्हें विहित योग्यता अर्थात् शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त है, वही वेतनमान पाने का हक है, जो अवर-शिक्षा सेवा में पुरुष व्यायाम अनुदेशक पाते हैं। स्पष्टतः यह दलील सर्वथा युक्तिसंगत है। ऐसे कार्मिकों की भरती निम्न अवर-शिक्षा सेवा में न करके अवर शिक्षा सेवा में की जानी चाहिए। किन्तु यदि किसी कारणवश किसी व्यायाम अनुदेशक की भरती निम्न अवर-सेवा में हो गई हो, तो वह निम्न अवर-सेवा के लिए अनुशंसित वेतनमान अर्थात् 730—1,080 रु० का हकदार होगी।

26.14. शिक्षा विभाग के अधीन नेतरहाट विद्यालय में व्यायाम अनुदेशक का एकाकी पद है, जिसका वेतनमान 400—660 रु० है। पद की विहित योग्यता मैट्रिकुलेशन और शारीरिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा है। पद के कार्य और दायित्व के स्वरूप को देखते हुए यह समिति उनके लिये 785—1,210 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

26.15. इंजीनियरिंग कालेजों, जैसे इंजीनियरिंग कालेज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर इंस्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी और बिहार इंस्टिच्यूट ऑफ टेकनोलौजी, सिन्दरी में भी खेल-कूद शिक्षक/मास्टर/अनुदेशक के पद हैं। बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग में 240—396 रु० के वेतनमान में एक खेल-कूद शिक्षक और एम०आई० टी० में 296—460 रु० के वेतनमान में खेल-कूद शिक्षक के पद हैं। बी० आई० टी० में गेम्स मास्टर का एक पद 240—396 रु० के वेतनमान में, इन्स्ट्रक्टर का दूसरा पद 296—460 रु० के वेतनमान में है। स्टाफ रखने की पद्धति या वेतनमानों में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं दिखायी देती है। समिति ने इन पदों के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं के बारे में जानने की पूरी कोशिश की किन्तु सम्बद्ध विभागों अर्थात् विज्ञान और तकनीकी विभाग ने इसपर बिल्कुल ही कम ध्यान दिया। बार-बार स्मार-पत्र देने, फोन पर आग्रह करने और व्यक्तिगत सम्पर्क के बावजूद विभाग ने वस्तुतः कोई जानकारी नहीं दी। ऐसी स्थिति में वर्त्तमान वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश कर देने के अलावा समिति के सामने और कोई चारा नहीं रह गया। किन्तु समिति की राय में लगभग एक ही तरह के कार्य के लिये दो अलग-अलग वेतनमान रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएव वह ऐसे सभी पदों के लिये 680—965 रु० के एक ही वेतनमान की सिफारिश करती है।

26.16. स्वास्थ्य विभाग ने 240—396 रु० के वेतनमान में व्यायाम अनुदेशक (फिजिकल इन्स्ट्रक्टर) के एक एकाकी पद की जानकारी दी है। विहित योग्यताओं के बारे में नहीं बताया गया है। समिति ने वर्त्तमान वेतनमान को ध्यान में रखते हुए उसके लिये 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश की है।

26.17. गृह विभाग के परिवीक्षा सेवा निदेशालय द्वारा व्यायाम-अनुदेशक-सह-दरवान (फिजिकल इन्स्ट्रक्टर-कम-दरवान) के लगभग 14 पदों की जानकारी दी गयी है जो सब-के-सब 180—242 रु० के वेतनमान में हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वे साक्षर और अपने कार्य में प्रशिक्षित हैं। समिति उन्हें अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के स्तर का मानकर उनके लिये 375—480 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

26.18. अतएव व्यायाम अनुदेशकों (फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर) और खेल शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिये समिति द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| क्रम सं० | विभाग का नाम | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | गृह (परिवीक्षा सेवा) .. | व्यायाम अनुदेशक-सह-दरवान | 180—242 | 375—480 |
| 2 | स्वास्थ्य (बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की स्थापना)। | व्यायाम अनुदेशक .. | 240—396 | 535—765 |
| 3 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी (बी०सी०ई०) | खेल-कूद शिक्षक .. | 240—396 | 680—965 |
| 4 | विज्ञान एव प्रावैधिकी (बी० आई० टी०)। | गेम्स मास्टर .. .. | 240—396 | 680—965 |
| 5 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी (बी० आई० टी०)। | गेम्स एण्ड स्पोर्ट्स इन्स्ट्रक्टर .. | 296—460 | 680—965 |
| 6 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी (एम०आई०टी०) | खेल-कूद शिक्षक .. | 296—460 | 680—965 |
| 7 | शिक्षा (निम्न प्रवर-सेवा) .. | व्यायाम अनुदेशिका .. | 296—423 | 730—1,080 |
| 8 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | अनुदेशक व्यायाम .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 9 | शिक्षा (प्रवर-शिक्षा सेवा) .. | व्यायाम अनुदेशक .. | 415—745 | 850—1,350 |

**संगीत और नृत्य शिक्षक**

26.19. शिक्षा विभाग के संगीत केन्द्रों के अलावा सरकारी बालिका मध्य और उच्च विद्यालयों में संगीत और नृत्य शिक्षकों के पद हैं। संगीत शिक्षकों और प्रशिक्षकों के कुछ छिट-फुट पद पंचायती राज निदेशालय के अधीन नेतरहाट विद्यालय और कल्याण तथा स्वास्थ्य विभाग में भी हैं। इन पदों में से अधिकांश पद शिक्षा या अन्य सेवाओं के किसी नियमित संवर्ग में नहीं हैं, बल्कि ये संवर्ग-वाह्य पद के रूप में ही चल रहे हैं। इन पदों में से अधिकांश में कोई प्रवर-कोटि भी नहीं है।

26.20. संगीत शिक्षकों के वेतनमान अबतक उनकी योग्यताओं के आधार पर निर्धारित होते रहे हैं, अर्थात्, इस आधार पर कि उनके पास संगीत में कोई डिग्री या डिप्लोमा है या नहीं। सम्प्रति संगीत शिक्षकों में से अधिकांश के लिये तीन अलग-अलग स्तर के वेतनमान हैं, जो इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| | रु० |
| (क) डिग्रीधारी (इनमें से कुछ प्रवर-शिक्षा सेवा में उच्चतर वेतनमान में भी हैं)। | 400—660 |
| (ख) डिप्लोमाधारी .. .. .. .. | 296—423 |
| (ग) अन्य .. .. .. .. | 205—284 |

26.21. किन्तु जैसा कि आगे के विवरण से ज्ञात होगा, शिक्षकों के कई ऐसे वेतनमान वाले छिट-फुट पद हैं जो उपरोक्त मानक वेतनमानों के अनुरूप नहीं हैं। विशेष रूप से मैट्रिकुलेट शिक्षकों के सम्बन्ध में यह स्थिति विषम हो गयी है। पूर्वोक्त मानक पद्धति के अनुसार डिप्लोमा रहित मैट्रिकुलेट संगीत शिक्षक 205—284 रु० के वेतनमान के हकदार हैं, जो

मैट्रिकुलेट के लिये मानक वेतनमान (अर्थात् 220—315 रु०) से कम हैं। दूसरी ओर कुछ विभागों, जैसे कल्याण विभाग में मैट्रिकुलेट संगीत शिक्षक पहले से ही उच्चतर वेतनमान (अर्थात् 240—396 रु०) में हैं। इतना ही नहीं संगीत केन्द्रों के तबला शिक्षकों और नृत्य शिक्षकों को तबला या नृत्य में डिप्लोमा की समान योग्यता रहने पर भी अलग-अलग वेतनमानों (यथा 220—315 रु० और 296—423 रु०) में रखा गया है। शिक्षा विभाग ने भी अपने पत्र सं० 733, दिनांक 17 जून, 1980 के द्वारा इस समिति को विशेष रूप से यह विसंगति दूर करने का अनुरोध किया है। समिति ने नीचे दी गयी अपनी सिफारिशों को निरूपित करते समय इन विसंगतियों का पूरा ध्यान रखा है।

**संगीत और नृत्य शिक्षकों के लिए अनुशंसित वेतनमान**

26.22. समिति की निश्चित राय है कि परिलब्धियों के सम्बन्ध में संगीत और नृत्य जैसी ललित कलाओं के शिक्षकों की उपेक्षा बिलकुल नहीं होनी चाहिये और उन्हें ऐसे वेतनमान दिये जाने चाहिये, जो वांछनीय निपुणता रखने वाले शिक्षकों के लिये आकर्षक हों। ऐसे जो पद निम्न अवर सेवा या अवर शिक्षा सेवा जैसे मान्यताप्राप्त संवर्ग में हैं, उन्हें तो ऐसी सेवा के लिये दिये गये वेतनमान मिलेंगे। किन्तु ऐसे एकाकी पदों का वर्गीकरण, जो ऐसी किसी सेवा में शामिल नहीं हैं, उनकी योग्यता और निपुणता के अनुसार किया जाय और उन्हें नीचे अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिये जायं :—

| क्रम सं० | योग्यता | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 1 | नन-मैट्रिकुलेट किन्तु सम्बद्ध कला में प्रवीणता प्राप्त .. .. .. | 425—605 |
| 2 | मैट्रिकुलेट और साथ ही संबद्ध कला की अधिक जानकारी .. .. .. | 535—765 |
| 3 | विशेष निपुणता के साथ मैट्रिक .. .. .. .. .. | 580—860 |
| 4 | डिप्लोमाधारी .. .. .. .. .. .. | 730—1,080 |
| 5 | डिग्रीधारी .. .. .. .. .. .. | 785—1,210 |

26.23. उपरोक्त वेतनमान संबद्ध योग्यता के लिये अनुशंसित न्यूनतम वेतनमान हैं। हां, ऐसे कई संगीत शिक्षक और अनुदेशक हैं, जो पहले से ही उच्चतर वेतनमानों में हैं। अतएव समिति इनलोगों के लिये युक्तियुक्त उच्चतर वेतनमान की सिफारिश करना चाहेगी, ताकि वर्त्तमान सन्तुलन किसी तरह बिगड़े नहीं।

26.24. तदनुसार संगीत और नृत्य शिक्षकों के अनुशंसित वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| क्रम सं० | विभाग का नाम | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | स्वास्थ्य (बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मशाला)। | संगीत शिक्षक .. | 180—242 | 425—605 |
| 2 | ग्रामीण विकास और पंचायती राज (क्षेत्रीय स्थापना)। | बैंड प्रशिक्षक (बैंड इंस्ट्रक्टर)। | 220—315 | 535—765 |
| 3 | कल्याण विभाग (मुफस्सिल स्थापना)। | संगीत शिक्षक .. | 240—396 | 580—860 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | | रु० | रु० |
| 4 | शिक्षा (संगीत केन्द्र) .. | तबला शिक्षक | .. | 220—315 | 730—1,080 |
| 5 | शिक्षा (संगीत केन्द्र) .. | नृत्य शिक्षक | .. | 296—423 | 730—1,080 |
| 6 | शिक्षा (राजकीय कन्या मध्य विद्यालय निम्नतर अधीनस्थ सेवा)। | संगीत शिक्षक | .. | 296—423 | 730—1,080 |
| 7 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) | अनुदेशक (तबला) | .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 8 | शिक्षा (संगीत केन्द्र) .. | संगीत शिक्षक | .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 9 | शिक्षा (अधीनस्थ शिक्षा सेवा प्रशिक्षण महिला शाखा)। | संगीत शिक्षक | .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 10 | सूचना एवं जन-संपर्क विभाग .. | संगीत अनुदेशक | .. | 415—745 | 850—1,360 |

## जनजातीय भाषाओं के शिक्षक

26.25. कार्मिक विभाग के पत्र सं० 3384, दिनांक 16 फरवरी 1976 के अधीन जनजातीय भाषाओं में अंशकालिक शिक्षकों के पद नियत वेतन पर उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों के मुफस्सिल अनुमंडल और जिला मुख्यालयों तथा भागलपुर प्रमंडल के संथाल परगना जिले में स्वीकृत किए गए हैं। नियत वेतन की दरें, जो 1 मार्च 1976 से लागू की गई हैं उसके अनुसार अनुमंडलीय स्तर के शिक्षक को 155 रु० प्रतिमास और जिला मुख्यालयों के शिक्षकों को 220 रु० प्रतिमास दिया जाता है। समिति ने सभी संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके लिये निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतन की अनुशंसा की है :—

| क्रम सं० । | पदनाम । | | वर्त्तमान वेतमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | जनजातीय भाषाओं के शिक्षक (अनुमंडलीय स्तर पर) | .. | 155 | 425—605 |
| 2 | जनजातीय भाषाओं के शिक्षक (जिला स्तर पर) | .. | 220 | 535—765 |

**महिला औद्योगिक विद्यालयों की शिक्षिकाएं**

26.26. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अन्तर्गत महिला औद्योगिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं की निम्नलिखित तीन कोटियां हैं :—

| क्रम सं० । | पदनाम | | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| | | | रु० |
| 1 | कनीय अध्यापिका | .. | 220—315 |
| 2 | वरीय अध्यापिका | .. | 296—460 |
| 3 | प्रधान अध्यापिका | .. | 335—555 |

26.27. पूर्वोक्त कोटियों की सभी अध्यापिकाएं छात्राओं को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण देती हैं, इसलिए स्वभावत: ये अध्यापिकाएं स्वयं भी शिल्पों में प्रशिक्षित होती हैं। सीधी भरती केवल कनीय अध्यापिका के स्तर पर की जाती है जिनके लिये निम्नतम विहित योग्यता मैट्रिकुलेशन के अलावा कम-से-कम दो शिल्पों में प्रशिक्षित होना जरूरी है। वरीय अध्यापिकाओं के पद कनीय अध्यापिकाओं में से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं और प्रधान अध्यापिका का पद वरीय अध्यापिकाओं में से प्रोन्नति के द्वारा भरा जाता है। पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन अध्यापिकाओं के लिये जो वेतनमान अनुशंसित किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० | पदनाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | कनीय अध्यापिका .. .. .. | 200—315 | 580—860 |
| 2 | वरीय अध्यापिका .. .. .. | 296—460 | 680—965 |
| 3 | प्रधान अध्यापिका .. .. .. | 335—555 | 730—1,080 |

**महाविद्यालय के शिक्षक**

26.28. यद्यपि राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकांश महाविद्यालय विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में दे दिए गए हैं, फिर भी अनेक महाविद्यालय अब भी सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं जिन्हें वेतन पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है :—

(1) शिक्षा विभाग के अधीन पड़ने वाले महाविद्यालय, जैसे महिला महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय और स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय।

(2) विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अन्तर्गत पड़नेवाले महाविद्यालय जैसे भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी, सिन्द्री, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, राजकीय पॉलिटेकनिक एवं माइनिंग इंस्टीच्यूट।

(3) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पड़नेवाले महाविद्यालय, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय, तिब्बी महाविद्यालय, होमियोपैथिक महाविद्यालय आदि।

26.29. महाविद्यालयों की शेष कोटियों के शिक्षकों का वर्गीकरण सामान्यतः निम्नलिखित कोटियों में किया जाता है :—

(1) व्याख्याता अथवा सहायक प्रोफेसर।
(2) रीडर अथवा सह-प्रोफेसर।
(3) प्रोफेसर।
(4) विभागाध्यक्ष।
(5) प्रिंसिपल।

26.30. अध्यापकगण की पूर्वोक्त कोटियों को पुनः निम्नलिखित दो कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(1) गैर-तकनीकी कोटि, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मास्टर डिग्री की निम्नतम योग्यता सहित शिक्षण कला में भी मास्टर डिग्री तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों में पी० एच० डी० की अतिरिक्त योग्यता।

(2) तकनीकी कोटि, जिसके लिये संबद्ध टेक्नोलॉजी में निम्नतम विहित योग्यता मास्टर डिग्री होती थी।

राजकीय पॉलिटेकनिक और खनन संस्थानों में व्याख्याता (तकनीकी) की नई भरती के लिए हाल में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के पत्र 2, दिनांक 5 जनवरी 1979 के द्वारा यह योग्यता घटाकर दो साल के अनुभव या ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास सहित इंजिनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री कर दी गई है। अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिये उच्चतर योग्यता पहले की तरह बरकरार है।

26.31. महाविद्यालय अध्यापकों की ओर से इस समिति के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालयों के अधीन कार्यरत अध्यापकों तथा राज्य सरकार के अधीनस्थ अध्यापकों तथा सरकार के अधीनस्थ अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिए गए हैं किन्तु, उन्हें बिहार शिक्षा सेवा का सदस्य होने के नाते इस लाभ से वंचित रखा गया है और उन्हें राज्य सेवाओं में लागू निम्नतम वेतनमान दिया जा रहा है। वस्तुतः समिति ऐसा समझती है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ महाविद्यालयों के अध्यापक बिहार शिक्षा सेवा का सदस्य होने के नाते इस सेवा के लिये प्रचलित 510—1,155 रु० के वेतनमान के हकदार हैं, जबकि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अधीनस्थ महाविद्यालय के अध्यापकों को अपेक्षाकृत विशेष सुविधा दी गई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित 700—1,600 रु० और उससे आगे का वेतनमान केवल उनके लिये लागू किया गया है। हां, यह भी सही है कि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के महाविद्यालय के अध्यापकों के लिये पी० एच० डी० की अतिरिक्त योग्यता आवश्यक है, जैसाकि समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान विभाग का प्रतिनिधित्व करनेवाले पदाधिकारियों ने विशेष रूप से स्पष्ट किया। किन्तु राज्य सरकार की संबद्ध शिक्षण संस्थाओं के बीच कोई सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता, जिसके फलस्वरूप स्थिति में स्पष्टतः विसंगति आ गई है। समिति ने पहले ही सामान्य सिद्धांतों से संबद्ध उपर्युक्त अध्याय में अपना विचार व्यक्त किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण अन्यत्र विद्यमान वेतनमानों को अपनाकर या इसके परस्पर संबंध के आधार पर न कर स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। अतएव समिति ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित या विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ महाविद्यालयों में प्रचलित वेतनमानों से भिन्न जिस वेतनमान की अनुशंसा की है वह समान ढंग का है। इस बिसंगति को तभी दूर किया जा सकता है जब बिहार शिक्षा सेवा के लिये अनुशंसित समान वेतनमान इस प्रकार बनाया जाय जो अन्य महाविद्यालय अध्यापकों पर भी लागू किया जा सके जिनके कार्य का स्वरूप एक जैसा है और जिनसे समान शैक्षणिक योग्यता की अपेक्षा की जाती है।

26.32. अभियंत्रण महाविद्यालयों, टेक्नोलॉजी संस्थानों, पॉलिटेकनिकों एवं खनन संस्थानों के अध्यापकों की ओर से भी यह अभ्यावेदन दिया गया है कि गैर-तकनीकी अध्यापकों की तुलना में अपनी उच्चतर योग्यता के बावजूद जिसमें अपेक्षाकृत लंबी अवधि के शिक्षण प्रशिक्षण सम्मिलित हैं, उन्हें वही वेतनमान दिया गया है जो विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए प्रचलित है। समिति की राय में शिक्षण पदों के लिए अपेक्षित विहित निम्नतम योग्यता प्राप्त करने में यदि काफी समय लगता हो तो इसका प्रभाव वेतनमान पर अवश्य पड़ना चाहिए। किन्तु समिति ने इस पर भी ध्यान दिया है कि चूंकि गैर-तकनीकी व्याख्याताओं के लिए भी अब पी० एच० डी० की योग्यता अनिवार्य कर दी गई है अतः इस दृष्टि से वे एम० टेक० योग्यता वाले तकनीकी व्याख्याताओं के समतुल्य हो गए हैं। अतएव समिति ने विहित निम्नतम योग्यताओं में अन्तर को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए वेतनमानों की अनुशंसा की है।

**महाविद्यालय शिक्षकों के लिए अनुशंसित वेतनमान**

26.33. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, समिति ने विभिन्न कोटियों के महाविद्यालय शिक्षकों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा की है:—

(1) गैर-तकनीकी विषयों के व्याख्याता एवं सहायक प्राध्यापकगण, जिनके लिए न्यूनतम विहित योग्यता महज स्नातकोत्तर डिग्री है, जिसमें शिक्षण कला में अनुभव सहित या रहित स्नातकोत्तर डिग्री भी शामिल है, शिक्षा

विभाग के अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा के सदस्य के रूप में फिलहाल 510—1,155 रु० का वेतनमान पाते हैं, और विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग के अधीन राजकीय पॉलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों के शिक्षक के रूप में 700—1,300 रु० का वेतनमान पाते हैं। समिति इन सभी कोटियों के लिए 1,000—1,820 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(2) राजकीय पॉलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों में तकनीकी विषयों के व्याख्याता एवं सहायक प्राध्यापकगण, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता, अनुभव सहित या रहित, अभियंत्रण अथवा प्रावैधिकी में स्नातक डिग्री अथवा ए०एम० ई० आई० परीक्षोतीर्ण रखी गई है, को 700—1,300 रु० का वेतनमान दिया गया है। समिति उनलोगों के लिए भी वही वेतनमान, अर्थात् 1,000—1,820 रु० की अनुशंसा करती है।

(3) जो व्याख्याता अथवा सहायक प्राध्यापक प्रवर कोटि में होने के कारण या अन्यथा अभी 620—1,415 रु० अथवा 890—1,415 रु० के वेतनमान में हैं, भले ही वे बिहार शिक्षा सेवा में हैं या नहीं, उन्हें तदनुरूप उच्चतर वेतनमान, अर्थात् 1,350—2,000 रु० दिया जाना चाहिए।

(4) गैर-तकनीकी विषयों के व्याख्याता अथवा सहायक प्राध्यापक, जो मुख्यत: अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और जिनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री के अतिरिक्त पी०एच०डी० होना अपेक्षित है, अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा स्वीकृत 700—1,600 रु० के वेतनमान में हैं। उन्हें 1,350—2,000 रु० का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(5) तकनीकी विषयों के ऐसे व्याख्याता अथवा सहायक प्राध्यापक जो मुख्यत: पूर्वोक्त अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और जिनकी अपेक्षित न्यूनतम योग्यता संबद्ध प्रावैधिकी अर्थात एम० टेक० में स्नातकोत्तर डिग्री है; अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा स्वीकृत 700—1,600 रु० के वेतनमान में हैं। शिक्षा प्राप्ति में लगे कुल कार्यकाल की दृष्टि से गैर-तकनीकी विषयों में एम० टेक० की योग्यतावाले को प्राय: पी०एच०डी० के समकक्ष माना जाना चाहिए। इसलिए उन्हें गैर-तकनीकी विषयों के पूर्वोक्त व्याख्याताओं अथवा सहायक प्राध्यापकों के समकक्ष माना जाना चाहिए, चाहे उन्हें पी०एच०डी० की अतिरिक्त योग्यता, अथवा कोई विशेष अनुभव प्राप्त हो या नहीं। अतएव समिति उनलोगों के लिए 1,350—2,000 रु० के उसी वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(6) राजकीय पॉलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों के विभागाध्यक्षों फिलहाल 1,100—1,600 रु० के पृथक वेतनमान में है। ये प्रोन्नतिवाले पद हैं। अतएव समिति उनलोगों के लिए 1,350—2,000 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(7) अभियंत्रण महाविद्यालयों के रीडर (पाठक) अथवा सह-प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर्स), चाहे वे गैर-तकनीकी अथवा तकनीकी विषयों में क्यों न हों 1,200—1,900 रु० के वि०अ० आ० (यू०जी०सी०) वेतनमान में हैं। समिति उन सभी लोगों के लिए 1,575—2,300 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(8) पॉलिटेकनिकों एवं खनन संस्थानों के प्राचार्यगण भी 1,200—1,900 रु० के ही वेतनमान में हैं। समिति उनलोगों के लिए भी 1,575—2,300 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(9) अभियंत्रण महाविद्यालयों के तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी विषयों के प्रोफेसर 1,500—2,500 रु० के वेतनमान में हैं। समिति उनलोगों के लिए 1,900—2,500 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

(10) अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राचार्य भी 1,500—2,500 रु० के वेतनमान में हैं। वे लोग विभाग के वरिष्ठतम प्रोफेसरों (प्राध्यापकों) के बीच से चुने जाते हैं। समिति उनलोगों के लिए भी उसी वेतनमान, अर्थात् 1,900—2,500 रु० की अनुशंसा करती है।

(11) ऐसे शिक्षण कर्मचारी जो नियमित सेवा या संवर्ग के सदस्य होने के नाते या अन्यथा प्रवर कोटि पाने के हकदार होंगे, वे जहाँ भी नियोजित रहेंगे, वहाँ नि:स्संदेह अपनी प्रवर कोटि का वेतन प्राप्त करेंगे।

**चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्यापन पद**

26.34. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, जिनमें हाल ही सरकार द्वारा अपना लिए गए महाविद्यालय भी शामिल हैं, के अध्यापन संबंधी पदों को व्यापक रूप से दो कोटियों में विभाजित किया जा सकता है:—

(1) वैसे पद, जिनके लिए चिकित्सीय (मेडिकल) योग्यताएं, अर्थात एम०बी०बी०एस०, एम०डी०, एम० एस० आवश्यक नहीं है। इन सामान्य और गैर-तकनीकी विषयों के अध्यापकों को शिक्षण कार्मिकों के पूर्ववर्णित सिद्धांतों के अनुसार वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(2) अन्य शिक्षण कार्मिक, जिनके लिए चिकित्सीय (मेडिकल) योग्यताएं अपेक्षित हैं वे अधिकांशतः शैक्षिक पदों पर हैं : ये भी दो भिन्न-भिन्न कोटियों में आते हैं, अर्थात् क्लिनिकल (नैदानिक) और नन-क्लिनिकल (गैर-नैदानिक) पद। बिहार स्वास्थ्य सेवा में उनके लिए प्रचलित विभिन्न स्तर एवं वेतनमान इस प्रकार हैं:—

| स्तर। | पदनाम। | न्यूनतम योग्यता। | वेतनमान। | अभ्युक्ति। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (क) | क्लिनिकल (नैदानिक)— | | रु० | |
| (1) | रेजिडेन्टस .. | .. एम०बी० बी०एस० | 610—1,155 | प्रति माह 75 रु० की दर से शिक्षण भत्ता स्वीकृत। |
| (i) | रजिस्ट्रार .. | .. (स्नातकोत्तर डिग्री) | .. | |
| (ii) | ट्यूटर/असिस्टेंट प्रोफेसर | .. स्नातकोत्तर डिग्री | 610—1,155 | |
| (2) | एसोसियेट प्रोफेसर | .. | 970—1,325 | |
| (3) | प्रोफेसर | .. .. | 1,400—2,020 | |
| (4) | प्रोफेसर (एस०जी०) (25%) .. | | 1,855—2,130 | |
| (ख) | नन-क्लिनिकल— | | | |
| (1) | ट्यूटर .. | .. एम०बी०बी०एस० | 610—1,155 | प्रतिमाह 75 रु० की दर से शिक्षण भत्ता मंजूर। |
| (2) | असिस्टेंट प्रोफेसर | .. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 3 वर्ष का अनुभव। | 970—1,325 | विशेष प्रतिपूरक भत्ता 100 रु० प्रतिमाह की दर से मंजूर है। |
| (3) | एसोसियेट प्रोफेसर | .. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 6 वर्ष का अनुभव। | 970—1,325 | |
| (4) | प्रोफेसर | .. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 5 वर्षों का अनुभव। | 1,400—2,020 | प्रतिमाह 100 रु० की दर से विशेष प्रतिपूरक भत्ता मंजूर है। |
| (5) | प्रोफेसर (एस०जी०) (25%) | | 1,855—2,130 | |
| (ग) | सामान्य— | | | |
| (1) | प्रिंसिपल .. | | 1,950—2,150 | |
| (2) | अपर निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)। | | 2,000—2,300 | |

26.35. जैसाकि पूर्व में बताया गया है ऊपर बतायी गई हर कोटि के लिए पुनरीक्षित वेतनमान से संबंधित विषयों पर, राज्य सेवाओं के संबंध में अनुवर्ती अध्याय में विचार किया जाएगा। किन्तु यहाँ पर इतना उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि क्लिनिकल कोटि के रजिस्ट्रार तथा ट्यूटर/असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यद्यपि स्नातकोत्तर योग्यता अपेक्षित है, फिर भी उन्हें अभी 610—1,155 रु० का वेतनमान मिलता है, जो रेजिडेन्ट्स का वेतन है और जिसके लिए कोई स्नातकोत्तर योग्यता अपेक्षित नहीं है। इसके विपरीत क्लिनिकल कोटि में उनके समानान्तर पदधारी असिस्टेंट प्रोफेसर और नन-क्लिनिकल तथा क्लिनिकल कोटि के एसोसियट प्रोफेसर उच्चतर वेतन पाते हैं जो 970—1,325 रु० है। समिति की दृष्टि में यह विसंगति है और उसकी अनुशंसा है कि क्लिनिकल कोटि के रजिस्ट्रार, ट्यूटर/असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नन-क्लिनिकल कोटि के समानान्तर पदधारी के बराबर उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए। चूंकि शिक्षण सोपान में एसोसियट प्रोफेसर का स्थान असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊँचा है, इसलिए समिति ने इनके लिए भी उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की है। यह वेतनमान अभियंत्रण महाविद्यालयों में उनके समानान्तर पदों के लिए अनुशंसित वेतन के ढाँचे के अनुकूल है।

26.36. इन कोटियों के लिए अनुशंसित वेतनमान इस तरह हैं :—

| स्तर । | पंक्ति/पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| (i) क्लिनिकल कोटि .. | (1) रेजिडेन्ट्स .. .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियों सहित । |
| | (2) रजिस्ट्रार ट्यूटर/असिस्टेंट प्रोफेसर | 610—1,155 | 1,350—2,000 |
| | (3) एसोसियट प्रोफेसर .. | 970—1,325 | 1,575—2,300 |
| | (4) प्रोफेसर .. .. | 1,400—2,020 | 1,900—2,500 |
| | (5) अधिकाल वेतनमान में प्रोफेसर .. | 1,855—2,150 | 2,225—2,675 |
| (ii) नन-क्लिनिकल कोटि | (1) ट्यूटर .. .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियां सहित । |
| | (2) असिस्टेंट प्रोफेसर .. | 970—1,325 | 1,350—2,000 |
| | (3) एसोसियेट प्रोफेसर .. | 970—1,325 | 1,575—2,300 |
| | (4) प्रोफेसर .. .. | 1,400—2,020 | 1,900—2,500 |
| | (5) अधिकाल वेतनमान में प्रोफेसर | 1,855—2,130 | 2,225—2,675 |
| (iii) साधारण .. | (6) प्रिंसिपल .. .. | 1,950—2,150 | 2,325—2,850 |
| | (7) अपर निदेशक (चिकित्सीय शिक्षा) | 2,000—2,300 | 2,400—3,000 |

26.37. पूर्वोक्त अनुशंसित वेतन ढांचे की किसी कोटि में किसी शिक्षण भत्ता या विशेष क्षतिपूरक भत्ता के भुगतान का कोई औचित्य नहीं हैं। राज्य की किसी अन्य सेवा में भी, जहाँ शिक्षण प्रयोजन के लिए लोग नियोजित किए जाते हों, ऐसी कोई प्रणाली प्रचलित नहीं हैं। अतः समिति सिफारिश करती हैं कि शिक्षण भत्ता और विशेष क्षतिपूरक भत्ता की वर्त्तमान प्रणाली चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में समाप्त कर दी जानी चाहिए।

**दंत महाविद्यालय के शिक्षक**

26.38. राज्य में केवल एक ही दंत महाविद्यालय हैं, जो पटना में अवस्थित हैं। इसमें "दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक" के लिए डिग्री पाठ्यक्रम और "दंत शल्य चिकित्सा में अधिस्नातक" के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की व्यवस्था हैं। इस महाविद्यालय में विद्यार्थी संयुक्त प्राक् चिकित्सा-सह-दंत परीक्षा के आधार पर प्रवेश पाते हैं। डिग्री पाठ्यक्रम चार वर्षों का हैं और सफल उम्मीदवारों को छह महीने के लिए कनीय इन्टर्नशिप तथा इसके बाद छह महीने के लिए और वरीय इन्टर्नशिप करना पड़ता हैं।

26.39. दंत महाविद्यालय के शिक्षक बिहार दंत सेवा के संवर्ग के अधीन हैं, जो बिहार स्वास्थ्य सेवा का अंग नहीं हैं, यद्यपि दोनों संवर्गों के सदस्य एक ही सेवा संघ के अधीन आते हैं।

26.40. दंत शल्य-चिकित्सकों का वेतनमान और प्रोन्नति स्तर अधिकालिक वेतनमान के स्तर तक स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों की तरह ही हैं। दूसरे शब्दों में, कुल दंत संवर्ग में प्रोन्नति के लिए कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि और अधिकालिक वेतनमान के स्तरों में क्रमशः 20 प्रतिशत, साढ़े बारह प्रतिशत और ढाई प्रतिशत पद अनुमान्य हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जबतक कि संबंधित पद उच्चतर वेतनमान का नहीं हो वे धारित पदों पर अपना ही वेतनमान लेकर चलते हैं।

26.41. दंत महाविद्यालय के शिक्षण संवर्ग में 610—1,155 रु०, 970—1,325 रु० और 1,400—2,020 रु० के वेतनमान में तीन स्तर के पद हैं जिनके पदनाम क्रमशः ट्यूटर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं। ट्यूटर अपने वेतन के अलावे 75 रु० प्रतिमाह की दर से शिक्षण भत्ता पाते हैं। जिस लेक्चरर को ऐसे विषय के शिक्षण सौंपे जाते हैं, जिनके लिए देश में स्नातकोत्तर सुविधा उपलब्ध हैं, उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करनी पड़ती हैं। लेकिन जिस लेक्चरर को उन विषयों की शिक्षा देनी पड़ती हैं, जिनके लिए देश में स्नातकोत्तर सुविधा उपलब्ध नहीं हैं उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेसर के पद लेक्चरर से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

26.42. समिति को ज्ञात हुआ है कि वर्तमान प्रिंसिपल पहले ही से उच्चतर वेतनमान, अर्थात् 1,855—2,130 रु० में हैं, जो सेवा का अधिकालिक वेतनमान है। इसके अतिरिक्त वे प्रतिमाह 150 रु० की दर से विशेष वेतन भी पाते हैं। समिति का यह विचार है कि चिकित्सा महाविद्यालयों की तरह दंत महाविद्यालय के प्रिंसिपल को भी प्रोफेसर से उच्चतर वेतनमान में रखा जाना चाहिए।

26.43. उनकी कार्य-कुशलता, कर्त्तव्य और चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षकों की तुलना में विद्यमान सापेक्षता पर सम्यक् रूप से विचार करती हुई समिति उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | ट्यूटर .. .. .. .. | 610—1,155 .. | 1,000—1 820 |
| 2 | लेक्चरर .. .. .. .. | 970—1,325 .. | 1,350—2,000 |
| 3 | प्रोफेसर .. .. .. .. | 1,400—2,020 .. | 1,900—2,500 |
| 4 | प्रिंसिपल .. .. .. .. | 1,855—2,130 .. | 2,225—2,675 |

26.44. अनुशंसित उच्चतर वेतनमान को देखते हुए समिति ट्यूटर के मामले में प्रतिमाह 75 रु० के शिक्षण भत्ता और प्रधानाचार्य के मामले में 150 रु० के विशेष वेतन को बरकरार रखने का कोई औचित्य नहीं देखती। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि ऐसे सभी विशेष वेतन और विशेष भत्ते समाप्त किए जाएँ।

**आयुर्वेदिक महाविद्यालय के शिक्षक**

26.45. राज्य में स्वास्थ्य विभाग की देशी दवाओं के निदेशालय के अधीन दो आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं—एक पटना में और दूसरा बेगूसराय में। इन महाविद्यालयों का शैक्षिक और कर्मचारीवृन्द का ढांचा केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद् (सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन) द्वारा अनुशंसित मानकों के आधार पर समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। ये महाविद्यालय संस्कृत विषय के साथ प्राक् विश्वविद्यालय या उच्च माध्यमिक योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं और उन्हें "आयुर्वेदाचार्य" या "आयर्वेदिक औषध और शल्य-चिकित्सा स्नातक" की डिग्री के लिए तैयार करते हैं, जिसमें एक वर्ष का प्राक् आयर्वेदिक पाठ्यक्रम, पांच वर्ष का मुख्य आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम और छह महीने का इन्टर्नशिप शामिल है।

26.46 आयुर्वेदिक महाविद्यालय के शिक्षकों की तीन कोटियां हैं—"आयुर्वेदाचार्य" योग्यता वाले, एम० बी० बी० एस० योग्यता वाले और मूल विषयों जैसे, अंग्रेजी, रसायनशास्त्र आदि में अधिस्नातक ( Master ) अर्हता वाले।

26.47. आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में मुख्य शिक्षण पदानुक्रम के अन्तर्गत "आयुर्वेदाचार्य" की योग्यता वाले शिक्षक लिए जाते हैं। पदानुक्रम के अन्तर्गत 610—1,155 रु० के वेतनमान में डिमॉन्स्ट्रेटर और लेक्चरर, 650—1,300 रु० के वेतनमान में रीडर, 800—1,450 रु० के वेतनमान में प्रोफेसर और 1,200–1,800 रु० के वेतनमान में प्रिंसिपल आते हैं। इनमें से कोई भी शिक्षण भत्ता या ऐसा ही अन्य पारिश्रमिक आदि नहीं पाते हैं। इसके लिए विहित योग्यता संस्कृत के ज्ञान के साथ बी० ए० एम० एस० डिग्री है, लेक्चरर और इसके ऊपर के पद के लिए वांछनीय योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री है। लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के लिए क्रमशः तीन, पांच और दस वर्षों का शिक्षण अनुभव विहित किया गया है। पर्वोक्त योग्यता केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद् द्वारा विहित की गई है जिसने ऐसे पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) के वेतनमान की सिफारिश की है। आयुर्वेद शाखा के डॉक्टरों के प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें वर्तमान वेतनमान को अपर्याप्त बताया गया है और बिहार स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के अनुरूप उच्चतर वेतनमान और प्रोन्नति की संभावनाओं की मांग की गई है।

26.48. समिति को यह जानकारी मिली है कि औषधि की देशी प्रणाली के डॉक्टर (जैसा कि इन्हें साधारण बोलचाल में कहा जाता है) स्वास्थ्य सेवा के सदस्य नहीं होते, स्वास्थ्य सेवा में केवल एम० बी० बी० एस० योग्यता वाले डॉक्टर ही रहते हैं। बिहार स्वास्थ्य सेवा में प्रचलित वेतनमान का जो प्रारंभिक वेतनमान है उसी के समतुल्य वेतन औषधि की देशी प्रणाली के डॉक्टरों को दिया गया है। किन्तु उच्च स्तरों पर उन्हें जो वेतनमान दिया गया है वह बिहार स्वास्थ्य सेवा के तत्समान स्तरों पर दिए जानेवाले वेतन की तुलना में कम है।

26.49. वेतनमान से संबंधित पूर्वोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं० । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | डिमोन्सट्रेटर .. .. .. .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | लेक्चरर .. .. .. .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | रीडर .. .. .. .. | 650—1,300 | 1,350—2,000 |
| 4 | प्रोफेसर .. .. .. .. | 800—1,450 | 1,575—2,300 |
| 5 | प्रिंसिपल .. .. .. .. | 1,200—1,800 | 1,900—2,500 |

26.50. यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि पूर्वोक्त सिफारिश में वे शिक्षक भी शामिल हैं, जो गैर-चिकित्सा शाखा, जैसे रसायन शास्त्र, अंग्रेजी आदि से संबद्ध हैं और जिनके लिए अपने विषय में अधिस्नातक डिग्री प्राप्त करना अपेक्षित है।

26.51. आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऐसे शिक्षक, जो प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा स्वास्थ्य सेवा से आते हैं, वे अपना वेतनमान पाते हैं । एम० बी० बी० एस० की योग्यता वाले ऐसे शिक्षक, जो स्वास्थ्य सेवा के सदस्य नहीं हैं अर्थात्, पृथक पद धारण करते हैं, वे उसी वेतनमान के हकदार होंगे, जो वेतनमान चिकित्सा महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पदधारियों के लिए अनुशंसित किया गया है । इसलिए, वे भी 1,000—1,820 रु० के वेतनमान की मूल श्रेणी में तीन अग्रिम वेतन-वृद्धि के हकदार होंगे ।

**तिब्बी महाविद्यालय के शिक्षक**

26.52 राज्य में देशी औषधि निदेशालय के अधीन यूनानी औषधि प्रणाली का एक ही महाविद्यालय पटना में है। यह महाविद्यालय भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद् द्वारा यथाविहित "यूनानी औषधि और शल्य चिकित्सा स्नातक" की डिग्री के लिए शिक्षा प्रदान करता है। यह महाविद्यालय प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण या समकक्ष प्राच्य योग्यता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देता है और दो वर्षों के लिए प्राक् तिब्बी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। उच्च माध्यमिक, प्राक् विश्वविद्यालय या मध्यवर्ती (इन्टरमीडियट) योग्यता के साथ प्रवेश पानेवाले को एक वर्ष का प्राक् तिब्बी पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। उसके बाद पूर्ण रूप से यूनानी डॉक्टरों की योग्यता प्राप्त करने के लिए छात्रों को पांच वर्ष तक मुख्य बी० यू० एम० एस० पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त छः महीने का इन्टर्नशीप (Internship) करना पड़ता है।

26.53. तिब्बी महाविद्यालय में भी पढ़ानेवाले तीन कोटियों के हैं अर्थात्, यूनानी योग्यता, एम० बी० बी० एस० योग्यता और अंग्रेजी, अरबी आदि जैसे गैर-चिकित्सीय विषयों में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता रखनेवाले ।

26.54. तिब्बी महाविद्यालय के शिक्षण-पदानुक्रम की मुख्य धारा उसी तरह की है जिस तरह की आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की है और यह न सिर्फ पदनाम और वेतनमान बल्कि योग्यता के संबंध में भी लागू है। उन्हें भी किसी तरह का या उसी

तरह का अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है। अतः विभिन्न स्तरों के साथ-साथ अरबी, अंग्रेजी, रसायन आदि जैसे सामान्य विषयों के शिक्षकों के लिए अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | डिमोन्सट्रेटर .. .. .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 | लेक्चरर .. .. .. | 610—1,155 | 1,000—1,820 |
| 3 | रीडर .. .. .. .. | 650—1,300 | 1,350—2,000 |
| 4 | प्रोफेसर .. .. .. .. | 800—1,450 | 1,575—2,300 |
| 5 | प्रिंसिपल (प्राधानाचार्य) .. .. .. | 1,200—1,800 | 1,900—2,500 |

26.55. उसी तरह ऐसे शिक्षणकर्मी को जो प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण पर बिहार स्वास्थ्य सेवा के हैं, अपना वेतनमान मिलेगा और जिन्हें एम० बी० बी० एस० की योग्यता है किन्तु स्वास्थ्य सेवा के नहीं हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में अपने प्रतिपक्ष के समान ही वेतनमान मिलेगा। इसलिए मूल स्तर पर 1,000—1,820 रु० के वेतनमान में वे तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियों के भी हकदार होंगे।

**डिमांस्ट्रेटर**

26.56. शिक्षा के मैट्रिक स्तर के बाद डिमांस्ट्रेटर सामान्यतः ऐसे शिक्षण विभागों से संबद्ध रहते हैं जहां विज्ञान प्रयोगशालायें हुआ करती हैं। उनके लिए विहित न्यूनतम योग्यता विज्ञान की स्नातक डिग्री होती है। परन्तु रिपोर्ट है कि राज्य सरकार के अधीन वे दो विभिन्न वेतनमानों में हैं। बिहार इंस्टीच्यट ऑफ टेकनोलाजी में डिमांस्ट्रेटर 348—600 रु० के वेतनमान में हैं जबकि पोलिटेकनीक और खनन संस्थानों में उनका वेतनमान 400—660 रु० है। समिति अनुभव करती है कि समान कार्य के लिए ऐसे भेदमूलक वेतनमान रहने देने का कोई कारण नहीं है। उनके कर्त्तव्यों और शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, समिति इन दोनों कोटियों के लिए 785—1,210 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

**अनुदेशक**

26.57. राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के अन्तर्गत अधिकतर तकनीकी प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं में अनुदेशक के बहुत से पद हैं। ऐसे अनुदेशकों के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता मिडल, मैट्रिक या आई० ए० भी हो सकती है; परन्तु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य संस्थाओं में नियमित प्रशिक्षण की तरह विशेष योग्यता या बहुत उच्च कोटि की प्रवीणता या दीर्घकालीन अनुभव की भी निरंतर अपेक्षा की जाती है। समिति महसूस करती है कि वेतनमान के मामले में इन प्रशिक्षित अनुदेशकों को प्रशिक्षित शिक्षकों के बराबर मानना चाहिए और यदि कहीं विशेष बातों को ध्यान में रखकर उच्चतर वेतनमान दिए जा चुके हैं तो दूसरों के लिए भी उच्चतर वेतन की सापेक्षता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

26.58. इस अध्याय में पहले ही शिक्षकों के साथ, अनेक कोटियों के अनुदेशकों के केस पर विवेचना की जा चुकी है। अनुदेशकों की और कई कोटियां हैं जो वर्दीधारी सेवाओं के हैं और उन्हें स्पष्टतः सिपाही, नायक, हवलदार आदि जैसे संबद्ध पंक्तियों का वेतनमान या अनुशंसित वेतनमान मिलेगा। समिति ने निम्न कंडिकाओं में अनुदेशकों की कुछ ऐसी विशेष कोटियों की चर्चा की है जिनके बारे में पहले विवेचना नहीं की गयी है।

**हिन्दी अनुदेशक**

26.59. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमंडल स्तर पर दो विभिन्न कोटियों के हिन्दी अनुदेशक हैं, जो उपयुक्त अनुसचिवीय स्टाफ सहायक हिन्दी अनुदेशकों और प्रमंडल हिन्दी अनुदेशकों में से चुने जाते हैं। सहायक हिन्दी अनुदेशक यदि वे क्षेत्र के अनुसचिवीय स्टाफ में से चुने जाएं तो 340—490 रु० के वेतनमान में या सचिवालय के सहायकों से चुने जाएं तो 348—570 रु० का वेतनमान पाते हैं। प्रमंडलीय हिन्दी अनुदेशक प्रशाखा पदाधिकारियों के समान 580—840 रु० के वेतनमान में हैं। तदनुसार समिति उनके लिए निम्न वेतनमान की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं०। | पदनाम | | | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| | | | | रु० | रु० |
| 1 | सहायक हिन्दी अनुदेशक | .. | .. | 340—490 | 680—965 |
| 2 | सहायक हिन्दी अनुदेशक | .. | .. | 348—570 | 730—1,080 |
| 3 | प्रमंडलीय हिन्दी अनुदेशक | .. | .. | 580—840 | 880—1,510 |

26.60. राजभाषा विभाग में टंकन और आशुलिपि अनुदेशकों के कुछ पद हाल ही में सृजित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | | | पदों की संख्या। | वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| | | | | | रु० |
| 1 | सहायक अनुदेशक (टंकन) | .. | .. | 7 | 296—460 |
| 2 | अनुदेशक (आशुलिपि) | .. | .. | 7 | 400—630 |

26.61. सहायक अनुदेशकों (टंकन) के लिए टंकन में आवश्यक प्रवीणता के साथ मैट्रिक होना अपेक्षित है। वे सचिवालय में टंककों के वेतनमान में हैं और उनकी मौजूदा सापेक्षता में गड़बड़ी पैदा करने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार समिति उनके लिए 580—860 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

26.62. अनुदेशकों के लिए आशुलिपि में आवश्यक प्रवीणता के साथ इन्टरमीडियेट होना अपेक्षित है। अभी वे उसी वेतनमान में हैं जिसमें पूर्ववर्ती आशुलिपिक, जो अब निजी सहायक के रूप में जाने जाते हैं, श्रेणी I में थे। समिति को मौजूदा समता में कोई गड़बड़ी पैदा करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। अतः उनके लिए 785—1,210 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

**ग्राम स्वयंसेवक दल के अनुदेशक**

26.63. पंचायती राज निदेशालय के अधीन ग्राम स्वयंसेवक दल के लिए अनुदेशकों की चार विभिन्न कोटियां तीन अलग-अलग वेतनमान में हैं। समिति ने आवश्यक विचार करने के बाद उनके लिए निम्नलिखित वेतनमान की सिफारिश की है :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुसंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | दल अनुदेशक .. . .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | तृतीय अनुदेशक .. .. .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 3 | द्वितीय अनुदेशक .. .. .. .. | 240—396 | 580—860 |
| 4 | प्रधान अनुदेशक .. .. .. .. | 296—460 | 680—965 |

**प्रतिरूपण (माडलिंग) अनुदेशक**

26.64. शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के अधीन जहाज प्रतिरूपण (माडलिंग) अनुदेशक का एक पद और वायुयान प्रतिरूपण अनुदेशक का दूसरा पद है। इस दोनों पदों के लिए एक ही अर्थात् 296—460 रु० का वेतनमान है। उन्हें संबद्ध कार्यों में विशेष रूप से प्रशिक्षित होना है। इसलिए, जाहिर है कि उनके लिए प्रोन्नति की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में, विशेष प्रशिक्षण और प्रोन्नति की संभावनाओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों अनुदेशकों ने इस समिति के समक्ष उच्चतर वेतनमान के लिए अभ्यावेदन दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अपनी नियुक्ति के समय से वे एक ही कार्य में बंधे हुए हैं। समिति इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए 680—965 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

26.65. समिति समुचित अध्याय में प्रोन्नति संबंधी संभावनाओं पर सामान्य अनुशंसा पहले ही कर चुकी है।

**उड्डयन अनुदेशक**

26.66. 6 फरवरी, 1978 से राज्य सरकार ने बिहार उड्डयन संस्थान को अपने नियंत्रण में ले लिया और अब यह परिवहन विभाग के अधीन है तथा विमान चालक को विशेष प्रशिक्षण देता है। परिवहन विभाग के समुचित अध्याय में उनके केस की विवेचना और भी विस्तार से की गई है। उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों के अत्यन्त विशिष्ट और जोखिम-भरे स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश की गयी है :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | ग्लाइडिंग अनुदेशक .. .. .. | 500—700 | 1,350—2,000 |
| 2 | असिस्टेंट फ्लाइट इन्सट्रक्टर .. .. .. | 500—700 | 1,350—2,000 |
| 3 | फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर .. .. .. .. | 750—1,000 | 1,575—2,300 |
| 4 | चीफ फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर .. .. .. | 1,000—1,800 | 1,900—2,500 |

**अनुदेशकों की मुख्य कोटियां**

26.67. परन्तु अधिकांश अनुदेशकों की कोटि, जो समिति की नजर में आई हैं, पूर्वोक्त मानक पैटर्न के अन्तर्गत नहीं रखी जा सकती हैं क्योंकि योग्यता, विशिष्ट प्रशिक्षण, प्रवीणता और कर्त्तव्यों के स्वरूप में भरपूर अन्तर हैं। अनुदेशकों के मामले में आवश्यक प्रशिक्षण देने की प्रवीणता और योग्यता मुख्य मार्गदर्शक तथ्य होगी। समिति ने भिन्न-भिन्न योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त अनुदेशकों के समुचित पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किए हैं :—

| क्रम सं०। | —— | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 1 | साक्षर काम की अधिक जानकारी .. .. .. | 375—480 |
| 2 | किसी विशेष प्रशिक्षण के बिना नन-मैट्रिक किन्तु कार्य में प्रवीणता या काम का अनुभव .. | 400—540 |
| 3 | नन-मैट्रिक, विशेष रूप से प्रशिक्षित, या विशेष प्रवीणता या दीर्घकालीन अनुभव .. .. | 580—860 |
| 4 | विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना मैट्रिक किन्तु काम में प्रवीण या काम का अनुभव | 535—765 |
| 5 | विशेष रूप से प्रशिक्षित मैट्रिक या विशेष प्रवीणता या दीर्घकालीन अनुभव .. .. | 580—860 |
| 6 | विधिवत् प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना आई० ए० किन्तु काम में प्रवीणता या काम का अनुभव | 680—965 |
| 7 | विशेष रूप से प्रशिक्षित आई० ए० या काम में विशेष रूप से प्रवीणता या काम का दीर्घकालीन अनुभव। | 730—1,080 |
| 8 | किसी विधिवत् प्रशिक्षण के बिना स्नातक किन्तु अपेक्षित प्रवीणता .. .. | 785—1,210 |
| 9 | स्नातक प्रशिक्षित या विशेष रूप से प्रवीणता .. .. .. | 850—1,360 |

26.68. अनुदेशकों के अन्य मामले भी हैं जो पूर्वोक्त ढांचे के अनुरूप हैं। ऐसे मामले में समिति ने उनके काम की अपेक्षाओं से संबंधित सामान्य मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिश की है।

**अनुदेशकों के लिए अनुशंसित वेतनमान**

26.69. ऊपर चर्चित अनुदेशकों की सभी कोटियों के संबंध में समिति ने वेतनमान की जो सिफारिश की है वह इस प्रकार है :—

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | गृह (परिवीक्षा सेवा) .. | व्यायाम शिक्षक-सह-दरवान .. | 180—242 | 375—480 |
| 2 | गृह (होम गार्ड) .. | नायक अनुदेशक .. | 190—254 | 425—605 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 3 | कल्याण (क्षेत्रीय कर्मचारी) .. | अनुदेशक .. .. | 205—284 | 535—765 |
| 4 | शिक्षा .. .. | चर्खा शिक्षक .. | 205—284 | 535—765 |
| 5 | गृह (कारा विभाग, क्षेत्र विनिर्माण प्रशाखा)। | चर्म अनुदेशक .. | 220—315 | 535—765 |
| 6 | गृह (कारा विभाग क्षेत्र स्थापना, विनिर्माण प्रशाखा)। | दरी अनुदेशक .. | 220—315 | 535—765 |
| 7 | गृह (होम गार्ड) .. | हवलदार अनुदेशक .. | 205—284 | 480—680 |
| 8 | श्रम एवं नियोजन .. | मोटर चालन अनुदेशक .. | 220—315 | 535—765 |
| 9 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज क्षेत्र स्थापना)। | बैंड शिक्षक .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 10 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज क्षेत्र स्थापना)। | तीसरा अनुदेशक .. | 220—315 | 535—765 |
| 11 | स्वास्थ्य (बुनियादी स्वास्थ्य कामगारों की स्थापना)। | बुनाई अनुदेशक .. | 220—315 | 535—765 |
| 12 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | अंडी अनुदेशक .. | 220—315 | 535—765 |
| 13 | कल्याण (क्षेत्र स्थापना) .. | अनुदेशक-सह-प्रामुद्र शोधक (प्रूफ रीडर)। | 230—340 | 535—765 |
| 14 | स्वास्थ्य (बुनियादी स्वास्थ्य कामगारों की स्थापना)। .. | बुनाई अनुदेशक .. | 240—396 | 535—765 |
| 15 | स्वास्थ्य (बुनियादी स्वास्थ्य कामगारों कामगारों की स्थापना)। | व्यायाम शिक्षक .. | 240—396 | 535—765 |
| 16 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | बुनाई अनुदेशक, तानी मास्टर, बुनाई मास्टर। | 240—396 | 535—765 |
| 17 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | रेशम उत्पादन मास्टर, रौलिंग मास्टर। | 240—396 | 535—765 |
| 18 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | रंग मास्टर, परिष्करण (फिनिसिंग) मास्टर। | 240—396 | 535—765 |
| 19 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज क्षेत्र स्थापना)। | दूसरा अनुदेशक .. | 240—396 | 580—860 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 20 | गृह (परिवीक्षा सेवा बोर्स्टल स्कूल) .. | हस्त शिल्प अनुदेशक .. | 296—460 | 580—860 |
| 21 | कल्याण (क्षेत्र स्थापना) .. | वरीय अनुदेशक .. | 296—460 | 580—860 |
| 22 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०, सिन्दरी) । | प्रधान विद्युत् .. | 240—396 | 580—860 |
| 23 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०सी०ई०) | खेल-कूद शिक्षक .. | 240—396 | 580—860 |
| 24 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०) | खेल-कूद मास्टर .. | 240—396 | 580—860 |
| 25 | उद्योग विभाग .. | अनुदेशक .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 26 | ग्रामीण विकास (पंचायती राज क्षेत्र स्थापना) । | प्रधान अनुदेशक .. | 296—460 | 680—965 |
| 27 | शिक्षा (एन०सी०सी०) .. | जहाज प्रतिरूपण अनुदेशक (शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर) । | 296—460 | 680—965 |
| 28 | शिक्षा (एन०सी०सी०) .. | विमान प्रतिरूपण अनुदेशक (एरो-माडलिंग इंस्ट्रक्टर) । | 296—460 | 680—965 |
| 29 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०, सिन्दरी) । | खेलकूद अनुदेशक .. | 296—460 | 680—965 |
| 30 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एम०आई०टी०) | व्यायाम शिक्षक .. | 296—460 | 680—965 |
| 31 | वित्त (सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग) । | शिक्षु (अपरेंटिस) अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 32 | वित्त (प्रेस एवं फारम, गया) .. | अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 33 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एम०आई० टी०) । | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 34 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 35 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (सरकारी बहु-शिल्प पॉलिटेकनीक एवं खनन संस्थान) । | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 36 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद) । | कनीय अनदेशक .. | 340—490 | 680—965 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 37 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 38 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 39 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 40 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 41 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 42 | उद्योग (ग्राम शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र) | अनुदेशक .. .. | 340—490 | 680—965 |
| 43 | उद्योग (सिलाई-सह-कशीदाकारी) | वरीय अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 44 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | वरीय अनुदेशक, सिल्क .. | 340—490 | 680—965 |
| 45 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | वरीय अनुदेशक, रंग आदि | 340—490 | 680—965 |
| 46 | उद्योग (सिल्क स्कीम) .. | वरीय अनुदेशक, बुनाई .. | 340—490 | 680—965 |
| 47 | आयुक्त कार्यालय, पटना .. | सहायक हिन्दी अनुदेशक .. | 340—490 | 680—965 |
| 48 | श्रम एवं नियोजन .. | कनीय अनुदेशक .. | 340—490 | 730—1,080 |
| 49 | शिक्षा (ई०एस०एस०) .. | हस्तकला प्रशिक्षण अनुदेशक | 296—423 | 730—1,080 |
| 50 | शिक्षा विभाग .. .. | व्यायाम शिक्षक .. | 296—423 | 730—1,080 |
| 51 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | कृषि अनुदेशक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 52 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एम०आई०टी०)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 53 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०सी०ई०) | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 54 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०)। | मुख्य अनुदेशक (मेकेनिकल) | 335—555 | 730—1,080 |
| 55 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 56 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई० टी०)। | कर्मशाला अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 57 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 58 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 59 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 60 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 61 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खनन संस्थान, धनबाद)। | वरीय अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 62 | श्रम एवं नियोजन .. | गणित अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 63 | श्रम एवं नियोजन .. | वरीय औद्योगिक अनुदेशक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 64 | आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर .. | सहायक हिन्दी अनुदेशक .. | 348—570 | 730—1,080 |
| 65 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | सहायक कला अनुदेशक .. | 348—570 | 785—1,210 |
| 66 | श्रम विभाग .. .. | वरीय औद्योगिक अनुदेशक .. | 348—600 | 785—1,210 |
| 67 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | अनुदेशक (व्यायाम) .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 68 | शिक्षा विभाग .. .. | अनुदेशक (कला) .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 69 | शिक्षा विभाग .. .. | अनुदेशक (तबला) .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०सी०ई०) | फोरमैन अनुदेशक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 71 | श्रम एवं नियोजन .. .. | मुख्य अनुदेशक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 72 | श्रम एवं नियोजन .. .. | मेकैनिक अनुदेशक (अनुरक्षण) | 400—660 | 785—1,210 |
| 73 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०, सिन्दरी)। | फोरमैन अनुदेशक .. | 415—720 | 850—1,360 |
| 74 | शिक्षा (एस० ई० एस०) .. | अनुदेशक (व्यवसाय पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र)। | 415—745 | 850—1,360 |
| 75 | शिक्षा (एस० ई० एस०) .. | विभिन्न व्यापारों के अनुदेशक | 415—745 | 850—1,360 |
| 76 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | अनुदेशक (धातु) .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 77 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (सरकारी पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थान)। | नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन) अनुदेशक। | 415—745 | 850—1,360 |

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 78 | विज्ञान प्रौद्योगिकी (एम०आई०टी०) | नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन) अनुदेशक। | 415—745 | 850—1,360 |
| 79 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | संगीत अनुदेशक .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 80 | सूचना एगं जन-सम्पर्क विभाग .. | मुख्य अनुदेशक, संगीत एवं नाटक | 415—745 | 850—1,360 |
| 81 | कृषि भूमि संरक्षण .. .. | अनुदेशक .. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 82 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | कला अनुदेशक (गीत एवं नाटक) | 455—840 | 880—1,510 |
| 83 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण ब्यूरो) .. | समाज विज्ञान अनुदेशक .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 84 | आयुक्त कार्यालय, पटना .. | प्रमंडलीय हिन्दी अनुदेशक .. | 580—840 | 880—1,510 |
| 85 | आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर .. | हिन्दी अनुदेशक .. | 580—840 | 880—1,510 |
| 86 | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | व्याख्याता, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार नियोजन। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 87 | कृषि विभाग .. .. | अनुदेशक, शस्य विज्ञान (क्षेत्र स्तर पर)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 88 | वही .. .. | अनुदेशक, पौधा-संरक्षण (क्षेत्र-स्तर पर)। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 89 | वही .. .. | अनुदेशक, विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 90 | वही .. .. | अनुदेशक, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 91 | वही .. .. | अनुदेशक, रसायन शास्त्र .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 92 | वही .. .. | अनुदेशक, उद्यान .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 93 | वही .. .. | अनुदेशक, कृषि अभियंत्रण विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 94 | पशुपालन .. .. | अनुदेशक .. .. | 445—745 | 850—1,360 |
| 95 | परिवहन विभाग (उड़ान संस्थान) .. | ग्लाइडिंग अनुदेशक .. | 500—700 | 1,350—2,000 |
| 96 | परिवहन विभाग (उड़ान संस्थान) .. | सहायक उड़ान अनुदेशक .. | 500—700 | 1,350—2,000 |
| 97 | पशुपालन विभाग .. .. | मुख्य अनुदेशक, पशु-चिकित्सा विद्यालय, डुमरांव। | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 98 | पशुपालन विभाग .. .. | अनुदेशक, कृषि विद्यालय .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 99 | परिवहन विभाग (उड्डयन संस्थान) .. | उड्डयन अनुदेशक .. | 750—1,000 | 1,575—2,300 |
| 100 | परिवहन विभाग (उड्डयन संस्थान) | मुख्य उड्डयन अनुदेशक .. | 1,000—1,800 | 1,900—2,500 |

# अध्याय 27

## सिपाही, वार्डर और वन-रक्षक

27.1. इस प्रकरण में समुचित वेतनमान के बारे में पुलिस कांस्टेबलों के, जिनमें सिपाही और सवार तथा गृह-रक्षक संघटन के सिपाही, उत्पाद सिपाही, जेल वार्डर और वन रक्षक शामिल हैं, तुलनात्मक दावे की चर्चा हुई है। चूंकि कर्मचारियों की सभी उत्तरवर्त्ती कोटियां पुलिस कांस्टेबल के समान वेतनमान और अन्य सुविधाओं के लिए दावा करती रही है, इसलिए समिति का विचार है कि ऐसे कर्मचारियों को समतुल्य कोटियों जैसा समझा जाए।

27.2. पुलिस सिपाही और जेल वार्डर 205—284 रु० के समान वेतनमान में है और होमगार्ड के सिपाही 190—254 रु० और उत्पाद सिपाही तथा वन-रक्षक 165—204 रु० के वेतनमान में हैं। तीनों उत्तरवर्त्ती कोटियों के कर्मचारी पुलिस सिपाही के समान वेतनमान का दावा करते रहे हैं।

27.3. निम्नलिखित विवरण में पूर्वोक्त पांच कोटियों के कर्मचारियों के बारे में पहले के वेतन पुनरीक्षण का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है :—

| .... | पुलिस सिपाही | उत्पाद सिपाही | जेल वार्डर | वन रक्षक | होमगार्ड का सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| 1. प्रथम वेतन पुनरीक्षण समिति के आधार पर। | 28—40 | $22\frac{1}{2}$—$27\frac{1}{2}$ | 30—45 | 25—$32\frac{1}{2}$ | 30—$45\frac{1}{2}$ |
| 2. बीच में किया गया पुनरीक्षण | 30—45 | .. | .. | .. | .. |
| 3. दूसरी वेतन पुनरीक्षण समिति के आधार पर। | 95—115 | 70—80 | 65—110 | 75—85 | 95—115 |
| 4. तीसरी वेतन पुनरीक्षण समिति के आधार पर। | 190—254 | 165—204 | 190—254 | 165—204 | 190—254 |
| 5. 1 मार्च 1977 से .. | 205—284 | .. | .. | .. | .. |
| 6. जेल वार्डरों के मामले में 1 अप्रील 1977 से प्रभावी। | .. | .. | 205—284 | .. | .. |
| 7. मौजूदा वेतनमान .. | 205—284 | 165—204 | 205—284 | 165—204 | 190—254 |

27.4. जैसा कि पूर्वोक्त विवरण से पता चलेगा, इन पांच कोटियों की पारस्परिक सापेक्षता समय-समय पर बदलती रही है, जबकि प्रथम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार जेल वार्डरों और होम गार्ड के सिपाही को शेष कर्मचारियों से उच्चतर वेतनमान पर द्वितीय पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर पुलिस सिपाहियों का वेतनमान होम गार्ड के सिपाहियों के समान कर दिया गया, किन्तु जेल वार्डरों का वेतनमान कम रहा। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने जेल वार्डरों का वेतनमान बढ़ाकर पुलिस सिपाही और होमगार्ड के सिपाही के बराबर कर दिया। यह एकरूपता मार्च, 1977 तक बनी रही जब से सिपाहियों और बाद में जेल वार्डरों का वेतनमान और भी बढ़ाकर 205—284 रु० कर दिया है। पूर्वोक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पुलिस और जेल वार्डरों का कार्यस्वरूप तथा होम गार्ड के सिपाहियों की विशेष योग्यता पर अच्छी तरह विचार करने के बाद समिति की राय है कि इन तीनों कोटियों के कर्मचारियों का वेतनमान फिर से बराबर कर दिया जाए।

27.5. वन रक्षक और उत्पाद सिपाहियों का वेतनमान परंपरागत रूप से ऊपर चर्चित अन्य तीन कोटियों से कम था और तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन होने तक उत्पाद सिपाहियों का वेतनमान न्यूनतम था जिसे वन-रक्षक के स्तर तक बढ़ा दिया गया। इन दोनों कोटि के कर्मचारियों ने अपने कार्य के दुष्कर और जोखिम भरे स्वरूप के आधार पर वेतनमान को उत्क्रमित और पुलिस सिपाही के बराबर करने के लिए अभ्यावेदन किया है। समिति ने अन्य कोटियों सहित उत्पाद सिपाहियों और वन रक्षकों के कार्य के स्वरूप और स्थिति की तजबीज की है और अनुभव किया है कि उनका कर्त्तव्य जेल वार्डरों और गृह-रक्षक सिपाहियों के कर्त्तव्यों से कम कठिन, जोखिम भरा महत्वपूर्ण नहीं है जो वेतनमान के मामले में पुलिस सिपाही के समकक्ष है। इसलिए, समिति की राय है कि उत्पाद सिपाहियों और वन-रक्षकों के वेतनमान को भी उतना ही कर दिया जाए जितना पुलिस सिपाही का है।

27.6. इसलिए, समिति ने अनुशंसा की है कि इन तीनों कोटियों के सभी कर्मचारियों को यानी पुलिस सिपाही, उत्पाद सिपाही, जेल वार्डरों, वन रक्षक और होम गार्ड के सिपाही का मौजूदा वेतनमान 425—606 रु० होना चाहिए।

# अध्याय 28

## सांख्यिकी कर्मचारी

28.1. इस अध्याय में संकलनकर्त्ता, संगणक, अनुसंधानकर्त्ता, सांख्यिकीविद, सांख्यिकी सहायक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक आदि इन सांख्यिकी कर्मचारियों की सामान्य कोटियों पर विचार किया गया जो कि राज्य के विभिन्न विभागों में फैले हुए हैं। समिति आधुनिक संगठनों में सांख्यिकी कर्मचारियों का क्या महत्व है, इसे दुहराने की आवश्यकता नहीं समझती और इसके लिए उत्सुक है कि उन्हें यथेष्ट वेतन मिले।

28.2. योजना और विकास विभाग के अधीन सांख्यिकी का एक पूर्ण निदेशालय है जिसमें युक्तियुक्त रूप से सांख्यिकी कर्मचारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। उचित यह है कि राज्य सरकार के अन्य विभाग इसी निदेशालय से प्रतिनियुक्त कराकर सांख्यिकी कार्मिकों को नियोजित किया करे। और बहुत से विभागों में ऐसी परम्परा है भी। इस पद्धति का स्पष्ट लाभ यह होता है कि जब किसी कर्मचारी की प्रोन्नति देय होती है तब वह निम्न पद पर अवरुद्ध रहने के बदले अपने मूल विभाग में उच्चतर पद पर वापस चला जाता है, और उचित स्तर का दूसरा कर्मचारी वहां आ जाता है। फिर भी, अनेक विभाग अपना सांख्यिकी कार्मिक नियुक्त करता है, और योजना एवं विकास विभाग ने भी सांख्यिकी निदेशालय से कार्मिकों को लेने के बजाय स्वतंत्र रूप से ऐसी नियुक्ति कर ली है, जैसे पशुपालन और शिक्षा विभाग अनेक विभागों में सांख्यिकी कर्मचारियों के नियमित संवर्ग और पद-सोपान हैं। शिक्षा विभाग के सांख्यिकी कार्मिकों का अभिकथन है कि शिक्षा विभाग में सांख्यिकी कार्मिकों के दो भिन्न संवर्ग हैं—सचिवालय संवर्ग और क्षेत्र संवर्ग और सचिवालय संवर्ग के कनीय सांख्यिकी सहायकों के क्षेत्र संवर्ग के वरीय सांख्यिकी सहायक के पद पर प्रोन्नति दी जाती है, किन्तु क्षेत्र संवर्ग के कनीय सांख्यिकी सहायकों को सचिवालय संवर्ग में वरीय सांख्यिकी सहायक या और भी उच्चतर रिक्त पदों पर प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति का यह तकाजा है कि शिक्षा विभाग के सांख्यिकी संगठन को तुरत सुव्यवस्थित किया जाए।

28.3. विभागों की प्रमुख खामी यह है कि बहाली, पदनाम, विहित न्यूनतम योग्यता और वेतनमान सांख्यिकी निदेशालय द्वारा यथाविनिहित पैटर्न के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, छोटे-छोटे संवर्गों में सीमित होने के कारण ऐसे सांख्यिकी कार्मिकों की प्रोन्नति की संभावनाएं सीमित हो गई हैं, जिसके चलते गत्यावरोध और असंतोष समाप्त हो गया है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आनुक्रमिक वेतन पुनरीक्षण समितियों ने सांख्यिकी निदेशालय में प्रचलित समतुल्य ग्रेडों में अन्य विभागों द्वारा नियुक्त सभी सांख्यिकी कार्मिकों का शनैः-शनैः विलयन करने की सिफारिश की है। किन्तु सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उठाई गई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इन सिफारिशों को अभीतक कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका है।

28.4. विभिन्न विभागों में नियुक्त विभिन्न कोटियों के सांख्यिकी कार्मिकों के सर्विस एसोसियेशनों तथा व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत बहुत से अभ्यावेदन समिति को प्राप्त हुए हैं। सांख्यिकी कार्मिकों की अनेक शिकायतों में मुख्य शिकायत है उच्च योग्यता और कार्य के बावजूद अन्य की अपेक्षा उनका कम वेतनमान, सांख्यिकी निदेशालय के अधीनस्थ उनके प्रतिरूप की पदों की अपेक्षा उनका कम वेतनमान, प्रवर कोटि का अभाव तथा प्रोन्नति की सीमित संभावनाएं। प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षकों का अभिकथन है कि अन्य विभागों के उनके प्रतिरूप पदों में और उनमें भेदभाव बरता गया है, और उन्होंने यह भी कहा है कि जहां प्रखंड स्तर के अन्य पर्यवेक्षी पदों के वेतनमान को पुनरीक्षित कर उच्चतर कर दिया गया है वहां नियुक्ति का स्तर और योग्यता समान रहने के बावजूद उनके मामले की उपेक्षा की गयी है। अधिकांश अभ्यावेदनों में, नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने और विशेष वेतन देने का अनुरोध किया गया है।

28.5. विभिन्न विभागों में सांख्यिकी कर्मचारियों की विभिन्न कोटि के लिए प्रयुक्त पदनाम सुस्पष्ट नहीं प्रतीत होते और ऐसा लगता है कि उनके मानकीकरण के लिए कोई प्रयास किया गया है, जिसके चलते विभिन्न विभागों में एक तरह के काम विभिन्न पदनाम, विभिन्न योग्यता और विभिन्न वेतनमान वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों में सांख्यिकी कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप की दृष्टि से, उनके स्तरों में काफी अन्तर है, जिससे समता की दृष्टि से उनकी संरचना जटिल हो गयी है। यह अत्यावश्यक हो गया है कि ऐसे कर्मचारियों के पदनाम, न्यूनतम योग्यता, भर्ती के तरीके का मानकीकरण आदि को तुरत किया जाए।

**सांख्यिकी निदेशालय के अधीनस्थ सांख्यिकी कार्मिक**

28.6. सांख्यिकी निदेशालय के अधीन सांख्यिकी कार्मिकों का पद-सोपान इस प्रकार है :—

| क्रम सं०। | पदनाम। | वेतनमान। |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 1 | अमीन .. .. .. .. .. .. | 190—254 |
| 2 | कनीय क्षेत्र अनुसन्धाता पंचिग और भेरीफाइंग आपरेटर .. .. .. | 220—315 |

| क्रम सं० । | पदनाम । | वेतनमान । |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 3 | संगणक | 240—396 |
| 4 | कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक | 296—460 |
| 5 | वरीय सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक | 335—555 |
| 6 | सांख्यिकी पर्यवेक्षक | 400—660 |
| 7 | अनुमंडलीय सांख्यिकी अधिकारी | 510—1,155 |
| 8 | जिला सांख्यिकी अधिकारी | 510—1,155 |
| 9 | सहायक निदेशक | 510—1,155 |
| 10 | उप-निदेशक | 620—1,415 |
| 11 | संयुक्त निदेशक | 1,060—1,680 |
| 12 | वरिष्ठ संयुक्त निदेशक | 1,340—1,870 |

28.7. 190—254 रु० के वेतनमान में अमीन का पद पद-सोपान के सबसे निम्न स्तर पर है। उन्हें मैट्रिकुलेट और अमानत में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है। पर्यवेक्षक प्रारूपक वाले अध्याय में समिति ने उनके मामले पर विचार किया है और उनके लिए 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

28.8. कनीय क्षेत्र अनुसंधानकर्त्ता का वेतनमान 220—315 रु० है, उन्हें समय-समय पर पंचिंग ऑपरेटर के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। उनकी न्यूनतम विहित योग्यता गणित के साथ मैट्रिकुलेशन है। 50% पद सीधी भर्त्ती द्वारा और शेष 50% पद नीचे के स्तर से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। समिति महसूस करती है कि ये सब कर्मचारी मूल रूप से क्षेत्र कार्य में लगे रहते हैं और उनकी योग्यता और कार्य के स्वरूप की दृष्टि से ये अच्छा वेतन पाने के योग्य हैं। समिति ने उनके लिए भी 535—765 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की है।

28.9. 240—396 रु० के वेतनमान वाले संकलयिता (कम्पाइलर) के लिए अपेक्षित योग्यता आई०ए० है। 50% पद सीधी भर्त्ती द्वारा और शेष 50% पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उनके लिए समिति 680—965 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

28.10. कनीय सांख्यिकी सहायक, जिसकी नियुक्ति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में भी होती है, का मौजूदा वेतनमान 296—460 रु० है। मात्र 10% पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा और 90% पद विशिष्ट विषयों के स्नातक उम्मीदवारों से लोक-सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं।

28.11. वरीय सांख्यिकी सहायक, जिसकी नियुक्ति सांख्यिकी निरीक्षक के रूप में भी की जाती है, का वेतनमान 335—555 रु० है और ये सभी कनीय सांख्यिकी सहायक और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पदों से प्रोन्नत होते हैं। समिति को पता चला है कि कनीय और वरीय सांख्यिकी सहायक के कार्य का स्वरूप समान है और दोनों के लिए अपेक्षित योग्यता और प्रशिक्षण भी एक ही समान है। समिति का विचार है कि दो विभिन्न वेतनमानों में सांख्यिकी सहायक के भिन्न-भिन्न स्तरों की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए वह दोनों कोटियों के लिए 850—1,360 रु० के एक ही वेतनमान की अनुशंसा करती है।

28.12. सांख्यिकी पर्यवेक्षक का वेतनमान 400—660 रु० है। 90% पद वरीय सांख्यिकी सहायकों/सांख्यिकी निरीक्षकों तथा शेष 10% पद राजस्व विभाग के अंचल निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। समिति उनके उत्तरदायित्व के स्वरूप को देखते हुए उनके लिए 880—1,510 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

28.13. अनुमंडलीय सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पहले 455—840 रु० के वेतनमान में थे, जिसे उत्क्रमित कर 510—1,155 रु० का दिया गया। इस पद का 50% प्रोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जाता है जिसके लिए विहित न्यूनतम योग्यता है निर्दिष्ट विषयों में डिग्री। उनके वेतनमान को बड़ी राज्य सेवाओं के बराबर उत्क्रमित करने के राज्य-सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए समिति ने उन्हें 1,000—1,820 रु० का वेतनमान देने की अनुशंसा की है।

28.14. सहायक निदेशक (जिन्हें पहले निदेशालय में पदस्थापित रहने पर सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला में पदस्थापित रहने पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कहा जाता था) का वेतनमान 510—1,155 रु० है। इस पद के लिए न्यूनतम विहित योग्यता और बहाली के तरीके वही हैं जो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के हैं। अत: समिति ने उन्हें 1,000—1,820 रु० का वेतनमान देने की अनुशंसा की है।

28.15. सांख्यिकी उप-निदेशक का वेतनमान 620—1,415 रु० है। इस पद पर 50% प्रोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जाता है, जिसके लिये योग्यता वही है जो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक के लिए है, किन्तु इसके लिये कम-से-कम पांच वर्षों का अनुभव होना जरूरी है। अत: समिति ने उनके लिए 1,240—2,000 रु० का उच्चतर वेतनमान देने की अनुशंसा की है।

28.16. संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी का पद प्रोन्नति से भरा जानेवाला पद है और इसका वेतनमान 1,060—1,680 रु० है। समिति ने उनके कार्यों और उत्तरदायित्व पर समुचित विचार करते हुए उन्हें 1,575—2,300 रु० का वेतनमान देने की अनुशंसा की है।

28.17. वरीय संयुक्त निदेशक के पद का सृजन 1,340—1,870 रु० का वेतनमान में गत्यावरोध—निवारण समिति (जिसे शरण सिंह समिति कहा जाता है) की अनुशंसा पर किया गया है। उनके लिए अनुशंसित वेतन 1,900—2,500 रु० है।

28.18. सांख्यिकी निदेशालय के अधीन नियुक्त सांख्यिकी कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के लिए अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | अमीन .. .. .. | 190—254 | 535—765 |
| 2 | कनीय क्षेत्र अन्वेषक, फील्ड इनभेस्टीगेटर, पंचींग और वेरीफाइंग आपरेटर | 220—315 | 535—765 |
| 3 | संगणक (कम्प्यूटर) .. .. | 240—396 | 680—965 |
| 4 | कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक | 296—460 | 850—1,380 |
| 5 | वरीय सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक | 335—555 | 850—1,380 |
| 6 | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. .. | 400—660 | 880—1,510 |
| 7 | अनुमंडलीय सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 8 | जिला सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 9 | सहायक निदेशक .. .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 10 | उप-निदेशक .. .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 11 | संयुक्त निदेशक .. .. | 1,060—1,680 | 1,575—2,000 |
| 12 | वरीय संयुक्त निदेशक .. .. | 1,340—1,870 | 1,900—2,500 |

**अन्य विभागों के सांख्यिकी कर्मचारी**

28.19. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी कार्मिकों की संख्या काफी अधिक है, यथा—कम्प्यूटर, कम्पाइलर, इनवेस्टिगेटर, सांख्यिकी विद्, सांख्यिकी लिपिक, सांख्यिकी सहायक, सांख्यिकी विशेषज्ञ, सांख्यिकी निरीक्षक, सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सांख्यिकी पदाधिकारी आदि। किन्तु इनके न तो पदनाम एकरूप हैं, न कार्य के स्वरूप, न योग्यता, न बहाली के स्तर, और न वेतनमान यहां तक कि एक ही पदनाम वाले पद भी, काम और वेतनमान की दृष्टि से, एक-दूसरे के समतुल्य नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी बहाली का मानक और वेतनमान वही अपना लें जो कि सांख्यिकी निदेशालय में समान पदनाम वाले पदों के लिए विहित है। तदनुसार, समिति ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और एक-दूसरे के बीच प्रोन्नति-विषयक पद-कोटि को भी मद्देनजर रखते हुए, भिन्न-भिन्न पदों के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमानों की अनुशंसा की है, भले ही भिन्न-भिन्न पदों के पदनाम समान हों। विभागवार में प्रस्तुत ऐसे सभी कार्मिकों के लिए अनुशंसित वेतनमान नीचे दिये जाते हैं :—

| क्रम संख्या। | स्थापना का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | रु० | रु० |
| 1 | बिहार लोक-सेवा आयोग .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| | | गृह विभाग। | | |
| 1 | अपराध अनुसंधान विभाग (सांख्यिकी सेल)। | सांख्यिकी संगणक (कम्प्यूटर) | 240—396 | 680—965 |
| 2 | वही .. .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 5 | (सुधार) प्रोबेशन सेवा .. | सांख्यिकी सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 6 | वही .. | योजना-सह-सांख्यिकी पदाधिकारी | 455—840 | 880—1,510 |
| | | वित्त विभाग। | | |
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. | कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी | 580—840 | 880—1,510 |
| 2 | सचिवालय के मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 3 | वाणिज्य-कर .. .. | कनीय सांख्यिकी लिपिक .. | 284—372 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. | वरीय सांख्यिकी लिपिक .. | 340—490 | 785—1,210 |
| 5 | वही .. | सांख्यिकी विद् .. | 335—555 | 850—1,360 |
| 6 | वही .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 580—840 | 880—1,510 |
| 7 | वाणिज्यीय स्थापना (मुफस्सिल) .. | कनीय सांख्यिकी लिपिक .. | 284—372 | 785—1,210 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 8 | वाणिज्यीय स्थापना (मुफस्सिल) .. | वरीय सांख्यिकी लिपिक .. | 340—490 | 680—965 |
| 9 | प्रेस और फारम, गया .. | संगणक .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 10 | मुद्रण और लेखन सामग्री निदेशालय, पटना । | कनीय संगणक .. | 284—372 | 730—1,080 |
| 11 | सचिवालय मुद्रणालय, पटना .. | प्रधान संगणक .. | 335—555 | 730—1,080 |
| | | स्वास्थ्य विभाग | | |
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | परिवार कल्याण .. | सांख्यिकी विद् .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | मुख्यालय स्थापना .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 4 | परिवार कल्याण .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | परिवार कल्याण .. | सांख्यिकी विद् .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 6 | मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी विद् .. | 410—720 | 850—1,360 |
| 7 | मुख्यालय .. | सांख्यिकी विद् .. | 415—745 | 850—1,360 |
| 8 | मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 9 | स्वास्थ्य कर्मशाला .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 10 | पी०एस०एम० विभाग .. | सांख्यिकी-सह-व्याख्याता .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 11 | पी०एस०एम० विभाग .. | सांख्यिकी विद् .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 12. | चिकित्सा महाविद्यालय .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 13 | चिकित्सा महाविद्यालय .. | व्याख्याता (जनांकिकी और सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| | | खान एवं भूतत्व विभाग । | | |
| 1 | खान निदेशालय .. | सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 3 | भूतत्व निदेशालय .. | सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| | | योजना और विकास विभाग । | | |
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी सहायक .. | 240—396 | 680—965 |
| 2 | वही .. | संगणक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | योजना सांख्यिकी मूल्यांकन .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 850—1,360 |
| 4 | वही .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | योजना (सांख्यिकी और मूल्यांकन) | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 850—1,360 |
| 6 | क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची .. | संकलक .. .. | 240—396 | 680—965 |
| 7 | वही .. | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 8 | योजना (सांख्यिकी और मूल्यांकन) | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 9 | छोटानागपुर विकास (उत्तर) प्राधिकार, हजारीबाग । | संकलक (कम्पायलर) .. | 240—396 | 680—965 |
| 10 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 11 | दक्षिण छोटानागपुर प्राधिकार, रांची | संकलनकर्त्ता .. | 240—396 | 680—965 |
| 12 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 13 | दक्षिण संथाल परगना विकास, दुमका | संकलनकर्त्ता .. | 240—396 | 680—965 |
| 14 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 15 | अग्र शोध परियोजना .. | परिकलक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 16 | सांस्थानिक वित्त निदेशालय .. | कनीय शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 17 | बिहार राज्य योजना बोर्ड .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 18 | वही .. | सहायक निदेशक (सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| | | नगर विकास और आवास विभाग । | | |
| 1 | आवास .. .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 2 | वही .. | सांख्यिकी मिर् .. | 400—660 | 785—1,210 |

| क्रम सं० । | विभाग । | पदनाम | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| | | सिंचाई विभाग । | | |
| 1 | शोध संस्थान, खगौल .. | परिकलक .. | 240—396 | 535—765 |
| 2 | मुख्यालय स्थापना .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 4 | शोध संस्थान, खगौल .. | सांख्यिकी विद् .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| | | लघु सिंचाई । | | |
| 1 | लघु सिंचाई .. | संकलनकर्त्ता .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 3 | वही .. | सहायक निदेशक (सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| | | ईख विभाग । | | |
| 1 | ईख विकास विभाग .. | परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 2 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 3 | ईख .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 850—1,360 |
| 5 | वही .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| | | कल्याण विभाग । | | |
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | क्षेत्र-स्थापना .. | सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | जन-जाति कल्याण शोध संस्थान .. | परिकलक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| | | पशुपालन विभाग | | |
| 1 | सांख्यिकी (शाखा) .. | परिकलक .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वही .. | सांख्यिकी परिकलक/ क्रमिक सहायक (प्रोग्रेसिव असिस्टेंट) । .. | 240—396 | 680—965 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 3 | सांख्यिकी (शाखा) .. | सांख्यिकी सहायक/वरीय परिकलक | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक/तकनीकी सहायक। | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | सांख्यिकी शाखा .. | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 6 | सांख्यिकी शाखा राजपत्रित .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| | | पशुपालन विभाग। | | |
| 7 | सांख्यिकी शाखा राजपत्रित .. | शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,210 |
| 8 | वही .. | कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 9 | वही .. | क्षेत्रीय पदाधिकारी (सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 10 | वही .. | उप-निदेशक, सांख्यिकी | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 11 | बिहार पशुपालन सेवा, श्रेणी I .. | उप-निदेशक (डेरी सांख्यिकी) | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 12 | सांख्यिकी शाखा राजपत्रित .. | विशेष उप-निदेशक | 1,060—1,580 | 1,575—2,300 |
| 13 | मछलीपालन निदेशालय .. | पशुपालन सांख्यिकी सहायक | 296—460 | 785—1,210 |
| | | सहकारिता विभाग । | | |
| 1 | मुख्यालय स्टाफ (राजपत्रित/अराजपत्रित)। | कनीय सांख्यिकी .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 2 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 3 | वही .. | सांख्यिकी विद्-सह्-कलाकार .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 4 | वही .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 5 | वही .. | सांख्यिकी विद् .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 6 | मुफस्सिल स्थापना .. | प्रमंडलीय रजिस्ट्रार (सहकारी समिति के कार्यालय में सांख्यिकी पदाधिकारी)। | 455—840 | 880—1,510 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| | | **कृषि विभाग ।** | | |
| 1 | कृषि निदेशालय .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 535—765 |
| 2 | वही .. | संकलन लिपिक .. | 260—408 | 730—1,080 |
| 3 | कृषि निदेशालय .. .. | सांख्यिकी अनुसंधानकर्त्ता .. | 260—408 | 730—1,080 |
| 4 | वही .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 5 | वही .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 6 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 7 | वही .. | सहायक निदेशक, कृषि (सांख्यिकी) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 8 | वही .. | सहायक निदेशक, कृषि (मूल्यांकन) | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 9 | वही .. | उप-निदेशक, कृषि (सांख्यिकी) | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 10 | वही .. | सांख्यिकी विशेषज्ञ .. | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| 11 | कृषि क्षेत्रीय स्टाफ (राजपत्रित) | सहायक सांख्यिकी विद् | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 12 | वही .. | संयुक्त निदेशक, कृषि (सांख्यिकी) | 1,060—1,580 | 1,575—2,300 |
| 13 | कृषि क्षेत्रीय स्टाफ (अराजपत्रित) | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 14 | वही .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 15 | कृषि क्षेत्र स्टाफ (अराजपत्रित) .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 16 | वही .. .. | वरीय सांख्यिकी सहायक, बागवानी | 400—660 | 785—1,210 |
| 17 | भूमि संरक्षण निदेशक .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 18 | वही .. | मूल्यांकन पदाधिकारी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| | | **श्रम विभाग ।** | | |
| 1 | क्षेत्र स्थापना .. | संकलनकर्त्ता .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वही .. | परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |

| क्रम सं०। | विभाग का नाम। | पदनाम। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 3 | क्षेत्र स्थापना .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | वही .. | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 6 | वही .. | सांख्यिकी विद् .. | 415—745 | 880—1,510 |
| 7 | वही .. | सांख्यिकी विद् .. | 455—840 | 880—1,510 |
| | | **उद्योग विभाग** | | |
| 1 | अराजपत्रित स्थापना .. | परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 2 | वही .. | कनीय सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी-विद् अन्वेषक, सांख्यिकी सहायक, सर्वे निरीक्षक। | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | वही .. | वरीय सांख्यिकी सहायक/अर्थ-शास्त्री सहायक। | 335—555 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. .. | अर्थ अन्वेषक (इकोनोमिक इन्वेस्टिगेटर), सांख्यिकी पर्य-वेक्षक/सांख्यिकी विद्/अन्वेषक (हस्तशिल्प)। | 400—660 | 850—1,360 |
| 5 | राजपत्रित स्थापना .. | योजना-सह-मूल्यांकन पदाधिकारी | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 6 | वही .. | योजना-सह-सांख्यिकी पदाधिकारी | 455—840 | 880—1,510 |
| 7 | वही .. | सांख्यिकी पदाधिकारी | 455—840 | 880—1,510 |
| | | **शिक्षा विभाग** | | |
| 1 | मुख्यालय सचिवालय स्थापना .. | कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| | | वरीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| | | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| | | सांख्यिकी विद् .. | 415—745 | 850—1,360 |
| | | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्त्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 2 | राजकीय शिक्षा संस्थान .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | वयस्क शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्थापना)। | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | श्रव्य दृश्य प्रशाखा .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| | वही .. | वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | वयस्क शिक्षा निदेशालय (जिलास्तर) | वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| | | **पर्यटन विभाग ।** | | |
| 1 | सांख्यिकी शाखा .. .. | अन्वेशक .. | 296—460 | 680—965 |
| 2 | वही .. | सांख्यिकी विद् .. | 335—555 | 785–1,210 |
| 3 | वही .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 4 | रेल शाखा .. .. | सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 5 | जल परिवहन शाखा .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| | | **राजस्व विभाग ।** | | |
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. | सांख्यिकी विद् .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 2 | सर्वेक्षण पदाधिकारी (गुलजारबाग) | परिकलक .. | 220—315 | 535—765 |
| 3 | वही .. | वरिष्ठ परिकलक .. | 284—372 | 580—860 |
| 4 | वही .. | प्रधान परिकलक .. | 296—423 | 680—965 |
| 5 | कृषि गणना प्रशाखा .. | परिकलक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 6 | वही .. | सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 7 | वही .. | वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक | 400—660 | 785—1,210 |
| 8 | वही .. | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 9 | वही .. | सहायक निदेशक, सांख्यिकी .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 10 | आयक्त कार्यालय, पटना .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 11 | वही .. | सांख्यिकी विशेषज्ञ .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 12 | आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 13 | वही .. | सांख्यिकी विशेषज्ञ .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 14 | आयुक्त कार्यालय, दरभंगा .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 15 | वही .. | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 16 | आयुक्त कार्यालय, भागलपुर .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 17 | वही .. | सांख्यिकी विशेषज्ञ .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 18 | आयुक्त कार्यालय, सहरसा .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 19 | आयुक्त कार्यालय, सहरसा .. | सांख्यिकी विद् .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 20 | आयुक्त कार्यालय, रांची .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 680—965 |
| 21 | वही .. .. | सांख्यिकी विद् .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 22 | आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग .. | परिकलक .. .. | 240—396 | 680—965 |
| 23 | वही .. .. | सांख्यिकी विद् .. | 400—660 | 785—1,210 |
| 24 | चकबन्दी निदेशालय .. | सांख्यिकी विद् .. | 400--660 | 850—1,360 |

उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्पाद .. .. | वरीय सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |

खाद्य एवं वाणिज्य विभाग ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. .. | सकलनकर्त्ता .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 2 | वही .. .. | सांख्यिकी विद् .. | 335—555 | 730—1,080 |

| क्रम सं० । | विभाग का नाम । | पदनाम । | वर्तमान वेतनमान । | अनुशंसित वेतनमान । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| | | श्रम विभाग । | | |
| 1 | मुख्यालय स्थापना .. .. | परिकलक .. .. | 240—396 | 535—765 |
| 2 | वही .. .. | कनीय सांख्यिकी सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 3 | वही .. .. | अन्वेषक .. .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 4 | वही .. .. | वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 5 | वही .. .. | सांख्यिकी निरीक्षक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 6 | वही .. .. | कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 7 | वही .. .. | सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 8 | वही .. .. | सांख्यिकी विद् .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 9 | वही .. .. | सांख्यिकी पदाधिकारी .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 10 | वही .. .. | सांख्यिकी विशेषज्ञ .. | 455—840 | 880—1,510 |
| 11 | वही .. .. | सहायक निदेशक .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 12 | वही .. .. | सांख्यिकी प्राधिकारी .. | 1,060—1,580 | 1,575—2,300 |
| 13 | नियोजन निदेशालय .. | कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 14 | वही .. .. | अन्वेषक-सह-विश्लेषक .. | 348—600 | 785—1,210 |
| 15 | राज्य नियोजन सेवा .. | कनीय सांख्यिकी सहायक/पर्यवेक्षक | 296—460 | 785—1,210 |
| 16 | श्रम उपायुक्त, भागलपुर .. | सांख्यिकी निरीक्षक .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 17 | श्रम उपायुक्त, जमशेदपुर .. | वही .. .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 18 | सहायक श्रम आयुक्त, मुजफ्फरपुर .. | वही .. .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 19 | सहायक श्रम आयुक्त, राँची .. | वही .. .. | 335—555 | 785—1,210 |
| 20 | मुख्य कारखाना निरीक्षक .. | सांख्यिकी परिकलक .. | 240—396 | 535—765 |
| 21 | मुख्य कारखाना निरीक्षक .. | कनीय सांख्यिकीय सहायक .. | 296—460 | 785—1,210 |
| 22 | मुख्य कारखाना निरीक्षक, राँची .. | वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक .. | 335—555 | 785—1,210 |

# अध्याय 29

## अनुसचिवीय कर्मचारी

29.1. इस अध्याय में सचिवालय, सम्बद्ध कार्यालयां तथा क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत लिपिक, सहायक, लेखापाल एवं टंकक जैसे सामान्य कोटियों के अनुसचिवीय कर्मचारियों के संबंध में विचार किया गया है। यद्यपि आशुटंकक, आशुलिपिक तथा निजी स्टाफ (पर्सनल स्टाफ) की कतिपय कोटियाँ भी अनुसचिवीय कर्मचारियों के अन्तर्गत आती हैं, तथापि सुविधा के ख्याल से उनसे संबंधित बातों पर विचार निजी स्टाफ (पर्सनल स्टाफ) विषयक अलग अध्याय में किया गया है।

29.2. वेतन पुनरीक्षण के उद्देश्य से, अनुसचिवीय स्टाफ को मोटे तौर पर दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है, प्रथम, नियमित अनुसचिवीय संवर्ग, जिसमें सचिवालय के चर्यालिपिक, विपत्र लिपिक, टंकक, सहायक और आशुलिपिक/निजी सहायक और क्षेत्र के कार्यालयों के लिपिक आते हैं। ऐसे नियमित संवर्ग के पदधारी अपने संवर्ग के वेतनमान के हकदार हैं। इस बात के बावजूद कि उनका वास्तविक पदनाम या कार्य का स्वरूप क्या है। दूसरी ओर जो अन्य कोटि के अनुसचिवीय कर्मचारी हैं वे उन नियमित संवर्गों में नहीं आते और सामान्यतया अकेले आइसोलेटेड पदों पर नियुक्त होते हैं। वे लिपिक, सहायक, रोकड़पाल, लेखापाल, विपत्र लिपिक, लेखा लिपिक, भंडार लिपिक, भंडारपाल, मोहर्रिर, रखवाल (केयर टेकर), स्वागतकर्त्ता (रिशेपस्निष्ट), बेंच लिपिक, पेशकार, अभिलेखपाल (रेकर्ड कीपर), आदि के नाम से जाने जाते हैं। इस अध्याय के अनुवर्ती भाग में नियमित संवर्ग से बाहर ऐसे अनुसचिवीय स्टाफ के लिए सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करना समिति को अभीष्ट रहा है।

29.3. जहां तक नियमित अनुसचिवीय संवर्गों का संबंध है, दिनांक 1 जनवरी 1956 तक सचिवालय के विभागों, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों और क्षेत्र के कार्यालयों में अनुसचिवीय स्टाफ के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमानवाले अनुसचिवीय संवर्ग के तीन भिन्न-भिन्न ढाँचे थे, किन्तु जब अधिकांश विभागाध्यक्षों के कार्यालयों को सचिवालय के तत्संबंधी कार्यालयों के साथ मिला दिया गया तब विभागाध्यक्षों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के अनुसचिवीय स्टाफ के वेतनमानों को बढ़ा दिया गया। सचिवालय विभागों में चलनेवाले वैसे पदों के वेतनमानों के बराबर कर दिया गया। तब से अनुसचिवीय स्थापनाओं के दो भिन्न ढाँचे चल रहे हैं, एक सचिवालय एवं प्रमंडालायुक्तों के कार्यालयों सहित संलग्न कार्यालयों के लिए और दूसरा, क्षेत्र के कार्यालयों के लिए जैसे, समाहरणालय। इन दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत कार्यालयों में स्टाफ की जो विभिन्न कोटियाँ हैं, उन सबों के स्टाफ का ढाँचा, पदनाम और वेतनमान भी भिन्न-भिन्न हैं। यों कुछ छिटपुट अपवाद भी हैं। जहां क्षेत्र के कार्यालयों में चर्यालिपिकों, सहायकों, लेखास्टाफ, टंककों और आशुटंककों के कार्यों को मिलाकर अनुसचिवीय संवर्ग बनता है वहां सचिवालय के अनुसचिवीय स्टाफ में स्पष्टतः पाँच समूह हैं यथा सहायक, चर्यालिपिक, विपत्रलिपिक, टंकक और आशुलिपिक जो अब निजी सहायक के नाम से जाने जाते हैं।

**सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक**

29.4. सचिवालय में सहायकों की सीधी भरती के लिए न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएयट है। पचहत्तर प्रतिशत रिक्तियाँ सीधी भरती से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं और इस परीक्षा का संचालन अब लोक सेवा आयोग करता है। शेष 25 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे अनुसचिवीय स्टाफ से विशेष परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन कहीं भी काम करते हैं। बशर्ते वे कम-से-कम लगातार पाँच वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों और उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक न हो। दोनों परीक्षाओं के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कार्मिक विभाग सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं अन्य कार्यालयों में अपने-अपने संवर्गों में भरती के लिए आवंटित करता है। काफी दिन पहले राज्य सरकार ने इन विभिन्न संवर्गों को आमेलित कर एक संयुक्त संवर्ग बनाने का निर्णय लिया था। किन्तु यह निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है।

29.5. पहले सचिवालय के सहायक तीन भिन्न वेतनमानों में थे, जिसमें प्रवर कोटि भी शामिल थी और यह प्रवर कोटि केवल उच्चवर्गीय सहायकों के 20 प्रतिशत थी। विभिन्न अवसरों पर अनुमत उनके विभिन्न वेतनमान नीचे के विवरण में दिए गए हैं :—

| क्रम संख्या। | .. | निम्नवर्गीय सहायक। | उच्चवर्गीय सहायक। | प्रवर कोटि सहायक। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | रु० | रु० |
| 1 | प्रथम वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद। | 75—150 .. | 130—250 .. | .. |
| 2 | द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद | 135—235 .. | 200—380 .. | .. |
| 3 | तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद | 260—408 .. | 348—570 .. | 505—665 |
| 4 | 1 मार्च 1977 से अनुवर्ती पुनरीक्षण .. | 348—570 .. | .. | .. |
| 5 | वर्तमान वेतनमान .. .. | 348—570 .. | 348—570 .. | 505—665 |

29.6. मंत्रिमंडल के 15 फरवरी 1977 के निर्णय के बाद उच्चवर्गीय सहायकों के वेतनमान में निम्नवर्गीय सहायकों के वेतनमान का विलयन 1 मार्च 1977 से कर दिया गया है (देखें, वित्त विभाग का आदेश संख्या 3/ए1-201/77—3734-एफ, दिनांक 7 अप्रैल, 1977)। इस निर्णय के फलस्वरूप अब प्रवर कोटि पहले के निम्नवर्गीय, उच्चवर्गीय सहायकों को मिला कर उसका 20 प्रतिशत हो गई है।

29.7. सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के सहायकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर समिति ने उनके सर्विस एसोसिएशन के अभ्यावेदन के आलोक में विचार किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें उच्च कोटि का माना जाए, जब कि अनेक मुफस्सिल सर्विस एसोसिएशनों का यह अनुरोध है कि उन्हें क्षेत्र के कार्यालयों के लिपिकों के बराबर रखा जाए। जो भी हो, उनके उत्तरदायित्व एवं कार्य के स्वरूप उच्चतर योग्यता तथा बहाली के तरीके पर विचार करते हुए समिति की राय है कि सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के सहायकों के क्षेत्र के कार्यालयों के लिपिकों से अवश्य उच्चतर रहना चाहिए। अतः समिति सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के सहायकों के लिए 730—1,080 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

29.8. जहां तक प्रोन्नति की संभावनाओं की बात है 20 प्रतिशत प्रवर कोटि के अतिरिक्त, प्रशाखा पदाधिकारी, निबंधक और उनकी समकक्षता के सभी पद सहायकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और यह प्रोन्नति सहायकों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक है। विशेष पदाधिकारी, सहायक सचिव, अवर सचिव, उप-सचिव एवं संयुक्त सचिव के जैसे अनेक अन्य वरीय पद भी अनुसचिवीय संवर्ग से भरे जाते हैं, यद्यपि इसका अनुपात बिल्कुल ही कम है। समिति ने उनकी प्रोन्नति की संभावनाओं तथा प्रवर कोटि के संबंध में अपनी अनुशंसा समुचित अध्याय में की है।

**सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में चर्यालिपिक**

29.9. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में चर्यालिपिकों की बहाली सीधे की जाती है तथा प्रोन्नति से भी होती है। चर्यालिपिक के पचास प्रतिशत पदों पर भरती सीधे बाहर से की जाती है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष है। पचीस प्रतिशत पद मैट्रिकुलेट अभिलेखवाह और मैट्रिकुलेट ट्रेजरी सरकारों में से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं और शेष पचीस प्रतिशत पद नन-मैट्रिक अभिलेखवाह एवं नन-मैट्रिक ट्रेजरी सरकारों में से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही भरे जाते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी परीक्षाएँ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएँगी। इसी बीच चर्यालिपिक की बहाली के छिटपुट ऐसे दृष्टान्त भी मिलते हैं जिनमें बहाली ऐसी किसी परीक्षा के बिना ही सीधी भरती द्वारा तथा अभिलेखवाह एवं ट्रेजरी सरकार से भिन्न चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा भी कर ली गई है।

29.10. चर्यालिपिकों का वेतनमान 220—315 रु० है, जो कि क्षेत्र की स्थापना के निम्नवर्गीय लिपिक का वेतनमान है। यह वेतनमान दिनांक 1 मार्च 1977 तक सचिवालय के विभागों में लेखा शाखा के विपत्र लिपिकों का भी था जिनका वेतनमान 1 मार्च 1977 को उत्क्रमित कर 284—372 रु० कर दिया गया, जिससे उनका वेतनमान वरीय विपत्र लिपिकों के वेतनमान के बराबर हो गया। उनकी कुल संख्या के 20 प्रतिशत के लिए प्रवर कोटि भी है जिसका 284—372 रु० है जो कि क्षेत्र की स्थापना के उच्चवर्गीय लिपिकों तथा सचिवालय के विभागों के वरीय विपत्र लिपिकों के वेतनमान के बराबर है।

29.11. चर्यालिपिकों की सामान्य प्रोन्नति की संभावनाएँ उपर्युक्त 20 प्रतिशत प्रवर कोटि तक सीमित हैं, यद्यपि सचिवालय के निम्नवर्गीय सहायकों के पहले के कतिपय पदों पर चर्यालिपिकों को प्रोन्नति देने के कुछ छिटपुट उदाहरण मिले हैं। चूंकि चर्यालिपिक, अन्य अनुसचिवीय स्टाफ की भाँति कम से कम 5 वर्ष की सेवा और 35 वर्ष से कम उम्र में, सहायक संवर्ग की रिक्तियों के 25 प्रतिशत पदों पर भरती के लिए विशेष परीक्षा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सक्षम है, इसलिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 1977 से सहायकों के संवर्ग में 25 प्रतिशत ऐसी रिक्तियाँ केवल चर्यालिपिकों के लिए आरक्षित रहेंगी जिनका चयन समिति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

29.12. चर्यालिपिकों के एसोसियेशन ने अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें सामान्यतया 20 प्रतिशत प्रवर कोटि के उपबंधों से कोई लाभ नहीं पहुँचता क्योंकि अधिकांश विभागों में पाँच चर्यालिपिक भी नहीं हैं जिससे एक को भी प्रवर कोटि का लाभ मिल सके। इसलिए उन्होंने 33 प्रतिशत तक प्रवर कोटि, 25 प्रतिशत तक वरीय प्रवर कोटि और 20 प्रतिशत तक प्रेषण शाखा के अधीक्षक स्तर पर प्रोन्नति के अवसरों का सुझाव दिया है।

29.13. चर्यालिपिकों की मुख्य मांग सचिवालय के सहायक संवर्ग में उनके संवर्ग की समता और विलयन का है, जिसका आधार यह बताया गया है कि वे सहायकों के कर्त्तव्यों के निष्पादन में समर्थ हैं, और समय-समय पर उनसे सहायकों का काम भी लिया जाता है, उनकी भी नियुक्ति सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है, केन्द्रीय सचिवालय या अन्य राज्यों के सचिवालयों में चर्यालिपिकों का ऐसा कोई अलग संवर्ग नहीं है और उन्हें सहायकों की तरह प्रोन्नति के अवसर भी सुलभ नहीं हैं।

29.14. वित्त विभाग से भी ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है, देखें संचिका सं० 3पी०ए०आर०-3-26—74, दिनांक 17 जून 1978 जिसमें वेतनमान और प्रोन्नति के मामलों में चर्यालिपिकों की टंककों के समकक्ष करने का अनुरोध है और उसमें सहायकों के निम्नवर्ग और उच्चवर्ग के विलयन के फलस्वरूप उनके वेतनमान को 335—555 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित करने का भी अनुरोध है।

29.15. सभी सुसंगत बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति ऐसा मानती है कि किसी भी तरह से चर्यालिपिकों को सचिवालय सहायकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता, किन्तु उनके वेतन ढांचे के मौजूदा अन्तर को कुछ हद तक अवश्य कम किया जाना चाहिए। इसलिए समिति चर्यालिपिकों के लिए 535—765 रु० का वेतनमान अनुशंसित करती है।

विपत्र लिपिक एवं लेखा लिपिक।

29.16. दुर्भाग्यवश, सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं स्थापनाओं, संलग्न कार्यालयों एवं क्षेत्र के कार्यालयों में लेखा से संबंधित स्टाफ के ढांचे में कोई एकरूपता नहीं है। बहुत से विभागों एवं स्थापनाओं में लिपिकों, सहायकों, प्रशाखा पदाधिकारियों आदि जैसे ऊपर चर्चित नियमित अनुसचिवीय संवर्ग के कर्मचारियों को लेखा के काम में, या तो एकान्तिक रूप से या अन्य अनुसचिवीय कार्यों के अतिरिक्त लगाया गया है। ऐसे मामलों में, ये लेखा कर्मचारी, उसी वेतनमान के हकदार हैं जिस कोटि के वे वस्तुतः हैं। इसके अतिरिक्त, सचिवालय के विभागों और संलग्न कार्यालयों में तथा प्रमंडल और अंचल स्तर के अभियंत्रण कार्यालयों में लेखा कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र संवर्ग हैं, जैसे सचिवालय विभागों के विपत्र लिपिक, संलग्न, कार्यालयों के लेखा लिपिक और अधीक्षण तथा कार्यपालक अभियंताओं के कार्यालयों के लेखा लिपिक, लेखापाल, लेखा लिपिक, विपत्र लिपिक, रोकड़पाल, नाजिर आदि विविध पदनाम वाले लेखा स्टाफ के अनेक छिटपुट पदों की सूचना राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से मिली है। लेकिन कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी समिति को यह नहीं बताया गया है कि उनमें से कुछ या सभी पद उन नियमित संवर्गों में हैं या नहीं जिसके बारे में ऊपर विचार किया गया है। रोकड़पाल एवं लेखापाल के ऐसे छिटपुट पदों के संबंध में समिति की सिफारिश इस अध्याय के अनुवर्ती भाग में की गयी है। यहां लेखा कर्मचारियों के सिर्फ तीन नियमित संवर्गों पर ही विचार किया गया है :—

(1) विपत्र लिपिकों के पद सिर्फ सचिवालय के विभागों में ही हैं। सम्बद्ध विभागों द्वारा मैट्रिकुलेट उम्मीदवारों से चयन कर उनकी बहाली सीधे की जाती है। पहले इनके दो भिन्न संवर्ग थे, 220—315 रु० के वेतनमान में कनीय विपत्र लिपिक, और 284—372 रु० के वेतनमान में वरीय विपत्र लिपिक जिनके पद हमेशा कनीय विपत्र लिपिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सचिवालय के निम्नवर्गीय एवं उच्चवर्गीय अनुसचिवीय कर्मचारियों के विलयन संबंधी राज्य-सरकार के निर्णय के बाद कनीय विपत्र लिपिकों के वेतनमान को उत्क्रमित कर वरीय विपत्र लिपिक के बराबर अर्थात् 284—372 रु० के वेतनमान में कर दिया गया। उनके लिये उनकी कुल संख्या के 20 प्रतिशत प्रवर-कोटि भी है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति ने विपत्र लिपिकों के लिए 535—765 रु० के वेतनमान की सिफारिश की है।

(2) कनीय लेखा लिपिकों तथा वरीय लेखा लिपिकों के पद अधिकांशतः संलग्न कार्यालयों में हैं, कनीय लेखा-लिपिकों की योग्यता तथा बहाली के तरीके पूर्वोक्त विपत्र लिपिकों के समान हैं, और समिति कोई कारण नहीं पाती कि लेखा लिपिकों को विपत्र लिपिकों से अलग क्यों माना जाए और विपत्र लिपिकों और लेखा लिपिकों में भेद क्यों रखा जाए। इसलिए समिति का विचार है कि दिनांक 12 फरवरी 1977 के मंत्रिमंडल के पूर्वोक्त निर्णय के कार्यान्वयन के क्रम में कनीय लेखा लिपिक के वेतनमान को उत्क्रमित किया जाए और इस वरीय लेखा लिपिक के वेतनमान के बराबर लाया जाए तथा विपत्र लिपिक एवं लेखा लिपिक के वेतनमानों की प्रारंभिक विषमता को दूर कर दिया जाए तथा लेखा लिपिकों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत तक प्रवर-कोटि दी जाए किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि विपत्र लिपिकों की प्रवर-कोटि के वेतनमान के बराबर लेखा लिपिकों की प्रवर-कोटि का वेतनमान हो इसलिए समिति लेखा लिपिकों के लिए निम्नलिखित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या | कोटि | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | कनीय लेखा लिपिक .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वरीय लेखा लिपिक .. .. | 284—372 | 535—765 |

(3) अभियन्त्रण विभागों के प्रमंडलीय तथा अंचल कार्यालयों के स्टाफ के ढांचों में बहुत थोड़ा अन्तर है। 220—315 रु० के वेतनमान वाले कनीय लेखा लिपिक के अतिरिक्त 260—408 रु० के वेतनमान वाले वरीय लेखा लिपिक भी हैं तथा इनके लेखा स्टाफ प्रमंडलीय लेखापाल के अधीन रहते हैं जिनका वेतनमान 425—750 रु० है और भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। वरीय लेखा लिपिकों की जब सीधे बहाली होती है तब उनकी योग्यता इन्टरमीडियट होती है तथा उनका वेतनमान 260—408 रु० रहता है, जो वर्त्तमान सचिवालय के पहले के निम्नवर्गीय सहायक का था। बिहार राज्य लेखा एसोसियेशन समिति को बराबर अभ्यावेदन देता आ रहा है कि निम्नवर्गीय और उच्चवर्गीय सहायकों, सचिवालय एवं क्षेत्र के कार्यालयों के विपत्र लिपिकों तथा लिपिकों के विलयन की दृष्टि से इन दोनों संवर्गों का भी विलयन किया जाना चाहिए तथा उनका वेतनमान सचिवालय के उच्चवर्गीय सहायकों के वेतनमान के बराबर होना चाहिए। किन्तु समिति का विचार है कि इन लेखा संवर्गों की तुलना सहायकों एवं लिपिकों के संवर्गों के साथ नहीं की जा सकती है जिनका विलयन कर दिया गया है और इसलिए समिति उनके वेतनमानों के विलयन के पक्ष में नहीं है जिसके लिए अनुरोध किया गया है। किन्तु समिति का विचार है कि एसोसियेशन का यह अनुरोध ठीक है कि 260—408 रु० के वेतनमान वाले वरीय लेखा लिपिकों का वेतनमान का उत्क्रमण पुनरीक्षण इस प्रकार किया जाए कि वे सचिवालय के पहले के निम्नवर्गीय सहायकों के बराबर जा सकें क्योंकि दोनों कोटियों के लिए योग्यता एक ही है अर्थात् इन्टरमीडियट, और दोनों कोटियों के उत्तरदायित्व या कार्यस्वरूप प्रायः समतुल्य हैं। इसलिए समिति इंजीनियरिंग विभागों के प्रमंडलीय तथा अंचल कार्यालयों के वरीय लेखा लिपिकों, जो अभी 260—408 रु० के वेतनमान में हैं, को वही वेतनमान देने की सिफारिश करती है जो सचिवालय के पहले के निम्नवर्गीय सहायकों का वेतनमान था। इसलिये, ऐसे लेखा लिपिकों के लिए प्रस्तावित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या | पदनाम | विद्यमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | रु० |
| 1 | कनीय लेखा लिपिक .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | वरीय लेखा लिपिक .. .. | 260—408 | 730—1,080 |

29.17. सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के विभिन्न विभागों में लेखा कर्मचारी बहुत कम संख्या में हैं और जाहिर है कि सचिवालय के सहायकों की तरह उनके अपने विभागों में उच्चतर प्रोन्नति की कोई श्रृंखला नहीं है, हालांकि ऐसे कतिपय छिटपुट उदाहरण मिल जाते हैं जहां किसी विशेष विभाग में बजट और लेखा के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से सृजित कुछ वरीय पदों को लेखा कर्मचारियों में से भरा गया है। इन परिस्थितियों में, उनकी प्रोन्नति की संभावनायें निश्चित ही कम हैं जो अधिक-से-अधिक प्रवर कोटि तक सीमित रहेंगी। यही स्थिति उन लेखा कर्मचारियों की भी है जिनकी न्यूनतम योग्यता काफी ऊंची है, जैसे वाणिज्य स्नातक इत्यादि। इसलिए लेखा लिपिकों ने न केवल वेतनमान के मामले में एक-रूपता की मांग की है बल्कि सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में सहायक संवर्ग के साथ विलयन के लिए भी अभ्यावेदन किया है। उनका मुख्य तर्क यह रहा है कि उनके कर्त्तव्य कमोवेश सहायकों के समान ही हैं और यह भी कि बहुत-से कार्यालयों में वे सहायक लेखा का भी कार्य करते हैं। समिति का विचार है कि चूंकि लिपिकों, सहायकों और प्रशाखा पदाधिकारियों आदि से लेखा कार्य कराया जा सकता है और कराया भी जाता है, इसलिए लेखा कर्मचारियों के लिए अलग छिटपुट पदों या विभिन्न कोटियों के सीमित संवर्गों का सृजन करने से बचा जा सकता है, और लेखा कार्य को अन्य अनुसचिवीय कर्त्तव्यों के साथ आमेलित किया जा सकता है जैसाकि समाहरणालय जैसे क्षेत्र के कार्यालयों में किया गया है, किन्तु समिति यह समझती है कि इन छिटपुट पदों और लेखा कर्मचारियों के लघु संवर्गों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अनु-सचिवीय संवर्गों के साथ आमेलित करने में प्रशासनिक कठिनाई या अव्यावहारिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोन्नति की संभावनाओं के संबंध में समुचित अनुशंसा समिति द्वारा अन्यत्र की गई है।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के टंकक

29.18. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के टंककों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष है, साथ ही हिन्दी में प्रति मिनट कम-से-कम 30 शब्दों की टंकन-क्षमता होनी चाहिए। सम्प्रति उनकी नियुक्ति राज्य लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित केन्द्रीकृत परीक्षा द्वारा की जाती है। सीधी भर्त्ती केवल निम्नतम स्तर पर ही की जाती है, और उच्चतर स्तर के सभी पद केवल प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

29.19. अभी ये टंकक चार विभिन्न वेतनमानों में हैं। पहले, इनकी तीन कोटियां थीं अर्थात् श्रेणी 2, श्रेणी 1 और प्रधान टंकक। बाद में 1 अप्रील 1974 से इनमें दो और ग्रेड जोड़ दिये गये हैं—अर्थात् प्रवर कोटि में प्रधान टंकक, और वरीय प्रवर कोटि में प्रधान टंकक, जिन्हें टंकन अधीक्षक भी कहा जाता है। राज्य सरकार के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार टंकक, श्रेणी 2 का वेतनमान टंकक, श्रेणी 1 के वेतनमान में 1 मार्च 1977 से आमेलित कर दिया गया है। इन पांचों कोटियों के वेतनमान समय-समय पर निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित किये गये हैं :—

| —— | टंकक, श्रेणी 2 | टंकक, श्रेणी 1 | प्रधान टंकक | प्रवर कोटि प्रधान टंकक। | वरीय प्रवर कोटि (अधीक्षक)। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| 1. प्रथम वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद। | 60—100 | 80—120 | 100—140 (विशेष वेतन 20 प्रतिशत)। | .. | . |
| 2. द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के बाद। | 115—165 | 150—200 | 200—300 | | .. |
| 3. दयाल समिति के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यावधि पुनरीक्षण। | 120—200 | 160—280 | 260—380 | .. | .. |
| 4. तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर। | 244—356 | 296—460 | 426—570 | .. | .. |
| 5. दिनांक 1 अप्रील 1974 से मध्यावधि पुनरीक्षण। | .. | .. | .. | 505—665 | 580—840 |
| 6. दिनांक 1 मार्च 1977 से अनुवर्त्ती पुनरीक्षण। | 296—460 | .. | .. | .. | .. |
| 7. वर्त्तमान वेतनमान .. | 296—460 | 296—460 | 426—570 | 505—665 | 580—840 |

29.20. ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेतनमानों के संबंध में सचिवालय में टंकक, चर्यालिपिक एवं सहायक के बीच में आते हैं और प्रधान टंकक, सहायक एवं प्रवर-कोटि सहायक के बीच में। किन्तु प्रवर कोटि प्रधान टंकक सचिवालय के प्रवर कोटि सहायक और क्षेत्र स्थापनाओं के कार्यालय अधीक्षक के समतुल्य हैं तथा वरीय प्रवर कोटि प्रधान टंकक भी सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारियों के समतुल्य हैं। बिहार विधान-सभा में 510—1,155 रु० के वेतनमान में सहायक सचिव का एक पद भी विधान-सभा के टंकक संवर्ग से ही भरा जाता है।

29.21. प्रधान टंकक के पदों का अनपात तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की इस अनुशंसा के बाद निर्धारित किया गया कि प्रथम 3—9 टंकक के पदों पर प्रधान टंकक का एक पद होना चाहिए तथा उसके बाद के ही हर छः टंकक पदों पर एक अपर (एडिशनल) प्रधान टंकक होना चाहिए। प्रवर कोटि प्रधान टंकक एवं वरीय प्रवर कोटि प्रधान टंकक, जिसे टंकण अधीक्षक भी कहा जाता है, के पद वित्त विभाग के दिनांक 11 दिसम्बर 1974 के आदेश द्वारा 1 अप्रील 1974 से सृजित किये गये थे। प्रवर कोटि प्रधान टंकक के पदों की संख्या प्रधान टंककों के पदों को घटाने के बाद बचे टंकक के पदों का पांच प्रतिशत निर्धारित की गई। वरीय प्रवर कोटि प्रधान टंकक, जिन्हें टंकन अधीक्षक भी कहा जाता है, के पदों की संख्या प्रधान टंकक के पदों को घटाने के बाद बचे कुल टंककों की संख्या का दो प्रतिशत निर्धारित की गई। प्रधान टंककों की एक शिकायत यह है कि हालांकि इन दो प्रवर कोटियों का लाभ केवल प्रधान टंककों को ही मिलता है, किन्तु इस प्रकार के प्रतिशत निर्धारण में प्रधान टंककों की गिनती नहीं की जाती है।

29.22. किन्तु टंककों की मुख्य मांग यह है कि उन्हें सचिवालय के सहायकों के बराबर ही वेतनमान एवं प्रोन्नति की सुविधायें दी जायें तथा उनके संवर्ग को भी सहायक के संवर्ग के साथ मिला दिया जाय ताकि वे टंकक की एकरसता एवं शारीरिक तनाव से त्राण पा सकें और वे सचिवालय के सहायकों की तरह ही संयुक्त सचिव स्तर तक प्रोन्नति की सुविधा के हकदार हो सकें। उनका दावा है कि वे क्षेत्र प्रशासन में लिपिकों के सामान्य संवर्ग के ही अंग हैं और सचिवालय में भी प्रवर कोटि प्रधान टंकक को वही वेतनमान दिया गया है जो प्रवर कोटि सहायकों को दिया जाता है तथा वरीय प्रवर कोटि प्रधान टंकक अर्थात् टंकन अधीक्षक को वही वेतनमान दिया गया है जो प्रशाखा पदाधिकारी को दिया जाता है। उनका तर्क है कि उनकी निम्न शैक्षिक योग्यता अर्थात् टंकन की जानकारी के साथ मैट्रिक के बावजूद, वे सचिवालय के सहायकों का कर्त्तव्य संपादित करने में सक्षम हैं। क्षेत्र कार्यालयों में लिपिकों की भी यही योग्यता है जो सचिवालय के सहायकों के लिए विहित न्यूनतम इन्टरमीडियेट की योग्यता से भिन्न है।

29.23. टंककों की अधिकांश मांगें उस समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हैं जिसे राज्य सरकार ने सचिवालय के टंककों के वेतनमानों एवं संबद्ध विषयों से संबंधित शिकायतों का अध्ययन करने के लिए सितम्बर, 1969 में गठित किया था। इस समिति में सर्वश्री पी० एस० अप्पू, लक्ष्मेश्वर दयाल और एम० आलम थे। आमतौर से यह समिति दयाल समिति के नाम से जानी जाती थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन 10 अप्रील 1970 को दिया। इस समिति ने मुफस्सिल कार्यालयों के लिपिकों, सचिवालय सहायकों एवं सचिवालय टंकक के बीच की त्रिकोणात्मक सापेक्षता का विस्तृत अध्ययन किया। हालांकि इस समिति ने टंककों एवं प्रधान टंककों के महत्व पर बल दिया, किन्तु, टंककों के इस दावे को नहीं माना कि टंकन कार्य सहायक के कार्य के स्तर का ही है। फिर भी समिति ने यह निर्णय दिया कि सचिवालय के टंककों एवं सहायकों के वेतन स्तर में बहुत अधिक अन्तर है, अतः इस अन्तर को कम किया जाए और टंककों के वेतनमान का उत्क्रमण किया जाए। उक्त प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उस समय वर्तमान टंककों की तीन कोटियों के वेतनमानों को 1 अप्रील 1970 से निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया :—

| टंकक की कोटि। | | 1 अप्रील 1970 से ठीक पहले का वेतनमान। | दयाल समिति द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षण। | 1 अप्रील 1970 से प्रभावी पुनरीक्षण। |
|---|---|---|---|---|
| | | रु० | रु० | रु० |
| 1. टंकक, श्रेणी-II | .. | 155—165 | 120—200 | 120—200 |
| 2. टंकक, श्रेणी-I | .. | 150—200 | 200—300 | 160—280 |
| 3. प्रधान टंकक | .. | 200—300 | 295—500 | 260—300 |

29.24. समिति ने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के टंककों एवं सहायकों की परस्पर साम्यता के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा समिति के विचार से सचिवालय सहायकों की प्रारंभिक योग्यता उच्चतर होने के अतिरिक्त, कार्य निष्पादन संबंधी सहायकों का उत्तरदायित्व टंककों से कहीं अधिक है। अतः समिति का विचार है कि प्रारंभिक स्तर पर टंककों के वेतनमान ऐसे सहायकों के वेतनमान के बराबर नहीं रखे जा सकते, हालांकि, उच्चतर स्तर पर उनकी वर्तमान साम्यता को बनाए रखा जाए।

29.25. वेतनमानों एवं प्रोन्नति की सुविधाओं से संबंधित टंककों के अभ्यावेदन इस समिति के पास न केवल वित्त विभाग द्वारा, बल्कि मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा भी अग्रसारित किए गए हैं। समिति ने इन सभी अभ्यावेदनों की सम्यक् जांच की है।

29.26. टंककों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुरोध प्रोन्नति की और अधिक सुविधाएं देने के संबंध में है। वास्तव में, इसी उद्देश्य से उन्होंने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के साथ साम्यता अथवा विलयन का अनुरोध किया है। टंककों ने यह भी दावा किया है, कि हालांकि, राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के दिनांक 27 अप्रील 1974 के पत्र द्वारा परिचारित कर दिया है कि अपर उप-समाहर्त्ता के रूप में नियुक्ति के लिए राजस्व बोर्ड के विचारार्थ प्रधान टंककों एवं टंकण अधीक्षकों के नाम भी अनुशंसित किये जाएं, किन्तु व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जा रहा है और इस तरह उनकी प्रोन्नति का मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है। समिति की राय है कि ऐसी अनुशंसाएं भेजते समय सभी विभागों के टंककों के मामले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

29.27. समिति इस बात को मानती है कि टंककों के लिए प्रोन्नति की संभावनाएं स्पष्टतः अनुसचिवीय कर्मचारियों की अन्य कोटियों के मुकाबले कम हैं, किन्तु उनके कार्य के सीमित स्वरूप को देखते हुए समिति उनके लिए और अधिक प्रोन्नति की संभावनाओं का सुझाव देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी समिति यह महसूस करती है कि टंककों की प्रोन्नति के प्रथम स्तर को 20 प्रतिशत तक लाया जाए और प्रधान टंककों के बराबर वेतनमान में ही टंककों के लिए प्रवर कोटि के पद दिए जाएं। इससे प्रधान टंककों की वर्त्तमान संख्या बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में प्रवर कोटि टंकक के और प्रधान टंकक के पद मिलकर कुल संवर्ग के 20 प्रतिशत से अधिक न होने पाएं। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि प्रवर कोटि प्रधान टंकक एवं वरीय प्रवर कोटि प्रधान टंकक, जिन्हें टंकन अधीक्षक भी कहा जाता है, के पदों के प्रतिशत की, जो अभी क्रमशः पांच प्रतिशत और दो प्रतिशत निर्धारित है, गणना टंकन संवर्ग की कुल संख्या के आधार पर की जाए, ताकि कालबद्ध प्रोन्नति के अतिरिक्त कुल प्रोन्नति की संभावनाएं कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक हो सकें। समिति ने पिछले एक अध्याय में सामान्यतया इसी प्रतिशत की अनुशंसा सभी संवर्गों के लिए की है। आमतौर पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान से संबंधित समिति की अनुशंसाएं एक अलग अध्याय में दी गई हैं। किन्तु स्पष्टता की दृष्टि से टंककों के लिए प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान संबंधी अनुशंसाएं नीचे दी गयी हैं :—

29.28. सभी संबद्ध विषयों पर विचार करने के पश्चात् समिति टंककों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की अनुशंसा करती है :—

| कोटि। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| 1. टंकक .. .. .. .. | 296—460 | 580—860 |
| 2. प्रधान टंकक (इनका पदनाम बदल कर कनीय प्रवर कोटि टंकक कर दिया जाए)। | 426—570 | 730—1,080 |
| 3. प्रवर कोटि प्रधान टंकक (इनका पदनाम पदल कर वरीय प्रवर कोटि टंकक कर दिया जाए) (कुल संवर्ग का 5 प्रतिशत)। | 505—665 | 850—1,360 |
| 4. वरीय प्रवर कोटि प्रधान टंकक, जिन्हें टंकन अधीक्षक भी कहा जाता है (इनका पदनाम बदल कर अधिकाल वेतनमान टंकक कर दिया जाए) (कुल संवर्ग का 2 प्रतिशत)। | 580—840 | 880—1,510 |

**सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में विभिन्न अनुसचिवीय संवर्गों के बीच परस्पर सापेक्षता**

29.29. वित्त विभाग ने अपने पत्र सं० 3।वि० 1-6-41।77—5766, दिनांक 24 मई 1978 में समिति से अनुरोध किया है कि वह सचिवालय अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के इस अनुरोध तथा विधान-सभा के माननीय सदस्यों के इस सुझाव पर कि सचिवालय के सहायकों एवं आशुलेखकों के वेतनमान बराबर कर दिए जाएं, विचार करके अपनी अनुशंसाएं दें। वास्तव में समिति के पास इस संबंध में एक तरफ सहायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले और दूसरी तरफ आशुलिपिकों/निजी सहायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवा संघों की ओर से पक्ष एवं विपक्ष में दावे प्रस्तुत किए गए हैं। सहायकों के पक्ष में मुख्य तर्क ये दिए गए हैं कि उनके लिए उच्चतर शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडियेट आवश्यक है, उन्हें कठिन प्रशिक्षण लेने के बाद संपुष्टि परीक्षा देनी पड़ती है, उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व ऐसे हैं कि उन्हें संचिकाओं की श्रमसाध्य जांच करनी पड़ती है तथा अन्य सरकारों के अधीन उनके समकक्ष कर्मचारी आशुलेखन निजी सहायकों के बराबर वेतमान पाते हैं। आशुलिपिकों/निजी सहायकों की ओर से भी कहा गया है कि हालांकि, उनकी प्रारंभिक योग्यता मैट्रिक है, किन्तु उन्हें टंकन एवं आशुलेखन का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है तथा अपने कार्य में योग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छी गति एवं दक्षता भी हासिल करनी होती है और ये अतिरिक्त योग्यताएं सहायकों के लिए आवश्यक नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें न केवल श्रुत लेखन और टंकन करना पड़ता है बल्कि निजी सहायक होने के नाते उन पर बहुत-से दुःसह कार्य भी थोप दिए जाते हैं, उनके कार्य सहायकों से कम दुष्कर, कम निरस और कम उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं हैं, वे वरीय अधिकारियों के साथ संलग्न रहते हैं अतः उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बहुत ही गोपनीय एवं तात्कालिक (अर्जेन्ट) ढंग के होते हैं, उनकी प्रोन्नति की संभावनाएं सीमित हैं जबकि सहायकों को संयुक्त सचिव स्तर तक प्रोन्नति दी जाती है तथा विधान-सभा एवं विधान परिषद् के वेतनमान उत्क्रमित कर अवर-सचिव के वेतनमान के बराबर कर दिए गए हैं, अतः उनके वेतनमानों को भी उसी प्रकार उत्क्रमित कर दिया जाए।

29.30. समिति ने देखा है कि तृतीय वेतनमान पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं से पहले से ही सचिवालय के आशुलिपिक समनुरूप स्तरों पर वेतनमान की दृष्टि से सहायकों से ऊपर रहे हैं। जहांतक भूतपूर्व निम्नवर्गीय सहायकों का संबंध है, द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं से पहले वे 75—150 रु० के वेतनमान में थे। द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने उनके लिए 115—225 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की। परिनिरीक्षा (जांच) समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने उन्हें 130—225 रु० का वेतनमान दिया। उसके बाद, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने उनका वेतनमान उत्क्रमित कर 135—235 रु० कर दिया। दूसरी ओर, भूतपूर्व आशुलिपिक श्रेणी II तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा से पहले 160—280 रु० के वेतनमान में थे। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के बाद भी सहायकों की अपेक्षा आशुलिपिकों का वेतनमान अधिक बना रहा। जहां तक उस समय के निम्नवर्गीय सहायकों का संबंध है, तृतीय पुनरीक्षण समिति ने उनके लिए 260—408 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की, जब कि उस समय के आशुलिपिक श्रेणी II के लिए समिति ने 296—460 रु० के वेतनमान की अनुशंसा की। 1 मार्च 1977 से वेतनमानों के विलयन के बाद राज्य सरकार ने भी पूर्वोक्त अनुपात बनाए रखा। इस तारीख के बाद से सहायक 348—570 रु० के वेतनमान में हैं, जबकि आशुलिपिक, जिनका पदनाम बदल कर निजी सहायक कर दिया गया है, 400—630 रु० के वेतनमान में हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सचिवालय के सहायकों की तुलना में आशुलिपिकों/निजी सहायकों के वेतनमान की वर्त्तमान श्रेष्ठता बहुत दिनों से चली आ रही है तथा इसे विभिन्न वेतन समितियों ने और, जब कभी ऐसी स्थिति आई, राज्य सरकार ने भी बनाए रखा है।

29.31. सचिवालय में चर्यालिपिकों, टंककों, सहायकों एवं आशुलिपिकों के बीच परस्पर सापेक्षता के प्रश्न पर समिति का ध्यान गया है क्योंकि उसे अन्य संवर्गों के बराबर या उनसे अधिक वेतनमान देने के संबंध में विभिन्न संवर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुफस्सिल कार्यालयों में यद्यपि आशु टंककों और लिपिकों के वेतनमान बराबर ही हैं, किन्तु आशुटंककों के उच्चतर कार्य एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें आशुलिपि भत्ता के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। वास्तव में, यही मुख्य कारण है कि सचिवालय के आशुलिपिक, सहायकों से अधिक पारिश्रमिक पाने की वर्त्तमान स्थिति को बनाए रखने का दावा करते रहे हैं। दूसरी ओर सचिवालय के सहायकों के दावे का आधार यह है कि क्षेत्र कार्यालयों की पद्धति की तुलना सचिवालय की पद्धति से नहीं की जा सकती। चर्यालिपिकों ने भी दावा किया है कि उनके वेतनमानों को उत्क्रमित कर सहायकों के वेतनमान दिया जाए। इन सभी दावों एवं प्रतिवादों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुची है कि सचिवालय के उपर्युक्त चारों कोटियों के कर्मचारियों के बीच की वर्त्तमान सापेक्षता में परिवर्तन तो नहीं किया जाए, किन्तु उनके वेतनमानों को एक दूसरे के और अधिक करीब लाया जाए।

29.32. सचिवालय के सहायकों तथा आशुलिपिकों/निजी सहायकों के दावों एवं प्रतिदावों की समिति ने तुलनात्मक समीक्षा की है और समिति की राय में अपेक्षित कार्य, योग्यता और दक्षता की दृष्टि से ये दोनों कोटियां एक दूसरे से तुलनीय नहीं हैं। समिति पहले ही अपना विचार व्यक्त कर चुकी है कि वेतन निश्चित करने के लिए सिर्फ शैक्षिक योग्यता को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। इस प्रकार समिति की नजर में, इन दोनों कोटियों के बीच चली आ रही पारस्परिक सापेक्षता में रद्दोबदल का पर्याप्त औचित्य नहीं है और तदनुसार समिति ने इनके लिए समुचित वेतनमानों की अनुशंसा की है।

**क्षेत्र कार्यालयों के लिपिक एवं टंकक**

29. 33. क्षेत्र कार्यालयों के लिपिकों एवं टंककों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक के साथ टंकन की जानकारी है। उनकी बहाली संबद्ध कार्यालय प्रधानों द्वारा की जाती है। क्षेत्र कार्यालयों के लिपिकों का एक ही अनुसचिवीय संवर्ग है, जिन्हें सचिवालय विभागों के चर्यालिपिक, लेखा कर्मचारी तथा टंककों का भी काम करना पड़ता है। उनके कार्य के अनुरूप उनके विभिन्न पदनाम हो सकते हैं, जैसे नाजिर, पेशकार, अभिलेखपाल, भंडारपाल (स्टोरकीपर), रोकड़पाल, लेखाकार, प्रधान लिपिक, प्रधान सहायक टंकक, आदि। उनमें से जो आशुलिपि जानते हैं उन्हें आशुटंकक के रूप में भी नियोजित किया जाता है और ऐसे आशुटंककों को आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं रहने पर 50 रु० और उत्तीर्ण रहने पर 75 रु० का विशेष मासिक भत्ता दिया जाता है। किन्तु इस संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, प्रवर कोटि प्रधान सहायक, अधिप्रवर कोटि प्रधान सहायक तथा कार्यालय अधीक्षक या सिरिस्तेदार आते हैं। इस संवर्ग में सीधी भर्त्ती निम्नवर्गीय सहायक के स्तर पर होती है और अन्य सभी पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। उपर्युक्त कोटियों के वेतनमान पहले निम्नलिखित प्रकार रहे हैं :—

| क्रम संख्या। | किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ? | निम्नवर्गीय लिपिक। | उच्चवर्गीय लिपिक। | प्रवर कोटि लिपिक। | वरीय प्रवर कोटि लिपिक। | कार्यालय अधीक्षक/ सिरिस्तेदार। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| 1 | प्रथम वेतन पुनरीक्षण समिति। | 50—90 | 80—120 रु० | 120—140<br>140—160<br>140—190<br>160—190 | .. | 190—275 |

| क्रम सं० । | किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ? | निम्नवर्गीय लिपिक । | उच्चवर्गीय लिपिक । | प्रवर कोटि लिपिक । | वरीय प्रवर कोटि लिपिक । | कार्यालय अधीक्षक/ सिरिस्तेदार । |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| 2 | द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति । | 145—155 | 150—200 | 200—300 | .. | 230—390 |
| 3 | तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति । | 220—375 | 284—372 | 340—490 | .. | 465—600 |
| 4 | विसंगति निराकरण समिति । | .. | .. | .. | 335—555 | 505—665 |
| 5 | 1 मई 1980 से .. | 284—372 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | वर्त्तमान वेतनमान .. | 284—372 | 284—372 | 340—490 | 335—555 | 505—665 |

29.34. उपर्युक्त कोटियों के लिपिकों के बीच के अनुपात के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है, अर्थात् हरेक अनुसचिवीय संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक 60 प्रतिशत, उच्चवर्गीय लिपिक 30 प्रतिशत, प्रवर कोटि लिपिक 8 प्रतिशत तथा अधिप्रवर कोटि लिपिक दो प्रतिशत हैं।

उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त, केवल जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला न्यायाधीश के कार्यालयों जैसे बड़े कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक/सिरिस्तेदार के पद भी हैं।

29.35. हालांकि प्रोन्नति की उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त भूतपूर्व अवर-उप-समाहर्त्ताओं के समकक्ष पदों पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों के साथ क्षेत्र कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है, किन्तु क्षेत्र के अनुसचिवीय कर्मचारियों की शिकायत है कि प्रोन्नति के ऐसे पदों पर उनमें से शायद ही किसी का चयन किया जाता है। उनकी यह भी शिकायत है कि जब कभी किसी विभाग में क्षेत्र के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए किसी उच्च पद का सृजन किया जाता है तब अक्सर वह पद सचिवालय के संबद्ध विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों के बीच से ही भर दिया जाता है और उस पद पर प्रोन्नति के लिए क्षेत्र कार्यालयों के लिपिकों के मामले पर विचार तक नहीं किया जाता। अत: उनका अनुरोध है कि सभी विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन क्षेत्र कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर पर्याप्त प्रोन्नति की सुविधाएं दी जाएं, चाहे वे क्षेत्र में हों या सचिवालय में।

29.36. क्षेत्र के अनुसचिवीय कर्मचारियों की मुख्य मांग यह थी कि जिस प्रकार 1 मार्च 1977 से सचिवालय के निम्नवर्गीय सहायकों एवं उच्चवर्गीय सहायकों के वेतनमानों का विलयन कर दिया गया उसी प्रकार निम्नवर्गीय लिपिकों एवं उच्चवर्गीय लिपिकों के वेतनमानों का भी विलयन कर दिया जाए और सचिवालय सहायकों के बराबर ही उन्हें भी वेतनमान एवं प्रोन्नति की सुविधाएं दी जाएं। उनका तर्क है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक केवल अलग-अलग ढंग का काम करते हैं, किन्तु उन्हें तो इन सभी विभिन्न प्रकार के कार्यों को बिना किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन के ही करना पड़ता है। उनका यह भी तर्क था कि टंकन के ज्ञान के साथ-साथ मैट्रिक की योग्यता को सचिवालय के सहायकों के लिए निर्धारित इन्टरमीडियेट की योग्यता से यदि ऊपर नहीं तो बराबर तो माना ही जाए। उन्होंने इस पर भी बल दिया है कि उनके कार्य एवं कार्य करने की परिस्थितियां सचिवालय के सहायकों के कार्य एवं कार्य करने की परिस्थितियों से अधिक श्रमसाध्य और कठिन हैं, क्योंकि क्षेत्र कार्यालय में रहने के कारण उन्हें हमेशा आकस्मिक एवं तात्कालिक (अर्जेन्ट) विषयों को निबटाना पड़ता है। उन्हें करीब-करीब हर दिन अपने कार्य के निर्धारित घंटों से बहुत अधिक देर तक काम करना पड़ता है तथा उन्हें अवकाश के दिनों में भी कार्य करना पड़ता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उन्हें दूर-दराज इलाकों में कठिन परिस्थितियों में रहकर काम करना पड़ता है तथा बार-बार स्थानान्तरण के कारण भी परेशानी होती है, जबकि सचिवालय सहायकों को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।

29.37. क्षेत्र कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों को इससे भी तकलीफ है कि हालांकि मंत्रि परिषद् ने अपनी 15 फरवरी 1977 की बैठक में स्पष्ट निर्णय लिया कि निम्नवर्गीय लिपिकों का उच्चवर्गीय लिपिकों के साथ विलयन कर दिया जाए, किन्तु इस निर्णय पर अमल नहीं किया गया जब कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अनेक अनुसचिवीय संवर्गों के संबंध में इस निर्णय को तुरत लागू कर दिया गया। किन्तु इसके बाद 1 मई 1980 से मुफस्सिल कार्यालयों के निम्नवर्गीय लिपिकों का उच्चवर्गीय लिपिकों के साथ विलयन कर दिया गया है।

29.38. समिति एक तरफ क्षेत्र कार्यालयों का लिपिकों तथा दूसरी तरफ सचिवालय के सहायकों के बीच परस्पर सापेक्षता के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन दोनों कोटियों के कार्य भिन्न हैं और यही कारण है कि सचिवालय के सहायकों के लिए उच्चतर योग्यता अपेक्षित है तथा उनकी बहाली भी राज्य लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होती है। अतः क्षेत्र के लिपिकों के वेतनमानों को सचिवालय सहायकों के वेतनमान के स्तर तक उत्क्रमित करने का कोई औचित्य नहीं है। किन्तु, ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति ने दोनों के स्तरों को एक-दूसरे के और समीप ला दिया है। समिति 220—315 रु० और 284—372 रु० के दोनों वेतनमान वाले मुफस्सिल लिपिकों के लिए 580—860 रु० के एक ही वेतनमान की अनुशंसा करती है।

29.39. अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में 465—600 रु० के वेतनमान में प्रधान सहायक के कई पद हैं। विसंगति निराकरण समिति की अनुशंसा के आधार पर 505—665 रु० का पुनरीक्षित वेतनमान मिलने से पहले समाहरणालय में कार्यालय अधीक्षकों एवं जिला न्यायालयों में सिरिस्तेदारों का भी यही वेतनमान था। निर्माण विभागों के अंचल प्रधान सहायक संघ ने समिति को कई अभ्यावेदन दिए हैं जिनमें उन्होंने भेदभाव बरतने संबंधी शिकायत की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के 580—840 रु० के वेतनमान वाले अनुसचिवीय पदाधिकारियों के समतुल्य अर्थात् सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी के बराबर समझा जाए और तदनुसार उच्चतर वेतनमान देने का अनुरोध किया है। समिति उनके मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वे सचिवालय स्थापना प्रणाली, जो प्रमण्डलीय कार्यालय में चल रही है, की अपेक्षा मुफस्सिल स्थापना प्रणाली के अधिक समतुल्य हैं। समिति का मत है कि उन्हें भी उपर्युक्त कार्यालय अधीक्षक एवं सिरिस्तेदार के बराबर कर दिया जाए। इन सभी कोटियों के लिए समिति 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

29.40. 465—600 रु० और 400—600 रु० के वेतनमान वाले अनुसचिवीय पदों के कुछ इक्के-दुक्के उदाहरण भी हैं, जैसे वित्त (लेखन-सामग्री) विभाग में 465—600 रु० के वेतनमान में प्रधान सहायक-सह-रोकड़पाल का पद और 400—660 रु० के वेतनमान में सांख्यिकी निदेशालय में कार्यालय पर्यवेक्षक का तथा उद्योग विभाग में प्रधान लिपिक-सह-लेखाकार का पद। चूंकि ये पद ऊपर वर्णित पदों के करीब-करीब बराबर हैं, इसलिए समिति उनके लिए 465—600 रु०, 400—600 रु० और 505—665 रु० के वेतनमान वाले अन्य सभी लिपिक पदों के लिए भी 850—1,360 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारी जो नियमित संवर्गों में नहीं आते**

29.41. इनके अतिरिक्त, बहुत से ऐसे अनुसचिवीय पद हैं जो उपर्युक्त किसी भी संवर्ग में नहीं आते हैं। इन पदों में मोहर्रिर, अभिलेखपाल, दैनिकी लिपिक एवं प्रेषक, पेशकार और न्यायपीठ (बेंच) लिपिक, भण्डारपाल एवं भंडार सहायक, स्वागतकर्ता, केयर टेकर, लेखाकार, लेखा लिपिक, विपत्र (बिल) लिपिक, रोकड़पाल आदि के पद आते हैं। समिति इस तथ्य से भी अवगत है कि उपर्युक्त एवं इसी तरह के अन्य पदनाम वाले पद उपर्युक्त संवर्गों में से किसी-न-किसी संवर्ग में हो सकते हैं, हालांकि संबद्ध विभागों ने इन पदों को अलग पदों के रूप में समिति को सूचित किया है। ऐसे मामलों में समिति की कोई विपरीत अनुशंसा होने पर भी, उन्हें वही वेतनमान मिलेंगे जो उनके संवर्ग के लिए अनुशंसित किए गए हैं। किन्तु, ऐसे अन्य अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए, जो उपर्युक्त किसी भी संवर्ग में नहीं आते, अलग से वेतनमान निश्चित किए गए हैं।

29.42. समिति ने अपना मत निश्चित करते समय ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारियों पर, जिनकी नियमित संवर्ग के समकक्ष कर्मचारियों के साथ वर्तमान साम्यता है, भी विचार किया है। समिति का मत है कि ऐसे कर्मचारियों के कार्य का स्वरूप उनके पदों के लिए विहित योग्यता से काफी संबद्ध है, अतः समिति ने वेतनमान, खासकर निचले स्तर पर निश्चित करते समय, योग्यता को मुख्य आधार माना है। इस संदर्भ में समिति ने सामान्यतया निर्देशक सिद्धान्त अपनाए, वे निम्नलिखित हैं :—

(*i*) ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारी जिनके कार्य का स्वरूप ऐसा है कि उन्हें मैट्रिकुलेट (प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण) होना भी जरूरी नहीं है, 425—605 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार होंगे।

(*ii*) ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारी जिनके कार्य का स्वरूप ऐसा है कि उन्हें मैट्रिकुलेशन की योग्यता तो होनी चाहिए किन्तु उनके लिए टंकन की जानकारी अपेक्षित नहीं है, 535—765 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार होंगे।

(*iii*) ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारी जिनके कार्य का स्वरूप ऐसा है कि उन्हें मैट्रिकुलेशन होने के अतिरिक्त उनके लिये टंकन की जानकारी आवश्यक है, 580—860 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार होंगे।

(*iv*) ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारी जो क्षेत्र कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के विद्यमान मूल वेतनमानों से उच्च वेतनमान में हैं यानी जो वर्तमान वेतनमान 284—372 रु० से उच्च वेतनमान में हैं, अपने सहकर्मियों के अर्थात् किसी पूर्वोक्त नियमित संवर्ग के उसी वेतनमान के कर्मचारियों के समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार होंगे।

29.43. समिति ने, निम्नलिखित कंडिकाओं में, कुछेक सामान्य पदनामों वाले कर्मचारियों के लिए पूर्वोक्त सिद्धांतों पर वेतनमानों की सिफारिश यह मानकर की हैं कि ये पद पूर्वोक्त किसी भी संवर्ग में नहीं हैं। किन्तु समिति का विचार हैं कि यदि नियमित संवर्ग में ऐसा कोई पद हो जाए तो इस संवर्ग के लिये वेतनमान वही हो जिसकी सिफारिश की गई हैं।

**मुहर्रिर**

29.44. विभिन्न विभागों में दो प्रकार के मुहर्रिर हैं। पहला वे जो मैट्रिक पास नहीं हैं और 155—190 रु० या 205—284 रु० के वेतनमान में हैं और दूसरा वे जो 220--315 रु० के वेतनमान में हैं और मैट्रिक पास हैं। उन लोगों के लिए अनुशंसित वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | रु० |
| 1 | मुहर्रिर (मैट्रिक फेल) .. | भागलपुर .. .. | 155—190 | |
| 2 | मुहर्रिर (मैट्रिक फेल) .. | पूर्वी चम्पारण .. .. | 205—284 | |
| 3 | मुहर्रिर (मैट्रिक फेल) .. | हजारीबाग .. .. | 205—284 | |
| 4 | मुहर्रिर (मैट्रिक फेल) .. | रांची .. .. | 205—284 | 425—605 |
| 5 | मुहर्रिर (मैट्रिक फेल) .. | भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय | 205—284 | |
| 6 | खनन मुहर्रिर .. | खनन एवं भू-तत्व .. .. | 205—284 | |
| 7 | नाका खनन मुहर्रिर .. | वन .. .. | 205—284 | |
| 8 | मुहर्रिर (मैट्रिक पास) .. | चकबंदी निदेशालय .. | 220—315 | |
| 9 | मुहर्रिर (मैट्रिक पास) .. | रांची .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 10 | मुहर्रिर (मैट्रिक पास) .. | भागलपुर .. .. | 220—315 | |
| 11 | मुहर्रिर (मैट्रिक पास) .. | पूर्णियां .. .. | 220—315 | |

**अभिलेखपाल (रेकर्ड कीपर)**

29.45. बहुत से विभागों ने अभिलेखपाल के पद सृजित किए हैं जो छः विभिन्न वेतनमानों में हैं और जिनके पद अभिलेखपाल (रेकर्ड सप्लायर) से नीचे हैं। ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार उनलोगों के लिए अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | रु० |
| 1 | अभिलेखपाल .. | परिवहन .. .. | 180—242 | 425—605 |
| 2 | अभिलेखपाल .. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | 220—315 | |
| 3 | अभिलेखपाल .. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | 220—315 | |
| 4 | अभिलेखपाल .. | उद्योग .. .. | 284—372 | 535—765 |
| 5 | अभिलेखपाल .. | सर्वेक्षण कार्यालय .. | 284—372 | |
| 6 | वरीय सहायक अभिलेखपाल .. | सर्वेक्षण कार्यालय .. .. | 284—372 | |
| 7 | अभिलेखपाल .. | सर्वेक्षण कार्यालय .. .. | 340—490 | 680—965 |
| 8 | अभिलेखपाल .. | कारा सुधार सेवाएं .. | 348—570 | 730—1,080 |

**पेशकार और न्यायपीठ लिपिक (बेंच क्लर्क)**

29.46. सिविल, दंड और राजस्व न्यायालयों में पेशकार और न्यायपीठ लिपिक (बेंच क्लर्क) तत्संबंधी लिपिक संवर्ग में हैं और इस समिति को ठीक ही अलग से उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी, कुछ विभागों ने ऐसे पद अलग से सूचित किये हैं। समिति ने पूर्वोक्त सिद्धांतों के आधार पर ऐसे पदों के लिये निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमानों का प्रस्ताव दिया है :—

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | रु० |
| 1 | न्यायपीठ लिपिक (बेंच क्लर्क) | विद्युत् .. .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | पेशकार .. | भू-अभिलेख .. .. | 220—315 | |
| 3 | प्रधान पेशकार .. | भू-अभिलेख .. .. | 284—372 | 580—860 |
| 4 | पेशकार .. | वाणिज्य-कर .. .. | 348—570 | 730—1,080 |

**रोकड़पाल (कैशियर), रोकड़ तहसीलदार (कैश कलक्टर) और नाजिर**

29.47. राज्य सरकार के बहुत से विभागों ने रोकड़ तहसीलदार और नाजिर सहित के कई पद सूचित किये हैं, जैसा कि आगे की सूची से मालूम होगा। यह मानते हुए कि ये पद नियमित अनुसचिवीय संवर्ग से बाहर के हैं, ऐसे पदों के लिये अनुशंसित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | रोकड़पाल .. | नगर विकास (नगर निवेश) .. | 220—315 | 535—765 |
| 2 | रोकड़पाल .. | भूतत्व .. .. | 220—315 | |
| 3 | रोकड़पाल .. | पशुपालन (डेरी प्रशाखा) .. | 220—315 | |
| 4 | रोकड़पाल .. | पशुपालन .. .. | 220—315 | |
| 5 | रोकड़ तहसीलदार .. | पशुपालन .. .. | 220—315 | |
| 6 | रोकड़पाल .. | उद्योग .. .. | 284—372 | |
| 7 | रोकड़पाल .. | मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) | 284—372 | |
| 8 | रोकड़पाल .. | स्वास्थ्य .. .. | 284—372 | |
| 9 | रोकड़पाल .. | शिक्षा (के०पी० जायसवाल संस्थान) | 284—372 | |
| 10 | रोकड़पाल .. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०सी०ई०) | 284—372 | |
| 11 | सहायक लेखापाल-सह-रोकड़पाल | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी०आई०टी०) | 284—372 | |
| 12 | रोकड़पाल .. | उद्योग (रेशम स्कीम) .. | 284—372 | |

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 13 | रोकड़पाल .. | साहाय्य एवं पुनर्वास .. | 284—372 | 535—765 |
| 14 | रोकड़पाल .. | शिक्षा (सरकारी महिला महाविद्यालय), गुलजारबाग। | 284—372 | |
| 15 | रोकड़पाल .. | शिक्षा (सरकारी महिला महाविद्यालय), गर्दनीबाग। | 284—372 | |
| 16 | रोकड़पाल .. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एम०आई०टी०) | 284—372 | |
| 17 | रोकड़पाल .. | आपूर्ति .. .. | 284—372 | |
| 18 | रोकड़पाल .. | लघु सिंचाई .. .. | 284—372 | |
| 19 | रोकड़पाल .. | पशुपालन (क्षेत्रीय स्थापना) .. | 284—372 | |
| 20 | रोकड़पाल-सह-लेखापाल .. | पशुपालन .. .. | 284—372 | |
| 21 | रोकड़पाल-सह-लेखा लिपिक .. | गृह (आरक्षी) .. .. | 284—372 | |
| 22 | द्वितीय लिपिक-सह-रोकड़पाल | सिंचाई .. .. | 284—372 | |
| 23 | विपत्र लिपिक-सह-रोकड़पाल .. | योजना (सांख्यिक वित्त) .. | 284—372 | |
| 24 | विपत्र लिपिक-सह-रोकड़पाल .. | श्रम (बीमा योजना) .. | 284—372 | |
| 25 | नाजिर .. | विधि (जिला जजी, पूर्णियां) .. | 284—372 | |
| 26 | रोकड़पाल .. | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | 284—372 | |
| 27 | रोकड़पाल .. | राजभवन .. .. | 340—490 | 680—965 |
| 28 | रोकड़पाल .. | सिंचाई .. .. | 340—490 | |
| 29 | रोकड़पाल .. | लोक-निर्माण विभाग .. | 340—490 | |
| 30 | रोकड़पाल .. | आई०पी०आर०डी० .. | 340—490 | |
| 31 | लेखापाल-सह-रोकड़पाल .. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | 340—490 | |
| 32 | वरीय लिपिक-सह-नाजिर .. | कृषि .. .. | 340—490 | |
| 33 | जिला नाजिर .. | राजस्व .. .. | 340—490 | |
| 34 | नाजिर .. | विधि (जिला जजी, समस्तीपुर) .. | 340—490 | |
| 35 | कोषपाल .. | विधि (उच्च न्यायालय) .. | 348—570 | 730—1,080 |

लेखा कर्मचारी

29.48. पूर्व विवेचित लेखा लिपिक संवर्ग के अतिरिक्त, विभिन्न विभागों ने बहुतेरे छिटपुट पद सूचित किए जिनके विभिन्न पदनाम हैं, जैसे लेखापाल, लेखा लिपिक, लेखापाल-सह-लिपिक, विपत्र लिपिक आदि। यह मानते हुए कि ये छिटपुट पद नियमित अनुसचिवीय संवर्ग के नहीं हैं, समिति पूर्वोक्त सिद्धांतों के आधार पर ऐसे पदों के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश करती है :—

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | लिपिक-सह-लेखापाल .. | कल्याण .. .. | 220—315 | |
| 2 | लिपिक-सह-लेखापाल .. | शिक्षा (मिथिला संस्थान) .. | 220—315 | |
| 3 | लेखापाल .. | पशुपालन .. .. | 220—315 | |
| 4 | लिपिक-सह-लेखापाल .. | शिक्षा (नवनालंदा महाविहार) .. | 220—315 | |
| 5 | सामान्य लेखापाल .. | कल्याण विभाग .. .. | 230—340 | |
| 6 | लेखापाल .. | गृह (फौरेंजिक विज्ञान प्रयोगशाला) | 284—372 | |
| 7 | विपत्र लिपिक-सह-रोकड़पाल .. | योजना (सांख्यिक वित्त) .. | 284—372 | |
| 8 | सहायक लेखापाल .. | योजना (सांख्यिकी) .. | 284—372 | |
| 9 | लेखापाल .. .. | स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) .. | 284—372 | |
| 10 | लेखापाल .. .. | शिक्षा (राष्ट्रीय कैडेट कोर) .. | 284—372 | 535—765 |
| 11 | लेखापाल .. .. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०)। | 284—372 | |
| 12 | लेखापाल-सह-सहायक .. | उद्योग .. .. | 284—372 | |
| 13 | लेखापाल .. .. | उद्योग (रेशम स्कीम) .. | 284—372 | |
| 14 | लेखापाल .. .. | पशुपालन .. .. | 284—372 | |
| 15 | लेखापाल .. .. | पशुपालन .. .. | 284—372 | |
| 16 | निरीक्षक-सह-लेखापाल .. | सिंचाई .. .. | 284—372 | |
| 17 | रोकड़पाल-सह-लेखा लिपिक .. | गृह (आरक्षी) .. .. | 284—372 | |
| 18 | सहायक लेखापाल .. | श्रम (सचिवालय कैंटीन) .. | 284—372 | |
| 19 | लेखापाल .. .. | गृह (पुलिस मोटर) परिवहन .. | 284—372 | |
| 20 | लेखापाल-सह-भंडारपाल-सह-लिपिक। | कल्याण विभाग .. .. | 284—372 | |

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 21 | लेखापाल .. .. | कल्याण (जन-जाति कल्याण शोध संस्थान)। | 284—372 | |
| 22 | लेखापाल .. .. | शिक्षा (प्राकृत, जैनधर्म और अहिंसा शोध संस्थान)। | 284—372 | |
| 23 | लेखापाल .. .. | शिक्षा (अरबी एवं फारसी विद्या स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान)। | 284—372 | 535—765 |
| 24 | लेखापाल .. .. | कृषि (भू-संरक्षण) .. | 284—372 | |
| 25 | रोकड़पाल-सह-लेखा लिपिक .. | पर्यटन .. .. | 284—372 | |
| 26 | सहायक लेखापाल .. | आपूर्त्ति एवं वाणिज्य .. | 284—372 | |
| 27 | लेखापाल .. .. | विधि (जिला जजी, समस्तीपुर) .. | 284—372 | |
| 28 | सहायक लेखापाल .. | विधि (जिला जजी, भागलपुर) .. | 284—372 | |
| 29 | लेखापाल-सह-प्रधान लिपिक .. | उद्योग .. .. | 284—372 | |
| 30 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | खनन .. .. | 284—372 | |
| 31 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | भू-तत्व .. .. | 284—372 | |
| 32 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | पशुपालन .. .. | 284—372 | |
| 33 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | पशुपालन (मत्स्य पालन) .. | 284—372 | 580—860 |
| 34 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | सिंचाई .. .. | 284—372 | |
| 35 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | राजस्व (चकबन्दी) .. | 284—372 | |
| 36 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | गृह (नागरिक प्रतिरक्षा) .. | 284—372 | |
| 37 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | शिक्षा (का० प्र० जा० शोध संस्थान) | 284—372 | |
| 38 | लेखापाल .. .. | गृह (कारा) .. .. | 340—490 | |
| 39 | लेखापाल .. .. | कार्मिक (लोक आयुक्त) .. | 340—490 | |
| 40 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | वित्त (अंकेक्षण विभाग) .. | 340—490 | 680—965 |
| 41 | लेखापाल .. .. | वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग .. | 340—490 | |
| 42 | लेखापाल .. .. | योजना (छोटानागपुर विकास प्राधिकार)। | 340—490 | |

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 43 | लेखापाल .. | .. योजना (सांख्यिकी) .. | 340—490 | 680—965 |
| 44 | लेखापाल .. | .. ग्रामीण विकास (पंचायत) .. | 340—490 | |
| 45 | लेखापाल .. | .. स्वास्थ्य विभाग .. .. | 340—490 | |
| 46 | लेखापाल .. | .. शिक्षा विभाग .. .. | 340—490 | |
| 47 | लेखापाल .. | .. शिक्षा (महिला महाविद्यालय) .. | 340—490 | |
| 48 | लेखापाल .. | .. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .. | 340—490 | |
| 49 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | विज्ञान प्रौद्योगिकी (बी०सी०ई०) | 340—490 | |
| 50 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०)। | 340—490 | |
| 51 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (पालिटेक-निक)। | 340—490 | |
| 52 | लेखापाल .. | .. उद्योग विभाग .. .. | 340—490 | |
| 53 | लेखापाल .. | .. उद्योग (रेशम स्कीम) .. | 340—490 | |
| 54 | लेखापाल .. | .. खनन विभाग .. .. | 340—490 | |
| 55 | प्रधान सहायक-सह-लेखापाल .. | खनन विभाग .. .. | 340—490 | |
| 56 | प्रधान सहायक-सह-लेखापाल .. | कृषि विभाग .. .. | 340—490 | |
| 57 | भंडारपाल-सह-लेखापाल .. | कृषि (भू-संरक्षण) .. | 340—490 | |
| 58 | लेखापाल .. | .. कृषि (भू-संरक्षण) .. | 340—490 | |
| 59 | प्रधान लेखापाल .. | सहकारिता विभाग .. | 340—490 | |
| 60 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | पशुपालन विभाग .. .. | 340—490 | |
| 61 | लेखापाल .. | .. पशुपालन विभाग .. .. | 340—490 | |
| 62 | लेखापाल .. | .. पशुपालन (मत्स्य पालन) .. | 340—490 | |
| 63 | लेखापाल .. | .. लघु सिंचाई विभाग .. | 340—490 | |
| 64 | लेखापाल .. | .. सिंचाई विभाग .. .. | 340—490 | |
| 65 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | सिंचाई विभाग .. .. | 340—490 | |

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 66 | लेखापाल-सह-रोकड़पाल .. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. | 340—490 | 680—965 |
| 67 | लेखापाल .. .. | परिवहन विभाग .. .. | 340—490 | |
| 68 | लेखा लिपिक .. .. | परिवहन विभाग .. .. | 340—490 | |
| 69 | लेखापाल .. .. | गृह (आरक्षी) विभाग .. | 340—490 | |
| 70 | लेखापाल .. .. | राजस्व विभाग .. .. | 340—490 | |
| 71 | लेखापाल .. .. | राजस्व (सर्वेक्षण कार्यालय) .. | 340—490 | |
| 72 | लेखापाल .. .. | कृषि (गणना) .. .. | 340—490 | |
| 73 | लेखापाल .. .. | साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग .. | 340—490 | |
| 74 | लेखापाल .. .. | श्रम (प्रशिक्षण) .. .. | 340—490 | |
| 75 | लेखापाल .. .. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (राज्य अभिलेखागार)। | 340—490 | |
| 76 | लेखापाल .. .. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय)। | 340—490 | |
| 77 | लेखापाल .. .. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी)। | 340—490 | |
| 78 | लेखापाल .. .. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (तकनीकी परीक्षक कोषांग)। | 340—490 | |
| 79 | लेखापाल .. .. | गृह (आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग और रेंज उप-महानिरीक्षक का कार्यालय)। | 340—490 | |
| 80 | लेखापाल .. .. | गृह (राज्य अग्निशाम सेवायें) .. | 340—490 | |
| 81 | वाणिज्यिक लेखापाल .. | गृह (कारा) विभाग .. | 340—490 | |
| 82 | लेखापाल .. .. | कार्मिक (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान) | 340—490 | |
| 83 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | वित्त (अंकेक्षण) विभाग .. | 340—490 | |
| 84 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | नगर विकास (नगर निवेश) .. | 340—490 | |
| 85 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | कृषि विभाग .. .. | 340—490 | |

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 86 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | राजस्व (भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण) | 340—490 | 680—965 |
| 87 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय। | राजस्व विभाग .. .. | 340—490 | |
| 88 | कोषागार लेखापाल .. | राजस्व विभाग .. .. | 340—490 | |
| 89 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग .. | 340—490 | |
| 90 | लेखापाल .. .. | श्रम एवं नियोजन .. .. | 340—490 | |
| 91 | मुख्य लेखापाल .. | आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग .. | 340—490 | |
| 92 | लेखापाल .. .. | आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग .. | 340—490 | |
| 93 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | 340—490 | |
| 94 | वरीय लेखा लिपिक .. | लघु सिंचाई विभाग .. | 260—408 | 730—1,080 |
| 95 | वरीय लेखा लिपिक .. | सिंचाई विभाग .. .. | 260—408 | |
| 96 | टंकक-सह-लेखा लिपिक .. | योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)। | 260—408 | |
| 97 | वरीय लेखा लिपिक .. | ग्रामीण विकास (ग्राम्य अभियंत्रण) संगठन। | 260—408 | |
| 98 | उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा) | लोक-निर्माण विभाग .. | 260—408 | |
| 99 | वरीय लेखा लिपिक .. | विद्युत् विभाग .. .. | 260—408 | |
| 100 | सहायक लेखापाल .. | परिवहन (फ्लाइंग इन्स्टिट्यूट) .. | 150—491 | |
| 101 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | वित्त (प्रेस, गया) .. | 335—555 | |
| 102 | लेखापाल .. .. | वित्त (लेखन सामग्री, गुलजारबाग) | 335—555 | |
| 103 | लेखापाल .. .. | वित्त (सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग) | 335—555 | |
| 104 | भंडार लेखापाल .. | वित्त (सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग) | 335—555 | |
| 105 | लेखापाल .. .. | कल्याण विभाग .. .. | 335—555 | |
| 106 | लेखापाल .. .. | लोक-निर्माण विभाग .. | 348—570 | |
| 107 | लेखापाल .. .. | श्रम (सचिवालय, कैंटीन) .. | 348—570 | |

| क्रम सं० | पदनाम | विभाग/स्थापना का नाम | वर्त्तमान वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 108 | लेखापाल .. .. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (मुख्य मंत्री का सचिवालय)। | 348—570 | 730—1,080 |
| 109 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | नगर विकास (स्थानीय निकाय निदेशालय)। | 348—570 | |
| 110 | लेखापाल .. .. | परिवहन (फ्लाइंग इन्स्टिच्यूट) .. | 200—550 | 785—1,210 |
| 111 | लेखा पदाधिकारी .. | गृह (कारा) विभाग .. | 400—660 | 850—1,360 |
| 112 | प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल .. | उद्योग विभाग .. .. | 400—660 | |
| 113 | लेखापाल .. .. | पशुपालन विभाग .. .. | 400—660 | |
| 114 | लेखापाल .. .. | लोक-निर्माण विभाग .. | 400—660 | |
| 115 | मुख्य लेखापाल .. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी)। | 400—660 | |
| 116 | मुख्य लेखापाल .. | सहकारिता (हथकरघा) .. | 400—660 | |
| 117 | वरीय लेखापाल .. | पशुपालन विभाग .. .. | 400—660 | |
| 118 | कार्यालय अधीक्षक-सह-लेखापाल | स्वास्थ्य विभाग .. .. | 505—665 | |

# अध्याय 30

## वैयक्तिक कर्मचारी

30.1. इस अध्याय में वैयक्तिक कर्मचारियों की सामान्य कोटियों का विवेचन किया गया है, जैसे, आशुटंकक, आशुलिपिक, निजी सहायक, निजी सचिव, आप्त सचिव, आदि।

30.2. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वैयक्तिक कर्मचारियों की चार कोटियां हैं—(i) जो आशुटंकक या आशुलिपिक, (ii) जो लिपिक या सहायक हैं; (iii) जिनकी कोई पदीय पृष्ठभूमि नहीं है और जो तदर्थ आधार पर बाहर से सीधी भर्ती द्वारा सीमित अवधि के लिए आते हैं आदि जैसे बाहर से नियुक्त मंत्रियों के आप्त सचिव, आदि। इस अध्याय में इन तीन कोटियों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। वैयक्तिक कर्मचारियों की चौथी कोटि में सेवाओं के अन्य संवर्ग से लिए गए कार्मिक आते हैं, जिनके कार्य की भी अवधि सीमित होती है और इस अवधि में वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपना वेतनमान प्राप्त करते हैं। इसलिए, वैयक्तिक कर्मचारियों की इस कोटि के लिये कोई पृथक वेतनमान की सिफारिश नहीं की जाएगी क्योंकि वे प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति हैं।

### आशु-टंकक

30.3. आशु-टंककों के पद क्षेत्र--कार्यालयों और सचिवालय के अनेक संलग्न कार्यालयों में भी हैं। क्षेत्र-कार्यालयों में वे उन लिपिकों के बीच से चुने जाते हैं जो आशुलिपि जानते हैं। दूसरे शब्दों में, मुफस्सिल स्थापना के आशुटंकक निम्न-वर्गीय उच्चवर्गीय या प्रवर कोटि के लिपिक वर्ग के होते हैं। उन्हें लिपिक का वेतन मिलता है और यदि वे अपेक्षित

परीक्षा पास हों तो 75 रु० और यदि नहीं हों तो 50 रुपया मासिक भत्ता भी मिलता है। प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ, उन्हें संबद्ध लिपिकीय संवर्ग का अंग माना जाता है और अवसर आने पर उन्हें अगली उच्च कोटि में प्रोन्नति मिलती है। सचिवालय के संलग्न कार्यालयों में, लिपिकों के वेतनमान में इस तरह का कोई संवर्ग नहीं है और आशुटंककों के पद का सृजन इक्का-दुक्का पदों के रूप में होता है जिसका वेतनमान मुफस्सिल कार्यालयों के निम्नवर्गीय लिपिकों का पूर्ववर्त्ती वेतनमान 220—315 रु० होता है। संलग्न कार्यालयों के आशुटंककों को भी आवश्यक परीक्षा पास रहने पर 75 रु० और पास न रहने पर 50 रु० अतिरिक्त मासिक भत्ता मिलता है। चूंकि संलग्न कार्यालयों में ऐसे पद इक्के-दुक्के होते हैं इसलिए, संलग्न कार्यालयों के आशुटंककों की शिकायत है कि उन्हें प्रोन्नति की सामान्य संभावना बिल्कुल नहीं है।

30.4. आशुटंककों की प्रमुख शिकायत यह है कि यद्यपि वे मैट्रिक पास होते हैं तथा टंकण और आशुलेखन भी जानते हैं फिर भी उन्हें सचिवालय के टंककों से भी निम्नस्तर का माना गया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें सचिवालय के पहलेवाले आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी जिन्हें अब निजी सहायक कहते हैं, के बराबर वेतनमान और प्रोन्नति दी जाए। समिति महसूस करती है कि आशुटंककों की योग्यता निश्चित रूप से टंककों या टंकण सहायकों से अधिक है। तदनुसार उन्हें ऊंचे दर्जे में रखा जाना चाहिए। इसलिए समिति विद्यमान 75 रु० या 50 रु० के अतिरिक्त भत्ते के बदले, मुफस्सिल कार्यालयों और सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के आशुटंककों दोनों के लिये एक ही उच्चतर और स्वतंत्र वेतनमान की सिफारिश करती है। समिति, मुफस्सिल-स्थापना के आशुटंककों को अपने-अपने लिपिकीय संवर्ग में सामान्य प्रोन्नति की संभावना से वंचित किए बिना, यथास्थिति, हरेक स्थापना या विभाग में सृजित आशुटंककों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत तक प्रवर कोटि की भी सिफारिश करती है। समिति आशुटंककों के लिये 680—965 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

### आशुलिपिक

30.5. आशुलिपिक पहले आशुलिपिक श्रेणी-II कहे जाते थे। ऐसे अनेक पद क्षेत्र-कार्यालयों में हैं। इनमें प्रमुख हैं जिला मजिस्ट्रेटों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और अधीक्षण अभियंताओं के आशुलिपिकों के पद। ऐसे अधिकांश पद 296—460 रु० के वेतनमान में इक्के-दुक्के पद हैं। उनकी योग्यता और वेतनमान 1 मार्च 1977 तक सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी II के समान थे। 1 मार्च 1977 के बाद आशुलिपिक श्रेणी II का वेतनमान 400—630 रु० के वेतनमान में जो पूर्व में आशुलिपिक श्रेणी-I का वेतनमान था, उत्क्रमित कर दिया गया। क्षेत्र स्थापनाओं के आशुलिपिकों का तर्क यह है कि उनका वेतनमान भी उसी के अनुरूप 400—630 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित होना चाहिए था। समिति को जानकारी मिली है कि संप्रति सचिवालय के निजी सहायक के रूप में ज्ञात आशुलिपिकों का चयन और नियुक्ति लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है। इसलिए अन्य प्रकार से चुने और नियुक्त किए गए क्षेत्र-स्थापना के आशुलिपिकों को इनके समकक्ष नहीं माना जा सकता। किन्तु समिति महसूस करती है कि आशुलिपिकों के विद्यमान वेतनमान इस प्रकार उत्क्रमित किए जाने चाहिए जिससे उनके और सचिवालय के निजी सहायकों के बीच की खाई और भी कम हो जाए।

30.6. सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी-II को 400—560 रु० के वेतनमान में, कुल संख्या के 20 प्रतिशत के बराबर प्रवर कोटि के भी पद दिए गए थे। 400—630 रु० के वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी-I के बराबर इस वेतनमान के पूर्वोक्त उत्क्रमण के फलस्वरूप सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के संबंध में यह प्रावधान पुराना पड़ गया है। लेकिन प्रवर कोटि का यह उपबंध मुफस्सिल स्थापनाओं के कुछ बड़े संवर्गों में जारी है, जैसे सिंचाई विभाग में। आम आशुलिपिकों की यह शिकायत है कि वे प्रवर कोटि का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि उनके पद अधिकांशतः इक्के-दुक्के पद हैं। उन्होंने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में निजी सहायकों के साथ-साथ आशुलिपिकों का संयुक्त संवर्ग बनाने का आग्रह किया है। जैसा कि समिति ने पहले प्रोन्नति संबंधी संभावना वाले अध्याय में, विवेचन किया है, यह प्रशासनिक रूप से संभव नहीं हो सकता। समिति को पता है कि सिंचाई विभाग में इस समस्या का कुछ हद तक निदान निकाला गया है। वहां संपूर्ण राज्य में अधीक्षण अभियंता के आशुलिपिकों का संयुक्त संवर्ग बनाया गया है। फलतः उनमें से 20 प्रतिशत लोगों को प्रवर कोटि का लाभ मिला है। समिति की सिफारिश है कि इक्के-दुक्के पदों को नियमित संवर्ग में गठित करने के लिये ऐसा ही प्रयास किया जाए ताकि प्रवर कोटि का लाभ, जिसे राज्य सरकार ने सिद्धांतः स्वीकार कर लिया है, अन्य संवर्गों को भी मिले।

30.7. आशुलिपिकों ने अनुरोध किया है कि सचिवालय की भांति, उन्हें भी जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य वरीय पदाधिकारियों के निजी सहायकों के रूप में प्रोन्नति का अवसर मिले। समिति प्रोन्नति की संभावना से संबंधित पूर्वोक्त अध्याय में ऐसे अनुरोधों पर अपना सामान्य विचार पहले ही प्रकट कर चुकी है।

30.8. समिति, सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के बाद, आशुलिपिकों के लिये 680—965 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

सचिवालय के निजी सहायक

30.9. सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में निजी सहायकों में आशुलिपिक के पद हैं जो पूर्व में निम्नलिखित तीन विभिन्न कोटियों और वेतनमानों में थे :—

| कोटि | 1 मार्च 1977 के पहले का वेतनमान। | 1 मार्च 1977 से वेतनमान। |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| 1 आशुलिपिक, श्रेणी-II .. .. .. | 290—460 | 400—630 |
| 2 आशुलिपिक श्रेणी-II (प्रवर कोटि) .. .. .. | 400—560 | 400—630 |
| 3 आशुलिपिक I .. .. .. | 400—630 | 400—630 |

30.10. जैसा कि पहले बताया गया है, 1 मार्च 1977 से इन तीनों कोटियों के विलयन के फलस्वरूप इनका वेतनमान 400—630 रु० हो गया। इन सभी कोटियों को मिलाकर निजी सहायकों का एक अलग संवर्ग गठित किया गया। फिर भी ऐसे दो प्रोन्नति का स्तर है जिनका वेतनमान उच्चतर है और फिलहाल इन तीन कोटियों को निजी सहायक, वरीय निजी सहायक और आप्त सचिव (प्राइवेट सेक्रेट्री) के नाम से जाना जाता है। इन तीन विभिन्न कोटियों का वेतनमान फिलहाल इस प्रकार है:—

| कोटियां | वेतनमान |
|---|---|
| 1 निजी सहायक .. .. .. | 400—13—465 द०रो०—15—630 रु० |
| 2 वरीय निजी सहायक (संवर्ग का 15 प्रतिशत) .. | 580—20—740 द०रो०—25—840 रु० |
| 3 आप्त सचिव और अतिरिक्त आप्त सचिव .. .. | 640—30—940 रु० |

30.11. भूतपूर्व श्रेणी-I के निजी सहायकों ने मांग की है कि चूंकि श्रेणी-I के आंशुलिपिक श्रेणी-II के आशुलिपिकों में से प्रोन्नत नहीं किए जाते हैं बल्कि वे दक्षता के आधार पर सीधे नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए आशुलिपिक, श्रेणी-II के साथ उनका विलयन नहीं होना चाहिए था बल्कि अगली प्रोन्नति के स्तर पर 580—840 रु० के वेतनमान में वरीय निजी सहायकों के साथ उनका विलयन करना चाहिए था। उन्होंने आगे यह दावा पेश किया है कि अभी 400—630 रु० के वर्तमान वेतनमान वाले श्रेणी-II के ऐसे आशुलिपिक जिन्हें आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द और टंकण में प्रति मिनट 30 शब्द की गति है और पहले भरती हुए श्रेणी I के ऐसे आशुलिपिक को, जिन्हें आशुलिपि में प्रति मिनट 100 शब्द और टंकण में प्रति मिनट 35 शब्द की उच्चतर गति है, उच्चतर कोटि में रखा जाए। उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष भी यह शिकायत पेश की थी, जितने ऐसे कर्मचारियों को, जो उच्चतर गति-क्षमता रखते हैं या भविष्य में रखेंगे 50 रु० प्रति मास की दर से विशेष वेतन की मंजूरी दी (कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत ज्ञाप सं० 91673, दिनांक 1 मई 1979 द्रष्टव्य)। उपर्युक्त निजी सहायकों ने दावा किया है कि ऐसा निर्णय करके राज्य सरकार ने यह मान लिया है कि निजी सहायकों को जिन्हें उच्चतर गति क्षमता प्राप्त है, उच्चतर पारिश्रमिक देने की आवश्यकता है। अतएव उन्हें उच्चतर वेतनमान दिये जाएं। राज्य सरकार ने भी इस विषय को इस समिति के पास विचार और आवश्यक कारंवाई के लिए भेज दिया है (कार्मिक विभाग का ज्ञाप सं० 794, दिनांक 9 मई 1979 द्रष्टव्य)। समिति सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह राय देती है कि अनेक वेतनमानों को कम करने के उद्देश्य से उच्चतर और निम्नतर गति क्षमता वाले कर्मचारियों की कोटियों का विलयन होगा ही। चूंकि राज्य सरकार ने भूतपूर्व आशुलिपिकों की तीन कोटियों का विलयन करके उच्चतर गति क्षमता के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 50 रु० प्रति मास अतिरिक्त पारिश्रमिक दे दिया है, इसलिए उच्चतर गति क्षमता रखने वाले ऐसे आशुलिपिकों के लिए उच्चतर वेतनमान देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता रहेगा। अतः समिति वर्तमान कोटियों के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित वेतनमान अनुशंसित करती है:—

| कोटियाँ | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| 1 निजी सहायक— | | |
| (क) निम्नतर गतिक्षमता वाले अर्थात भूतपूर्व श्रेणी-II और प्रवर कोटि श्रेणी—II | 400—630 | 785—1,210 |
| (ख) उच्चतर गतिक्षमता वाले अर्थात् भूतपूर्व श्रेणी-I .. | 400—630 वैयक्तिक वेतन 50 प्रति मास। | 785—1,210 वैयक्तिक वेतन 50 प्रति मास। |
| 2 वरीय निजीसहायक (संवर्ग का 15 प्रतिशत) .. | 580—840 | 880—1,510 |
| 3 आप्त सचिव और अपर आप्त सचिव (संवर्ग का 15 प्रतिशत) | 640—940 | 940—1,660 |

30.12. इसके अलावा, फिलहाल कई ऐसे पद हैं, जो सचिवालय के कतिपय अत्यन्त वरीय पदाधिकारियों के साथ संबद्ध आशुलिपिकों के संवर्ग से संबंधित कुछ कर्मचारियों से भरे जाते हैं जो कमो-बेश राज्य सरकार के सहायक सचिवों के समकक्ष हैं। समिति ऐसे पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान अनुशंसित करती है :—

| कोटि | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| 1 लोकायुक्त के आप्त सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) .. | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| 2 राज्यपाल के आप्त सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) .. | 890—1,415 (दिनांक 26 मई 1,980 से लागू)। | 1,350—2,000 |
| 3 मुख्य सचिव के सचिव (सेक्रेटरी) | 890—1,415 | 1,000—1,820 |
| 4 विकास आयुक्त के सचिव (सेक्रेटरी) .. | 890—1,415 (26 मई 1,980 से लागू।) | 1,000—1,820 |
| 5 साधन आयुक्त (रिसोर्सेज कमिश्नर) के सचिव (सेक्रेटरी) | | |
| 6 सांस्थानिक वित्त आयुक्त (कमिश्नर आफ इंस्टिच्युशनल फाइनेंस) के सचिव (सेक्रेटरी)। | | |

30.13. सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों के निजी सहायकों ने आगे यह भी मांग की है यद्यपि वे भी अनुसचिवीय संवर्ग के अंग हैं किन्तु उनके संबंध में कभी भी सहायकों की तरह अवर सचिवों, उप-सचिवों और संयुक्त सचिवों के स्तर पर प्रोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है। समिति को पता है कि राज्य सरकार ने पहले से ही एक परिपत्र जारी कर रखा है, जिसमें कहा गया है कि कतिपय उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए चयन के हेतु सहायकों के साथ-साथ आशुलिपिकों पर भी विचार किया जाए और इस प्रयोजनार्थ उनके नाम भी राजस्व पर्षद् में भेजे जाएं। इस संबंध में समिति ने प्रतिवेदन के प्रोन्नति विषयक संभावनाओं वाले अध्याय में अपनी सामान्य राय व्यक्त की है।

**सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के सहायक-संवर्ग से प्रोन्नत निजी कर्मचारी**

30.14. सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में संबंधित विभागों के सहायकों के संवर्ग से प्रोन्नत निजी कर्मचारियों की दो सामान्य कोटियां हैं। पहली कोटि निबंधक के वेतनमान और पंक्ति में 640—940 रु० के वेतनमान में है, जैसे राज्यपाल के सचिव के निजी सचिव (पर्सनल सेक्रेटरी) गिने-चुने विभागाध्यक्षों, जैसे कृषि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा-निदेशक आदि के सचिव (सेक्रेटरी)। निजी कर्मचारियों की दूसरी कोटि, सरकार के सहायक सचिवों के समकक्ष है और इनका वेतनमान 890—1.415 रु० है (26 मई 1980 से लागू) जैसे अभियंता-प्रमुख, मुख्य अभियंता और अवर मुख्य अभियंताओं के सचिव (गैर-तकनीकी)। समिति वर्तमान एकरूपता को बनाए रखने की अनुशंसा करती है, और तदनुसार निबन्धक और सचिवों के लिए क्रमश: एक ही वेतनमान प्रस्तावित करती है।

**जिला दंडाधिकारियों के निजी सहायक**

30.15. जिला दंडाधिकारियों के निजी सहायकों के पद 455 रु० से 840 रु० के वेतनमान में मंजूर किए गए हैं जो भूतपूर्व अवर उप-समाहर्त्ताओं के बराबर थे। इन्हें अवर-उप-समाहर्त्ताओं अथवा अनुसचिवीय पदाधिकारियों के संवर्ग से प्रोन्नति देकर भरा जाता था। अनुसचिवीय संवर्ग से प्रोन्नत जिला दंडाधिकारियों के निजी सहायकों ने समिति के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि उनके कार्य के अत्यधिक श्रमसाध्य और नाजुक स्वरूप को देखते हुए, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अवर-उप-समाहर्त्ताओं के वेतनमान को उत्क्रमित करके उप-समाहर्त्ताओं के संवर्ग में मिला दिया गया है, जिला दंडाधिकारियों के निजी सहायकों के वेतनमान को भी, जो पहले भूतपूर्व अवर-उप-समाहर्त्ताओं के बराबर था, उत्क्रमित करके उप-समाहर्त्ताओं के बराबर कर दिया जाए। समिति जिला दंडाधिकारियों के निजी सहायकों के श्रमसाध्य कार्य के स्वरूप की सराहना करती है किन्तु साथ ही महसूस करती है कि बिहार सिविल सर्विस के साथ समकक्षता के विषय में उनका दावा उचित नहीं है। तदनुसार समिति उनके लिए 880—1,510 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**बाहर से लिए गए निजी कर्मचारी**

30.16. मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, बिहार विधान परिषद् के सभापति और बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष अपने निजी सचिवों (प्राइवेट सेक्रेटरी) या अपर निजी सचिवों (एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी) का चयन गैर-सरकारी लोगों में से कर सकते हैं। ऐसे निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) सामान्यत: बहुत कम अवधि के लिए होते हैं। फिलहाल उन्हें सामान्य वेतनवृद्धि के आधार पर वेतन नहीं मिलता है बल्कि इनके लिए एक नियत मासिक दर है जो निजी सचिवों (प्राइवेट सेक्रेटरी) के लिए 670 रु० और अपर निजी सचिवों (एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी) के लिए 500 रु० है। समिति की राय है कि चूंकि यह सिलसिला आगे भी चल सकती है, इसलिए उनके लिए नियत दर को निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित किया जाय :—

| पदनाम । | प्रतिमास वेतन । | |
|---|---|---|
| | मौजूदा । | अनुशंसित । |
| 1. निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) .. | .. 670 रु० | .. 1,000—1 820 रु० का प्रारंभिक । |
| 2. अपर निजी सचिव (एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी) | .. 500 रु० | .. 850—1,360 रु० का प्रारम्भिक । |

**वैसे निजी कर्मचारी जिनकी चर्चा इस अध्याय में नहीं की गई है**

30.17. राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों या स्थापनाओं में विद्यमान निजी कर्मचारियों के बहुत से इक्के-दुक्के पदों की चर्चा उपर्युक्त सामान्य कोटियों में नहीं की जा सकी है, जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी), नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य के निजी सहायक (प्राइवेट असिस्टेंट) आदि। ऐसे कर्मचारियों के मामले इस प्रतिवेदन के भाग IV में संबंधित अध्याय में विवेचित हैं।

# अध्याय 31

## सामान्य कार्यालय कर्मचारी

31.1. इस अध्याय में कुछ ऐसे तुल्य कोटियों के पदों पर विचार किया गया है जो प्राय: सरकारी स्थापनाओं में होते हैं। इनके बारे में अनुसचिवीय कर्मचारियों तथा निजी कर्मचारियों से संबंधित अध्यायों में चर्चा नहीं की गई है। इस अध्याय में जिन कोटियों की चर्चा की गई है वे हैं गोपनीय कर्मचारी, स्वागत (रेसेप्सनिस्ट) कर्मचारी, भंडारपाल (स्टोर-कीपर) और अवधायक (केयर टेकर)।

31.2. इनमें से अधिकांश कर्मचारियों के कार्य और उत्तरदायित्व अनुसचिवीय स्वरूप के हैं। वस्तुत: इनमें से अधिकांश पदों पर फिलहाल अनुसचिवीय कर्मचारी हैं। किन्तु चूंकि ये पद संबद्ध विभागों द्वारा उनके अनुसचिवीय संवर्ग में नहीं दिखाए गए हैं, इसलिए उन पर अलग से विचार किया जा रहा है। किन्तु समिति ने उनके लिए ऐसे वेतनमान की अनुशंसा की है जो पहले ही अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए अनुशंसित है।

**गोपनीय कर्मचारी**

31.3. गृह, कार्मिक और वाणिज्य-कर विभाग से गोपनीय कर्मचारियों के अलग पदों की सूचना दी गई है। इस बात पर विचार करते हुए कि फिलहाल वे अनुसचिवीय वेतनमान में हैं, समिति उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या। | विभाग का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | गृह (विशेष प्रशाखा) .. | गोपनीय सहायक .. | 230—340 .. | 580—860 |
| 2 | गृह (फॉरेनसिक सायन्स लेबोरेट्री) | गोपनीय सहायक .. | 284—372 .. | 580—860 |
| 3 | वित्त (अंकेक्षण) .. | गोपनीय सहायक .. | 335—555 .. | 730—1,080 |
| 4 | कार्मिक विभाग .. | गोपनीय पदाधिकारी .. | 580—840 .. | 880—1,510 |

**स्वागत कर्मचारी**

31.4. स्वागत कर्मचारी पदों के बारे में गृह विशेष, सूचना एवं जन-सम्पर्क, पर्यटन विभाग तथा सिन्दरी स्थित बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी से सूचना मिली है। वे सभी अनुसचिवीय वेतनमान में हैं। इसलिए समिति उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०, सिन्दरी)। | पूछ-ताछ लिपिक-सह-स्वागत कर्मचारी। | 284—372 | 580—860 |
| 2 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग | स्वागत कर्मचारी .. | 284—372 | 580—860 |
| 3 | पर्यटन .. .. | स्वागत कर्मचारी .. | 284—372 | 580—860 |
| 4 | गृह (विशेष प्रशाखा) .. | कनीय स्वागत कर्मचारी .. | 260—408 | 730—1,080 |
| 5 | गृह (विशेष प्रशाखा) .. | स्वागत कर्मचारी .. | 348—570 | 730—1,080 |

**भंडारपाल (स्टोरकीपर)**

31.5. भंडार (स्टोर) और सामान-सूची (इनवेन्टरी) से संबंधित बहुत से पदों की सूचना दी गई है जिनमें भंडार-परिचर (स्टोर अटेन्डेन्ट) से लेकर भंडार पदाधिकारी तक के पद हैं। समिति उनके कर्त्तव्य के स्वरूप, अपेक्षित योग्यता आदि पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, उनके लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०, सिन्दरी)। | भंडार परिचर (स्टोर अटेन्डेन्ट)। | 155—190 | 350—425 |
| 2 | वित्त (वायुयान) .. | भंडार हेल्पर .. | 205—284 | 400—540 |
| 3 | पशुपालन .. .. | भंडार सहायक (स्टोर असिस्टेंट)। | 165—204 | 425—605 |
| 4 | पशुपालन .. .. | भंडार लिपिक (स्टोर क्लर्क) | 180—242 | 425—605 |
| 5 | राजभवन .. .. | भंडारपाल (स्टोरकीपर) | 205—284 | 535—765 |

| क्रम संख्या। | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 6 | परिवहन (फ्लाइंग इन्सटीच्यूट) | सहायक भंडारपाल (असिस्टेन्ट स्टोरकीपर)। | 120—200 | 535—765 |
| 7 | फॉरेन्सिक सायन्स लेबोरेटरी | भंडारपाल (स्टोरकीपर) | 220—315 | 535—765 |
| 8 | वित्त (प्रेस) .. .. | सहायक भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 9 | वित्त (प्रेस) .. .. | पेपर इसुअर-कम-स्टोरकीपर | 220—315 | 535—765 |
| 10 | कल्याण .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 11 | स्वास्थ्य (देशी औषध) .. | लिपिक-सह-भंडारपाल (क्लर्क कम-स्टोरकीपर)। | 220—315 | 535—765 |
| 12 | शिक्षा (एन०सी०सी०) .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 13 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एम० आई० टी०)। | सहायक भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 14 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०)। | सहायक भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 15 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०)। | भंडार लिपिक .. | 220—315 | 535—765 |
| 16 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०)। | सर्वेक्षण भंडार लिपिक .. | 220—315 | 535—765 |
| 17 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०)। | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 18 | भूगर्भ विज्ञान (ज्योलोजी) .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 19 | कृषि .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 20 | पशुपालन .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 21 | मत्स्यपालन .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 22 | विद्युत .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 23 | लघु सिंचाई .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 24 | सिंचाई .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 25 | लोक निर्माण विभाग .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |

| क्रम संख्या। | विभाग। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 26 | राजस्व एवं भूमि सुधार (सर्वेक्षण कार्यालय)। | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 27 | श्रम (सचिवालय कैन्टीन) .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 28 | स्वास्थ्य (देशी औषध प्रणाली) | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 29 | उद्योग (रेशम उत्पादन) .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 30 | कृषि .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 31 | कृषि .. .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 32 | पशुपालन (डेरी सेक्शन) .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 33 | सिंचाई (हाइड्रोलिक रिसर्च) .. | भंडारपाल .. | 220—315 | 535—765 |
| 34 | वित्त (सचिवालय मुद्रणालय) | सहायक प्रभारी (डिस्ट्री-ब्यूटिंग ऐंड टाइप स्टोर) | 220—315 | 535—765 |
| 35 | स्वास्थ्य (मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम)। | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 36 | विज्ञान एवं प्राद्योगिकी (एम० आई० टी०) | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 37 | विज्ञान एवं प्राद्योगिकी (बी० सी० ई०) | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 38 | विज्ञान एवं प्राद्योगिकी (बी० आई० टी०) | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 39 | विज्ञान एवं प्राद्योगिकी (पॉली-टेकनीक) | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 40 | उद्योग (रेशम उत्पादन स्कीम) | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 41 | पशुपालन .. | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 42 | सूचना एवं जन-संपर्क विभाग .. | भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 43 | राजस्व (सर्वेक्षण कार्यालय) .. | प्रभारी भंडारपाल .. | 284—372 | 535—765 |
| 44 | वित्त (मुद्रणालय) .. | सहायक भंडारपाल-सह-डिसपैंचर। | 284—372 | 535—765 |
| 45 | वित्त (सचिवालय प्रेस) .. | सहायक प्रभारी (डिस्ट्री-ब्यूशन एवं टाइप स्टोर। | 284—372 | 535—765 |
| 46 | वित्त .. .. | सहायक भंडारपाल .. | 240—396 | 535—765 |
| 47 | विज्ञान एवं प्राद्योगिकी (पोलिटेकनीक)। | भंडारपाल .. | 240—396 | 535—765 |
| 48 | विज्ञान एवं प्राद्योगिकी (पोलिटेकनीक)। | भंडारपाल (सेरामिक्स) | 296—460 | 580—860 |

| क्रम संख्या | विभाग | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | अनुशंसित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 49 | पशुपालन .. .. | भंडारपाल .. | 296—460 | 580—860 |
| 50 | सिंचाई .. .. | भंडारपाल .. | 296—460 | 580—860 |
| 51 | परिवहन (फ्लाइंग इंस्टीच्यूट) | भंडारपाल .. | 135—300 | 680—965 |
| 52 | शिक्षा (नेतरहाट विद्यालय) .. | भंडारपाल .. | 340—490 | 680—965 |
| 53 | वित्त (मुद्रणालय) .. | भंडारपाल-सह-डिस्पैचर .. | 340—490 | 680—965 |
| 54 | कृषि (मिट्टी संरक्षण) .. | भंडारपाल-सह-लेखापाल | 340—490 | 680—965 |
| 55 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. | भंडारपाल .. | 340—490 | 680—965 |
| 56 | वित्त (सरकारी मुद्रणालय, गया) | भंडारपाल-सह-डिस्पैचर .. | 340—490 | 680—965 |
| 57 | वित्त (प्रेस) .. | भंडारपाल .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 58 | वित्त (फारम और लेखन सामग्री) | भंडारपाल .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 59 | वित्त (सरकारी मुद्रणालय, गया) | भंडारपाल .. | 335—555 | 730—1,080 |
| 60 | वित्त .. .. | प्रधान भंडारपाल (हेड-स्टोरकीपर)। | 400—660 | 785—1,210 |
| 61 | भूगर्भ विज्ञान .. .. | भंडार पदाधिकारी (स्टोर-पदाधिकारी)। | 455—840 | 880—1,510 |

**अवधायक (केयर टेकर)**

31.6. वैसे अवधायक (केयर टेकर) जिनके बारे में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने सूचित किया है, श्रेणी-4 से प्रशाखा पदाधिकारी तक की पंक्ति में हैं। समिति उनके कार्य के स्वरूप और वर्तमान सापेक्षता पर आवश्यक विचार करने के बाद उनके लिये निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है :—

| क्रम संख्या। | विभाग/कार्यालय का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (एडमेनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट)। | केयर टेकर .. | 155—190 | 350—425 |
| 2 | पर्यटन .. .. | केयर टेकर .. | 155—190 | 350—425 |

| क्रम संख्या। | विभाग/कार्यालय का नाम। | पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 3 | लोक-निर्माण विभाग (डब्ल्यू०सी०) | बोट केयर टेकर .. | 155—190 | 350—425 |
| 4 | श्रम (कारखाना मुख्य निरीक्षक) | कंपाउंड केयर टेकर .. | 155—190 | 350—425 |
| 5 | वित्त (स्टेशनरी स्टोर एँड पब्लिकेशन)। | केयर टेकर .. | 180—242 | 375—480 |
| 6 | सिंचाई .. .. | केयर टेकर (ग्रेड-II) .. | 180—242 | 375—480 |
| 7 | लोक-निर्माण विभाग .. | केयर टेकर .. | 180—242 | 375—480 |
| 8 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (बी० आई० टी०, सिन्दरी)। | केयर टेकर .. | 284—372 | 580—860 |
| 9 | सिंचाई .. .. | केयर टेकर (ग्रेड-I) .. | 296—423 | 580—860 |
| 10 | सिंचाई .. .. | केयर टेकर, सीनियर .. | 340—490 | 680—965 |
| 11 | वित्त (सचिवालय भवन) .. | सहायक केयर टेकर .. | 260—408 | 730—1,080 |
| 12 | संसदीय कार्य (बिहार विधान-सभा)। | केयर टेकर .. | 348—570 | 730—1,080 |
| 13 | संसदीय कार्य (बिहार विधान परिषद्)। | केयर टेकर-सह-सहायक .. | 348—570 | 730—1,080 |
| 14 | राजभवन .. .. | भवन अधीक्षक (हाउस सुपरिन्टेंडेंट)। | 455—840 | 880—1,510 |
| 15 | वित्त (सचिवालय भवन) .. | केयर टेकर (सिविल) .. | 580—840 | 880—1,510 |

# अध्याय 32

## सचिवालय एवं निदेशालयों के पदाधिकारी

32.1. इस अध्याय में राज्य मुख्यालय स्थित सचिवालय एवं निदेशालयों के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की सामान्य कोटियों का विवेचन किया गया है।

32.2. सचिवालय एवं निदेशालयों के वैसे पद जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, निम्नलिखित तीन कोटियों में किसी एक कोटि के पदाधिकारियों द्वारा धारित हैं:—

(1) नियमित सेवाओं के पदाधिकारी अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त-सेवा, न्यायिक सेवा आदि। ऐसे पदाधिकारी अपना वेतन अपने-अपने ग्रेड के सामान्य वेतनमान में अर्थात् जिस कोटि के वे होते हैं, उसके वेतनमान में पाया करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों द्वारा धारित पद सामान्यतः उस वेतनमान में मंजूर होते हैं जो सम्बद्ध राज्य सेवाओं की समुचित कोटि के लिए लागू होते हैं। नियमित सेवाओं या संवर्गों के ऐसे पदाधिकारी अपने ग्रेड में वेतन पाते रहेंगे भले ही इसके प्रतिकूल अनुशंसा की गई हो।

(2) अनुसचिवीय संवर्ग से प्रोन्नत पदाधिकारियों ऐसे अनुसचिवीय पदाधिकारियों के पद सामान्यतः भिन्न वेतनमान में होते हैं किन्तु उनके वेतन का अंतिम बिन्दु वही होता है जो राज्य सेवाओं के तुल्य कोटि (ग्रेड) के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित वेतनमान का अन्तिम बिन्दु होता है।

(3) वैसे पदाधिकारी जो किसी भी संवर्ग के नहीं होते, अर्थात् छिटफुट पदों का धारण करनेवाले उनके द्वारा धारित पद भी विनिर्दिष्ट वेतनमान में होते हैं जो कमोवेश पूर्वोक्त कोटियों में से किसी भी कोटि के समरूप होते हैं।

**प्रशाखा पदाधिकारी**

32.3. प्रशाखा पदाधिकारियों के पद सचिवालय में कार्यरत उपयुक्त सहायकों में से ही प्रोन्नति देकर भरे जाते हैं। फिलहाल वे 580—840 रु० के वेतनमान में हैं। सचिवालय के अनुसचिवीय पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले विभिन्न एसोसिएशनों से अनेक संलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें शिकायत की गई है कि प्रशाखा पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं अनुभव को देखते हुए मौजूदा वेतनमान अपर्याप्त है और उन्होंने अनुरोध किया है कि उनका वेतनमान उत्क्रमित करके राज्य सेवाओं की मूल कोटि के बराबर कर दिया जाय। उनका मुख्य तर्क यह है कि चूंकि 455—840 रु० के वेतनमान वाले श्रेणी II के सभी कनीय पदों को 510—1,155 रु० में उत्क्रमित कर दिया गया है इसलिए कोई कारण नहीं कि उनके मामले में इसी तरह का उत्क्रमण क्यों नहीं किया जाए; समिति ने इन अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसकी राय है कि हालांकि उनके वेतनमान के उच्चतर पुनरीक्षण का मामला ठीक बनता है, किन्तु उनके मौजूदा स्तर उत्क्रमण से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त पदाधिकारियों की विभिन्न कोटियों के बीच की सापेक्षता में बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ऐसी सापेक्षता कालान्तर में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्धारित की गई हैं। समिति उनके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों और सचिवालय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद, उनके लिए 880—1,510 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती हैं।

**निबंधक (रजिस्ट्रार)**

32.4. राज्य सरकार के अधिकांश विभागों में निबंधक के पद विद्यमान हैं और उन्हें हमेशा उपयुक्त प्रशाखा पदाधिकारियों में से प्रोन्नति देकर भरा जाता है। फिलहाल उनका वेतनमान 640—940 रु० है। सचिवालय के अनुसचिवीय पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एसोसिएशनों ने समिति से अनुरोध किया है कि पूर्वोक्त वेतनमान सर्वथा अपर्याप्त है और इसे उत्क्रमित करके 670—1,155 रु० के वेतनमान में भूतपूर्व सहायक सचिवों के बराबर कर दिया जाए। ऐसे उत्क्रमण के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि अवर-उप-समाहर्ताओं जैसे निम्न वेतनमान वाले पदों को भी, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सेवाओं की मूल कोटि में उत्क्रमित कर दिया गया है, इसलिए मध्यवर्ती पदों को भी उसी तरह उत्क्रमित किया जाना चाहिए। समिति ने इस अनुरोध पर विचार किया है और पुनः अपनी राय जाहिर करती है कि दीर्घ काल से चली आ रही पदाधिकारियों की सापेक्षता भंग नहीं की जानी चाहिए। अलबत्ता समिति उनके वेतनमान के उच्चतर सामान्य उत्क्रमण का समर्थन करती है। समिति ने देखा है कि निबंधक, सचिवालय विभागों के मुख्य अनुसचिवीय पदाधिकारी होते हैं जिन पर कार्यालयों तथा कर्मचारियों पर समग्र नियंत्रण का उत्तरदायित्व होता है। समिति सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के बाद उनके लिए 940—1,660 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा करती है।

**प्रशासनिक पदाधिकारी**

32.5. सचिवालय विभागों में प्रशासनिक पदाधिकारियों के पद निबंधक के समकक्ष होते हैं, और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, योजना विभाग, निगरानी विभाग, बिहार लोक-सेवा आयोग, पंचायती राज निदेशालय, खनन विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग और सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विभाग में विद्यमान हैं। ये पद भी 640—940 रु० के वेतनमान में हैं और प्रशाखा पदाधिकारियों में से प्रोन्नति देकर भरे जाते हैं। तदनुसार समिति उनके लिए निबंधक के बराबर वेतनमान अर्थात् 940—1,660 रु० की अनुशंसा करती है।

32.6. सचिवालय विभागों के बाहर भी विभिन्न वेतनमानों में प्रशासनिक पदाधिकारियों के पद मौजूद हैं। चूंकि उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप पर्यवेक्षी है, इसलिए समिति ने उनके लिए सुसंगत अध्याय में समतुल्य अनुसचिवीय पदाधिकारियों के बराबर वेतनमान की अनुशंसा की है। केवल यह स्पष्ट कर देना है कि सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों की तुलना सचिवालय के विभागों में पदस्थापित ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों से नहीं की जा सकती हैं, जो निबंधक के समतुल्य हैं।

**सहायक सचिव**

32.7. सचिवालय के बहुत से विभागों में सहायक सचिव के पद थे, जो अनुसचिवीय पदाधिकारियों की दशा में 890—1,415 रु० के वेतनमान में थे और राज्य सेवा के पदाधिकारियों की दशा में अपनी मूल कोटि के वेतनमान में थे। राज्य सरकार ने सहायक सचिव तथा इसके समकक्ष सभी पदों को 26 मई 1980 से अवर-सचिव के वेतनमान में उत्क्रमित करने का सामान्य निर्णय लिया है (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 7254, ता० 26 मई 1980 द्रष्टव्य)। अब यह पदनाम नहीं रहा, अतः इसके लिए किसी अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।

**अवर-सचिव**

32.8. अवर-सचिव के पद पर या तो राज्य सेवा की मूल कोटि या कनीय प्रवर कोटि के पदाधिकारी या सहायक सचिव के पद से प्रोन्नत किन्तु अब निबंधक या प्रशासनिक पदाधिकारी के पद से प्रोन्नत अनुसचिवीय पदाधिकारी रहते हैं। पहली कोटि के पदाधिकारी, अर्थात् राज्य सेवा के सदस्य अवर-सचिव का पद धारण करने पर अपने वेतनमान में बने रहते हैं, किन्तु अनुसचिवीय पदाधिकारियों को इस पद पर 890—1,415 रु० का वेतनमान मिलता है। अभी इस स्तर में पूर्ववर्ती सहायक सचिव के पद भी शामिल हैं। अवर-सचिव के कर्त्तव्य तथा दायित्व पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद समिति ने अनुशंसा की है कि जहां अवर-सचिव के रूप में पदस्थापित किए जाने पर राज्य सेवा के सदस्यों को यथास्थिति, उनकी मूल कोटि या कनीय प्रवर कोटि में सामान्य वेतन मिलना चाहिए, वहां अनुसचिवीय संवर्ग से प्रोन्नत पदाधिकारियों को 1,350—2,000 रु० का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाना चाहिए।

**उप-सचिव**

32.9. उप-सचिव के पदों को उनके पदभार के अनुसार अभी तीन कोटियों में बांटा जा सकता है :—

(i) सामान्यतः वरीय प्रवर कोटि के राज्य सेवा के सदस्यों द्वारा भरे जानेवाले पद—उन्हें अपने वेतनमान के अनुसार भुगतान मिलता रहता है।

(ii) अनुसचिवीय पदाधिकारियों द्वारा भरे जानेवाले पद—इन पदों को निश्चय ही 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में स्वीकृत किया गया है, जो वेतनमान अधिकांश राज्य सेवाओं के वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान के समान है।

(iii) उप-सचिव के दो एकांकी पद हैं, एक योजना विभाग में और दूसरा विधि विभाग में, जिनके पदधारी पूर्वोक्त किसी सम्वर्ग में नहीं हैं, बल्कि सचिवालय में इनकी नियुक्ति हो गई है तथा इन्हें यथासमय इन पदों पर प्रोन्नति दी गई है। अभी ये दोनों पद एक ही वेतनमान, अर्थात् 1,060 से 1,580 के वेतनमान में हैं।

32.10. समिति ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उप-सचिव का मौजूदा वेतनमान अधिकांश राज्य सेवाओं की वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान के अनुरूप है। समिति का ऐसा विचार है कि मौजूदा समानता को बिगाड़ा नहीं जाए। तदनुसार, समिति ने उप-सचिव के लिए 1,575—2,300 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा की है।

**संयुक्त सचिव**

32.11. सचिवालय के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पद या तो राज्य सेवाओं के अधिकाल वेतनमान या इससे ऊपर के वेतनमान वाले पदाधिकारियों द्वारा या उप-सचिव स्तर से प्रोन्नत अनुसचिवीय पदाधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। प्रथम कोटि के पदाधिकारी, अर्थात् राज्य सेवा के सदस्य, यह पद धारण करते समय अपने-अपने वेतनमान में बने रहते हैं। संयुक्त सचिव के पद धारण करनेवाले अनुसचिवीय पदाधिकारियों का मौजूदा वेतनमान 1,340—1,870 रु० है जो अधिकांश सेवाओं में अधिकाल वेतनमान के लिए भी है। समिति इस स्तर पर मौजूदा सापेक्षता में कोई परिवर्त्तन करना नहीं चाहती है और संयुक्त सचिव के लिए उसी वेतनमान की अनुशंसा करती है, जो अधिकांश सेवाओं के अधिकाल वेतनमान के लिए, अनुशंसित है, अर्थात् 1,900—2,500 रु०।

**सचिव, विशेष सचिव और अपर सचिव**

32.12. सचिव कार्यपालिका नियमावली के अधीन विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, जिन्हें कुछ दिनों तक प्रधान सचिव कहा जाता था। इन पदों में से अधिकांश पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहते हैं। सिर्फ विधि विभाग में विधि सचिव का एकमात्र ऐसा पद है जिसपर उच्चतर न्यायिक सेवा के जिला और सत्र न्यायाधीश की पंक्ति के पदाधिकारी रहते हैं। चूंकि वह इस पद पर सेवा के सदस्य के रूप में अपना वेतनमान पाते हैं, अतः इस पद के लिए पृथक वेतनमान की अनुशंसा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

32.13. अधिकांश मामलों में, विशेष सचिव और अपर सचिव के पद पूर्णकालिक पद हैं और कुछ मामलों में निदेशालय या संलग्न कार्यालयों में वरीय पदाधिकारियों को यह पदनाम काम के निपटाव में सुविधा की दृष्टि से पदेन रूप में दिया गया है। राज्य सेवाओं की दशा में ऐसे पदनाम सामान्यतः अधिकाल वेतनमान के ऊपर के पदाधिकारियों को दिये जाते हैं, जिन्हें अपने-अपने वेतनमान मिलते हैं। अतः ऐसे पदों के लिए विशेष अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।

**निदेशालय के पदाधिकारी**

32.14. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनेक निदेशालय हैं, जिनमें निदेशक, अनुभागीय निदेशक (सेक्शनल डायरेक्टर); अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक जैसे पदाधिकारी रहते हैं। किन्तु, वेतनमान की दृष्टि से ये पदनाम मानक पदनाम नहीं हैं। बहुत से निदेशालय दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिये इन विभिन्न निदेशालयों में एक ही पदनाम वाले पदाधिकारियों के वेतनमान में अन्तर है। अतः समिति ने ऐसे पदनामों के लिए मानक वेतनमान की अनुशंसा करने का प्रयास नहीं किया है। सम्बद्ध पदाधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व के स्वरूप के सम्बन्ध में पृथक अध्यायों में अलग से विचार किया गया है तथा उनमें समुचित अनुशंसाएं की गई हैं।

**सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए विशेष वेतन**

32.15. सचिवालय में पदस्थापित पदाधिकारी भी निम्नलिखित दरों पर विशेष वेतन के हकदार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | अवर-सचिव/बजट पदाधिकारी .. .. | 200 रु० प्रतिमाह। |
| (2) | उप-सचिव .. .. .. | 150 रु० प्रतिमाह। |
| (3) | संयुक्त सचिव .. .. .. | 200 रु० प्रतिमाह। |
| (4) | अपर सचिव/विशेष सचिव या सचिव .. .. | 250 रु० प्रतिमाह। |

32.16. समिति ने विशेष वेतन समाप्त करने की अनुशंसा समुचित अध्याय में की है। पूर्वोक्त अनुशंसाओं पर विचार करते हुए न केवल नये वेतनमान तैयार किए गए हैं, बल्कि वेतन-निर्धारण की प्रणाली तैयार करते समय विशेष सावधानी बरती गई है ताकि पहले से विशेष वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को कोई कष्ट न हो। अब तक विशेष वेतन को समाप्त करने का ठोस कारण रहने के बावजूद उसे क्यों नहीं समाप्त किया जा सका। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि समान पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को विशेष वेतन मिल रहा था। नये वेतनमान इस प्रकार तैयार किये गये हैं कि इसमें ऐसे प्रश्न उठने की गुंजाइश नहीं है। तदनुसार, समिति ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को विशेष वेतन तब तक नहीं स्वीकृत किया जाए जबतक किसी मामले में विशेष रूप से इसकी अनुशंसा नहीं की जाए।

# अध्याय 33

## राज्य सेवाएं

33.1. इस अध्याय में विभिन्न राज्य सेवाओं के वर्त्तमान और प्रस्तावित वेतन के ढांचे और उनकी प्रोन्नति की सम्भावनाओं का भी तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

33.2. ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सेवा शब्द की व्याख्या कहीं नहीं की गई है । सभी राज्य सेवाओं की सामान्य विशेषता यह है कि इनके अन्तर्गत एक ही कार्य-समूह में विभिन्न स्तरों के वेतनमान वाले पदाधिकारियों का पदानुक्रम होता है । इसमें श्रेणी II (वरीय) तथा इससे ऊपर के पदाधिकारी शामिल हैं, नीचे के नहीं । उनकी मूल कोटि का वेतनमान 1,155 रुपये पर समाप्त हो जाता है । उच्चतर कोटि के पद सामान्यत: नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । सभी नियुक्तियां, चाहे वे मूल कोटि में सीधी भर्त्ती द्वारा अथवा सभी स्तरों पर प्रोन्नति द्वारा की जाती हों, बिहार लोक-सेवा आयोग की (न्याय सेवा की दशा में उच्च न्यायालय की) अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है । 9 ऐसे सभी सम्वर्गों के लिए सेवा नियमावली पहले ही तैयार कर ली गई है अथवा तैयार होने की प्रक्रिया में है । हाल ही में राज्य सेवाओं को एक समान बनाने तथा इन्हें सूचीबद्ध करने का अवसर तब आया जब कि राज्य सेवाओं में कितना गतिरोध है इसका मूल्यांकन करने तथा सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए शरण सिंह की अध्यक्षता में मार्च, 1976 में एक समिति गठित की गई । तदनुसार पूर्वोक्त समिति ने पदाधिकारियों के केवल ऐसे सम्वर्गों पर ही विचार किया, जिन्हें उसने राज्य सेवा के अन्तर्गत समझा तथा उन्हें अपनी रिपोर्ट में सूचीबद्ध भी कर लिया ।

33.3. राज्य सरकार में अधिकांश राज्य सेवाओं के वेतनमान तथा प्रोन्नति की संभावनाओं को भी एक समान करने का एक निश्चित सिलसिला बहुत पहले से रहा है । वस्तुत: विगत कुछ वर्षों में अनेक सेवाओं के वेतनमान तथा प्रोन्नति के अवसरों को पुनरीक्षित कर बढ़ा दिया गया है ताकि उन्हें अन्य राज्य सेवाओं के समान बनाया जा सके । अनेक सेवा संघ एक दूसरे की प्रोन्नति की संभावनाओं की तुलना करते रहते हैं और अन्य राज्य सेवाओं को पूर्व में दिये गये बेहतर लाभ के दावे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । उन्होंने ऐसा इस समिति के समक्ष भी किया है । अत: समिति उन सभी सेवाओं के वेतनमान तथा प्रोन्नति की सम्भावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना वांछनीय समझती है । सेवाओं से सम्बन्धित अन्य लाभ तथा सेवा संघों द्वारा दावाकृत लाभों पर विचार अन्य सुसंगत अध्यायों में किया गया है । दूसरे शब्दों में इस अध्याय में समिति ने सिर्फ वेतनमान तथा प्रोन्नति की सम्भावनाओं से सम्बन्धित अन्य राज्य सेवाओं के तुलनात्मक दावे का अध्ययन किया है ।

33.4. विभिन्न राज्य सेवाओं और संवर्गों के विभिन्न वेतनमानों में पदों की संख्या और प्रोन्नति स्तर का प्रतिशत परिशिष्ट 68 में दिखलाया गया है। इससे पता चलेगा कि अभी विभिन्न राज्य सेवाएं और सम्वर्ग 16 विभिन्न वेतनमानों में बंटे हैं। सेवा के विभिन्न स्तरों पर सामान्य वेतनमान इस प्रकार है :—

(1) मूल कोटि—

| | | |
|---|---|---|
| (i) 510—1,155 रु० | .. | .. स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं के लिए। |
| (ii) 610—1,155 रु० | .. | .. मात्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। |

(2) कनीय प्रवर कोटि—

| | | |
|---|---|---|
| (i) 970—1,325 रु० | .. | .. मात्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। |
| (ii) 620—1,415 रु० | .. | .. अधिकांश सेवाओं के लिए। |
| (iii) 890—1,415 रु० | .. | .. वन, खनन एवं भू-तत्व सेवाओं के लिए। |

(3) वरीय प्रवर कोटि—

| | | |
|---|---|---|
| (i) 890—1,415 रु० | .. | .. केवल अभियंत्रण सेवाओं तथा नगर निवेशन सेवाओं के लिए। |
| (ii) 1,060—1,580 रु० | .. | .. अधिकांश सेवाओं के लिए। |
| (iii) 1,060—1,680 रु० | .. | .. सिर्फ सांख्यिकीय सेवा के लिए। |
| (iv) 1,400—2,020 रु० | .. | .. सिर्फ स्वास्थ्य सेवा के लिए। |

(4) अधिकाल वेतनमान—

| | | |
|---|---|---|
| (i) 1,340—1,870 रु० | .. | .. अधिकांश सेवाओं के लिए। |
| (ii) 1,200—2,000 रु० | .. | .. मात्र अपर जिला न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश के लिए मूल कोटि। |
| (iii) 1,855—2,130 रु० | .. | .. मात्र स्वास्थ्य सेवा के लिए। |

(5) अन्य उच्चतर वेतनमान—

| | | |
|---|---|---|
| (i) 1,400—2,020 रु० | .. | .. मात्र अभियंत्रण सेवा के लिए। |
| (ii) 1,950—2,150 रु० | .. | .. मात्र स्वास्थ्य तथा उद्योग पदाधिकारियों के लिए। |
| (iii) 2,000—2,250 रु० | .. | .. प्रवर कोटि में जिला न्यायाधीश के लिए। |
| (iv) 2,000—2,300 रु० | .. | .. अपर मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा विभागों में अपर निदेशक एवं प्रशासनिक तथा वित्त सेवाओं के कुछ पदों के लिए। |
| (v) 2,050—2,450 रु० | .. | .. मुख्य अभियंता, मुख्य नगर निवेशक, अधिकांश विभागों के निदेशक तथा प्रशासनिक और वित्त सेवाओं के कुछ पदों के लिए। |
| (vi) 2,500—2,750 रु० | .. | .. अभियंता प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख तथा अधिकाल वेतनमान वाले जिला न्यायाधीशों के लिए। |

**सेवाओं का पारस्परिक संबंध**

33.5. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राज्य सरकार की यह स्पष्ट प्रवृत्ति रही है कि अधिकांश राज्य सेवाओं को एक समान माना जाए। यह वेतनमानों के पूर्वोक्त तुलनात्मक विवरण तथा किए गए विचार-विमर्श से भी ज्ञात होता है। वस्तुतः समान स्तर की विभिन्न सेवाओं के वेतनमानों में जहां कहीं भी भिन्नता थी, उसके निम्नतर वेतनमानों को उच्चतर वेतनमानों में उत्क्रमित कर, समाप्त किया जा चुका है। उदाहरणार्थ अनेक सेवाओं की कनीय प्रवर कोटि के स्तर पर 620—1,325 रु० के वेतनमान और इसी स्तर पर बिहार पुलिस सेवा के 620—1,235 रु० के वेतनमान को राज्य सरकार ने पहले ही उत्क्रमित कर 620—1,415 रु० के वेतनमान के समकक्ष कर दिया है, जो अभी अधिकांश सेवाओं में इस स्तर का मानक वेतनमान है। इसी प्रकार, वरीय प्रवर कोटि के लिए अथवा पुलिस सेवा या अभियंत्रण सेवा की द्वितीय स्तर की प्रोन्नति के लिए 890—1,415 रु० के वेतनमान को उत्क्रमित कर 1,060—1,580 रु० कर दिया गया है, जो फिलहाल अधिकांश सेवाओं के लिए इस स्तर पर मानक वेतनमान है। यह सिलसिला वेतनमान की बहुलता को कम करने के उद्देश्य से निःसन्देह वांछनीय है। जैसाकि बाद की कंडिकाओं में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा, जहां अधिकांश सेवाओं के वेतनमान एक दूसरे के समान हैं। वहां मात्र दो सेवाएं अर्थात् स्वास्थ्य सेवाएं तथा उच्चतर न्यायिक सेवाएं इस संबंध में अन्य सेवाओं से आती हैं।

33.6. सेवाओं में भिन्नता की सीमा को कम करने के लिये, विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने अधिकांश सेवाओं में प्रोन्नति की संभावनाओं में धीरे-धीरे वृद्धि की है। उदाहरणार्थ अधिकांश सेवाओं में पहले से प्रोन्नति के तीन पृथक स्तर यथा कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि तथा अधिकाल वेतनमान हैं। जबकि और बातों पर विचार बाद की कंडिका में किया जायगा। यहां इतना बता देना पर्याप्त होगा कि विभिन्न सेवाओं की प्रोन्नति की संभावनाओं में असमानता को कम करने के इस सिलसिला के बावजूद मौजूदा स्थिति बिलकुल संतोषप्रद नहीं है।

33.7. अनेक सेवा संघों से प्राप्त ज्ञापन तथा उनके साथ हुए विचार-विमर्श से यह प्रकट होता है कि अधिकांश सेवा संघ वेतनमान तथा प्रोन्नति की संभावनाओं के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए काफी प्रयत्नशील हैं। प्राय: सभी सेवा संघों ने राज्य प्रशासन में अपनी-अपनी भूमिका की महत्ता पर अधिक बल दिया है और उन्होंने यह दावा किया है कि उनके साथ भेद-भाव बरता गया है। उन्होंने जिस ढंग से अनुरोध किया है उससे यह परिलक्षित होता है कि वे अधिक-से-अधिक पारिश्रमिक पाना चाहते हैं जैसा कि किसी दूसरी सेवा और यहां तक कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अनुमान्य है और अपनी प्रोन्नति के मार्ग को भी ऐसी किसी दूसरी सेवा में उपलब्ध अधिकतम प्रोन्नति के समकक्ष बनवाना चाहते हैं।

33.8. समिति की राय है कि राज्य के प्रशासन में प्रत्येक सेवा को अपनी सम्यक् भूमिका निभानी पड़ती है और अभी अधिकांश राज्य सेवाओं के वेतनमान तथा प्रोन्नति के अवसरों को एक समान बनाने का जो दृष्टिकोण है वह एक स्वस्थ परम्परा है जिसे जारी रखा जाना चाहिए। अत: समिति ने इस रिपोर्ट के उत्तरवर्ती भाग में जिन वेतनमानों और प्रोन्नति के अवसरों की अनुशंसा की है वे अधिकांश सेवाओं के लिये एक समान होंगे। किन्तु, समिति की राय है कि कुछ सेवाओं के खास स्तरों पर जो अंतर मौजूद है, उसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है।

**प्रशासनिक सेवा**

33.9. बिहार प्रशासनिक सेवा को हाल तक बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) के नाम से जाना जाता था। इस सेवा के सदस्य सामान्यत: उप-समाहर्त्ता तथा अपर जिला दंडाधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। इस सेवा के विभिन्न स्तर तथा वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| स्तर | कोटि | वेतनमान | वास्तविक पद सं० | राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार प्रोन्नति वाले पदों का प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | उप-समाहर्त्ता .. .. | 510—1,155 | 1,910 | .. |
| 2 | उप-समाहर्त्ता (कनीय प्रवर कोटि) .. .. | 620—1,415 | 592 | 20 |
| 3 | उप-समाहर्त्ता, वरीय प्रवर कोटि (अपर समाहर्त्ता, उप-सचिव आदि)। | 1,060—1,580 | 370 | 12.5 |
| 4 | उच्च प्रवर कोटि (संयुक्त सचिव आदि) .. | 1,340—1,870 | 74 | 2.5 |
| 5 | उच्च प्रवर कोटि (संयुक्त सचिव, आदि) .. | 2,000—2,300 | 10 }* | 0.5 |
| 6 | उच्च प्रवर कोटि (संयुक्त सचिव आदि) .. | 2,050—2,450 | 5 } | |
| | प्रोन्नतिवाले पदों की कुल संख्या .. | | 1,051 | 35.5 |
| | संवर्ग के सदस्यों की कुल संख्या .. | | 2,961 | 100.00 |

*कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 19365, दिनांक 12 दिसम्बर 1979 के अनुसार दिनांक 14 दिसम्बर 1979 से सृजित पदों की संख्या।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं० 3009, दिनांक 13 मार्च 1980 द्वारा सृजित किया गया है। स्तम्भ 4 में दिये गए पदों की संख्या की तुलना नियत प्रतिशत से करना सदैव आवश्यक नहीं है।

33.10. पहले इस सेवा की एक शाखा कनीय श्रेणी-II भी थी जिसमें 455—840 रु० के वेतनमान में अवर-उप-समाहर्त्ता के पद थे। इसके बाद, इस शाखा के पदों को 510—1,155 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित कर इन्हें 1 अप्रील 1974 से कई चरणों में मूल संवर्ग में मिला दिया गया है। कनीय श्रेणी-II की इस शाखा में भरती न केवल लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भरती द्वारा बल्कि सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसचिवीय संवर्ग से चयनात्मक प्रोन्नति द्वारा भी की जाती थी। पूर्वोक्त विलयन के बाद से प्रोन्नति द्वारा ऐसी कोई भरती नहीं की गई है। प्रशासनिक सेवा के सदस्यों अर्थात् उप-समाहर्त्ताओं की भरती प्रारम्भिक स्तर में 510—1,155 रु० के वेतनमान में केवल लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से ही की जाती है।

33.11. प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को जिन पदों पर प्रोन्नति दी जाती है उनकी कुल संख्या सेवा के कुल पदों का 35.5 प्रतिशत है। इसके अलावा, इस सेवा के सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1,200—2,000 रु० के वरीय वेतनमान में 78 पदों पर प्रोन्नति के अवसर भी प्राप्त हैं।

33.12. बिहार असैनिक सेवा संघ ने इस समिति को एक ज्ञापन और एक पूरक ज्ञापन तो दिया ही है, साथ ही समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर भी दिया है। समिति को उनके विचार बिन्दुओं पर उनके साथ बातचीत करने का भी अवसर मिला था। बातचीत के दौरान उनके प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया कि इसे सदा से राज्य की प्रमुख सेवा माना गया है और इस संवर्ग में सामान्यत: संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होनेवालों में से सर्वोत्तम उम्मीदवारों को रखा जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के तथा कठोर ढंग के कार्य करने होते हैं और उनसे समय-असमय, यहां तक कि अवकाशों के दौरान भी कठिन और नाजुक कार्यों को अंजाम देने की अपेक्षा की जाती है। किन्तु इन सबके बावजूद, इस सेवा के महत्व को क्रमश: घटाया जा रहा है क्योंकि उन्हें उन सुविधाओं और प्रोन्नति के अवसरों से भी वंचित रखा जा रहा है जिन्हें राज्य सरकार अन्य कई सेवाओं के लिए उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। इस क्रम में उन्होंने समिति का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया है कि बिहार वित्त-सेवा, स्वास्थ्य-सेवा और अभियंत्रण-सेवा में प्रोन्नति की अधिक संभावनाएं हैं तथा राज्य सरकार ने अपर जिला न्यायाधीश के वेतनमान को जिला न्यायाधीश के वेतनमान के बराबर करने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप जिला न्यायाधीशों का वेतनमान अपर समाहर्त्ताओं के वेतनमान से बहुत अधिक हो गया है और उन्होंने इस भेदभाव के लिए शिकायत की है। उन्होंने असैनिक सेवा के वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर को राज्य की तथाकथित अधिक सौभाग्यशाली सेवाओं के समकक्ष लाने का अनुरोध किया है।

33.13. आई०ए०एस० के वरीय वेतनमान से उच्चतर वेतनमानों के स्तर तक प्रोन्नति के स्वतंत्र अवसर के लिये आग्रह करते हुए, उन्होंने दलील दी है कि आई०ए०एस० में प्रोन्नति के वर्त्तमान अवसर उन्हें केवल वरीय वेतनमान या प्रवर कोटि तक ही पहुंचने देता है जिसका कारण उन्होंने यह बताया कि आई०ए०एस० में संवर्ग की जो वर्त्तमान स्थिति है उसमें ऐसे प्रोन्नत अधिकारी के लिए सेवा-निवृत्ति से पहले इस उच्चतर वेतनमान पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं है। आगे उन्होंने यह भी दावा किया है कि चूंकि कई राज्य सेवाओं में आई०ए०एस० के वरीय वेतनमान या प्रवर कोटि के उच्चतर प्रोन्नति के स्तर निर्धारित कर दिए गए हैं, इसलिये उन्हें भी उसीके अनुरूप अपने पद सोपान में स्वतंत्र रूप से प्रोन्नति के स्तर प्रदान किये जायं। उदाहरण के लिये उन्होंने यह बात जोर देकर कही है कि आई०ए०एस० स्तर में प्रोन्नति होने पर सेवा-निवृत्ति से पहले 2,500—2,750 रु० के स्तर पर पहुंचने की संभावना उनमें से किसी के लिए नहीं रह जाती है जबकि कई अन्य सेवाओं में कम-से-कम कुछ लोगों के लिये ऐसी संभावना सुनिश्चित है। समिति ने इन दावों पर भली-भांति विचार किया है, और उसकी राय में इन विवादों में तथ्य भी हैं। तदनुसार समिति ने स्वतंत्र रूप से इनकी और राज्य की अन्य सेवाओं में प्रोन्नति के स्तरों पर पुनरीक्षित वेतनमान विरूपित किये हैं।

33.14. समिति को इस बात की भी जानकारी मिली है कि पूर्वोक्त विवेचनों के बाद, इस सेवा के लिये 14 दिसम्बर 1979 से (कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 19365, दिनांक 17 दिसम्बर 1979 द्वारा) ½ प्रतिशत अर्थात् ऊपर बताये गये पांचवें और छठे स्तरों तक प्रोन्नति के और भी अवसर दिये गए हैं और इस तरह प्रोन्नति की कुल संभावनाओं को बढ़ाकर इन्हें वित्त सेवा के समतुल्य कर दिया गया है। समिति ने यह भी पाया है कि 1 मई 1980 से (वित्त विभाग के पत्र सं० 6035-एफ०, दिनांक 21 जून 1980) के अनुसार मूल कोटि के सभी उप-समाहर्त्ताओं को 75 रु० प्रतिमास की दर से विशेष वेतन मंजूर किया गया है।

**कृषि-सेवा**

33.15. बिहार कृषि-सेवा के अधिकारियों को कम-से-कम कृषि विज्ञान का स्नातक होना जरूरी है और इन्हें तकनीकी शब्दों में कृषिशास्त्री कहा जाता है। सेवा के विभिन्न स्तरों पर प्रचलित वेतनमान इस प्रकार है:—

| स्तर | पंक्ति/पदनाम | वेतनमान | पदों की संख्या | प्रोन्नति वाले पदों का प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | वर्ग II .. .. .. | 510—1,155 | 840 | .. |
| 2 | वर्ग I .. .. .. | 620—1,415 | 158 | 15 प्रतिशत |
| 3 | वर्ग I (विशेष) .. .. | 1,060—1,580 | 32 | 3 प्रतिशत |
| 4 | अपर निदेशक .. .. .. | 1,340—1,870 | 21 | 2 प्रतिशत |
| 5 | अनुभागीय निदेशक (सेक्शनल डायरेक्टर) .. | 2,000—2,300 | 2 | 2 प्रतिशत |
| 6 | निदेशक .. .. .. | 2,050—2,450 | 1 | 2 प्रतिशत |
| | प्रोन्नति वाले पदों का जोड़ .. | | 214 | 20 प्रतिशत |
| | संवर्ग के सदस्यों की कुल संख्या .. | | 1,054 | 100 प्रतिशत |

(पदों की संख्या वही है, जैसा कृषि विभाग ने अपने पत्र सं० 10338, दिनांक 20 जुलाई 1979 द्वारा संसूचित किया है। प्रोन्नति वाले पदों का प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 के अनुसार दिया गया है)।

33.16. पहले इस सेवा श्रेणी-II में 455—840 रु० के वेतनमान में एक कनीय शाखा भी थी जिस वेतनमान को 1 जनवरी 1979 से उत्क्रमित कर 510—1,155 रु० कर दिया गया है और इस तरह तब से श्रेणी-II की कनीय शाखा श्रेणी-II की वरीय शाखा में मिल गयी है।

33.17. बिहार कृषि-सेवा संघ ने इस समिति को एक ज्ञापन दिया है और इसके साथ विचार-विमर्श में भाग भी लिया है। उन्होंने अपनी सेवा के तकनीकी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विकासमूलक प्रशासन में अपनी भूमिका पर भी बल दिया है उन्होंने अपनी वर्त्तमान परिलब्धियों और प्रोन्नति की संभावनाओं को अपर्याप्त बताया है और उसी तरह के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की मांग की है जो अन्य तकनीकी सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य और अभियन्त्रण सेवाओं में उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों से लेकर कृषि-उत्पादन आयुक्त तक के सभी पदों पर नियुक्ति उन्हीं की सेवा के सदस्यों से की जाय। उन्होंने सात स्तर वाले एक वेतन-ढांचे का प्रस्ताव दिया है जिसमें मूल कोटि, संवर्ग के 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 4 प्रतिशत तक की तीन प्रवर कोटियां, संवर्ग के 2 प्रतिशत का एक अधिकाल वेतनमान तथा अपर निदेशक, निदेशक और महानिदेशक के तीन वरीय प्रशासकीय पद शामिल हैं।

**पशुपालन सेवा**

33.18. पशुपालन सेवा में चारों विभिन्न शाखायें (जैसा कि पशुपालन विभाग के पत्र सं० 1283, दिनांक 22 अगस्त 1978 में बताया गया है), जो निम्नलिखित हैं:—

(1) पशु चिकित्सा शाखा, जिसमें पशु-चिकित्सक हैं, और जिनके लिये पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री आवश्यक है।

(2) डेरी शाखा, अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिनके लिये डेरी विज्ञान में डिग्री अपेक्षित है।

(3) चारा शाखा, अर्थात् ऐसे व्यक्ति जो या तो कृषि-स्नातक हैं या जिन्हें चारा से सम्बन्धित समतुल्य योग्यता प्राप्त है।

(4) सांख्यिकी शाखा जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने सांख्यिकी कार्य में विशेषता प्राप्त की है।

33.19. इन सभी चारा शाखाओं में प्रोन्नति के विभिन्न स्तरों के वेतनमान राज्य की अन्य अधिकांश सेवाओं के वेतनमानों के अनुरूप हैं। विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों पर इन सभी चारों शाखाओं के पदों का विवरण निम्नलिखित है :—

| स्तर | वेतनमान | पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पशुपालन | डेरी | चारा | सांख्यिकी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | रु० | | | | |
| 1 | 510—1,155 | 320 | 23 | 10 | 12 |
| 2 | 620—1,415 | 58 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 1,060—1,580 | 11 | 1 | शून्य | 1 |
| 4 | 1,340—1,870 | 7 | 1 | 1 | शून्य |
| 5 | 2,050—2,450 | 1 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कुल | 397 | 28 | 19 | 14 |

(पदों का विवरण 1 जनवरी 1980 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है जैसा कि पशुपालन विभाग द्वारा भेजा गया है।)

33.20. वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 द्वारा विभिन्न स्तरों पर सेवा में प्रोन्नति की संभावनाओं का अन्तिम निर्धारण किया गया और उसी संकल्प के द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति के पदों के लिये जो विभिन्न प्रकार के प्रतिशत निर्धारित किये गये वे इस प्रकार हैं :—

| प्रोन्नति के स्तर | वेतनमान | कुल संवर्ग से सम्बन्धित प्रतिशत। |
|---|---|---|
| | रु० | |
| 1 | 620—1,415 | 15 प्रतिशत |
| 2 | 1,060—1,580 | 3 प्रतिशत |
| 3 | 1,340—1,870 | 2 प्रतिशत |
| 4 | 2,050—2,450 | 2 प्रतिशत |
| | प्रोन्नति के स्तर का कुल योग | 20 प्रतिशत |
| | संवर्ग का कुल योग | 100 प्रतिशत |

33.21. सेवा की मुख्य शाखा जैसे पशु-चिकित्सा शाखा में विभिन्न स्तरों पर प्रचलित विभिन्न पदनाम निम्नलिखित हैं :—

| स्तर | कोटि/पदनाम | वेतनमान |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 1 | श्रेणी-II (पशु-चिकित्सा पदाधिकारी एवं पशु-शल्य चिकित्सक, अनुमंडलीय पशु-चिकित्सा पदाधिकारी, मुख्य ग्राम्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक आदि। | 510—1,155 |
| 2 | श्रेणी-I (जिला पशु-चिकित्सा पदाधिकारी, मवेशी विकास पदाधिकारी, एस० एफ० डी० ए० में परियोजना पदाधिकारी, मुख्य ग्राम्य उप-निदेशक आदि)। | 620—1,415 |
| 3 | वरीय प्रवर कोटि (क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, विशेष पदाधिकारी, आई० सी० डी०, परियोजना पदाधिकारी, भेड़ फार्म एवं मैनेजर, बेकन फैक्ट्री आदि)। | 1,060—1,850 |
| 4 | अधिकाल वेतनमान (मुख्यालयों में डेरी चारा प्रभार सहित संयुक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय निदेशक)। | 1,340—1,870 |
| 5 | निदेशक (एक पद) .. .. .. .. .. | 2,050—2,450 |

33.22. पहले इस सेवा में कनीय श्रेणी-II के स्तर पर 455—840 रु० के वेतनमान में एक निम्न कोटि भी शामिल थी जिसे 1 जनवरी 1977 से तीन चरणों में वरीय श्रेणी-II या मूल श्रेणी के बराबर 510—1,155 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिया गया है।

33.23. पशु-चिकित्सकों के पद इससे भी निम्नस्तर पर 445—745 रु० के वेतनमान में है जहां पदधारियों के लिये पशु-चिकित्सा में स्नातक डिग्री अपेक्षित है। यह स्तर नियमित सेवा का अंग नहीं होता है जो वरीय श्रेणी-II और इससे आगे आरम्भ होती है। किन्तु इस निम्न संवर्ग में भी प्रवर कोटि दी गयी है जिसमें 20 प्रतिशत पद 455—840 रु० के वेतनमान में हैं जो इस सेवा के तत्कालीन कनीय श्रेणी-II के स्तर से भिन्न हैं। गतिरोध निवारण समिति से पशु-चिकित्सा स्नातकों ने यह अनुरोध किया था कि 455—840 रु० वेतनमान वाले दोनों वर्गों को मूल स्तर अर्थात् वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रेणी-II के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिया जाय। किन्तु गतिरोध निवारण समिति का यह विचार हुआ कि प्रथम कोटि के पद को भिन्न एवं निम्न संवर्ग की प्रवर कोटि का पद होने के नाते मुख्य सेवा की मूल श्रेणी में आमेलित नहीं किया जा सकता। समिति ने मूल श्रेणी के साथ 455—840 रु० के वेतनमान वाले केवल ऐसे पदों के आमेलन की अनुशंसा की थी जो कनीय सेवा, श्रेणी-II से संबद्ध थे और निम्न संवर्ग की प्रवर कोटि के पदों को वर्तमान वेतनमानों में छोड़ दिया गया था। फिर भी राज्य सरकार ने इन शेष पदों को, जो निम्न संवर्ग की प्रवर कोटि के अन्तर्गत 455—840 रु० के वेतनमान में थे, इस शाखा की समाप्ति के एक वर्ष से अधिक समय के बाद 1978 में कनीय सेवा, श्रेणी-II घोषित किया था।

33.24. राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग के संकल्प, दिनांक 12 फरवरी 1980 के अधीन पशुचिकित्सकों के वेतनमानों को निम्नलिखित चार स्तरों में 1 जनवरी 1980 से क्रमित रूप से उत्क्रमित किया :—

| स्तर | वर्त्तमान वेतनमान | उत्क्रमित वेतनमान |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| 1 | 445—745 | 610—1,155 |
| 2 | 455—840 | 610—1,155 |
| 3 | 510—1,155 | 620—1,415 |
| 4 | 620—1,415 | 1,060—1,580 |

33.25. किन्तु पूर्वोक्त आदेश बाद में वित्त विभाग के संकल्प, दिनांक 2 जून 1980 द्वारा वापस ले लिये गये तथा ऊपर निर्दिष्ट वर्त्तमान वेतनमान प्रत्येक स्तर पर यथावत् लागू हैं। पशु-चिकित्सा स्नातक इन आदेशों को फिर से लागू करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

33.26 बिहार पशु-चिकित्सा संघ एवं युवा पशु-चिकित्सा स्नातक संघ ने भी समिति के समक्ष अलग-अलग ज्ञापन पेश किये और समिति के साथ विचार-विमर्श में दोनों ने सम्मिलित रूप से भाग लिया। उन्होंने विकास पर आधारित अर्थ-व्यवस्था में पशुचिकित्सकों की भूमिका के महत्व पर बल दिया और इसकी तुलना में अपर्याप्त पारिश्रमिक की शिकायत की। उनका मुख्य अनुरोध यह था कि उन्हें बिहार स्वास्थ्य सेवा के एम०बी०बी०एस० योग्यतावाले चिकित्सकों के समान माना जाए और सभी मामलों में समानता बरती जाए। उनका यह तर्क था कि तकनीकी योग्यता एव कार्य के स्वरूप के विषय में वे एम०बी०बी०एस० चिकित्सकों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं तथा उन्होंने ऐसे अनेक राज्यों का उदाहरण दिया है जहां कम-से-कम आरम्भिक स्तर पर दोनों कोटियों के चिकित्सकों के बीच ऐसी समानता मौजूद है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि चूंकि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को एम०बी०बी०एस० चिकित्सकों के समान आरम्भिक वेतनमान दिया गया है, इसलिए उन्हें इससे वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि निम्नतम स्तर पर पशुचिकित्सकों को अनुमान्य वेतनमान, जो सम्प्रति 445—745 रु० है वह एम० बी० बी० एस० चिकित्सकों को निम्नतम स्तर पर दिये जानेवाले वेतनमान के समान होना चाहिए। उन्होंने प्रायः उसी आधार पर वर्त्तमान वेतनमान के क्रमिक उत्क्रमण का भी अनुरोध किया है जो बिहार स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न स्तरों के लिए अनुमान्य है। समिति ने इन अनुरोधों पर इस अध्याय के अन्त में और पशुपालन विभाग से संबंधित प्रतिवेदन के भाग IV वाले अध्याय में विचार किया है।

**सहकारिता सेवा**

33.27. बिहार सहकारिता सेवा में दो मुख्य शाखाएं जैसे सहकारिता शाखा और अंकेक्षण शाखाएं हैं। इन दोनों शाखाओं में प्रचलित विभिन्न स्तरों और वेतनमानों को नीचे स्पष्ट किया गया है:—

**(क) सहकारिता शाखा**

| स्तर | कोटि/पदनाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | सहायक निबंधक/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ जिला सहकारिता पदाधिकारी आदि। | 510—1,155 | 189 |
| 2 | उप-निबंधक .. .. | 620—1,415 | 12 |
| 3 | संयुक्त निबंधक .. .. | 1,060—1,580 | 6 |
| 4 | वरीय संयुक्त निबंधक एवं अपर निबंधक | 1,340—1,870 | 2 |

सहकारिता विभाग पत्र संख्या 2169, दिनांक 21 सितम्बर 1979 द्वारा यथाप्रतिवेदित पदों की संख्या

33.28. सहकारिता समिति के सहायक निबंधक पहले इससे भी नीचे स्तर अर्थात् 455—840 रुपये के वेतनमान में कनीय श्रेणी-II में थे। ये सभी पद 1 जनवरी 1977 से मूल स्तर अर्थात् 510—1,155 रुपये के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिये गये इसलिये कनीय श्रेणी II स्तर को समाप्त कर दिया गया है।

33.29. प्रारम्भिक स्तर पर इस सेवा में सहायक निबंधकों के पदों पर बहाली सहकारिता निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा तथा सीधे बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है।

33.30. सभी तीन उच्चतर स्तरों पर प्रोन्नति पदों का सृजन प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। प्रोन्नति के किसी उच्चतर स्तर के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है और इसलिए इस संवर्ग में कोई प्रवर कोटि अभीतक लागू नहीं की गई है।

33.31. बिहार सहकारिता पदाधिकारी संघ ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और समिति के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान विचार भी सामने रखा। उन्होंने तकनीकी प्रकार के अपने कार्य और विकासशील राज्य में अपनी भूमिका पर बल दिया और उनका यह मत है कि प्रोन्नति की सम्भावनाओं तथा अन्य लाभों के मामले में उनके साथ भेद-भाव बरता गया है।

उच्चतर वेतनमान के लिए अनुरोध करने के अलावे उन्होंने कई अन्य राज्य सेवाओं में प्रचलित प्रोन्नति सुविधाओं जैसे, संवर्ग के 20 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत क्रमशः कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि और अधिप्रवर कोटि की भी मांग की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सहकारिता संगठन के अनेक पद, जो फिलहाल अन्य विभागों के पदाधिकारियों द्वारा धारित हैं, सहकारिता सेवा के पदाधिकारियों को मिलने चाहिए।

(ख) अंकेक्षण शाखा

| स्तर | पंक्ति/पदनाम | वेतनमान | पदों की संख्या | कुल संवर्ग का प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी .. .. | 510—1,155 | 25 | .. |
| 2 | उप-मुख्य अंकेक्षण .. .. .. | 620—1,415 | 7 | 14.5 प्रतिशत |
| 3 | संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) .. .. | 1,060—1,580 | 3 | 7.5 प्रतिशत |
| 4 | प्रोन्नति के कुल पद .. .. | .. | 10 | 22 प्रतिशत |

कुल संवर्ग (सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 2169, तारीख 21 सितम्बर 1979 में यथा उल्लिखित पदों की संख्या)।

33.32. उच्चतर स्तर पर 1,340—1,870 रु० के वेतनमान में अपर निबंधक (अंकेक्षण) का एक और भी पद है, जो संवर्ग-बाह्य पद है और फिलहाल इस सेवा से भिन्न चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा भरा गया है। अतः इस पद को सेवा के अन्तर्गत उच्चतर स्तर का पद नहीं माना गया है।

33.33. पहले 455—840 रु० के वेतनमान में नीचे स्तर पर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का पद था जो श्रेणी-II (कनीय) कोटि में था। इस संवर्ग में 510—1,155 रु० के वेतनमान में एक प्रवर कोटि के पद भी थे। इन दोनों स्तरों का 1 जनवरी 1977 से आमेलन हो गया है और जैसा कि ऊपर कहा गया है अब यही इस संवर्ग का प्रारम्भिक स्तर हो गया है।

33.34. सहकारिता अंकेक्षकों के संवर्ग में प्रारम्भिक भरती 260—408 रु० के वेतनमान में कनीय अंकेक्षण पदाधिकारियों के स्तर पर की जाती है, जिसका विलयन अब 1 मार्च 1979 से 335—555 रु० के वेतनमान में वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी के साथ हो गया है। यह भरती बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित स्नातक स्तर के अराजपत्रित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है। उच्चतर स्तर जैसे 400—660 रु० के वेतनमान में अनुमंडलीय अंकेक्षण पदाधिकारियों और ऊपर चर्चित अन्य स्तरों के सभी पद निम्न स्तरों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.35. बिहार राज्य सहकारिता अंकेक्षण पदाधिकारी संघ ने समिति को एक ज्ञापन दिया है और प्रश्नावली का उत्तर भी भेजा है। उन्होंने सहकारिता संगठन में अंकेक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है और अपर्याप्त वेतनमान तथा प्रोन्नति सम्भावनाओं के संबंध में शिकायत भी की है। उन्होंने कृषि और शिक्षा सेवाओं में निदेशकों के वेतनमान के समतुल्य अपर निबंधक के वेतनमान को बढ़ाने तथा इस स्तर तक प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया है।

**शिक्षा सेवा**

33.36. शिक्षा विभाग में बिहार शिक्षा-सेवा की विभिन्न शाखाओं में वर्गीकृत विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों के लिए अनेक पद हैं, जिनकी अलग-अलग अर्हताएं हैं और भरती के अलग-अलग तरीके हैं। सेवा में विभिन्न स्तर और वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| स्तर पंक्ति | पदनाम | वेतनमान | पदों की कुल संख्या। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | श्रेणी-II .. .. | 510—1,155 | 454 | .. |
| 2 | श्रेणी-I .. .. | 620—1,415 | 105 | कुल संवर्ग का 18 प्रतिशत |
| 3 | प्रवर कोटि .. .. | 1,060—1,580 | 24 | कुल संवर्ग का 4 प्रतिशत |
| 4 | अपर निदेशक .. .. | 2,000—2,300 | 1 | (संवर्ग वाह्य पद) |
| 5 | निदेशक .. .. | 2,050—2,450 | 3 | (संवर्ग वाह्य पद) |
| | प्रोन्नति के कुल पद .. | | 129 | 22 प्रतिशत |
| | कुल संवर्ग .. | | 583 | 100.00 प्रतिशत |

(निदेशक, प्रशासन-सह-उप-सचिव, शिक्षा विभाग के पत्र सं० 2489, तारीख 7 नवम्बर 1970 में यथा उल्लिखित पदों की संख्या वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 में यथा निर्धारित प्रोन्नति स्तर का प्रतिशत है।)

33.37. जैसा कि पहले बताया गया है कि बिहार शिक्षा-सेवा के पद विभिन्न शाखाओं में वर्गीकृत हैं, जो निम्नलिखित हैं:—

(1) निरीक्षण और प्रशासन,
(2) महिला महाविद्यालय,
(3) शोध संस्थान,
(4) संस्कृत महाविद्यालय,
(5) शारीरिक शिक्षा,
(6) बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्,
(7) अरबी और इस्लामी।

33.38. इस सेवा के अन्तर्गत विशिष्ट अर्हता वाले भी अनेक पद हैं, जिनके सभी पदाधिकारियों का सभी पदों पर अन्तर-स्थानान्तरण नहीं होता है। विशिष्ट प्रकार के पदों पर नियुक्त ऐसी विशिष्ट अर्हता वाले पदाधिकारियों के स्थानान्तरण या प्रोन्नति सामान्य पदों पर हो सकती है लेकिन इसका प्रतिलोम ठीक नहीं होगा।

33.39. निरीक्षण और प्रशासन शाखा में, जो बिहार शिक्षा-सेवा की सामान्य शाखा कही जाती है, नियुक्ति नीचे से प्रोन्नति द्वारा और लोक सेवा-आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा भी की जाती है। अन्य शाखाओं में नियुक्तियां, जब कभी आवश्यक हों, एवं प्रोन्नतियां लोक-सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा लेकिन साक्षात्कार के आधार पर की जाती हैं।

33.40. बिहार राज्य शिक्षा-सेवा महासंघ ने इस समिति को एक ज्ञापन दिया है और समिति के साथ हुए विचार-विमर्श में भी भाग लिया है। पदाधिकारियों को उच्च अर्हता के संदर्भ में वर्तमान वेतनमान की अपर्याप्तता पर प्रकाश डालने के अलावे सेवा महासंघ ने प्रोन्नति की संभावनाओं के संबंध में राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से तुलना करते हुए शिक्षा-सेवा के प्रति भेदभाव बरतने की शिकायत की है। उन्होंने छः विभिन्न स्तरों वाले वेतन-ढांचे का सुझाव दिया है, जिसमें मूल कोटि दो प्रवर कोटि एक अधिकाल वेतनमान और दो वरीय प्रशासनिक स्तर रहेंगे। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति से भरे जानेवाले पदों के लिए उसी प्रतिशतता की मांग की है जो राज्य की अन्य सेवाओं में विद्यमान

**नियोजन संवर्ग**

33.41. नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय के नियोजन संवर्ग में पदाधिकारी निम्नलिखित विभिन्न स्तरों और वेतनमान में रखे गए हैं:—

| स्तर | पंक्ति / पदनाम | वेतनमान | पद की संख्या | उच्चतर स्तर पर पदों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | सहायक नियोजन पदाधिकारी और नियोजन पदाधिकारी। | 510—1,155 | 80 | .. |
| 2 | सहायक निदेशक .. .. | 620—1,415 | 9 | 10 प्रतिशत |
| 3 | उप-निदेशक .. .. | 1,060—1,580 | 3 | 3.5 प्रतिशत |
| 4 | संयुक्त निदेशक .. .. | 1,340—1,870 | 2 | 2 प्रतिशत |
| | प्रोन्नति के कुल पद .. | | 14 | 15.5 प्रतिशत |
| | कुल संवर्ग .. | | 94 | 100.00 प्रतिशत |

[नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा यथा उल्लिखित पदों की संख्या (देखें, उनके पत्र सं० 1556 तारीख 27 मई 1980) एवं प्रोन्नति-स्तर पर प्रतिशतता वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, तारीख 11 अप्रील 1977 के अनुरूप है।]

33.42. विभाग ने 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में एक अपर निदेशक-सह-सम्पर्क पदाधिकारी के एक संवर्ग बाह्य पद की भी सूचना दी है। इस पद पर बिहार प्रशासन-सेवा के सदस्य कार्यरत हैं।

33.43. पहले, सहायक नियोजन पदाधिकारी और भी नीचे कोटि में थे, जो 455—840 रु० के वेतनमान में कनीय सेवा श्रेणी-II का पद था। ये पद अब 1 जनवरी 1977 से 510—1,155 रु० के वेतनमान में वरीय श्रेणी-II में उत्क्रमित हो गए हैं और तब से कनीय श्रेणी-II का स्तर समाप्त हो गया है।

33.44. सहायक नियोजन पदाधिकारियों के स्तर पर भरती बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधे की जाती है यद्यपि पहले, कुछ पद अनुसचिवीय स्टाफ से प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे। उच्चतर स्तर के सभी पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.45. राष्ट्रीय नियोजन सेवा संघ ने इस समिति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और विचार-विमर्श में भी भाग लिया है। उन्होंने प्रोन्नति की अपर्याप्त संभावना की शिकायत की है और अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप प्रथम तीन प्रोन्नति-स्तरों के लिए क्रमशः 20 प्रतिशत 12.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत तक की प्रोन्नति-संभावना के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि इनके संयुक्त निदेशक के दो और एक मात्र अपर निदेशक के पदों पर भी बिहार सिविल सेवा के पदाधिकारी आसीन है और इस प्रकार इनकी प्रोन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ये सभी पद नियोजन-सेवा के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

**अभियंत्रण-सेवा**

33.46. राज्य सरकार की अभियंत्रण-सेवा विभिन्न अभियंत्रण विभागों, जैसे लोक-निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, सिंचाई और विद्युत् विभाग में फैली हुई है। राज्य सेवा के अधिकांश अभियंत्रण सिविल यांत्रिक (Mechanical) या विद्युत् (Electrical) संवर्ग से आते हैं और तदनुसार विभिन्न विभागों की विभिन्न शाखाओं में इनके विभिन्न पदानुक्रम हैं। मूल श्रेणी में अभियंता के लिए विहित न्यूनतम अर्हता सभी शाखाओं के लिए निसंदेह एक समान अर्थात् अभियंत्रण में डिग्री है। अनेक संवर्गों, जैसे

यांत्रिक अभियंता के संवर्ग इतने छोटे हैं कि उनमें अधिक श्रेणी नहीं बनाई जा सकती। अन्य दोनों संवर्गों में निम्नलिखित नौ विभिन्न स्तर हैं:—

| क्रम सं०। | पंक्ति/पदनाम | वेतनमान | उच्च स्तरों में प्रोन्नत पदों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | सहायक अभियंता .. .. .. | 510—1,155 | .. |
| 2 | सहायक अभियंता (प्रवर कोटि) .. .. | 620—1,415 | कुल सम्वर्ग का 20 प्रतिशत |
| 3 | कार्यपालक अभियंता .. .. .. | 890—1,415 | (कुल सम्वर्ग का 12.5 प्रतिशत) |
| 4 | कार्यपालक अभियंता (प्रवर कोटि) .. .. | 1,060—1,580 | (12.5 प्रतिशत) |
| 5 | अधीक्षण अभियंता .. .. .. | 1,340—1,870 | प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप। |
| 6 | अधीक्षण अभियंता (प्रवर कोटि) .. .. | 1,400—2,020 | अधीक्षण अभियंता का 20 प्रतिशत |
| 7 | अपर मुख्य अभियंता .. .. .. | 2,000—2,300 | (प्रशासनिक आवश्कताओं के अनुरूप)। |
| 8 | मुख्य अभियंता .. .. .. | 2,050—2,450 | |
| 9 | अभियंता प्रमुख (Engineer-in-Chief) | 2,500—2,750 | |

प्रोन्नति के स्तरों में पूर्वोक्त प्रतिशतता 1 जनवरी 1975 से नियत की गई है (देखें वित्त विभाग संकल्प, तारीख 1 मार्च, 1975)।

33.47. वित्त विभाग के संकल्प, तारीख 1 मार्च 1975 द्वारा प्रोन्नति स्तरों में पूर्वोक्त प्रतिशतता 1 जनवरी 1975 से नियत की गई हुं। इस तारीख से पहले सहायक अभियंता दो श्रेणियों में थे, अर्थात् मूल श्रेणी 510—1,155 रु० के वेतनमान में और 20 प्रतिशत प्रवर कोटि 620—1,325 रु० के वेतनमान में इसे पूर्वोक्त तारीख से 620—1,415 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार, कार्यपालक अभियंता भी दो भिन्न श्रेणियों में थे अर्थात् मूल श्रेणी 890—1,415 रु० के वेतनमान में और 15 प्रतिशत प्रवर कोटि 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में। पूर्वोक्त तारीख से संपूर्ण अभियंत्रण संवर्ग का 12.5 प्रतिशत पद कार्यपालक अभिन्ता कोटि में रखा गया और इसके लिये 1,060—1,580 रु० का वेतनमान नियत किया गया। यह भी तय किया गया कि 890—1,415 रु० के वेतनमान में पहले से जो भी अभियंता हैं और जिन्हें तुरत पूर्वोक्त उच्चतर वेतनमान में समाविष्ट नहीं किया जा सकेगा वे जब तक उस कोटि में पद रिक्त नहीं हो जाते निम्न वेतनमान में बने रहेंगे और आगे 890—1,415 रु० के निम्न वेतनमान में कोई कार्यपालक अभियंता नहीं रखे जायेंगे। तदनुसार, कालांतर में कार्यपालक अभियंता के दोनों वेतनमानों का 1,060—1,580 रु० के उच्चतर वेतनमान में विलयन हो जाएगा और प्रोन्नति के वर्तमान दूसरे और तीसरे स्तर का विलय एक स्तर में हो जाएगा, जो दूसरा स्तर होगा और इस तरह का तीसरा स्तर समाप्त हो जाएगा।

33.48. अभियंत्रण सेवा में अधीक्षण अभियंता अपने-अपने संवर्गों में 1,340—1,870 रु० के अधिकाल वेतनमान में हैं। अधीक्षण अभियंता स्तर पर कुल पदों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाई जाती है न कि कुल संवर्ग की नियत प्रतिशतता के आधार पर जैसा कि अन्य अनेक सेवाओं में प्रचलित है। जो भी हो अब पूर्वोक्त तारीख 1 जनवरी 1975 से अधीक्षण अभियंताओं की कोटि में 20 प्रतिशत पद प्रवर कोटि में स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिये 1,400—2,020 का वेतनमान रखा गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिकाल वेतनमान से ऊपर किसी अन्य सेवा में ऐसी किसी प्रवर कोटि की व्यवस्था नहीं है। पदानुक्रम में यह स्तर फिलहाल छठा स्तर है लेकिन मौजूदा 890—1,415 रु० के वेतनमान में कार्यपालक अभियंता के स्तर की समाप्ति के बाद, पदानुक्रम में यह अंततोगत्वा पांचवा स्तर हो जाएगा।

33.49. राज्य सरकार द्वारा अपर मुख्य अभियंता के वर्त्तमान 2,000—2,300 रु० के वेतनमान को मुख्य अभियंता के बराबर 2,050—2,450 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का कार्यान्वयन अभी प्रक्रियाधीन है, जिसके बाद अभियंत्रण सेवा में एक और स्तर समाप्त हो जाएगा और कालांतर में, मुख्य अभियंता और अभियंता-प्रमुख सहित सात स्तर ही रहेंगे ।

33.50. विभिन्न स्तरों पर अभियंता के पदों की संख्या और प्रमुख अभियंत्रण विभागों में उनके वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| स्तर | पंक्ति/पदनाम | वेतनमान | अभियंत्रण विभागों में पदों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लोक-निर्माण | | सिंचाई | | | लो०स्वा०अ०वि० | | विद्युत् |
| | | | सिविल | यांत्रिक | वास्तु-कार | सिविल | यांत्रिक | सिविल | यांत्रिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | रु० | | | | | | | | |
| 1 | सहायक अभियंता | 510—1,155 | 472 | 26 | 6 | 2,348 | 137 | 246 | 49 | 22 |
| 2 | सहायक अभियंता (प्रवर कोटि) (संवर्ग का 20 प्रतिशत) । | 620—1,415 | 109 | 3 | .. | 413 | 43 | 34 | 7 | .. |
| 3 | कार्यपालक अभियंता (समाप्त-प्राय) । | 890—1,415 | 45 | 5 | 4 | 212 | 8 | 36 | 8 | 7 |
| 4 | कार्यपालक अभियंता (प्रवर कोटि) (संवर्ग का 12.5 प्रतिशत) । | 1,060—1,580 | 94 | 3 | .. | 258 | 27 | 28 | 4 | .. |
| 5 | अधीक्षण अभियंता । | 1,340—1,870 | 25 | 2 | 1 | 99 | 8 | 15 | 3 | 2 |
| 6 | अधीक्षण अभियंता (प्रवर कोटि) (अ० अभि० के संवर्ग का 20 प्रतिशत) । | 1,400—2,020 | 8 | .. | .. | 24 | 2 | 2 | .. | .. |
| 7 | अपर मुख्य अभियंता । | 2,000—2,300 | .. | .. | . | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 8 | मुख्य अभियंता | 2,050—2,450 | 8 | .. | .. | 20 | 3 | 1 | .. | 1 |
| 9 | अभियंता प्रमुख | 2,500—2,750 | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |

(वित्त विभाग के संकल्प सं० 2356, तारीख 1 मार्च 1975 में यथानियत प्रोन्नति स्तरों की संख्या—लोक-निर्माण विभाग के पत्र सं० 501, तारीख 11 फरवरी 1980, सिंचाई और विद्युत् विभाग के क्रमश: पत्र सं० 8018, तारीख 26 दिसम्बर

1974 और पत्र सं० 918, तारीख 12 फरवरी 1980, लोक स्वा० अभि० विभाग के पत्र संख्या 1475, तारीख 11 अगस्त 1979, सं० 466, तारीख 6 मार्च 1980 तथा विद्युत् विभाग के पत्र सं० 414, तारीख 6 फरवरी 1979, सं० 646, तारीख 1 मार्च 1979, सं० 1,909, तारीख 7 मई 1979 और सं० 447, तारीख 12 जुलाई 1979 में यथासमाविष्ट पदों की संख्या ।)

33.51. बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने समिति को एक ज्ञापन दिया है और प्रश्नावली के उत्तर भी भेजे हैं । उन्होंने विचार-विमर्श के दौरान समिति के सामने अपने विचार भी प्रकट किए हैं । उन्होंने अपने तकनीकी ढंग के कार्य पर भी प्रकाश डाला है और विकास कार्यों की भूमिका में प्रत्यक्षतः संबद्ध होने के आधार पर अपनी सेवा के लिये अच्छे वेतनमान का दावा भी किया है । उन्होंने शिकायत की है कि विद्युत् बोर्ड में उनके समकक्ष पदाधिकारी की तुलना में राज्य सरकार के अधीन वे कम वेतन पाते हैं । उन्होंने दावा किया है कि भारतीय प्रशासन-सेवा जैसी सामान्य सेवाओं की तुलना में उन्हें अधिक वेतन मिलना चाहिए । उन्होंने अपने लिये मात्र तीन स्तरों वाले वेतन ढांचे की सलाह दी है—प्रारंभ में दीर्घ-काल वेतनमान (Long-time scale) उच्चतम स्तर पर वेतन की निर्धारित दर और मध्य में अधिकाल वेतनमान ।

**उत्पाद संवर्ग**

33.52. उत्पाद और मद्य-निषेध विभाग की श्रेणी-I और II के पदाधिकारियों का पदानुक्रम-स्तर राज्य की अन्य अधिकांश सेवाओं की तरह मूल श्रेणी, कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि और अधिकाल वेतनमान रहने पर भी भिन्न है । उत्पाद पदाधिकारियों के विभिन्न स्तर निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० । | पदनाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | अधीक्षक .. .. .. .. | 510—1,155 | 31 |
| 2 | सहायक आयुक्त .. .. .. | 620—1,415 | 9 |
| 3 | उप-आयुक्त .. .. .. .. | 1,060—1,580 | 8 |
| 4 | संयुक्त आयुक्त .. .. .. | 1,340—1,870 | 1 |

(उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्र सं० 2556, दिनांक 25 अप्रैल 1979 द्वारा प्रतिवेदित पदों की संख्या) ।

33.53. पूर्वोक्त सभी स्तरों के पद उत्पाद निरीक्षकों और उनके ऊपर के पदों में से भरे जाते हैं । इस स्तर के ऊपर सीधी भरती की कोई व्यवस्था नहीं है । पदाधिकारियों की कुल संख्या के संबंध में प्रोन्नति के विभिन्न स्तरों के बारे में प्रोन्नति का कोई अनुपात भी निर्धारित नहीं किया गया है और सभी पद प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार सृजित किए गए हैं ।

33.54. बिहार राज्य उत्पाद पदाधिकारी संघ ने समिति के समक्ष एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है और उसने समिति के साथ विचार-विमर्श भी किया है । उन्होंने मद्य निषेध के संदर्भ में अपनी भूमिका पर काफी प्रकाश डाला है और अपने कार्यों के सिलसिले में उठाई जानेवाली जोखिम को लेकर उनकी तुलना पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों से की है । उन्होंने यह शिकायत की है कि अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में प्रवर कोटि या प्रोन्नति के स्तरों के प्रतिशत की जो पद्धति मौजूद है, उसकी उनकी सेवाओं में अभाव है और उन्होंने खास तौर से उच्चतम स्तर पर प्रोन्नति के लिए अधिक पदों की मांग की है । उन्होंने अनुरोध किया है कि वेतनमान के मामले में उत्पाद अधीक्षक और अपर आरक्षी अधीक्षक में समता होनी चाहिए ।

वित्त-सेवा

33.55. वित्त-सेवा के प्रोन्नति संबंधी पद सोपान के विभिन्न स्तर निम्नलिखित हैं :—

| स्तर | कोटि | वेतनमान | पदों की संख्या। | प्रोन्नति संबंधी स्तर के लिए निर्धारित प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | सहायक वाणिज्यकर अधीक्षक/वाणिज्य-कर अधीक्षक .. | 510—1,155 | 378 | .. |
| 2 | सहायक आयुक्त .. .. .. | 620—1,415 | 118 | 20 |
| 3 | उपायुक्त .. .. .. | 1,060—1,580 | 74 | 12.5 |
| 4 | संयुक्त आयुक्त .. .. .. | 1,340—1,870 | 15 | 2.5 |
| 5 | वरीय संयुक्त आयुक्त .. .. .. | 2,000—2,300 | 2 | |
| 6 | अपर आयुक्त .. .. .. | 2,050—2,450 | 1 | |
| 7 | प्रोन्नति संबंधी पदों का योग .. .. | .. | 210 | 35 |
| 8 | संवर्ग का योग .. .. .. | .. | 588 | 100.00 |

*

[ऊपर उल्लिखित प्रोन्नतियों के मौजूदा प्रतिशत, (देखें, वाणिज्य-कर विभाग के पत्र सं० 3703, दिनांक 3 मई 1980) यथा-संशोधित हैं जो 1 अक्तूबर 1979 से लागू हैं। इन पदों की संख्या वाणिज्य-कर विभाग के पत्र सं० 4968, दिनांक 3 मई 1979 और पत्र सं० 3703, दिनांक 3 मई 1980 दोनों ही द्वारा यथा अभिनिश्चित हैं]।

33.56. पहले इस सेवा के अन्तर्गत 455—840 रु० के वेतनमान में एक कनीय शाखा श्रेणी-II भी थी, जिसमें भरती न केवल बिहार लोक-सेवा आयोग के जरिए सीधे की जाती थी, बल्कि निम्न अनुसचिवीय और अन्य संवर्गों में से चयनात्मक प्रोन्नति के जरिए भी होती थी। लेकिन अब इस कनीय शाखा श्रेणी-II को 510—1,155 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित करके इसका विलयन 1 अप्रील 1974 से मुख्य शाखा में कर दिया गया है।

33.57. फिलहाल बिहार वित्त-सेवा के आरंभिक स्तर के पदों पर बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए ही भरती की जाती है। उच्चतर स्तरों के सभी पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.58. अतीत में इस सेवा के सदस्यों को विशेष प्रोन्नति कोटा से भारतीय प्रशासन सेवा के 1,200—2,000 रु० के वरीय वेतनमान में प्रोन्नत किया गया था, हालांकि ऐसी प्रोन्नतियों की कुल संख्या बहुत कम रही है।

33.59. बिहार वित्त-सेवा संघ ने इस समिति के समक्ष न केवल ज्ञापन प्रस्तुत किया है बल्कि भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर भी दिया है। उसने समिति के साथ विचार-विमर्श में भी भाग लिया है। संक्षेप में संघ ने यह अभिवेदन प्रस्तुत किया है कि जबसे बिहार वित्त-सेवा का गठन 1964 में हुआ तबसे इस सेवा के सदस्यों के नाना प्रकार के गहन कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों में भी वृद्धि की जाती रही है। इनमें न केवल करों की वसूली, जो राज्य के साधन स्रोत का बहुत बड़ा भाग है, बल्कि न्यायाधिकरण में न्यायिक कार्य, कोषागार कार्य और सचिवालय के प्रशासनिक कार्य भी शामिल हैं। संघ ने अपने सदस्यों के लिए राज्य असैनिक सेवा के बराबर धारावाही काल-वेतनमान और प्रोन्नति के अवसरों के साथ-साथ भारतीय प्रशासन सेवा में प्रोन्नति के कोटे की भी मांग की है। वित्त सेवा संघ ने दुःख प्रकट किया है कि उनकी सेवा में 2,500—2,750 रु० के वेतनमान में कोई पद सृजित नहीं किया गया है जबकि अन्य कई सेवाओं में ऐसा पद सृजित किया गया है और उसने यह भी सुझाव दिया है कि इस सेवा में भी प्रति माह 3,000 रु० और 3,500 रु० के नियत वेतनवाले प्रोन्नति संबंधी पद दिए जाएं।

मत्स्य सवर्ग

33.60. मत्स्य निदेशालय में श्रेणी-II और I के पदाधिकारी विभिन्न स्तरों पर फैले हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

| स्तर | पदनाम | वेतनमान | पदों की कुल संख्या। | प्रोन्नति संबंधी स्तरों पर पदों का प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | जिला मत्स्य पदाधिकारी .. .. | 510—1,155 | 32 | |
| 2 | उप-निदेशक .. .. .. | 620—1,415 | 6 | 15% |
| 3 | संयुक्त निदेशक .. .. .. | 1,060—1,580 | 2 | 5% |
| 4 | निदेशक .. .. .. | 1,340—1,870 | 1 | 3% |
| | प्रोन्नति संबंधी पदों का योग .. | | 9 | 23% |
| | संवर्ग का योग .. | | 41 | 100.00 |

(मत्स्य निदेशालय के पत्र सं० 2053, दिनांक 8 सितम्बर 1979 द्वारा यथा प्रतिवेदित पदों की संख्या-प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 के अनुसार हैं)।

33.61 पहले, इस सेवा में, 455—840 रु० के वेतनमान में, कनीय श्रेणी-II के निम्नतर स्तर के भी पद थे। लेकिन 1 जनवरी 1977 से इन सभी पदों को उत्क्रमित कर 510—1,155 रु० के वेतनमान में वरीय श्रेणी-II के बराबर कर दिया गया है और सबसे पूर्ववर्ती निम्नतर स्तर के पद नहीं रह गए हैं।

33.62. जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुमंडलीय मत्स्य पदाधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा और बिहार लोक-सेवा आयोग के जरिए सीधी भरती द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे पदाधिकारियों की न्यूनतम विहित योग्यता जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री है। साथ ही इनके लिए मत्स्य पालन में एक-दो वर्षों का प्रशिक्षण या तीन वर्षों तक का अनुभव भी अपेक्षित है। सामान्यतः 25 प्रतिशत पद सीधी भरती से और शेष पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.63. बिहार मत्स्य-सेवा कर्मचारी संघ की समन्वय समिति ने समिति के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और विचार-विमर्श में भी भाग लिया है। उनकी मुख्य शिकायत यह रही है कि अन्य सेवाओं की तुलना में प्रोन्नति के अवसर और उच्चतम पंक्ति पर वेतनमान कम है। उन्होंने मांग की है कि राज्य की अन्य सेवाओं की तरह उनकी प्रोन्नति के स्तरों पर प्रतिशत का निर्धारण किया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि मत्स्य निदेशक को वही पारिश्रमिक मिलना चाहिए जो अन्य तकनीकी विभागों के अध्यक्षों को मिलता है।

वन सेवा

33.64. इस समय बिहार वन-सेवा में सहायक वन संरक्षक के सिर्फ 88 पद हैं और ये सभी पद 510—1,155 रु० के वेतनमान में हैं। पहले वन विभाग ने यह सूचना दी थी कि बिहार वन-सेवा में तीन स्तर हैं, अर्थात् 55 पद 510—1,155 रु० के वेतनमान में, 6 पद 890—1,415 रु० के वेतनमान में और एक पद 1,340—1,870 रु० के वेतनमान में हैं (समिति द्वारा शंकाएं उठाई जाने पर, उनके पत्र सं० 2854, दिनांक 12 सितम्बर 1979 द्वारा संपुष्ट।) बाद में मुख्य वन संरक्षक ने समिति को सूचित किया कि इस समय बिहार वन-सेवा में सिर्फ एक स्तर के पद हैं जिनकी संख्या 85 है। ये सभी पद 510—1,155 रु० के वेतनमान में, सहायक वन संरक्षक की पंक्ति के हैं और इनके लिए प्रोन्नति संबंधी स्तर बिलकुल नहीं हैं (देखें पत्र सं० 5788, दिनांक 10 सितम्बर 1979)। स्पष्ट है कि निकट अतीत में भारतीय वन-सेवा के सृजन और विस्तार के फलस्वरूप प्रमंडलीय वन पदाधिकारी से लेकर मुख्य वन संरक्षक तक की प्रोन्नति के विभिन्न स्तरों के वरीय वन पदाधिकारियों के सभी पद जिन पर पहले बिहार वन-सेवा के लोग रखे जाते थे, भारतीय वन-सेवा में अन्तरित कर दिए गए हैं और चूंकि बिहार वन-सेवा में सदस्य भारतीय वन-सेवा में तुरत प्रोन्नति पाते गये इसलिए बिहार

वन सेवा में प्रोन्नति के स्तर घटते चले गए। सम्प्रति बिहार वन-सेवा में प्रोन्नति का एक ही मार्ग है, जो भारतीय वन-सेवा के वरीय वेतनमान का है और इसमें 22 पद उनके लिए अलग रख दिए गए हैं।

33.65. बिहार वन सेवा में भरती लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर और राजिका (रेंज) पदाधिकारियों में से प्रोन्नति के जरिये भी की जाती है। सीधी भरती के लिए विहित न्यूनतम योग्यता चुने हुए विषयों जैसे विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या कृषि में स्नातक डिग्री है।

33.66. बिहार वन-सेवा संघ ने इस समिति के समक्ष कई ज्ञापन दिए हैं और विचार-विमर्श के दौरान अपनी समस्याएं भी रखी हैं। उनकी मुख्य शिकायत यह रही है कि यद्यपि उनकी सेवा में अधिकतर वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मी हैं जो तकनीकी और प्रशासनिक कार्य करते हैं तथापि वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर के संबंध में राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के साथ तुलना करने पर उनके साथ भेदभाव की नीति बरती गयी है। उन्होंने बेहतर वेतनमान के अलावा अपने संवर्ग में बहुतेरी अन्य राज्य सेवाओं की तरह प्रोन्नति के तीन स्तरों अर्थात् कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि तथा अधिकाल वेतनमान के क्रमशः 33, 20 और 7 प्रतिशत पद के लिए अनुरोध किया है।

33.67. उनलोगों की यह भी शिकायत है कि यद्यपि प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों के पद उनके संवर्गगत उप-वन संरक्षकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए तथापि ये पद भारतीय वन सेवा के उप-वन संरक्षकों से भरे जाते हैं, और जब भारतीय वन सेवा के उप-वन संरक्षक भी काफी संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तब राज्य वन सेवा के लोगों को प्रोन्नति संबंधी सुविधाओं से वंचित रखते हुए ऐसे पदों पर भारतीय वन सेवा के सहायक वन संरक्षक रखे जाते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रोन्नति संबंधी स्तरों पर राज्य वन सेवा के लिए यथेष्ट संख्या में ऐसे पद दिए जाने चाहिए।

**भू-वैज्ञानिक संवर्ग**

33.68. भू-विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी और वेतनमान इस प्रकार हैं—

| स्तर | पंक्ति/पदनाम | वेतनमान | पदों की सं० |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | भू-वैज्ञानिक .. .. .. .. | 510—1,155 | 33 |
| 2 | भू-वैज्ञानिक वरीय भू-वैज्ञानिक के रूप में पदनामित भू-वैज्ञानिकों के 20 प्रतिशत प्रवर कोटि। | 890—1,415 | 9 |
| 3 | उप-निदेशक .. .. .. .. | 1,340—1,870 | 4 |
| 4 | निदेशक .. .. .. .. | 2,050—2,450 | 1 |

(खनन एवं भू-विज्ञान विभाग के पत्र सं० 389, दिनांक 1 फरवरी 1980 द्वारा यथाप्रतिवेदित पदों की संख्या। वित्त विभाग के संकल्प सं० 14036, दिनांक 30 नवम्बर 1972 में यथानिर्धारित प्रतिशत)।

33.69. भू-वैज्ञानिक स्तर पर सभी नियक्तियां सीधे लोक-सेवा आयोग द्वारा ऐसे उम्मीदवारों में से की जाती हैं जिनके लिए भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव भी अपेक्षित होता है। उच्चतर स्तर पर सारे पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.70. बिहार राज्य भू-वैज्ञानिक संघ ने इस समिति के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और प्रश्नावली का उत्तर भी भेजा है। उनलोगों ने विचार-विमर्श में भी भाग लिया है। उनलोगों ने बीहड़ भू-भाग तथा कठिन परिस्थितियों की ओर जहां उन्हें काम करना पड़ता है ध्यान आकृष्ट किया है और अपने तकनीकी ढंग के कार्य पर बल देते हुए अधिक पारिश्रमिक का दावा किया है। उनकी शिकायत है कि प्रथम स्तर के आगे प्रोन्नति का कोई भी प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है और अनुरोध किया है कि उन्हें कम-से-कम अन्य सेवाओं, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति की संभावनाएं क्रमशः 20%, 12% और 2.5% तक हैं, के बराबर उच्चतर प्रोन्नति के मार्ग दिये जायें। उन्होंने यह भी बताया है कि अनेक

भू-वैज्ञानिक संवर्ग वाह्य पदों पर नियोजित हैं किन्तु उनका वेतनमान 510—1,155 रु० है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसे भू-वैज्ञानिकों का संवर्ग में लाया जाय ताकि प्रोन्नति की मौजूदा संभावनाएं बढ़ सकें। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जहांतक वेतनमान का संबंध है शैल वैज्ञानिक का पद उप-निदेशक की पंक्ति में और निदेशक का पद अभियंता प्रमुख की पंक्ति में होना चाहिए।

**स्वास्थ्य सेवा**

33.71 बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जो चिकित्सक हैं उनकी न्यूनतम मूल योग्यता एम०बी०बी०एस० है। इसमें दंत शल्य चिकित्सक और देशी चिकित्सा के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा व्यवसायी शामिल नहीं हैं। इस सेवा के अंतर्गत एक सामान्य या शिक्षणेतर शाखा और एक शिक्षण शाखा (विंग) है। इसकी कुल मंजूर पदों की सं० 4348, 11 अप्रील 1979 को है, जिसमें 741 शिक्षण संबंधी पद हैं।

33.72. इस सेवा के शिक्षणेतर शाखा (विंग) के अंतर्गत विभिन्न वेतनमान और प्रोन्नति के स्तर इस प्रकार हैं :—

| स्तर | कोटि/पदनाम | मौजूदा वेतनमान | पदों की संख्या | प्रतिशत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | रु० | | | |
| 1 | मूल कोटि—सहायक शल्य चिकित्सक, प्रदर्शक (डिमान्स्ट्रेटर), रेडियोलॉजिस्ट, नैदानिक रोग विज्ञानी (क्लिनिकल पैथोलोजिस्ट) आदि। | 610—1,155 | 1,916 | .. | |
| 2 | कनीय प्रवर कोटि—सहायक शल्य चिकित्सक, प्रदर्शक (डिमान्स्ट्रेटर), रेडियोलाजिस्ट, नैदानिक रोग विज्ञानी (क्लिनिकल पैथोलाजिस्ट) आदि। | 970—1,325 | 590 | 20 | |
| 3 | वरीय प्रवर कोटि—प्रसैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)। | 1,400—2,020 | 368 | 12 | |
| 4 | अधिकाल वेतनमान—असैनिक शल्य चिकित्सक .. | 1,855—2,130 | 74 | 2.5 | 1 मार्च 1976 से वेतनमान की ऊपरी सीमा 2,020 से बढ़ाकर 2,030 कर दी गई। |
| 5 | संयुक्त निदेशक/औषधि नियंत्रक (ड्रग कन्ट्रोलर) | 1,950—2,150 | 2 | .. | |
| 6 | अपर निदेशक .. .. | 2,000—2,300 | 3 | .. | |
| 7 | निदेशक .. .. | 2,050—2,450 | 1 | .. | |
| 8 | निदेशक प्रमुख .. .. | 2,500—2,750 | 1 | .. | पद और वेतनमान 1 मार्च 1976 से सजित। |
| | प्रोन्नति संबंधी कुल पद .. .. | | 1,039 | 25 | |
| | संवर्ग का कुल योग .. .. | | 2,955 | 100.00 | |

33.73. स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त पत्र सं० 978, दिनांक 13 नवम्बर 1979 में प्रोन्नति संबंधी स्तरों पर पदों की जो कुल संख्या और प्रतिशत दिए गए हैं वे 1 अप्रील 1979 को मौजूद पदों की संख्या के समनुरुप नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित ऐसे पदों की संख्या 4,348 हैं।

33.74. सेवा के प्रथम चार स्तर किसी प्रशासनिक पदनाम से जुड़े हुए नहीं हैं और दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्तर ऐसी प्रवर कोटि के रूप में हैं कि जिस किसी को भी समुचित वरीय कोटि मिलती हैं वह अपने द्वारा धारित पद के साथ वेतन भी लेता जाता है। इसका परिणाम यह है कि यद्यपि तीसरे स्तर के कोई पद अर्थात् 1,400—2,020 रु० के वेतनमान वाले कोई पद जो प्रारंभ में असैनिक शल्य चिकित्सकों (सिविल सर्जन) को रखने के लिये बने थे, आरम्भतः उप-निदेशक को रखने के लिये बने 1,855—2,130 रु० के वेतनमान वाले चौथे स्तर के पदों के भरे जाने के बाद, वस्तुतः इस वेतन में नहीं रह जायेंगे। आज भी अपर असैनिक शल्य चिकित्सक, असैनिक शल्य चिकित्सक और उप-निदेशक उसी वेतनमान यानी 1,855—2,130 रु० के वेतनमान में हैं। ऐसा इसलिये हुआ है कि पूरे संवर्ग की पद संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप चौथे स्तर पर सृजित प्रवर कोटि के पदों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि प्रशासनिक आवश्यकता से जुड़े होने पर भी असैनिक शल्य चिकित्सकों और उप-निदेशकों के पदनामवाले पर्यवेक्षी पदों की संख्या में अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है।

33.75. इस सेवा के अन्तर्गत पांचवे, छठे, सातवें और आठवें स्तर के पद अर्थात् संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर के पद संवर्ग की कुल संख्या से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि वे वरीयतम स्तरों पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार सृजित किए जाते हैं।

33.76. शिक्षण शाखा (विंग) के अंतर्गत भी गैर-शिक्षण शाखा के समान ही विभिन्न स्तर और वेतनमान हैं, किन्तु इसमें छह स्तर तक ही हैं, अर्थात् इस शाखा के अन्तर्गत निदेशक और निदेशक प्रमुख के पद नहीं हैं। ये पद दोनों ही शाखाओं से भरे जा सकते हैं।

33.77. शिक्षण पद अधिकतर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तक ही सीमित हैं, जो छह विभिन्न वेतनमानों में हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है। मूल कोटि के अंतर्गत नैदानिक (क्लिनिकल) तथा गैर-नैदानिक (नन-क्लिनिकल) दोनों ही पक्षों में पदनाम तथा पंक्ति में विभेद रखा गया है। निम्नलिखित विवरण से यह स्थिति स्पष्ट हो जायगी :—

| स्तर | पदनाम | न्यूनतम योग्यता | मौजूदा वेतनमान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | |
| (क) नैदानिक (क्लिनिकल) | 1. (i) रेजिडेंट .. | एम०बी०बी०एस० | 610—1,155 | शिक्षण भत्ता 75 रु० प्रतिमाह। |
| | (ii) कुल सचिव (रजिस्ट्रार) .. | स्नातकोत्तर डिग्री .. | 610—1,155 | |
| | (iii) अनुशिक्षक (ट्यूटर)/एसोसिएट प्रोफेसर। | | | |
| | 2. एसोसिएट प्रोफेसर .. | . .. | 970—1,325 | |
| | 3. प्रोफेसर .. | . .. | 1,400—2,020 | |
| | 4. प्रोफेसर (प्रवर कोटि 25%) .. | . .. | 1,855—2,130 | |
| (ख) गैर-नैदानिक (नन-क्लिनिकल)। | 1. अनुशिक्षक (ट्यूटर) .. | एम०बी०बी०एस० .. | 610—1,155 | प्रतिमाह 75 रु० की दर से शिक्षण भत्ता। |
| | 2. (i) सहायक प्रोफेसर .. | स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षों का अनुभव | 970—1,325 | 100 रु० प्रति माह की दर से विशेष प्रतिपूरक भत्ता। |
| | (ii) एसोसिएट प्रोफेसर .. | स्नातकोत्तर एवं 6 वर्ष का अनुभव। | 970—1,325 | तथैव। |
| | 3. प्रोफेसर .. | स्नातकोत्तर एवं 5 वर्षों का अनुभव। | 1,400—2,020 | |
| | 4. प्रोफेसर (प्रवर कोटि 25%) | .. | 1,855—2,130 | |
| (ग) सामान्य | 1. प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) .. | .. | 1,950—2,150 | |
| | 2. अपर निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) | .. | 2,000—2,300 | |

33.78. सभी संभव प्रयत्नों के बावजूद समिति को विभिन्न स्तरों के पदों की संख्या उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। बहुत विलम्ब से नवम्बर 1980 में स्वास्थ्य विभाग ने (अपने पत्र सं० 20351 5, दिनांक 24 नवम्बर 1980 द्वारा) मूल कोटि (610—1,155 रु०) के 612 पदों, कनीय प्रवर कोटि (970—1,325 रु०) के 372 पदों, वरीय प्रवर कोटि स्तर (1,400—2,020 रु०) के 180 पदों और प्रधानाचार्य (1,950—2,150 रु०) के नौ पदों अर्थात् कुल 1,173 पदों की एक सूची समिति के पास भेजी है। इस सूची के बारे में उसने स्पष्ट किया है कि यह विस्तृत नहीं है। जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें दंत सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं।

33.79. पहले एक प्रयास किया गया था कि सामान्य संवर्ग की तरह ही प्रतिशत प्रणाली के आधार पर शिक्षण पदों में से प्रथम चार स्तरों को जोड़ दिया जाय। तथापि इस दृष्टिकोण को अन्ततः छोड़ दिया गया है और प्रत्येक स्तर के पदों का निर्धारण दो अलग-अलग दृष्टियों से किया जाता है। प्रथमतः शिक्षण पदों की संख्या का निर्धारण मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शिक्षण की अपेक्षाओं शैक्षिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। दूसरे जब सामान्य पंक्ति के किसी पदाधिकारी को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति मिलती है, तब उससे वरीय सभी योग्य पदाधिकारियों को भी "ठीक नीचे" (नेक्स्ट बिलो) के साम्यानुमान के आधार पर अपेक्षाकृत उच्चतर कोटि में प्रोन्नति मिल जाती है। दूसरे शब्दों में शिक्षण पक्ष के अंतर्गत प्रोन्नति संबंधी स्तरों के बीच किसी पूर्वनिश्चित अनुपात का निर्धारण या अनुसरण कर पाना व्यवहार्य नहीं रहा है।

33.80. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने इस समिति के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया है और जो प्रश्नावली जारी की गयी है, उसका भी उत्तर दिया है। उन्होंने समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान अपने दृष्टिकोण भी रखे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उनके कार्य अत्यन्त व्यावसायिक, तकनीकी और सेवोन्मुखी ढंग के हैं, उन्हें चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये कठिन प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ती है और दीर्घकालीन तथा खर्चीली प्रशिक्षण लेना पड़ता है तथा सेवा में विलम्ब से प्रवेश होने के कारण उनकी सेवा अवधि अल्पतर होती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनका कार्य इस ढंग का है कि उनका जीवन अत्यन्त अनियमित हो जाता है, तथा उन्हें अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कठिन काम करना पड़ता है। उनका कहना है कि उनकी सेवा के लिये जो वेतनमान दिये गये हैं उनमें इन बातों की झलक ठीक-ठीक नहीं मिलती है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें प्रतिमास 300 से 750 रु० तक के व्यवसाय बन्दी भत्ते के साथ वृत्तिशील (प्रैक्टिसिंग) वेतनमान दिया जाय। उन्होंने एक वेतन ढांचे का सुझाव दिया है जिसमें पांच अलग-अलग स्तर होंगे अर्थात् मूल कोटि, कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि, अधिकाल वेतनमान और विशेष प्रशासनिक पद जो क्रमशः संवर्ग के 25, 15, 5 और 5 प्रतिशत होंगे। भारतीय चिकित्सा संघ की बिहार शाखा ने भी समिति के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सेवा संघ के पूर्वोक्त सभी दावे दुहराये गये हैं।

33.81. सम्प्रति स्वास्थ्य सेवा के नैदानिक (क्लिनिकल) और गैर-नैदानिक (नन-क्लिनिकल) पक्षों के सभी शिक्षण सदस्यों को जो 610—1,155 रु० के वेतनमान में हैं प्रतिमास 75 रु० की दर से शिक्षण भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त गैर-नैदानिक (नन-क्लिनिकल) पक्ष के सभी सहायक प्रोफेसरों, सह-प्रोफेसरों और प्रोफेसरों को भी प्रतिमाह 100 रु० की दर से विशेष प्रतिपूरक भत्ता मिलता है। उनके लिये पुनरीक्षित उच्चतर वेतन ढांचे की जो सिफारिश की जा रही है उसे मद्दे-नजर रखते हुए उन्हें आगे ऐसा भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है। किसी अन्य सेवा के सदस्यों को भी कोई ऐसा भत्ता नहीं दिया जा रहा है जो शिक्षण कार्य में नियोजित हैं। अतः समिति की सिफारिश है कि स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण कार्य करने वाले सदस्यों को शिक्षण भत्ता और विशेष प्रतिपूरक भत्ता देने की पूर्वोक्त प्रणाली बन्द कर दी जाय।

33.82. समिति को कुछेक विशिष्ट कोटियों के चिकित्सकों ने भी कई अभिवेदन दिये हैं। ऐसे अभिवेदनों में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सकों के लिये अनुशंसित वेतनमानों से अधिक उच्चतर वेतनमान देने का आग्रह किया है। उन्होंने इसका कारण यह बताया है कि उनके कर्त्तव्य ऐसे हैं, जिनमें विशेष जोखिम उठानी पड़ती है अथवा उन्होंने ऐसे वेतनमानों की मांग इसलिये की है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के अवसर के अभाव के चलते उन्हें जो क्षति होती है उसकी पूर्त्ति हो सके। नैदानिक (क्लिनिकल) पक्ष के उनके समकक्ष चिकित्सकों को ऐसी क्षतिपूर्त्ति की सुविधा सामान्यतः उपलब्ध है। समिति ने इन सभी अभिवेदनों पर विचार किया है और यह महसूस किया है कि ऐसी स्थिति में जब कि वेतनमानों की बहुलता को खास तौर से कम करना है तब किसी खास वर्ग के कर्मचारियों को हरेक अतिरिक्त भिन्नता के लिये उच्चतर वेतनमान देना न तो वांछनीय होगा और न व्यावहारिक ही। इसके अतिरिक्त, ऐसे किसी आधार पर किसी खास सेवा के सदस्य सेवाओं के मानक वेतनमान से अधिक बेहतर वेतनमान की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिये पूर्वोक्त अनुशंसायें उन सभी चिकित्सकों पर लागू की जायेंगी, जो इस सेवा के सदस्य हैं।

उद्योग संवर्ग

33.83. उद्योग विभाग के पदाधिकारी किसी नियमित रूप से गठित सेवा के नहीं हैं, हालांकि वे भी विभिन्न वेतनमान वाले स्तरों में हैं जो राज्य की अधिकांश अन्य सेवाओं के समनुरूप है। श्रेणी II और उसके ऊपर के पदाधिकारियों के विभिन्न स्तर और वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| स्तर | पंक्ति/पदनाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | श्रेणी II वरीय .. .. .. .. | 510—1,155 | 110 |
| 2 | श्रेणी I कनीय .. .. .. .. | 620—1,415 | 76 |
| 3 | श्रेणी I वरीय .. .. .. .. | 1,060—1,580 | 52 |
| 4 | श्रेणी I अधिकाल वेतनमान .. .. .. | 1,340—1,870 | 4 |
| 5 | औद्योगिक सलाहकार/निदेशक, तकनीकी विकास .. .. | 1,950—2,150 | 2 |
| 6 | निदेशक, तकनीकी विकास .. .. .. | 2,050—2,450 | 1 |

(उद्योग विभाग के पत्र सं० 21225, दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 द्वारा यथा प्रतिवेदित पदों की संख्या।)

33.84. पूर्वोक्त पदों के अन्तर्गत बहुत-से ऐसे पद हैं जिनके लिये उनके पदधारियों की विशेष तकनीकी योग्यतायें विनिर्दिष्ट की गयी हैं, और इसलिये ऐसे पदों पर सामान्य लोगों को नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार जहां सामान्य पदों पर विशेषज्ञ कार्मिकों को रखा जा सकता है, सभी पदों के सम्बन्ध में सामान्य लोगों को रखना संभव नहीं होगा। इसलिये एक ही विषय के सामान्य और तकनीकी पदों के अन्तर्गत ही ऐसे पदाधिकारियों की पारस्परिक अन्तरणीयता सीमित रहती है।

33.85. मूल स्तर या संपूर्ण संवर्ग के साथ प्रोन्नति सम्बन्धी स्तरों के पदों के बीच कोई संयोजन नहीं है और इसका कारण यही है कि अभी तक कोई नियमित संवर्ग या सेवा गठित नहीं हो पायी है। तदनुसार इस सेवा में कोई प्रवर कोटि नहीं है।

33.86. बिहार राज्य उद्योग पदाधिकारी संघ ने समिति के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उसके प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भी भाग लिया है। उन्होंने राज्य के औद्योगिक विकास के सन्दर्भ में अपनी सेवा के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि उनको जो वेतनमान दिये गये हैं वे अपर्याप्त हैं और उनकी सेवा में जो विशेषज्ञता अपेक्षित है, उससे ऐसे वेतनमानों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

33.87. उन्होंने बताया है कि अन्य सेवाओं के विपरीत उद्योग विभाग में 455—840 रु० के वेतनमान में कनीय श्रेणी II के कोई 156 पद अभी भी बने हुए हैं और आश्चर्य तो यह है कि एक पद अभी 415—745 रु० के निम्नतर वेतनमान में ही है। उन्होंने अनुरोध किया है कि अन्य सेवाओं के सदृश इन सभी वेतनमानों को वरीय श्रेणी II के स्तर के वेतनमान में ला दिया जाय। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि उद्योग विभाग के बहुतेरे पदों (ऊपर की सूची में अंकित पदों) पर अन्य विभाग के पदाधिकारी बने हुए हैं और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि ये सभी पद उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के लिये ही उपलब्ध कराये जायं। उन्होंने राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के सरणी पर प्रवर कोटि और प्रोन्नति के अवसरों की भी मांग की है।

कारा (जेल सेवा)

33.88. बिहार कारा (जेल) सेवा के अन्तर्गत जिला कारा और केन्द्रीय कारा अधीक्षक, सहायक कारा महानिरीक्षक परिवीक्षा (प्रोवेशन) के निदेशक और उप-कारा आरक्षी महानिरीक्षक हैं। प्रारम्भिक स्तर पर कम-से-कम 50% पदाधिकारी

कारापालों में से प्रोन्नति किये जाते हैं और शेष पदों की पूर्त्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा की जाती है। इस सेवा के अन्तर्गत प्रचलित प्रोन्नति सम्बन्धी पद सोपान और वेतनमान इस प्रकार है :—

| क्रम सं० । | पदनाम | | वेतनमान | पदों की कुल संख्या । | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | | |
| 1 | कनीय शाखा (जिला कारा अधीक्षक) | .. | 510—1,155 | 28 | |
| 2 | वरीय शाखा (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा) | .. | 620—1,415 | 8 | |
| 3 | वरीय शाखा (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, प्रवर-कोटि सहायक महानिरीक्षक, कारा/निदेशक, परिवीक्षा सेवा)। | | 1,060—1,580 | 3 | वरीय शाखा का 20 प्रतिशत और वाह्य संवर्ग के दो पद भी। |
| 4 | उच्च कालमान (कारा उप-महानिरीक्षक) | .. | 1,340—1,870 | 1 | |
| | कुल प्रोन्नतिवाले पद .. | .. | | 10 | 20 प्रतिशत |
| | संवर्ग का कुल पद .. | .. | | 38 | 100.00 |

(पदों की संख्या की सूचना कारा महानिरीक्षक के पत्र सं० 3639, दिनांक 1 मई 1979 द्वारा प्राप्त हुई है।)

33.89. बिहार कारा सेवा औपचारिक रूप से दो शाखाओं में विभाजित है--कनीय शाखा, जिसमें सभी पद 510—1,155 रु० के वेतनमान में हैं, और वरीय शाखा, जिसके पदों का वेतनमान 620—1,415 रु० तथा अधिक हैं। वरीय शाखा के कुल पद कनीय शाखा के किसी प्रतिशत या कुल संवर्ग के आधार पर नहीं अपितु प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर सृजित किए गए हैं। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के परिणामस्वरूप वरीय शाखा के प्रवर कोटि में 20 प्रतिशत प्रवर कोटि अर्थात् 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में दो पद सृजित किए गए। इसके अतिरिक्त इस स्तर के दो संवर्ग वाह्य पद भी सृजित किए गए। प्रवर कोटि के पूर्वोक्त दो पदों में से एक पद को 1 जनवरी 1977 से 1,340—1,870 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित किया गया। इस प्रकार अन्ततः विभिन्न स्तरों में, संवर्ग वाह्य पदों के सहित कुल पदों की संख्या क्रमशः 28, 8, 3 और 1 है।

33.90. बिहार कारा सेवा संघ ने समिति को एक ज्ञापन दिया है और निर्गत प्रश्नावली का उत्तर भी भेजा है। उन्होंने अपनी बातों पर समिति के साथ विमर्श भी किया है। संक्षेप में उनका अभिकथन है कि एक ही ढंग से नियुक्त अन्य सेवाओं के लोगों की तुलना में उनके मौजूदा वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं, और उनका अनुरोध है कि उन्हें भी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के समतुल्य उच्चतर वेतनमान और प्रोन्नति के और भी अवसर दिया जाना चाहिए।

**न्यायिक सेवा**

33.91. राज्य में दो भिन्न-भिन्न प्रकार की न्यायिक सेवाएं हैं:—

(1) बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) जिसे आमतौर पर अवर न्यायिक सेवा के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुंसिफ, न्यायिक दंडाधिकारी और अवर न्यायाधीश आदि आते हैं।

(2) बिहार उच्च न्यायिक सेवा, जिसमें अपर जिला न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश आते हैं।

33.92. दोनों सेवाओं में, विशेष रूप से योग्यता, कार्य के स्वरूप, संवर्ग व्यवस्था आदि के संबंध में, कुछ विशेषताएं सामान्य हैं। इसके अतिरिक्त अवर न्यायिक सेवा की प्रोन्नति का ढांचा उच्च न्यायिक सेवा में मिला हुआ है। दोनों सेवाओं का एक ही संघ है जिसने संयुक्त रूप से दोनों सेवाओं की बात प्रस्तुत की है। इसलिए समिति ने इन दोनों सेवाओं पर एक साथ विचार किया है।

33.93. इन सेवाओं के विभिन्न स्तरों के वेतनमान, प्रवर कोटि आदि के विवरण नीचे दिए गए हैं।

33.94. मुंसिफ के सभी पद, जिनमें न्यायिक दंडाधिकारी के पद भी शामिल हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर संचालित न्यायिक सेवा परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। जहांतक मुंसिफ के पदों पर बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता की बात है, उम्मीदवार को कम-से-कम विधि स्नातक (लॉ में ग्रेजुएट) या स्कॉटलैंड के बार फैकल्टी का सदस्य या किसी उच्च न्यायालय की पंजी में अटार्नी या समनुरुप योग्यता होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त, लगातार कम-से-कम एक वर्ष तक वकालत का प्रैक्टिसनर होना चाहिए। इस पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा 22 और 31 तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में 22 और 36 है।

33.95. अवर न्यायाधीश के पदों की कुल संख्या प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित है, मुंसिफ के कुल संवर्ग के किसी पूर्व निर्धारित प्रतिशत पर नहीं। जैसाकि प्रवर कोटि के मामले में है, यद्यपि इस स्तर का वेतनमान वही है जो कि अधिकांश सेवाओं की कनीय प्रवर कोटि का है। अब अवर न्यायाधीश के सभी पद मुंसिफों की प्रोन्नति से भरे जाते हैं।

33.96. अपर जिला न्यायाधीश के पद पर बहाली अवर न्यायाधीशों में से प्रोन्नति द्वारा तथा अधिवक्ताओं में से सीधी भरती द्वारा भी की जाती है। सीधी भरती का कोटा उच्च न्यायिक सेवा की कुल संख्या के एक तिहाई तक सीमित है। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम विधि स्नातक और अधिवक्ता (एडवोकेट) या वकील (प्लीडर) के रूप में कम-से-कम सात वर्षों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। [भारत का संविधान का अनुच्छेद 233(2) द्रष्टव्य]। उम्मीदवारों का चयन उपर्युक्त अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

33.97. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सभी पद जिनमें प्रवर कोटि और अधिकाल वेतनमान के पद शामिल हैं, अब अपर जिला न्यायाधीशों की प्रोन्नति से भरे जाते हैं।

33.98. यदि अपर जिला न्यायाधीशों के स्तर पर सीधे नियुक्त किए जानेवाले एक तिहाई पदों को ऐसे उच्च स्तरीय प्रोन्नति से हटा दिया जाए तो मूलतः मुंसिफ के स्तर में नियुक्त कार्मिकों की प्रोन्नति की संभावनाओं का ब्योरा तैयार किया जा सकता है। तदनुसार मुंसिफ के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रोन्नति की संभावना इस प्रकार होगी :—

| स्तर | कोटि | वेतनमान | कुल पदों की सं०। | मुंसिफ के लिए उपलब्ध पदों की संख्या। | कुल संख्या का प्रतिशत। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | रु० | | | | |
| 1 | मुंसिफ (मूल कोटि) .. | 510—1,155 | 684 | 684 | | |
| 2 | अवर न्यायाधीश .. | 620—1,415 | 177 | 177 | 19 प्रतिशत | |
| 3 | अपर जिला न्यायाधीश .. | 1,200—2,000 | 70* | 47 | 5 प्रतिशत | |
| 4 | जिला न्यायाधीश .. | 1,200—2,000 | 18 | 22 | 2 प्रतिशत | |
| 5 | जिला न्यायाधीश (प्रवर कोटि)। | 2,000—2,500 | 16 | 3 | नगण्य | |
| 6 | जिला न्यायाधीश (अधिकाल वेतनमान)। | 2,500—2,750 | 6 | 1 | नगण्य | |
| | | | 971 | 934 | 26 प्रतिशत | |

*अपर जिला न्यायाधीश के इन सभी पदों को जिला न्यायाधीश के समतुल्य 1,200—2,000 रु० के वेतनमान में 1 अप्रील 1979 से उत्क्रमित कर दिया गया है (कार्मिक विभाग का संकल्प सं० 10696, दिनांक 23 जून 1979 द्रष्टव्य) (1 फरवरी 1978 को विद्यमान विभिन्न स्तरों के पदों की संख्या का अभिनिश्चय पटना उच्च न्यायालय के निबंधक के पत्र सं० 9839, दिनांक 13 मार्च 1979 से किया गया है)।

33.99. अतः न्यायिक सेवा के प्रथम तीन स्तरों में प्रोन्नति की संभावना लगभग 19% 5% और 2% है, जबकि स्वास्थ्य-सेवा, प्रशासनिक सेवा और वित्त-सेवा में 20% 12.5% और 2.5% है ।

33.100. बिहार न्यायिक सेवा संघ ने समिति को एक ज्ञापन तथा एक अनुपूरक ज्ञापन भी दिया है और प्रश्नावली का उत्तर भेजा है । समिति को उनके प्रतिनिधियों से विमर्श करने का अवसर भी मिला है । संघ ने बेहतर वेतनमान, प्रोन्नति के अवसर और अन्य सुविधाओं के लिए अनुरोध किया है । उन्होंने समिति का ध्यान विशेष रूप से उस लम्बी अवधि की ओर आकृष्ट किया है जो कि मुंसिफ के स्तर में प्रविष्ट होने की न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार को लगाना पड़ता है, जिसमें सामान्य ग्रेजुएशन के बाद, विधि की डिग्री हासिल करने में तीन वर्ष, और उसके अतिरिक्त वकालत की प्रैक्टिस का अनुभव प्राप्त करने में भी कम-से-कम एक वर्ष का समय लगता है । तदनुसार उन लोगों ने अवर-न्यायिक सेवा के लिए बेहतर वेतनमान देने का अनुरोध किया है । उच्च न्यायिक सेवा के संबंध में उनका अनुरोध है कि अपर जिला न्यायाधीश के पदों को जिला न्यायाधीश के पदों के साथ मिला दिया जाए । जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है यह विलयन 1 अप्रील 1979 से ही प्रभावी हो चुका है ।

33.101. राज्य सरकार द्वारा राज्य का उच्चतम वेतनमान 2,500—2,750 रु० से 1 मई 1980 से 3,000—3,500 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिए जाने के बाद, न्यायिक सेवा संघ ने एक और भी ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके उच्चतम वेतनमान को उसी रूप से उत्क्रमित करने का अनुरोध किया गया है । इसके अलावा, सभी संपुष्ट उप-समाहर्त्ताओं को 1 मई 1980 से प्रति मास 75 रु० का विशेष वेतन स्वीकृत किए जाने के बाद, न्यायिक सेवा संघ ने मुंसिफों और अवर-न्यायाधीशों को समान बढ़ोत्तरी देने के लिए एक और भी अभ्यावेदन दिया है, जिसका विचार करते हुए राज्य सरकार ने विधि पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं तथा पोशाक पर होनेवाला खर्च वहन करने के लिए न्यायिक सेवाओं को 1 मई 1980 से प्रति मास 75 रु० का एक भत्ता स्वीकृत किया है ।

33.102. समिति ने इस प्रश्न की जांच सावधानी से की है कि क्या जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अब अनिवार्यतः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी) का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के वेतनमान से भिन्न रखा जाए । इसके प्रयोजनार्थ, समिति ने भारतीय विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन राज्य की द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन और तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के भी प्रतिवेदन में किए गए सुसंगत विवेचनों का अध्ययन किया है ।

33.103. यह धारणा भ्रांत हो सकती है कि भारतीय विधि आयोग ने 1958 में स्पष्ट रूप से यह अनुशंसा की थी कि सिद्धान्ततः, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को वही वेतनमान दिया जाना चाहिए जो कि भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों को दिया जाता है । इसके प्रसंग में भारतीय विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के अध्याय 9 में आई बातों का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन पर भी विचार किया गया है । प्रतिवेदन के अध्याय 9 की कंडिका 15 इस प्रकार है :—

> "इन विचारों को संतुलित कर लेना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है, किन्तु हमारी यह पक्की धारणा है कि उच्चतर न्यायपालिका के कुछ अनुपात की बहाली अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जानी चाहिए, ताकि न्यायिक सेवा में हमारे युवक ग्रेजुएटों में से सर्वश्रेष्ठ लोग आकृष्ट हो सकें । इससे चयन का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा और उच्चतर न्यायिक सेवा में चुने हुए मेधावी युवक आ सकेंगे, जो कि संपूर्ण अवर-न्यायपालिका के स्तर को उन्नत कर सकेंगे । इस प्रकार नियुक्त कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए । उच्चतर न्यायपालिका के शेष अंश में बहाली, हमारे विचार से अंशतः सीधे, बार के वरीय सदस्यों में से, और अंशतः निम्न अवर-न्यायपालिका में से प्रोन्नति के द्वारा की जानी चाहिए ।"

33.104. इसका उल्लेख करने के बाद, विधि आयोग ने अध्याय 9 के अनुच्छेद 52 से लेकर आगे तक अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्ति की स्कीम पर विचार किया है, और कंडिका 67 में अपनी राय निम्नलिखित रूप में व्यक्त की है :—

> "जहाँ तक राज्य न्यायिक सेवा, श्रेणी 1 (उच्चतर न्यायिक सेवा) की बात है, हमारा सुझाव है कि इन पदों का 40 प्रतिशत हमारे द्वारा प्रस्तावित भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षित कर दिया जाए । शेष 60 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत राज्य न्यायिक सेवा, श्रेणी 2 (अवर-न्यायिक-सेवा) की पंक्ति में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए छोड़ दिया जाए और 30 प्रतिशत यथेष्ट वरीयता और स्थिति वाले बार के सदस्यों में से सीधी भरती द्वारा भरा जाए । हमने जिस अनुपात का सुझाव दिया है उसमें, आसाम और उड़ीसा जैसे छोटे-छोटे राज्यों की दशा में जहाँ जिला न्यायाधीशों की संख्या कम है, समुचित हेर-फेर करना पड़ सकता है । ऐसे राज्यों के लिए एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि दो राज्यों का एक संयुक्त संवर्ग हो, जिसमें एक बड़ा राज्य और एक छोटा पड़ोसी राज्य साथ-साथ रखा जाए ।"

33.105. इसके बाद अध्याय 9 की कंडिका 65 और 87 से 91 तक में आयोग ने जिला न्यायाधीशों के वेतनमान पर विचार किया है । कंडिका 87 में आयोग का कथन इस प्रकार है :—

> "अनेक राज्यों में जिला न्यायाधीशों का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान के बराबर कर दिया गया है, यथा 800—50—1,000—60—1,300—50—1,800 रु० । आंध्र प्रदेश और मद्रास

जैसे कुछेक राज्यों में यह 1,000 रु० से शुरू होता है। किन्तु मैसूर में जिला न्यायाधीश का वेतनमान 900—50—1,300 रु० और असम में 800—50—1,500 रु० है, केरल में उनका वेतनमान 850—1,300 रु० है। हमारे विचार से ये सभी वेतनमान काफी कम हैं। स्मरणीय है कि असम और मैसूर जैसे राज्यों में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उच्चतर वेतनमान दिया जाता है। जिला न्यायाधीश को जो जिला न्यायपालिका का प्रधान है, जिला कार्यपालिका के प्रधान समाहर्त्ता से काफी कम वेतन दिया जाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि इन राज्यों में इनका वेतनमान बढ़ाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान के बराबर कर दिया जाए, जैसा कि शेष भारत में किया गया है।"

33.106. यह समिति ऐसा नहीं समझती कि कंडिका 87 में ऐसी अनुशंसा की गयी है कि सिद्धांततः सभी राज्यों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान से सदैव जुड़ा रहना चाहिए और यह बात इस अध्याय के अन्य भागों में विवेचित बातों से स्पष्ट है। प्रतिवेदन की कंडिका 65 से यह स्पष्ट होता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान/वेतनमानों से स्थायी रूप से नहीं जुड़ा रहा। कंडिका 65 में कहा गया है कि—

"हमने जिस स्कीम का प्रस्ताव दिया है उसमें भारतीय न्यायिक सेवा के पदों के वेतनादि वही होंगे जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। इसलिए, मजिस्ट्रेट, मुंसिफ और अवर-न्यायाधीश के रूप में काम करते समय ये पदाधिकारी, राज्य सेवा के अपने समरूप पदाधिकारियों से अधिक वेतन पाएंगे। किन्तु जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाने पर उनका पारिश्रमिक वही हो जाएगा जो कि इस पद के धारक ऐसे पदाधिकारियों का होगा जो कि भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्य नहीं हैं।"

33.107. विधि आयोग ने अवर-न्यायपालिका के संबंध में अपनी अनुशंसाओं का समाहार अध्याय 9 के अनुच्छेद 130 में प्रस्तुत किया है, और इन अनुशंसाओं में, सुझावों को गिनाया भी गया है, जिससे पता चलता है कि आयोग ने जिला न्यायाधीशों के वेतनमान को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान के साथ सिद्धांततः नहीं जोड़ा है, हालांकि आयोग ने न्यायिक सेवा, श्रेणी-1 के कार्मिकों के लिये 800—1,800 रु० तक की वृद्धि की अनुशंसा की है। अवश्य ही यह इस दृष्टिकोण से किया गया होगा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा के मौजूदा उच्च वेतनमान (800—1,800 रु०) से कम नहीं होना चाहिए। कंडिका 130 के खंड 43 से यह स्पष्ट हो जाता है जो कि इस प्रकार है—

"जिला न्यायाधीश का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए।"

कंडिका 65 और कंडिका 130 के खंड 43 से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय विधि आयोग ने ऐसी स्थिति पर विचार किया है कि उनके द्वारा प्रस्तावित भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्यों का वेतनमान राज्य न्यायिक सेवा, श्रेणी-1 के सदस्यों (जो कि भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्य नहीं हैं) के वेतनमान से भिन्न हो सकता है।

33.108. राज्य की द्वितीय पुनरीक्षण समिति (1964) ने पाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान में हाल ही में जो परिवर्त्तन किया गया वह जिला न्यायाधीशों पर लागू नहीं किया गया। इसलिए द्वितीय पुनरीक्षण समिति ने कंडिका 417 में कहा है कि—

"भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान में हाल ही में जो परिवर्त्तन किया गया है वह जिला न्यायाधीशों पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमलोगों का विचार है कि इस सिद्धांत से हटने का तथा जिला न्यायाधीशों को उस वेतन लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए स्वीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में, भारतीय प्रशासनिक सेवा का 900—1,800 रु० का पुनरीक्षित वरीय वेतनमान जिला न्यायाधीशों पर भी लागू होना चाहिए। राज्य के वरीय पदों में से, वरीय काल वेतनमान की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान वाले पदों को घटाकर उसके 20 प्रतिशत पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवरण पद होंगे। हमारा ख्याल है कि जिला न्यायाधीशों के लिये प्रवरण पद समान अनुपात में स्वीकृत किया जाना चाहिए।"

जोड़ 1,800—2,000 रु० के वेतनमान में प्रवरण कोटि के पदों के सृजन पर दिया गया था, जहां एक भी ऐसा पद नहीं था।

33.109. राज्य की तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के वेतनमान के प्रश्न पर अपने प्रतिवेदन के अध्याय 12 की कंडिका 42 से 45 तक में विचार किया है। समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान के साथ जिला न्यायाधीशों के वेतनमान की समता की अनुशंसा की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में 20 प्रतिशत प्रवर कोटि के पदों के विषय में समिति ने 2,050—100—2,450 रु० के वेतनमान की अनुशंसा इन शब्दों में की है :—

"उच्च न्यायिक सेवा और अन्य राज्य सेवाओं में तुलनात्मक प्रोन्नति की संभावनाओं का विचार करते हुए तथा उच्च न्यायिक सेवा के उच्चतर वेतनमान वाले पदों के लिये प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के ख्याल से, और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ उच्च न्यायिक सेवा की दीर्घकाल से स्थापित अनुरूपता का भी विचार करते हुए, हम अनुशंसा करते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संवर्ग में 20 प्रतिशत पद 2,050—100—2,450 रु० के वेतनमान में प्रवरण कोटि के पद बना दिये जाएं। वैसे वेतन की मांग से सहमत होना संभव नहीं है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को सुलभ है, क्योंकि राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पदों के लिये उपबंधित अधिकतम वेतनमान 2,050—100—2,450 रु० है। प्रवरण कोटि के लिए हमने जिस वेतनमान की अनुशंसा की है वह अन्य राज्यों की समान कोटियों के पदों से अच्छी तरह तुलनीय है।"

33.110. समिति को यह पता है कि कुछ दूसरे राज्यों में जिला न्यायाधीशों के लिये उच्चतर वेतनमान की व्यवस्था है। समिति उसका उल्लेख यहां करती है :—

(क) हरियाणा—जिला न्यायाधीश का एक पद 2,500—2,750 रु० के वेतनमान में था ;

(ख) पंजाब—जिला न्यायाधीश के उच्च प्रवर कोटि का एक पद 2,500—2,750 रु० के वेतनमान में था।

33.111. तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने 56 वेतनमानों की अनुशंसा की थी जिसमें उच्चतम वेतनमान इस सेवा के लिये 2,050—2,450 रु० का था और तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन पाने के कुछ समय बाद राज्य सरकार ने 2,500—2,750 रु० का एक उच्चतर वेतनमान लागू किया। किन्तु यह वेतनमान जिला न्यायाधीशों के लिये काफी समय बाद, 1976 में लागू किया गया।

33.112. जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की तुलनात्मक स्थिति 1964 से अब तक इस प्रकार हैं—बिहार की द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन की तारीख (29 फरवरी 1964) को जिला न्यायाधीशों का वेतन वही था जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरीय वेतनमान था, अर्थात् 900—1,800 रु०। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1 मार्च 1962 से एक प्रवर कोटि हुई जिसका वेतनमान 1,800—2,000 रु० था। यह जिला न्यायाधीशों को सुलभ नहीं था। दिनांक 1 जनवरी 1973 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान को पुनरीक्षित कर 1,800—2,000 रु० और प्रवर कोटि का वेतनमान पुनरीक्षित कर 2,000—2,250 रु० किया गया। 1 जनवरी 1973 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश का वेतनमान भी पुनरीक्षित कर 1,200—2,000 रु० किया गया और प्रवर कोटि का वेतनमान 2,000—2,250 रु० किया गया। बाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पुनरीक्षित वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी 1971 से लागू किया गया, जिसका कारण समिति को स्पष्ट नहीं हो सका है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकाल वेतनमान 2,500—2,750 रु० दिनांक 1 सितम्बर 1965 से लागू किया गया था। यह वेतनमान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिये 27 नवम्बर 1976 से लागू हुआ अथवा उन तारीखों से लागू हुआ जिन तारीखों को अधिकाल वेतनमान के पद भरे गये। वास्तव में, एक अवकाश-प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह से एक शिकायत समिति को मिली है कि चूंकि वे 31 मार्च 1975 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये इसलिये उन्हें 2,500—2,750 रु० के अधिकाल वेतनमान का लाभ नहीं मिला। यहां यह लिख देना उचित होगा कि समिति ने श्री सिंह के अनुरोध के सम्बन्ध में उनकी सुनवाई की। श्री सिंह का आशय यह था कि समिति राज्य सरकार से अनुशंसा करे कि अधिकाल वेतनमान उस तारीख से लागू किया जाय जिस तारीख से यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर लागू किया गया है, अथवा कम-से-कम उस तारीख से जिस तारीख को श्री सिंह उस वेतन के हकदार हुए। श्री सिंह के अनुसार यदि राज्य सरकार उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेती है तो उनकी पेंशन की राशि में लाभ होगा। इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति की यह राय है कि इस मामले में कोई अनुशंसा करना उसके लिये संभव नहीं है।

33.113. भारत के विभिन्न राज्यों और राज्य क्षेत्रों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के वेतनमान के सम्बन्ध में, समिति ने जो जानकारी प्राप्त की है वह निम्नलिखित है :—

| क्रम सं०। | राज्य का नाम। | जिला न्यायाधीश का वेतनमान। | लागू होने की तारीख। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बिहार .. | (1) 1,200—50—1,300—60—1,600—द० रो०—60—1,900—100—2,000 रु०। | 1 जनवरी 1971। |
| | | (2) 2,000—125/2—2,250 रु० (जिला न्यायाधीश प्रवर कोटि) | 1 जनवरी 1971। |
| | | (3) 2,500—125/2—2,750 (दो पद) (जिला न्यायाधीश अधिकाल वेतनमान) (चलायमान पद)। | 27 नवम्बर 1976 या पदों के भरे जाने की तारीख में जो बाद में पड़ता हो। |
| 2 | उत्तर प्रदेश .. | (1) 1,000—50—1,350—द० रो०—75—1,650—द० रो०—75—1,950—50—2,000 रु०। | 1 अगस्त 1972। |
| | | (2) 1,900—50—1,950—75—2,250 रु० (प्रवर कोटि)। | |
| 3 | हरियाणा .. | (1) 900—50—1,000/50—1,600/50—1,800 रु० | 1 फरवरी 1969 |
| | | (2) 1,800—100—2,000 रु० (एक पद) | |
| | | (3) 2,500—125/2—2,750 रु० (एक पद) (इसमें जिला/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामिल हैं)। | |

| क्रम संख्या। | राज्य का नाम। | जिला न्यायाधीश का वेतनमान। | लागू होने की तारीख। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | मध्य प्रदेश .. | (1) 1,200—2 000 रु० (44) .. .. | 1 जनवरी 1973। |
| | | (2) 2,000—2,250 रु० (6) .. .. | 1 जनवरी 1973। |
| | | (3) 2,500—2,750 रु० (3) .. .. | 1 जनवरी 1972। |
| 5 | जम्मू और कश्मीर .. | (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश: 1,100—1,600 रु० .. | 1 जुलाई 1972। |
| | | (2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश: 1,400—1,900 रु० .. | 1 जुलाई 1972। |
| 6 | नागालैंड .. | 1,400—70—1,750—द० रो०—75—1,900 रु० (मुख्य न्यायाधिकारी के रूप में नामोदिष्ट), जिला एवं सत्र स्तर के मामलों का निपटाव। | 1 अप्रील 1974। |
| 7 | असम .. | 1,400—60—1,640—द० रो०—65—1,900 रु० | 1 जनवरी 1973। |
| 8 | आंध्र प्रदेश .. | (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रेणी-II : 1,800—2,500 रु० | 1 अप्रील 1978। |
| | | (2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रेणी-I : 2,500—2,750 रु० | |
| राजस्थान, उच्चतर न्यायिक सेवा | | | |
| 9 | राजस्थान .. | (1) 1,350—50—1,600—60—2,250 रु० .. | 1 सितम्बर 1976। |
| | | (2) 2,500 रु० (नियत-प्रवर कोटि के पदाधिकारी) .. | 1 सितम्बर 1976। |
| 10 | केरल .. | (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश—मूल वेतनमान : 1,650—2,175 रु०। | 1 जुलाई 1978। |
| | | (2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवर कोटि) : 2,000—2,250 रु०। | |
| 11 | सिक्किम .. | जिला एवं सत्र न्यायाधीश अन्यत्र कहीं से प्रतिनियुक्ति पर हैं .. | .. |
| 12 | तामिलनाडू .. | (1) 1,600—75—1,750—100—2,250 रु० (जिला और सत्र न्यायाधीश, श्रेणी-II के रूप में पदनामित)। | 1 अप्रील 1978। |
| | | (2) 2,000—125—2,500 रु० (जिला और सत्र न्यायाधीश, श्रेणी-I के रूप में पदनामित। | |
| 13 | उड़ीसा .. | उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरीय शाखा)—उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1963 के उपबंधों के अनुसार भा० प्र० से० के सदस्यों को समय-समय पर लागू होनेवाला वरीय कालमान वेतन। | 1 जनवरी 1974। |
| 14 | पश्चिम बंगाल .. | पश्चिम बंगाल उच्चतर न्यायिक सेवा मूल वेतनक्रम— | 1 अप्रील 1970। |
| | | (1) 1,200—50—1,300—60—1,600—द० रो०—प्रवर कोटि—60—1,900—100—2,000 रु०। | 1 मार्च 1974। |
| | | (2) 2,500—125/2—2,750 रु० (अधिकाल वेतनमान) | 25 अप्रील 1977। |
| 15 | गुजरात .. | जिला एवं सत्र न्यायाधीश— | |
| | | (1) 1,300—2,000 रु०। | |
| | | (2) 2,000—2,500 रु० (प्रवर कोटि) (दो पद)। | |
| | | (3) अपर निबंधक उच्च न्यायालय : 2,500—125/2—2,750 रु० (अपुनरीक्षित)। | 1973 में पुनरीक्षित नहीं किया गया। |
| 16 | कर्नाटक .. | 2,000—2,500 रु० .. .. | 1 जनवरी 1977। |
| 17 | दिल्ली .. .. | जिला एवं सत्र न्यायाधीश : 1,200—2,000 (मूल कोटि), 2,000—2,250 (प्रवर कोटि), 2,500—2,750 रु० (उच्च प्रवर कोटि)। | 1 जनवरी 1973। |
| 18 | पंजाब .. .. | उच्च न्यायिक सेवा (मूल कोटि)— 900—50—1,000—60—1,600—50—1,800 रु०। | |
| | | कनीय प्रवर कोटि— 1,800—100—2,000 रु० .. .. | 1 फरवरी 1968। |
| | | वरीय प्रवर कोटि— 2,500—125/2—2,750 रु० | |

33.114. तदनुसार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारत के विधि आयोग का यह अभीष्ट नहीं था कि जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के वेतनमानों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान के साथ हमेशा जुड़ा होना चाहिए। वास्तव में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पुनरीक्षित वेतनमान बिहार राज्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के मामले में अपने आप लागू नहीं होते हैं और जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान बढ़ता है तो जिला न्यायाधीशों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान लागू कराने के लिए समय-समय पर अलग से तदर्थ आदेश निर्गत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को उपलब्ध अनेक सुविधायें जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उपलब्ध नहीं हैं, यथा—छुट्टी, यात्रा कन्सेशन। विभिन्न राज्यों की मौजूदा स्थिति का जो तुलनात्मक आंकड़ा ऊपर दिया गया है उससे भी किसी एकरूपता का पता नहीं चलता। आखिरकार उच्च न्यायिक सेवा राज्य की सेवा है और कोई कारण नहीं कि इसके लिए कोई केन्द्रीय वेतनमान लागू किया जाए। सामान्य सिद्धान्त वाले अध्याय में समिति इस बात का विवेचन कर चुकी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमानों को राज्य सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू करने की जरूरत नहीं है, और राज्य सेवाओं के वेतनमान स्वतंत्र रूप से निर्णीत किए जाने चाहिए। इसलिए समिति ने उच्च न्यायिक सेवा के लिए जिन वेतनमानों की अनुशंसा की है उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान से जोड़े बिना ही किया है।

**श्रम-सेवा**

33.115. बिहार श्रम-सेवा में सामान्य शाखा है और एक तकनीकी शाखा। तकनीकी शाखा में कारखानों के निरीक्षणालय एवं ब्वायलरों के निरीक्षणालय के पदाधिकारी आते हैं। इन तीनों शाखाओं के कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों, वेतनमानों और प्रोन्नति की संभावनाओं पर नीचे विचार किया गया है :—

**(क) श्रम-सेवा—सामान्य**

33.116. बिहार श्रम-सेवा की सामान्य शाखा की पद कोटि इस प्रकार है :—

| स्तर। | पंक्ति/पदनाम। | वेतनमान। | पदों की संख्या। | उच्च स्तरों पर पदों का प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | श्रम अधीक्षक .. .. .. | 510—1,155 | 112 | .. |
| 2 | सहायक आयुक्त .. .. .. | 620—1,415 | 18 | 13 प्रतिशत। |
| 3 | श्रम उपायुक्त .. .. .. | 1,060—1,580 | 6 | 5 प्रतिशत। |
| 4 | संयुक्त श्रम आयुक्त .. .. .. | 1,340—1,870 | 4 | 2.5 प्रतिशत। |
| | प्रोन्नति पदों का कुल जोड़ .. | .. | 28 | 20.5 प्रतिशत। |
| | संवर्ग का कुल जोड़ .. | . | 140 | 100.00 प्रतिशत। |

(पदों की जो संख्या दी गई है उसका आधार श्रम एवं नियोजन विभाग का पत्र सं० 852, दिनांक 4 मई 1979। प्रोन्नत पदों का प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 के अनुसार है।)

33.117. पहले श्रम-सेवा में नीचे का एक और स्तर था, कनीय श्रेणी II जिसका वेतनमान था 455—840 रु०। इस स्तर का वेतनमान वरीय श्रेणी II के वेतनमान 510—1,155 रु० में 1 अप्रील 1975 से उत्क्रमित कर दिया गया है, और तब से कनीय श्रेणी II के पद नहीं रह गए हैं।

33.118. 75 प्रतिशत तक श्रम अधीक्षक की भरती प्रोन्नति द्वारा की जाती है और 25 प्रतिशत की भरती सीधे बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है। सभी उच्चतर स्तर के पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.119. बिहार श्रम-सेवा (सामान्य) संघ ने इस समिति के समक्ष ज्ञापन पेश किया है तथा समिति द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर भी भेजा है। ये लोग विचार-विमर्श में भी सम्मिलित हुए। इन लोगों ने राज्य के औद्योगिक और कृषि संबंधी विकास तथा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार के वादों के संदर्भ में अपनी सेवा के महत्त्व पर जोर दिया। इन लोगों की मुख्य शिकायतें रही हैं अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाओं की तुलना में प्रोन्नति की संभावनाओं में भेद-भाव और विभागाध्यक्ष के पद से उनकी सेवा को वंचित रखना। दूसरे शब्दों में, इन लोगों का अनुरोध है कि अन्य सेवाओं की तरह 20 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की सीमा तक प्रोन्नति की संभावना दी जाए और यह भी अनुरोध किया है कि श्रमायुक्त का पद उन्हीं की सेवा के पदाधिकारी द्वारा भरा जाए।

**(ख) कारखाना निरीक्षणालय**

33.120. कारखाना निरीक्षणालय के पदाधिकारियों का मौजूदा पदानुक्रम इस प्रकार है :—

| स्तर। | श्रेणी/पदनाम। | वेतनमान। | पदों की संख्या। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | कारखाना निरीक्षक, कारखाना के रासायनिक निरीक्षक और उत्पादकता पदाधिकारी। | 510—1,155 | 28 |
| 2 | कारखाना निरीक्षक, कारखाना रासायनिक निरीक्षक और उत्पादकता पदाधिकारी (प्रवर कोटि)—प्रारम्भिक स्तर पर 20 प्रतिशत पद। | 620—1,415 | 7 |
| 3 | कारखाना के उप-मुख्य निरीक्षक .. .. | 1,060—1,580 | 3 |
| 4 | कारखाना के मुख्य निरीक्षक .. .. .. | 1,340—1,870 | 1 |
| | प्रोन्नति योग्य कुल पदों की संख्या .. | .. | 11 |
| | संवर्ग का कुल योग .. .. | .. | 39 |

(पदों की संख्या श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या 3764, दिनांक 30 अक्तूबर 1978 पर आधारित है। प्रवर कोटि का प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636, दिनांक 30 नवम्बर 1972 के अनुसार है।)

33.121. कारखाना निरीक्षक स्तर पर सभी भरती सीधे बिहार लोक-सेवा आयोग के आम विज्ञापन द्वारा होती हैं। ऐसी भरती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि लब्धांक और साक्षात्कार के आधार पर होती है। उम्मीदवार को अभियन्त्रण, प्रौद्योगिकी या मेडिसिन की किसी प्रशाखा में डिग्रीधारी होना आवश्यक है। उच्चतर स्तर के सभी पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.122. पूर्वोक्त संवर्गों के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार श्रम-सेवा (तकनीकी) संघ ने इस समिति को एक ज्ञापन और समिति की प्रश्नावली के उत्तर भी भेजे हैं। ये लोग विचार-विमर्श में भी सम्मिलित हुए। इन लोगों ने कारखाने के महत्त्व और राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर प्रकाश डाला और प्रोन्नति की संभावनाएं अपर्याप्त होने की शिकायत की। इन लोगों ने प्रोन्नति की उन्हीं संभावनाओं के लिए अनुरोध किया है जो कि राज्य की अन्य सेवाओं के मामले में उपलब्ध हैं, अर्थात् क्रमशः 20 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की सीमा तक प्रोन्नति। इन लोगों ने दावा किया है कि इन्हें अभियंताओं से ऊपर रखा जाए, साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि मुख्य कारखाना निरीक्षक को विभागाध्यक्ष बनाया जाए।

## (ग) वाष्पित्र (बॉयलर) निरीक्षणालय

33.123. वाष्पित्र (बॉयलर) निरीक्षणालय के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| स्तर। | श्रेणी/पदनाम। | वेतनमान। | पदों की संख्या। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | वाष्पित्र निरीक्षक .. .. .. | 510—1,155 | 7 |
| 2 | वाष्पित्र निरीक्षक (संवर्ग के 20 प्रतिशत प्रवर कोटि) .. | 620—1,415 | 2 |
| 3 | मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक .. .. .. | 1,060—1,580 | 1 |
| | प्रोन्नति के कुल पदों की संख्या .. .. | .. | 3 |
| | संवर्ग का कुल योग .. .. | .. | 10 |

(पदों की संख्या श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या 4166, दिनांक 20 अक्तूबर 1978 के आधार पर दी गई है। प्रवर कोटि का प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 के अनुसार है।)

33.124. वाष्पित्र निरीक्षकों का संवर्ग बहुत छोटा है। समिति को इनसे कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

### खनन संवर्ग

33.125. खान निदेशालय के मुख्यालय के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी और उनके वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| स्तर। | श्रेणी/पदनाम। | वेतनमान। | पदों की संख्या। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | सहायक खनन पदाधिकारी .. .. .. | 510—1,155 | 28 |
| 2 | जिला खनन पदाधिकारी .. .. .. | 620—1,415<br>890—1,415 | 16 |
| 3 | उप-निदेशक .. .. .. | 1,340—1,870 | 7 |
| 4 | निदेशक .. .. .. | 2,050—2,450 | 1 |

(पदों की संख्या खनन एवं भूतत्व विभाग के पत्र सं० 389, दिनांक 1 फरवरी 1980 के आधार पर दी गई है।)

33.126. सहायक खनन पदाधिकारियों की बहाली 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत लोक-सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा होती है। प्रोन्नति खनन निरीक्षकों में से दी जाती है। सीधी भरती ऐसे उम्मीदवारों में से की जाती है जिन्हें खनन अभियन्त्रण की डिग्री तथा उस विषय का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव हो।

33.127. जिला खनन पदाधिकारी के पद भी सीधी भरती द्वारा तथा प्रोन्नति द्वारा भी भरे जाते हैं। सीधी भरती वाले जिला खनन पदाधिकारियों का वेतनमान 620—1,415 रु० है, जबकि प्रोन्नत जिला खनन पदाधिकारियों का वेतनमान 890—1,415 रु० है। सीधी भरती के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण अब सभी पद प्रोन्नति द्वारा भर लिए गए हैं।

33.128. उप-निदेशकों और निदेशक स्तर के सभी पद जिला खनन पदाधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर जितने पदों का सृजन हुआ है उनकी संख्या प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार होती है, न कि कुल संवर्ग सम्बन्धी किसी निर्धारित प्रतिशत के आधार पर। दूसरे शब्दों में इस संवर्ग में प्रवर कोटि नहीं है।

33.129. खान विभाग के पदाधिकारियों ने इस समिति के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और विचार-विमर्श में भी सम्मिलित हुए हैं। वे इस बात के लिए दु:खी हैं कि यद्यपि वे सभी अभियंता हैं तथा बिहार अभियंता सेवा संघ के सदस्य भी हैं, किन्तु प्रोन्नति की सभी सम्भावनाएं, विशेष कर अभियंत्रण सेवा तथा अन्य सेवाओं में प्रचलित विभिन्न प्रवर कोटि के पद अब तक उन लोगों के लिए नहीं किए गए हैं। उनका अनुरोध है कि तीन उच्चतर स्तरों पर क्रमश: 20 प्रतिशत, 12½ प्रतिशत और 2½ प्रतिशत की सीमा तक प्रोन्नति योग्य पद दिए जाएं। उनका यह भी अनुरोध है कि निदेशक के लिए अभियंता प्रमुख के बराबर उच्चतर वेतनमान दिया जाए।

**आरक्षी सेवा (पुलिस सर्विस)**

33.130. बिहार आरक्षी सेवा में निम्नलिखित तीन विभिन्न स्तर हैं :—

| स्तर। | कोटि। | वेतनमान। | पदों की कुल संख्या। | प्रोन्नति योग्य स्तरों के लिए निर्धारित प्रतिशत। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | मूल कोटि .. .. .. | 510—1,165 | 266 | .. |
| 2 | कनीय प्रवर कोटि .. .. | 620—1,415 | 26 | 10 प्रतिशत। |
| 3 | वरीय प्रवर कोटि .. .. | 1,060—1,580 | 26 | 10 प्रतिशत। |
| | प्रोन्नति योग्य कुल पद .. .. | .. | 52 | 20 प्रतिशत। |
| | संवर्ग का कुल योग .. | .. | 318 | 100 प्रतिशत। |

(प्रोन्नति योग्य स्तरों का प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2521-वि०, दिनांक 11 अप्रील 1977 के अनुसार है। विभिन्न स्तरों के पदों की संख्या गृह आरक्षी विभाग के पत्र संख्या 11899, दिनांक 12 सितम्बर 1979 पर आधारित है।)

33.131. प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा केवल सीधी भरती ही नहीं होती, बल्कि लोक-सेवा आयोग के माध्यम से उपयुक्त निरीक्षकों, सूबेदारों, सूबेदार-मेजरों और सर्जेन्ट-मेजर में से भी प्रोन्नति द्वारा होती है, उच्चतर स्तरों के पद भी नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.132. इस सेवा के कनीय प्रवर और वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान पहले क्रमश: 620—1,235 रु० और 890—1,415 रु० थे, जो बहुत-सी अन्य सेवाओं के समान पदों के वेतनमान से कम थे। इन वेतनमानों को 1 मई 1980 से उत्क्रमित कर 620—1,415 रु० और 1,060—1,580 रु० कर दिया गया है जो अधिकांश अन्य राज्य सेवाओं के समान हैं।

33.133. पूर्व में कनीय प्रवर कोटि और वरीय प्रवर कोटि पर प्रोन्नति के लिए जो प्रतिशत था वह कुल संवर्ग का 7.5 प्रतिशत था। 1 जनवरी 1977 से दोनों कोटियों के मामले में इसका प्रतिशत बढ़ाकर संवर्ग का 10 प्रतिशत कर दिया गया है (देखें, पूर्वोक्त संकल्प)।

33.134. बिहार आरक्षी सेवा के सदस्यों को आगे भी भारतीय आरक्षी सेवा में प्रोन्नति का मार्ग है जिसमें उनलोगों के लिए 41 पद आरक्षित हैं।

33.135. बिहार आरक्षी सेवा संघ ने इस समिति के पास एक ज्ञापन दिया है तथा समिति की प्रश्नावली का उत्तर भी भेजा है। उनकी मुख्य शिकायत यह बतायी गई है कि अन्य सेवाओं की प्रोन्नति की अवसरों की तुलना में उन्हें प्रोन्नति के अवसर और प्रोन्नति स्तरों के वेतनमानों के संबंध में भेदभाव बरता जाता है। उनकी मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं :—

(*i*) प्रारम्भिक स्तर पर अन्य मुख्य राज्य सेवाओं की तरह उन्हें भी वही वेतनमान दिया गया है, अर्थात् 510—1,155 रु०; किन्तु उन्हें कनीय और वरीय प्रवर कोटियों के स्तरों पर तुलनात्मक दृष्टि से कम वेतनमान दिया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, राज्य सरकार ने इस विषमता को दूर कर दिया है।

(*ii*) राज्य सेवाओं में प्रोन्नति के कम-से-कम तीन स्तर हैं, किन्तु उन्हें मात्र दो स्तर दिए गए हैं तथा उन्हें अधिकाल वेतनमान अथवा उच्च प्रवर कोटि से वंचित रखा गया है।

(*iii*) असैनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा और अभियंत्रण सेवा जैसी राज्य की अन्य मुख्य सेवाओं में 20, 12½ और 2½ प्रतिशत तक प्रोन्नति सम्बन्धी अवसर दिए गए हैं, किन्तु उन्हें कनीय प्रवर कोटि और वरीय प्रवर कोटि के स्तर पर मात्र 10 प्रतिशत प्रोन्नति के अवसर दिए गए हैं तथा उनके लिए अधिकाल वेतनमान के पद सृजित नहीं किए गए हैं।

33.136. संक्षेप में, समिति के समक्ष उनका यह अभिकथन है कि उनकी योग्यता, कार्य का स्वरूप और दायित्व राज्य की अन्य सेवाओं की तुलना में किसी भी तरह निम्न नहीं हैं, फिर भी उनके साथ वेतन और प्रोन्नति के अवसर विषयक मामले में भेदभाव बरता गया है। उन्होंने न केवल सभी स्तरों पर उच्चतर वेतनमानों के लिए अनुरोध किया है बल्कि कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि तथा उच्च प्रवर कोटि के स्तर पर क्रमश: कम-से-कम 20, 12½ और 2½ प्रतिशत प्रोन्नति के अवसर के लिए भी अनुरोध किया है।

33.137. उन्होंने भारतीय आरक्षी सेवा के वरीय वेतनमान से उच्चतर वेतनमान, जो उन्हें पार्श्विक रूप से मिलता है, में स्वतंत्र प्रोन्नति-मार्ग के लिए अनुरोध किया है। इस अनुरोध का आधार यह है कि भारतीय आरक्षी सेवा की मौजूदा संवर्ग-स्थिति के अधीन किसी भी प्रोन्नत पदाधिकारी के लिए सेवा-निवृत्ति के पहले प्रवर कोटि से उच्चतर स्तर पाने का कोई अवसर नहीं है, जबकि अधिकांश सेवाओं में कम-से-कम कुछ सदस्यों के लिए काफी उच्चतर स्तर तक प्रोन्नत हो जाना सुनिश्चित है।

**निबन्धन सेवा**

33.138. बिहार-निबंधन सेवा में अवर-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) से निबंधन उप-महानिरीक्षक तक के पदाधिकारी हैं। जैसा कि निम्नलिखित विवरण से प्रतीत होगा ये पदाधिकारी तीन भिन्न-भिन्न वेतनमान स्तर के हैं :—

| स्तर। | श्रेणी। | पदनाम। | वेतनमान। | पदों की कुल संख्या। | अभ्युक्ति। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | रु० | | |
| 1 | मूल कोटि .. | अवर-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार); जिला अवर-निबंधक। | 510—1,155 | 127 | |
| 2 | प्रवर कोटि .. | जिला अवर-निबंधक/प्रमंडलीय निरीक्षक (प्रतिमाह 100 रु० की दर से विशेष वेतन भी पाते हैं), सहायक आरक्षी महानिरीक्षक। | 620—1,415 | 26 | संवर्ग की कुल संख्या का ⅙वां हिस्सा (देखें वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 4013, दिनांक 28 अप्रील 1977)। |
| 3 | .. | उप-निबंधक महानिरीक्षक .. | 1,060—1,580 | 1 | |
| | | प्रोन्नति योग्य पदों की कुल संख्या। | | 27 | |
| | | संवर्ग का कुल योग | | 154 | |

(पदों की संख्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की निबन्धन शाखा द्वारा जारी पत्र संख्या 3056, दिनांक 22 सितम्बर 1979 के अनुसार है)।

33.139. पहले अवर-निबन्धक 348—600 रु० के वेतनमान में थे। इसमें 415—745 रु० के वेतनमान में प्रवर कोटि थी। केवल जिला अवर-निबन्धक ही 510—1,155 रु० के वेतनमान में थे। किन्तु 1 मई 1977 से इन तीनों वेतनमानों का विलयन हो गया है और इस प्रकार अवर-निबन्धक की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) अब 510—1,155 रु० हो गयी है।

33.140. प्रारम्भिक स्तर पर, 75 प्रतिशत के लिये अवर-निबन्धकों की सीधी भरती बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती है और शेष 25 प्रतिशत को अनुसचिवीय कर्मचारियों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। उच्चतर स्तर पर सभी पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

33.141. बिहार निबन्धन पदाधिकारी संघ ने इस समिति के पास एक ज्ञापन दिया है और विचार-विमर्श में सम्मिलित भी हुआ है। उन लोगों ने अन्य सेवाओं की तुलना में अपनी सेवाओं के लिए प्रोन्नति के अवसर के कथित अभाव की चर्चा मुख्य रूप से की है और यह अनुरोध किया है कि राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के विभिन्न स्तरों के सदृश्य समान वेतनमान और प्रोन्नति के समान प्रतिशत के साथ अधिकाल वेतन मान तक उच्चतर प्रोन्नति के स्तर दिए जाएं।

**सांख्यिकी संवर्ग**

33.142. सांख्यिकी निदेशालय के श्रेणी I और II के पदाधिकारी विभिन्न स्तरों और वेतनमानों में इस प्रकार हैं :—

| स्तर। | पदनाम। | पदों की संख्या। | | वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | | | रु० |
| 1 | अवर-प्रमंडलीय सांख्यिकी पदाधिकारी .. .. .. | 10 | 79 | 510—1,155 |
| | जिला सांख्यिकी पदाधिकारी .. .. .. | 15 | | |
| | सहायक निदेशक .. .. .. .. | 54 | | |
| 2 | उप-निदेशक .. .. .. .. | | 11 | 620—1,415 |
| 3 | संयुक्त निदेशक .. .. .. .. | | 5 | 1,060—1,680 |
| 4 | वरीय संयुक्त निदेशक .. .. .. | | 1 | 1,340—1,870 |

(सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त पत्र सं० 2468, दिनांक 18 नवम्बर 1978 और 1374, दिनांक 19 अप्रील 1980 से संकलित)।

33. 143. पहले, पदानुक्रम में इससे भी निम्न स्तर का वेतनमान 455—840 रु० था। इस स्तर में श्रेणी II के कनीय पदाधिकारी थे। इस स्तर का वेतनमान 510—1,155 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिया गया है और इस प्रकार ऐसे स्तर के सभी निम्नतर पद 1 जनवरी 1977 से वर्त्तमान मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) के साथ मिला दिए गए हैं।

33.144. प्रारंभिक स्तर पर कम-से-कम 50 प्रतिशत की भर्त्ती सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के बीच से प्रोन्नति द्वारा की जाती है और शेष पदों पर बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली सीधे कर ली जाती है। ऐसी बहाली उन उम्मीदवारों से की जाती है, जिनके पास विनिर्दिष्ट विषयों में कम-से-कम स्नातकोत्तर की डिग्री रहती है। उप-निदेशक के स्तर पर भी, 50 प्रतिशत पद पूर्वोक्त प्रारम्भिक स्तर से ही प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष 50 प्रतिशत पदों पर बहाली लोक-सेवा आयोग द्वारा उन उम्मीदवारों से सीधे कर ली जाती है जो प्रारंभिक स्तर पर सीधी भर्त्ती के लिए विहित योग्यता के अलावा कम-से-कम पांच वर्षों का अनुभव रखते हैं। संयुक्त निदेशक और वरीय संयुक्त निदेशक के पद नीचे से प्रोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं।

33.145. बिहार सांख्यिकी राजपत्रित सेवा संघ ने इस समिति के पास एक ज्ञापन दिया है और समिति को प्रश्नावली का उत्तर भी भेजा है। ये लोग विचार-विमर्श में भी सम्मिलित हुए। जीवन-यापन सूचकांक में वृद्धि के आधार पर वेतनमान की मांग के अलावा इनलोगों का अनुरोध है कि इन्हें मौजूदा उच्चतम स्तर के बाद आगे भी प्रोन्नति-स्तर दिया जाए और यह भी अनुरोध किया है कि वर्त्तमान में भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी द्वारा धारित सांख्यिकी निदेशक का पद सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा भरा जाए। इनलोगों का यह भी अनुरोध है कि अवर-सचिव, उप-सचिव, संयुक्त सचिव आदि जैसे सचिवालय स्तर के पद सांख्यिकी पदाधिकारियों को भी दिये जायें। इनलोगों का अनुरोध है कि राज्य की अन्य सेवाओं की तरह विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति में प्रतिशत प्रणाली लागू की जाए।

**नगर निवेशन संवर्ग (टाउन प्लानिंग काडर)**

33.146. नगर विकास विभाग के अधीन नगर तथा ग्राम निवेशन संगठन के पदाधिकारी तीन भिन्न वर्गों के अन्तर्गत हैं, अर्थात् वास्तुकला, अभियंत्रण और समाज विज्ञान। पहले, प्रारंभिक स्तर पर उनके पदनाम क्रमशः नगर निवेशक/वास्तुशिल्पीय सहायक, सहायक अभियंता और सामाजिक-आर्थिक अनुसंधाता थे, लेकिन अब उनके पदनाम सहायक निवेशक (वास्तुकला), सहायक निवेशक (अभियांत्रिकी) और सहायक निवेशक (सामाजिक-आर्थिक) हो गये हैं। पूर्वोक्त तीन वर्गों के लिए जो निम्नतम योग्यतायें विहित हैं वे क्रमशः वास्तुकला, सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री या समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री। इसके अलावा, इनलोगों के पास नगर निवेशन में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। ये सभी 510—1,155 रु० के वेतनमान में हैं।

33.147. उच्चतर वेतनमान के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, किन्तु ऐसी प्रोन्नति नीचे के वैसे पदाधिकारियों में से होती है जिनके पास निश्चित रूप से नगर निवेशन की योग्यता है।

33.148. नगर निवेशन संगठन के पदाधिकारियों के विभिन्न स्तर और प्रचलित वेतनमान इस प्रकार हैं :—

| स्तर। | श्रेणी/पदनाम। | मौजूदा वेतनमान। | पदों की कुल संख्या। | अभ्युक्ति। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु० | | |
| 1 | सहायक निवेशक (वास्तुकला), सहायक निवेशक (अभियांत्रिकी), सहायक निवेशक (समाज-अर्थशास्त्री)। | 510—1,155 | 17 | |
| 2 | कनीय नगर निवेशक .. .. .. | 620—1,415 | 2 | |
| 3 | संयुक्त निवेशक (एसोसियेट टाउन-प्लानर) (पहले सहायक नगर निवेशक के नाम से जाने जाते थे)। | 890—1,415 | 5 | |
| 4 | नगर निवेशक .. .. .. .. | 1,340—1,870 | 3 | |
| 5 | मुख्य नगर निवेशक .. .. .. | 2,050—2,450 | 1 | |

[पदों की संख्या नगर विकास और गृह (हाउसिंग) विभाग के पत्र सं० 2117, दिनांक 17 सितम्बर 1979 में दी गई सूचना के अनुसार है।]

33.149. विभिन्न स्तरों पर सृजित पदों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार है न कि संवर्ग की कुल संख्या से संबंधित किसी प्रतिशत पर। दूसरे शब्दों में संवर्ग में प्रवर कोटि नहीं है।

33.150. नगर और ग्राम निवेशन संगठन के राजपत्रित पदाधिकारियों ने इस समिति को एक ज्ञापन दिया है और समिति के साथ विचार-विमर्श में सम्मिलित भी हुए हैं। इनलोगों ने अपने तकनीकी कार्य की विशिष्टता बतायी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी सेवा के महत्त्व को बताया। इनलोगों ने अन्यत्र अवस्थित समान पदों की तुलना में कम पारिश्रमिक और प्रोन्नति के अवसर में कमी की शिकायत की। इनलोगों ने अभियंताओं की तुलना में बेहतर

वेतनमान के लिये अनुरोध किया है। इसका कारण बताते हुए इनलोगों का कहना है कि अभियांत्रिकी या अन्य सम्बद्ध विषय में डिग्री हासिल करने में लगे समय के बाद भी इनलोगों को नगर निवेशन में कम-से-कम दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। इनलोगों की समझ है कि उन्हें राज्य-सरकार के निर्माण विभाग में नियोजित अभियंताओं और वास्तुकारों से दो स्तर उच्चतर वेतनमान दिये जायें। इनलोगों का प्रस्ताव यह भी है कि कनीय नगर निवेशन के पद संयुक्त निवेशक (एसोसियेट टाउन प्लानर) के साथ मिला दिये जायें और यह भी कि मुख्य नगर निवेशक को उच्चतर वेतनमान दिया जाय और उनकी रैंकिंग अभियंता-प्रमुख के बराबर कर दी जाए। इनलोगों का यह भी प्रस्ताव है कि सहायक निवेशक, संयुक्त निवेशक और नगर निवेशक के स्तर पर 50 प्रतिशत प्रवर कोटि की व्यवस्था की जाए।

**प्रशिक्षण संवर्ग**

33.151. नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय की प्रशिक्षण-शाखा के श्रेणी II और I के पदाधिकारी निम्नलिखित विभिन्न स्तरों और वेतनमानों में हैं :—

| स्तर । | श्रेणी/पदनाम । | वेतनमान । | पदों की संख्या । |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रु० | |
| 1 | प्राचार्य, आई०टी०आई०/अधीक्षक/सहायक निदेशक, प्रशिक्षण | 510—1,155 | 40 |
| 2 | प्राचार्य, आई०टी०आई०/अधीक्षक/सहायक निदेशक, प्रशिक्षण (प्रारम्भिक स्तर पर पदों का 20 प्रतिशत प्रवर कोटि)। | 620—1,415 | 9 |
| 3 | उप-निदेशक .. .. .. .. | 1,060—1,580 | 3 |
| 4 | संयुक्त निदेशक .. .. .. | 1,340—1,870 | 2 |

(पदों की संख्या नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उनके पत्र सं० 223, दिनांक 20 फरवरी 1980 में दी गई सूचना के अनुसार है। प्रवर कोटि का प्रतिशत वित्त विभाग के संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977 में निर्धारित कोटे के अनुसार है। प्रतिशत में 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित दो पद भी शामिल हैं—देखें, वित्त विभाग का संकल्प सं० 3521, दिनांक 11 अप्रील 1977)।

33.152. प्राचार्य/अधीक्षक/सहायक निदेशक के स्तरों पर भर्त्ती 455—840 रु० के वेतनमान वाले उप-प्राचार्य/उपाधीक्षक के पदों से प्रोन्नति द्वारा होती है। ऐसी प्रोन्नति 25 प्रतिशत तक होती है और 75 प्रतिशत पद लोक-सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भरे जाते हैं। सीधी भर्त्ती के लिए विहित योग्यता कम-से-कम पांच वर्षों के अनुभव के साथ अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या अभियांत्रिकी में डिग्री है, जो सामान्यत: यांत्रिक, मोटर या विद्युत् विद्या शाखाओं की हो। उच्चतर स्तर के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं।

33.153. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी संघ ने इस समिति को एक ज्ञापन दिया है और वे लोग विचार-विमर्श में भी सम्मिलित हुए हैं। इनलोगों ने औद्योगिक विकास के संदर्भ में अपने तकनीकी कार्य और अपने कार्य की महत्ता पर जोर दिया तथा अन्य राज्यों के समान पदों की तुलना में कम पारिश्रमिक की शिकायत की। इनलोगों ने प्रोन्नति के अवसर कम होने की शिकायत की है और अन्य सेवाओं की तरह ही कम-से-कम अर्थात् क्रमश: 20 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत प्रोन्नति संबंधी मार्ग के लिये अनुरोध किया है। इनलोगों ने अपने लिए पांच स्तरवाली एक वेतन-संरचना का सुझाव दिया है। इन्होंने प्रत्येक छ: वर्ष बाद कालबद्ध प्रोन्नति की प्रणाली का सुझाव भी दिया है।

**समिति का दृष्टिकोण**

33.154. राज्य के विकास में राज्य की सेवाओं का कितना अधिक महत्त्व है इसकी अधिक चर्चा करना अनावश्यक है। संक्षेप में ये सेवायें सम्बद्ध संगठनों का केन्द्र बिन्दु हैं और राज्य की नीतियों के कार्यान्वियन तथा निष्पादन के लिए प्रशासन-तंत्र की जिम्मेवारियों में उनका प्रमुख योगदान है। जैसे-जैसे प्रशासन का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, सरकारी सेवकों के कार्य भी श्रमसाध्य और कठिन होते जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सेवाओं में सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्त्ती की जाए। लेकिन ऐसे उपयुक्त उम्मीदवार तभी मिल पायेंगे जब सेवा-शर्त्तें, विशेषकर पारिश्रमिक, युक्तिसंगत होंगे।

33.155. जैसाकि पूर्ववर्ती अध्याय में विचार किया जा चुका है, रहन-सहन के खर्च में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप आय का वास्तविक मूल्य घटता गया है और इससे मध्य आय वर्ग के कर्मचारियों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है और राज्य सेवाओं के सदस्य इसी वर्ग में आते हैं। मुद्रास्फीति के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए समय-समय पर महंगाई भत्ते, अतिरिक्त महंगाई भत्ते, जीवन-यापन भत्ते या अन्य क्षतिपूरक पारिश्रमिक में जो वृद्धि मंजूर की जाती है उसका प्रतिशत भी वेतन के उच्चतर स्तरों पर जाकर कम हो जाता है। फलस्वरूप उच्च सेवा के सदस्यों को जो आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं वे निम्न स्तर की आर्थिक कठिनाइयों से कहीं अधिक होती हैं। सामान्यतः उच्च वेतनमान के सदस्य उच्च स्तरीय जीवन के आदी हैं। इनके पारिश्रमिक की क्रय शक्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही है, फलतः इन्हें उपयुक्त शालीन स्तर बनाये रखने में उत्तरोत्तर कठिनाई हो रही है। अधिकांश स्तरों पर पदाधिकारी घोर संकट में हैं। पहले वांछनीय उम्मीदवारों के लिए सेवा की मोहकता भी एक मुख्य आकर्षण थी, किन्तु अब ऐसा नहीं रह गया है और आर्थिक संकट के वर्तमान दिनों में वेतन के वास्तविक मूल्य में कमी की क्षतिपूर्ति मिलनेवाले वेतन से नहीं हो सकती। चूंकि महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता और जीवन-यापन भत्ता से मुद्रास्फीति के चलते उच्च स्तरों पर पारिश्रमिक के वास्तविक मूल्य में हुए ह्रास की क्षतिपूर्ति पूरी तरह नहीं होगी इसलिए पदाधिकारी समय-समय पर अपने वेतनमान को ऊपर बढ़ाने से संबंधित पुनरीक्षण की ओर मुखातिब रहते हैं और उनका ऐसा करना ठीक ही है। तदनुसार उच्च स्तरों का वेतनमान पदाधिकारियों के अनुमान्य वर्तमान वेतन और जीवन-निर्वाह भत्ते की निरी संगणना के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि स्वतंत्र ढंग से इन बातों पर भी विचार करके किया जाना चाहिए कि सेवाओं के विभिन्न स्तरों के लिए वांछनीय पारिश्रमिक की सीमा क्या होनी चाहिए।

33.156. अब जो परविर्तन हुआ है वह महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय इस अर्थ में है कि प्राइवेट सेक्टरों के अलावा पब्लिक सेक्टरों ने भी ऐसे उम्मीदवारों को आकर्षक पारिश्रमिक देना शुरू कर दिया है जो राज्य सेवाओं के भी योग्य हैं। फलतः अक्सर योग्य उम्मीदवार पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत ऐसी सेवाओं के लिए अपना विकल्प देते हैं जो सामान्यतया राज्य सेवाओं के समान कठिन नहीं होतीं। वस्तुतः, जैसाकि अनुवर्ती कंडिकाओं में किये गये विवेचन से स्पष्ट होगा, राज्य सेवा के पदाधिकारियों और पब्लिक सेक्टर के प्रशासकों के औसत वेतन स्तर का अंतर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां पूर्वोक्त एकदम स्थिर है वहीं उत्तरोक्त बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यदि वेतनमानों के पुनरीक्षण के समय अन्यत्र मिल रहे अधिक आकर्षक पारिश्रमिक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब राज्य सेवाओं में वैसे ही उम्मीदवार आयेंगे जो अन्य क्षेत्रों में नियोजन प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे होंगे।

33.157. राज्य सेवाओं के लिए विहित भर्त्ती और योग्यता का स्तर उसी उच्च कोटि का है जो भारत सरकार के श्रेणी II और उससे ऊपर के पदाधिकारियों तथा पब्लिक सेक्टर के बड़े-बड़े उपक्रमों के मध्यम एवं उच्च प्रबन्ध स्तर के प्रशासकों के लिए विहित है। अतः अन्य मिश्रित संगठनों (कम्प्लेक्स आर्गेनाइजेशन) के प्रबन्ध स्तर के साथ राज्य सेवाओं की आसानी से तुलना की जा सकती है। अन्य क्षेत्रों द्वारा, यहां तक कि पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा भी, अपेक्षाकृत कम दुष्कर कार्यों के लिए दिये जानेवाले वेतन अधिकाधिक आकर्षक होते जा रहे हैं और ऐसी निश्चित धारणा बन गयी है कि अच्छे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति मात्र आर्थिक लाभ के लिये राज्य सेवाओं से अन्यत्र निकलते जा रहे हैं। राज्य-सरकार के अनेक विभागों ने भी अपने पदाधिकारियों के लिए उच्च पारिश्रमिक का प्रस्ताव भेजते समय ऐसा ही उल्लेख किया है। इस समिति के समक्ष यह भी दावा किया गया है कि सुयोग्य उम्मीदवार अब अंतिम सहारा समझकर ही राज्य सेवाओं में प्रवेश करते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि एक समय आएगा जब अन्य क्षेत्रों द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवार ही राज्य सेवाओं में प्रवेश करेंगे। राज्य प्रशासन के लिए ऐसी प्रवृत्ति घातक है, जबकि राज्य की समस्यायें अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं और सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जटिल एवं मिश्रित कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया है। ऐसी प्रवृत्ति तभी रोकी जा सकेगी जब सरकारी सेवा में प्रवेश करनेवालों को ऐसा पारिश्रमिक दिया जाए, जो यदि अन्यत्र प्रदत्त पारिश्रमिक के समकक्ष न भी हो तो उससे तुलनीय अवश्य हो। निस्सन्देह, राज्य-सरकार केन्द्रीय सरकार या पब्लिक सेक्टर के साथ वेतन के भुगतान में प्रतियोगिता नहीं कर सकती और राज्य सरकार के लिए यह वांछनीय भी नहीं होगा कि वह अपने पदाधिकारियों को, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में समान स्तर के प्रशासकों द्वारा उपभोग किये जानेवाले लाभ के पैमाने पर लाभ दे सके। लेकिन संतुलन कायम करने के लिए वर्त्तमान अंतर को कम करते हुए राज्य सेवाओं के वेतन ढांचे को पब्लिक सेक्टर के वेतन ढांचे के अधिक निकट ले आना चाहिए। संक्षेप में, राज्य सेवाओं के वेतनमानों को अन्य क्षेत्रों के वेतनमानों का प्रतियोगी बनाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु वांछित प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए, अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होनेवाले आकर्षक वेतनमानों को मद्देनजर रखते हुए, उसे पर्याप्त तो होना ही चाहिए।

**मूल कोटि के लिए अनुशंसित वेतनमान**

33.158. स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर, सभी राज्य सेवाओं की मूल कोटि के लिए वर्त्तमान वेतनमान 510—1,155 रु० है जो अधिकतम स्तर पर तीन वृद्धिरोध वेतन वृद्धियों को जोड़ने के बाद 1,260.00 रु० हो जाता है। यह वेतनमान 1 जनवरी 1971 से लागू है। यदि केन्द्रीय दरों पर संगणित जीवन-यापन भत्ता इस 510—1,155—1,260 रु० के वेतनमान में जोड़ दिया जाता है, तो कुल परिलब्धि 1 फरवरी 1978 को 724.20—1,518.00—1,623.00 रु० और 1 अप्रील 1980 को 774.80—1,615.00—1,720.00 रु० हो जाती है। यदि बिहार प्रशासन सेवा, बिहार पुलिस सेवा और न्याय सेवा में सम्प्रति अनुमान्य विशेष वेतन/भत्ता 75.00 रु०, जिसके लिए अनेक अन्य सेवायें दबाव डाल रही हैं, पूर्वोक्त वेतनमान में जोड़ दिया जाय तो यह 849.80—1,690.00—1,795.00 रु० होता है।

33. 159. समिति ने तुलनीय सेवाओं और स्तरों के लिए अन्य राज्यों में प्रचलित वेतनमानों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। समिति सभी राज्यों में सभी सेवाओं के लिए प्रचलित वेतनमानों का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझती, किन्तु कुछेक चुनी सेवाओं और कुछेक चुने राज्यों के सबंध में उसने नीचे स्थिति स्पष्ट की है, जो प्रतिनिधिक प्रकृति की हैं। चुनी गयी सेवायें सिविल/प्रशासन सेवायें, वित्त सेवायें, अभियंत्रण सेवायें और स्वास्थ्य सेवायें हैं। चुने गये राज्यों में तीन पड़ोसी राज्य, यथा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा एक और राज्य, जहां इस समिति के संगठन के ठीक पूर्व वेतन पुनरीक्षण हुआ है, यानी कर्नाटक भी है।

| क्रम संख्या। | राज्य का नाम और पिछले वेतन पुनरीक्षण की तारीख। | मूल कोटि। | प्रथम प्रोन्नति स्तर। | द्वितीय प्रोन्नति स्तर। | तृतीय प्रोन्नति स्तर। | चतुर्थ प्रोन्नति स्तर और आगे। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **(क) सिविल/प्रशासनिक सेवाएं।** | | | |
| 1 | पश्चिम बंगाल (31-3-1970)। | 475—1,150 रु०। | 1,150—1,350 रु०। | .. | .. | .. |
| 2 | उत्तर प्रदेश (1-8-1972)। | 550—1,200 रु०। | 800—1,450 रु०। | 1,400—1,800 रु०। | .. | .. |
| 3 | उड़ीसा (1-4-1974) | 525—1,150 रु०। | 1,150—1,750 रु०। | .. | .. | .. |
| 4 | कर्नाटक (1-1-1977)। | 750—1,525 रु०। | 900—1,750 रु०। | 1,525—2,000 रु०। | .. | .. |
| | | | **(ख) वित्त सेवाएं।** | | | |
| 1 | पश्चिम बंगाल (1-3-1970)। | 475—1,150 रु०। | 1,150—1,350 रु०। | 825—1,475 रु०। | 1,400—1,700 रु०। | 1,600—1,900 रु०। |
| 2 | उत्तर प्रदेश (11-8-1972)। | 550—1,200 रु०। | 800—1,450 रु०। | 900—1,600 रु०। | 1,400—1,800 रु०। | .. |
| 3 | उड़ीसा (1-4-1974) | 525—1,150 रु०। | 1,150—1,750 रु०। | 1,600—2,000 रु०। | .. | .. |
| 4 | कर्नाटक (1-1-1977) | 600—1,300 रु०। | 900—1,750 रु०। | 1,300—1,900 रु०। | 1,525—2,000 रु०। | .. |
| | | | **(ग) अभियंत्रण सेवाएं।** | | | |
| 1 | पश्चिम बंगाल (31-3-1970)। | 475—1,150 रु०। | 1,150—1,350 रु०। | 825—1,475 रु०। | 1,600—1,900 रु०। | 2,100—2,300 रु०। |
| 2 | उत्तर प्रदेश (1-8-1972)। | 550—1,200 रु०। | 800—1,450 रु०। | 1,400—1,800 रु०। | 1,600—2,000 रु०। | 1,700—2,250 रु०। |
| | | | | | | 2,250—2,750 रु०। |

| क्रम संख्या। | राज्य का नाम और पिछले वेतन पुनरीक्षण की तारीख। | मूल कोटि। | प्रथम प्रोन्नति स्तर। | द्वितीय प्रोन्नति स्तर। | तृतीय प्रोन्नति स्तर। | चतुर्थ प्रोन्नति स्तर और आगे। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | उड़ीसा (1-4-1974)। | 525—1,150 रु०। | 1,000—1,530 रु०। | 1,300—1,800 रु०। | 2,000—2,500 रु०। | .. |
| 4 | कर्नाटक (1-1-1977)। | 750—1,525 रु०। | 1,300—1,900 रु०। | 1,525—2,000 रु०। | 2,000—2,500 रु०। | 2,500—2,750 रु०। |
| | | | (घ) स्वास्थ्य सेवाएं। | | | |
| 1 | पश्चिम बंगाल (31-3-1970)। | 450—950 रु०। | 975—1,475 रु०। | 1,600—1,900 रु०। | 2,250 रु० | 2,350 रु० (निदेशक के लिए)। |
| 2 | उत्तर प्रदेश (1-8-1972)। | 550—1,200 रु०। | 800—1,450 रु०। | 1,900—2,250 रु०। | 2,200—2,500 रु०। | 2,250—2,750 रु० (निदेशक के लिए)। |
| 3 | उड़ीसा (1-4-1974)। | 525—1,150 रु०। | 850—1,450 रु०। | 1,000—1,530 रु० | 1,530—1,800 रु०। | (1) 1,500—1,800 रु०। (2) 1,600—2,000 रु०। (3) 2,000—2,500 रु० (निदेशक के लिए)। |
| 4 | कर्नाटक (1-1-1977)। | 900—1,750 रु०। | 1,000—1,825 रु०। | 1,300—1,900 रु०। | 1,525—2,000 रु०। | 2,000—2,500 रु० (निदेशक के लिए) |

33.160. पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जब कभी और जैसे भी विभिन्न स्थानों पर वेतन पुनरीक्षण किया गया है, वेतनमान उत्तरोत्तर रूप से बढ़ते गए हैं। पूर्वोक्त वेतनमान भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तिथियों से लागू हैं और पड़ोसी राज्यों यथा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में वे पुनरीक्षण की प्रक्रिया में हैं, चूंकि वहां वेतन पुनरीक्षण समिति/आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। अतएव ये वेतनमान न तो एक-दूसरे से तुलनीय ही हैं और न बिहार की राज्य सेवाओं के पुनरीक्षित वेतनमानों के निर्धारण के लिए कोई प्रभावकारी दिशा-निर्देशक ही हो सकते हैं।

33.161. केन्द्रीय सरकार के अधीन 1 जनवरी 1973 से श्रेणी-II की सेवाओं के लिए लागू मानक वेतनमान 650—1,200 रु० हैं, जबकि केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भी 700—1,300 रु० का वेतनमान लागू है। वास्तव में महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता को इस वेतन के साथ जोड़ देने पर पूर्वोक्त वेतनमान बढ़कर 1 फरवरी 1978 को श्रेणी-II के लिये 923—1,563 रु० तथा श्रेणी-I के लिए 994—1,663 रु० और 1 अप्रील 1980 को श्रेणी-II के लिए 984—80—1,660 रु० तथा श्रेणी-I के लिए 1,060.50—1,760 रु० हो जायंगे। जानकारी की महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत श्रेणी-II का वेतनमान श्रेणी-I के वेतनमान के अत्यन्त निकट है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि दोनों के लिए विहित भर्त्ती और योग्यता के स्तरों में बहुत ही कम का अन्तर है।

33.162. इस समिति का यह विचार है कि राज्य सेवाओं के कर्त्तव्य का स्वरूप केन्द्रीय सरकार के अधीन समकक्ष सेवाओं के कर्त्तव्य के स्वरूप से किसी भी प्रकार घटिया या कम कठिन नहीं है। दूसरी तरफ, अधिकांश राज्य सेवाओं

को सौंपे गए कर्त्तव्य सामान्यतः केन्द्रीय सेवाओं को सौंपे गए कर्त्तव्यों से कहीं अधिक श्रमसाध्य हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सेवाओं में भर्त्ती का स्तर और विहित योग्यताएँ केन्द्रीय सेवाओं की न केवल श्रेणी-II के लिए, बल्कि श्रेणी-I के लिए भी विहित स्तर और योग्यताओं के लगभग समान हैं। अतः समिति के विचार से इस बात का कोई कारण नहीं है कि राज्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय सेवाओं की अपेक्षा कम वेतन दिया जाए। शायद यही कारण है कि राज्य की तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने भी राज्य सेवाओं के प्रारम्भिक स्तर के लिए केन्द्रीय सेवाओं से तथा अखिल भारतीय सेवाओं से भी उच्चतर वेतनमानों की सिफारिश की थी।

33.163. समिति ने पब्लिक सेक्टर के कुछ महत्त्वपूर्ण उपक्रमों के तुलनीय स्तर के प्रशासकों को, जिनकी नियुक्ति बड़े पैमाने पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होती है और जिसका स्तर भी लगभग लोक-सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के स्तर के बराबर ही है, दिए जानेवाले वेतन के ढांचे का अध्ययन किया है।

33.164. भारतीय रिजर्व बैंक में सीधे प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त श्रेणी "क" के पदाधिकारी को 900—1,800 रु० के वेतनमान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उसे (दिसम्बर, 1980 के अनुसार) 648 रु० महंगाई भत्ता, 135 रु० मकान-किराया भत्ता, 45 रु० स्थानीय भत्ता और 75 रु० प्रतिमाह परिवार भत्ता, अर्थात् कुल 1,803 रु० प्रतिमाह प्रारंभिक वेतन मिलता है। उसी परीक्षा द्वारा अथवा उसी तरह की परीक्षा द्वारा नियुक्त किए जानेवाले कोटि "ख" के पदाधिकारियों का वेतनमान 1,000—2,160 रु० है। ऊपर वर्णित अन्य भत्ते जोड़कर सीधे नियुक्त पदाधिकारी का प्रारंभिक वेतन, उसके पदस्थापन के स्थान के अनुसार 1,935 रु० से 2,035 रु० प्रतिमाह तक होता है। यदि मकान-किराया भत्ता, स्थानीय भत्ता और परिवार भत्ता को छोड़ भी दिया जाय तब भी वेतन और महंगाई भत्ता दोनों मिलाकर सीधे नियुक्त पदाधिकारी का वेतन, उसकी कोटि के अनुसार, 1,548 रु० से ऊपर ही होता है।

33.165. भारतीय स्टेट बैंक में उसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त प्रोबेशनरी पदाधिकारियों को 700—1,800 रु० के वेतनमान में रखा जाता है, किन्तु प्रारंभिक प्रक्रम पर भी उन्हें 860 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें 620 रु० तक महंगाई भत्ता और 112 रु० मकान किराया भत्ता, अर्थात् कुल मिलाकर 1,592 रु० मिलता है (दिसम्बर, 1980 के आधार पर)। 1 फरवरी 1978 को प्रारंभिक पारिश्रमिक की रकम 1,490 रु० होती थी। यदि मकान-किराया भत्ता को छोड़ भी दिया जाए, तो भी वेतन और महंगाई भत्ते मिलाकर एक सीधे नियुक्त पदाधिकारी की परिलब्धि 1,480 रु० प्रतिमाह होती थी (दिसम्बर, 1980 के आधार पर)।

33.166. भारतीय जीवन बीमा निगम में 530—40—1,050 रु० के वेतनमान वाले सहायक प्रशासी पदाधिकारी स्तर तक नियुक्ति उसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होती है। किन्तु, वेतन के अतिरिक्त दिसम्बर, 1980 के आधार पर पटना में उन्हें, पदस्थापन होने पर, प्रारंभिक प्रक्रम पर 200 रु० निर्धारित महंगाई भत्ता, 714 रु० समंजनीय महंगाई भत्ता, 75 रु० अंतरिम सहायता, 10 रु० नगर क्षतिपूरक भत्ता और 80 रु० मकान-किराया भत्ता प्रतिमास मिलता है। सीधे नियुक्त पदाधिकारी 1 फरवरी 1978 को कुल 1,410 रु० प्रतिमास पारिश्रमिक प्राप्त करता था। यदि मकान-किराया भत्ता और नगर क्षतिपूरक भत्ता को छोड़ भी दिया जाय, तब भी प्रारंभिक प्रक्रम पर नवनियुक्त पदाधिकारी की परिलब्धि (दिसम्बर, 1980 में) 1,519 रु० प्रतिमास होती थी।

33.167. राज्य सेवा की मूल कोटि के अंतर्गत सरकारी महाविद्यालयों के प्राध्यापक भी हैं, जो शिक्षा-सेवा के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कार्यरत उनके समकक्ष प्राध्यापक 700—1,600 रु० के वेतनमान में हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए भी यही वेतनमान स्वीकृत किया गया है। केन्द्रीय दर पर जीवन-यापन भत्ता जोड़ देने पर वास्तव में उपर्युक्त वेतनमान 1 फरवरी 1978 के आधार पर 994—1,963 रु० और 1 अप्रील 1980 के आधार पर 1,060—50—2,060 रु० हो जाता है।

33.168. अतएव, पूर्वोक्त सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, समिति राज्य सेवाओं की मूल कोटि के लिए (न्यायिक और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) 1,000—1,820 रु० के वेतनमान की सिफारिश करती है।

33.169. जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, न्यायिक सेवा संघ, अधिकांश अन्य सेवाओं से अधिक वेतन की मांग न केवल इस आधार पर कर रहा है कि न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में उसके सदस्यों को बहुत अधिक समय लगता है, बल्कि इस आधार पर भी कि ऐसा होने पर विलम्ब से सेवा में आने के प्रभावों का प्रतिकार हो सकेगा। इस सेवा में प्रवेश करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का पात्र होने से पहले, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एल०-एल०बी० डिग्री और एक वर्ष का वकालत का अनुभव प्राप्त करने में प्रवेशिका परीक्षा के बाद आठ साल की लम्बी अवधि लगती है। समिति ने यह भी देखा है कि स्वास्थ्य-सेवा को छोड़कर ऐसी कोई अन्य सेवा नहीं है जिसमें मूल-स्तर पर प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्ति में इतने लम्बे अरसे का समय लगता हो। इसके फलस्वरूप, न्यायिक सेवा में देर से प्रवेश अवश्यंभावी हो जाता है। प्रजातंत्र में न्यायिक सेवा का जो महत्त्वपूर्ण योगदान होता है उसका विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं। पिछले अनेक वर्षों में उनके कार्य तथा उत्तरदायित्व और अधिक जटिल एवं श्रमसाध्य हो गये हैं। इसका कारण यह रहा है कि पहले कार्यपालिका द्वारा जो कार्य निष्पादित किये जाते थे, वे भी धीरे-धीरे उन्हें ही सौंप दिये गये हैं तथा मुकदमेबाजी में भी वृद्धि होती रही है। जैसाकि ऊपर विचार किया जा चुका है, उच्चतर स्तर के न्यायिक पदाधिकारियों को, खासकर अपर जिला न्यायाधीशों को, अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष पदाधिकारियों से उच्चतर वेतनमान पहले ही दे दिया गया है। अतः

प्रारंभिक स्तर पर भी उच्चतर वेतनमान देना न्यायोचित होगा। फिर भी, विभिन्न सेवाओं के बीच परिलब्धियों के अन्तर को घटाने की पद्धति को मद्देनजर रखते हुए यह समिति न्यायिक सेवाओं के लिए उच्चतर वेतनमान की सिफारिश तो नहीं करती है, किन्तु मूल कोटि, अर्थात् मुन्सिफ के पद पर नये नियुक्त होनेवाले के लिए तीन अग्रिम वेतन-वृद्धि की सिफारिश करती है। दूसरे शब्दों में, 1,000—1,820 रु० के वेतनमान में उनका आरंभिक वेतन 1,150 रु० होगा।

33.170. स्वास्थ्य सेवा में पहले से ही मूल स्तर, वरीय प्रवर कोटि स्तर और अधिकाल वेतनमान स्तर पर अन्य सेवाओं की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान दिये गये हैं। मूल स्तर पर वेतनमान तो अन्य सेवाओं के बराबर ही हैं, लेकिन अन्तर केवल इतना है कि इन्हें आरम्भिक प्रक्रम पर ही चार अग्रिम वेतन-वृद्धि मिलती है। बिहार स्वास्थ्य-सेवा के इस दावे पर कि वेतनमान एवं अन्य लाभों के मामले में उन्हें अन्य सेवाओं से ऊपर रखा जाए, समिति ने विचार किया है और यह भी पाया है कि इन मामलों में उन्हें अभी जो लाभ मिल रहा है, वह बिना कारण नहीं है। बिहार स्वास्थ्य-सेवा के सदस्यों के पेशे के ढांचे का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उन्हें उक्त सेवा के लिए विहित न्यूनतम योग्यता, अर्थात् एम० बी०, बी०एस० की डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत लम्बी अवधि, और यदि अन्य सेवाओं से तुलना की जाए तो शायद सबसे लम्बी अवधि तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उनके कर्त्तव्य के श्रमसाध्य स्वरूप और अनिश्चित दिनचर्या वाली जिम्मेवारियों को दृष्टि में रखते हुए, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अन्य सेवाओं की अपेक्षा इस सेवा को कुछ अधिक लाभ देना न्यायोचित है। समिति का यह मत है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में समिति की सिफारिशें एक ओर तो विभिन्न सेवाओं को एक-दूसरे के बराबर लाने की राज्य-सरकार की प्रवृत्ति और दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं को मिलनेवाले लाभ को बरकरार रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करें। अतएव, समिति यह सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य सेवाओं की मूल कोटि के लिए समान वेतनमान रखा जाए, किन्तु उसमें आनेवालों को नियुक्ति के समय ही तीन अग्रिम वेतन-वृद्धि दे दी जाए। दूसरे शब्दों में, 1,000—1,820 रु० के वेतनमान में उनका आरम्भिक वेतन 1,150 रु० होगा।

**मूल कोटि से ऊपर के स्तरों के लिए अनुशंसित वेतनमान**

33.171. मूल कोटि के वेतनमानों से संबंधित उपर्युक्त विवेचन के कारण स्वभावतः उत्पन्न तर्कों के आधार पर राज्य सेवाओं के प्रोन्नति-स्तरों के वेतनमानों को भी पुनरीक्षित करना पड़ेगा। संक्षेप में, यही कहा जा सकता है कि उच्चतर स्तरों पर कर्मचारियों की वास्तविक आय के मूल्य में बहुत अधिक ह्रास हुआ है, क्योंकि मुद्रास्फीति के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए जो जीवन-यापन भत्ता दिया जाता रहा है वह उसके प्रभाव को कम करने की दृष्टि से वहां जाकर बहुत कम हो जाता है। उच्चतर स्तरों पर गत्यवरोध वेतन-वृद्धि का लाभ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्तर पर आर्थिक कठिनाई इतनी विकट हो गयी है कि वरीय पदाधिकारियों के सामने अपना जीवन-स्तर धीरे-धीरे घटाने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया है। अक्सर, इसके कारण, तुलनीय व्यय-वर्ग के लोगों के साथ बराबरी बनाये रखने में, सामाजिक समस्यायें पैदा हो जाती हैं। अतः उच्चतर स्तरों पर अधिक परिलब्धि देने की बात को भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता। चूंकि ऐसे उच्चतर स्तरों के पदों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, इसलिए इसपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा; जबकि वेतन ऊपर बढ़ाने से न केवल पदाधिकारियों का जीवन-स्तर ही सुधरेगा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा, जो अच्छे प्रशासन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

33.172. अभी राज्य-सरकार में उच्चतम वेतनमान 3,000—100—3,500 रु० है। समिति इससे भी उच्चतर कोई नया वेतनमान बनाने या अनुशंसित करने का अभिप्राय नहीं रखती और वह इसी वेतनमान को उच्चतम वेतनमान के रूप में बनाये रखने का प्रस्ताव पिछले एक अध्याय में दे भी चुकी है। फिर भी, समिति का यह विचार है कि पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवाओं के उच्च स्तरों के वेतनमान, पूर्वोक्त मूल वेतनमान और वर्त्तमान उच्चतम वेतनमान के बीच यथासम्भव समान रूप से रखे जायें। नये वेतनमान इस प्रकार बनाने होंगे जिससे वे विभिन्न स्तरों पर लागू वर्त्तमान समरूप वेतनमानों के लिए पर्याप्त हो सकें। वस्तुतः नये वेतनमान बनाने संबंधी सिद्धांतों का निरूपण पूर्ववर्त्ती अध्याय में किया जा चुका है और उच्चतर वेतनमान सहित सभी वेतनमान इन सभी विचारों को ध्यान में रखकर, पहले ही सूत्रबद्ध किए जा चुके हैं।

33.173. अभी कनीय प्रवर कोटि स्तर पर तीन भिन्न वेतनमान लागू हैं। हालांकि अधिकांश सेवायें 620—1,415 रु० के वेतनमान में हैं, दो सेवायें यानी वन और भूतत्व सेवायें, 890—1,415 रु० के वेतनमान में तथा केवल एक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, 970—1,325 रु० के वेतनमान में हैं। समान अन्त वाले वेतनमान में उच्चतर आरंभिक वेतन देना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि प्रोन्नति वाले वेतनमानों में कर्मचारी का वेतन हमेशा वेतनमान के मध्य में, न कि प्रारंभिक स्तर पर, ही निर्धारित होता है। इसलिए समान अधिकतम राशि वाले विभिन्न वेतनमान रखने का कोई अर्थ नहीं है। समिति ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि यद्यपि पहले इस स्तर की कई सेवाओं को 620—1,325 रु० का कम अन्त वाला वेतनमान दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य-सरकार ने ऐसे सभी वेतनमानों को 1 जनवरी 1977 से 620—1,415 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित करने का नीतिगत निर्णय किया। राज्य-सरकार के इस निर्णय का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि प्रोन्नति के प्रथम स्तर के लिए केवल एक वेतनमान, यानी 1,415 रु० पर समाप्त होनेवाला वेतनमान रह गया। इसलिए, समिति ने प्रोन्नति के प्रथम स्तर या कनीय प्रवर कोटि के लिए 1,350—2,000 रु० का एक ही वेतनमान दिया है।

33.174. समिति ने सेवा के शिक्षण पक्ष में सहायक प्रोफेसरों और सह-प्रोफेसरों के बीच नैदानिक और गैर-नैदानिक दोनों ही पक्षों में मौजूद एक विसंगति पर ध्यान दिया है। नैदानिक पक्ष में रजिस्ट्रार, अनुशिक्षक (ट्यूटर) और सहायक प्रोफेसरों के वेतनमान रेजिडेंटों के बराबर हैं, किन्तु रेजिडेंटों के विपरीत, शेष से अपनी संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री की अपेक्षा की जाती है। गैर-नैदानिक पक्ष में, सहायक प्रोफेसरों से नैदानिक पक्ष की तरह ही स्नातकोत्तर डिग्री की अपेक्षा की जाती है, किन्तु वे मूल कोटि में न होकर 970—1,325 रु० के वेतनमान में कनीय प्रवर कोटि स्तर पर हैं। वस्तुतः, गैर-नैदानिक पक्ष में यह वेतनमान सहायक प्रोफेसरों और सह-प्राफेसरों, दोनों पर लागू है, जबकि नैदानिक पक्ष में यह केवल सह-प्राध्यापकों को ही दिया जाता है। रजिस्ट्रार एवं अनुशिक्षकों (ट्यूटरों) और सहायक प्रोफेसरों के कार्य का उत्तरदायित्व रेजिडेंटों से उच्च स्तर का है, जिसके प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त के लिए स्नातकोत्तर योग्यता आवश्यक कर दी गयी है, इसलिए उन्हें रेजिडेंटों के साथ जोड़ना विसंगतिपूर्ण प्रतीत होता है। समिति का विचार है कि यह विसंगति दूर की जा सकती है। यदि पदनाम को ध्यान में न रखकर स्वास्थ्य सेवा के वैसे सदस्यों को, जिनसे उनकी न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातकोत्तर डिग्री की अपेक्षा की जाती है, उन सदस्यों की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान दिया जाय जिनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक नहीं है। इसलिए समिति ने नैदानिक पक्ष के रजिस्ट्रारों, अनुशिक्षकों (ट्यूटरों) और सहायक प्रोफेसरों को गैर-नैदानिक पक्ष के उनके समकक्ष पदाधिकारियों के बराबर ही, अर्थात् कनीय प्रवर कोटि स्तर में 1,350—2,000 रु० का वेतनमान दिया है।

33.175. स्थिति स्पष्ट करने के लिए, विभिन्न सेवाओं में प्रोन्नति के प्रथम स्तर या कनीय प्रवर कोटि के लिए अनुशंसित वेतनमान नीचे दिए जाते हैं :—

| सेवा। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | रु० | रु० |
| (i) स्वास्थ्य, वन, खनन और भूतत्व (जिओलॉजी) सेवा को छोड़कर सभी सेवाओं के लिए। | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| (ii) वन; खनन और भूतत्व (जिओलॉजी) सेवाओं के लिए .. .. | 890—1,415 | 1,350—2,000 |
| (iii) स्वास्थ्य सेवा में सहायक प्रोफेसरों के लिए .. .. | 610—1,155 | 1,350—2,000 |
| (iv) स्वास्थ्य सेवा में अन्य पदाधिकारियों के लिए .. .. | 970—1,325 | 1,350—2,000 |

33.176. स्वास्थ्य और न्यायिक सेवाओं को छोड़कर, जिन पर बाद में विचार किया गया है, विभिन्न सेवाओं में वरीय प्रवर कोटि स्तर पर तीन विभिन्न वेतनमान लागू हैं। अधिकांश सेवाओं में 1,060—1,580 रु० का वेतनमान लागू है, लेकिन अभियंत्रण सेवाओं के कुछ कार्यपालक अभियन्ता भी 890—1,415 रु० के वेतनमान में हैं, और एकमात्र सांख्यिकी सेवा में 1,060—1,680 रु० का वेतनमान है। वास्तव में, हाल के कुछ वर्षों के दौरान अनेक सेवाओं में इस कोटि का वेतनमान उत्क्रमित करके 1,060—1,580 रु० तक दिया गया है, जैसे आरक्षी (पुलिस) सेवा और अभियंत्रण सेवा में। इसलिए समिति को इस स्तर पर विभिन्न वेतनमान रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता और इस कोटि के लिए वह 1,575—2,300 रु० के वेतनमान की अनुशंसा करती है।

33.177. स्वास्थ्य सेवा में, वरीय प्रवर कोटि का वेतन 1,400—2,020 रु० है, जो अन्य सेवाओं में इस स्तर के वेतनमान की तुलना में अधिक है। यह वेतनमान अधिकांश अन्य सेवाओं के अधिकाल वेतनमान से भी अधिक है। इन सभी तथ्यों और विशेषकर वर्तमान सापेक्षता पर विचार करते हुए समिति वरीय प्रवर कोटि में उनके लिए 1,900—2,500 रु० के उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा करती है।

33.178. समिति ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सेवा की शिक्षण शाखा में सह-प्रोफेसर, जिन्हें पहले रीडर कहा जाता था और जो शिक्षण पदानुक्रम में सहायक प्रोफेसर से ऊपर हैं, भी इसी वेतनमान में रखे गए हैं जिस वेतनमान में गैर-नैदानिक पक्ष के सहायक प्रोफेसर हैं। समिति इसे विसंगतिपूर्ण मानती है और उसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियोजित उनके समकक्ष सह-प्रोफेसरों के वर्तमान और अनुशंसित वेतनमान के अनुरूप उनके लिए उच्चतर वेतनमान की अनुशंसा की है। समिति द्वारा अनुशंसित सह-प्रोफेसरों का वेतनमान 1,575—2,300 रु० है।

33.179. विभिन्न सेवाओं में प्रोन्नति के द्वितीय स्तर या वरीय प्रवर कोटि के लिए अनुशंसित वेतनमान स्पष्ट रूप में नीचे दिए जाते हैं :—

| सेवा। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | रु० | रु० |
| (i) सभी सेवाओं के लिए | 1,060—1,580 | 1,575—2,300 |
| (ii) अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियंता के लिए | 890—1,415 | 1,575—2,300 |
| (iii) नगर निवेशन सेवा | 890—1,415 | 1,575—2,300 |
| (iv) सांख्यिकी सेवा | 1,060—1,680 | 1,575—2,300 |
| (v) स्वास्थ्य सेवा के सह-प्रोफेसरों के लिए | 970—1,325 | 1,575—2,300 |
| (vi) स्वास्थ्य सेवा के अन्य पदाधिकारियों के लिए | 1,400—2,020 | 1,900—2,500 |

33.180. स्वास्थ्य और न्यायिक सेवाओं को छोड़कर, अधिकाल वेतनमान स्तर पर सभी सेवाओं के लिए एक ही वेतनमान अर्थात् 1,340—1,870 रु० का वेतनमान है। फिर भी, अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सेवाओं में इस स्तर पर 1,400—2,020 रु० का दूसरा वेतनमान भी है, जो अधीक्षण अभियंताओं की प्रवर कोटि के लिए है। समिति पहले ही अपना विचार प्रकट कर चुकी है कि चूंकि प्रवर कोटियाँ प्रोन्नति का अपर्याप्त अवसर रहने पर, क्षतिपूर्ति का स्वरूप है, इसलिए इस स्तर पर, जहां पदधारी पहले से ही तीन स्तरों पर प्रोन्नति प्राप्त कर चुके होते हैं, प्रवर कोटि का उपबंध न्यायोचित नहीं हो सकता, जबकि अधिकाल वेतनमान के लिए पहले से ही प्रावधान है। इसलिए समिति अधिकाल वेतनमान के लिए कोई और प्रवर कोटि वेतनमान का प्रस्ताव नहीं करती और उसने इस स्तर पर ऐसा वेतनमान बनाया है जिसके अंतर्गत पूर्वोक्त दोनों वेतनमान आ जायेंगे। न्यायिक सेवाओं में अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश 1,200—2,000 रु० के वेतनमान में हैं। सभी सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) के अधिकाल वेतनमान के लिए अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान 1,900—2,500 रु० है।

33.181. स्वास्थ्य सेवाओं में, 1,855—2,130 रु० का अधिकाल वेतनमान दिया गया है, जो अन्य सेवाओं की अपेक्षा अधिक है। तदनुसार, समिति स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकाल वेतनमान के लिए 2,225—2,675 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करती है।

33.182. कई सेवाओं में छः अधोलिखित वेतनमानों में से कुछ वेतनमानों में अधिकाल वेतनमान से भी ऊपर के पद हैं। सामान्यतः ऐसे पदों का सृजन उच्च प्रबन्ध स्तरों की प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किया जाता है और उनका संचालन केवल प्रोन्नति की संभावनाओं के मानदंड से नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे पदों के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। समिति ऐसे पदों के लिए उनके वर्तमान वेतनमान के अनुरूप निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश करती है :—

| क्रम संख्या। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | रु० | रु० |
| 1 | 1,855—2,130 | 2,225—2,675 |
| 2 | 1,950—2,150 | 2,325—2,850 |
| 3 | 2,000—2,250 | 2,400—3,000 |
| 4 | 2,000—2,300 | |
| 5 | 2,050—2,450 | 2,600—3,200 |
| 6 | 2,500—2,750 | 3,000—3,500 |

**उच्चतर सापेक्षिकता बरतने के लिए अन्य सेवाओं की मांगें**

33.183. जैसा कि पहले विवेचन किया जा चुका है, कई राज्य सेवाओं ने दूसरों की अपेक्षा अच्छे वेतनमान और प्रोन्नति के मार्ग की मांग की है। इन सभी मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए समिति की राय है कि न्यायिक और स्वास्थ्य सेवाओं के अलावे किसी अन्य सेवा वाले को अधिक वेतन और प्रोन्नति की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए।

33.184. पशु-चिकित्सा स्नातकों के दावे के बारे में विशेष उल्लेख करना है। इन लोगों ने बारम्बार बिहार स्वास्थ्य-सेवा के सदस्यों के समान वेतनमान और प्रोन्नति के संबंध में अभिवेदन दिया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि इन्हें अपने काम के लिए योग्यता अर्जित करने में जो समय लगता है वह मेडिकल वालों के समान ही है और पशुचिकित्सा और चिकित्सा सेवाओं के बीच अन्य राज्यों में वेतनमान पहले से ही समान हैं। बिहार सरकार ने भी इस समता के कार्यान्वयन के लिए आदेश निर्गत किए थे (पशुपालन विभाग संकल्प सं० 010—73, ता० 12 फरवरी 1980 द्रष्टव्य) जिसे राष्ट्रपति-शासन के दौरान वापस ले लिया गया था (वित्त विभाग पत्र सं० 3पार 12180—5366-एफ०, तारीख 2 जून 1980 द्रष्टव्य)। इनके कार्य और दायित्व मेडिकल डाक्टरों से कम श्रमसाध्य नहीं हैं।

33.185. समिति को सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने दिनांक 12 फरवरी 1980 वाले अपने संकल्प द्वारा उन सभी पशु-चिकित्सकों के वेतनमानों को, जो 445—745 रु० और 455—840 रु० के वेतनमान में थे, मेडिकल स्नातकों की मूल कोटि के समकक्ष उत्क्रमित कर 610—1,155 रु० कर दिया था। साथ ही, जो पशु-चिकित्सक 510—1,155 रु० के वेतनमान में थे उन्हें 620—1,415 रु० और जो 620—1,415 रु० के वेतनमान में थे उन्हें 1,060—1,580 रु० के वेतनमान में उत्क्रमित कर दिया था, जो वेतनमान स्वास्थ्य सेवाओं में लागू नहीं हैं। समिति को पता चला है कि इस संकल्प के द्वारा भी, जिसे दिनांक 2 जून 1980 के पत्र द्वारा बाद में वापस ले लिया गया था, सभी विषयों में पशु और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समता नहीं लायी गयी थी।

33.186. समिति ने इन लोगों के उपर्युक्त तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इसकी राय है कि पशु-चिकित्सा स्नातकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप एम० बी०, बी० एस० डिग्रीधारी चिकित्सा सेवाओं के सदस्यों के बराबर नहीं माना जा सकता। पशु-चिकित्सा सेवा उन सारी सेवाओं में से एक है जो क्षेत्र स्तर पर विकास के प्रयासों में समन्वित रीति से लगी हुई हैं और बेहतर वेतन आदि के लिए समस्त सेवाओं के जाल में से इस या किसी अन्य सेवाओं को चुनने से विकास-प्रशासन के सामान्य ढांचे में भारी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसलिए समिति ने पशुपालन-सेवा और राज्य की अन्य सेवाओं के वेतनमानों की मौजूदा एकरूपता को अक्षुण्ण रखा है। लेकिन चूंकि इनके लिए प्रोन्नति के अवसर कुछ हद तक कम हैं, इसलिए समिति ने अन्य राज्य सेवाओं की तरह पशुचिकित्सा-सेवा के लिए समुचित अध्याय में प्रोन्नति की अनुशंसा की है।

**अनुशंसाओं का सारांश**

33.187. राज्य सेवाओं के लिए पुनरीक्षित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

| क्रम संख्या। | कोटि। | सेवाएं। | वर्त्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 1 | मूल कोटि (बेसिक ग्रेड)। | (i) न्यायिक से भिन्न सभी सेवाओं के लिए | 510—1,155 | 1,000—1,820 |
| | | (ii) न्यायिक सेवा के लिए . | 510—1,155 | 1,000—1,820; 1,150 रु० के स्तर पर तीन अग्रिम वेतन-वृद्धि सहित। |
| | | (iii) सहायक प्रोफेसर को छोड़ स्वास्थ्य सेवा के लिए। | 610—1,155 | 1,000—1,820; 1,150 रु० के स्तर पर तीन अग्रिम वेतन-वृद्धि सहित। |

| क्रम संख्या। | कोटि। | सेवाएं। | वर्तमान वेतनमान। | अनुशंसित वेतनमान। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु० | रु० |
| 2 | कनीय प्रवर कोटि .. | (*i*) स्वास्थ्य, वन, खनन एवं भूतत्व को छोड़ सभी सेवाओं के लिए। | 620—1,415 | 1,350—2,000 |
| | | (*ii*) वन, खनन एवं भूतत्व सेवाओं के लिए। | 890—1,415 | 1,350—2,000 |
| | | (*iii*) स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक प्रोफेसर के लिए। | 610—1,155 | 1,350—2,000 |
| | | (*iv*) स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य लोगों के लिए। | 970—1,325 | 1,350—2,000 |
| 3 | वरीय प्रवर कोटि | (*i*) सभी सेवाओं के लिए .. | 1,060—1,580 | 1,575—2,300 |
| | | (*ii*) इंजीनियरी सेवाओं में कार्यपालक अभियंता के लिए। | 890—1,415 | 1,575—2,300 |
| | | (*iii*) नगर निवेश-सेवा .. | 890—1,415 | 1,575—2,300 |
| | | (*iv*) सांख्यिकी सेवा .. .. | 1,060—1,680 | 1,575—2,300 |
| | | (*v*) स्वास्थ्य सेवाओं में एसोसियेट प्रोफेसर के लिए। | 970—1,325 | 1,575—2,300 |
| | | (*vi*) स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य के लिए | 1,400—2,020 | 1,900—2,500 |
| 4 | अधिकाल वेतनमान | (*i*) अन्य सभी सेवाओं के लिए .. | 1,340—1,870 | 1,900—2,500 |
| | | (*ii*) न्यायिक सेवाओं के लिए .. | 1,200—2,000 | 1,900—2,500 |
| | | (*iii*) स्वास्थ्य सेवाओं के लिए .. | 1,855—2,130 | 2,225—2,675 |
| 5 | अधिकाल वेतनमान से ऊपर। | सभी सेवाओं के लिए | (*i*) 1,855—2,130 | 2,225—2,675 |
| | | | (*ii*) 1,950—2,150 | 2,325—2,850 |
| | | | (*iii*) 2,000—2,250 | 2,400—3,000 |
| | | | (*iv*) 2,000—2,300 | 2,400—3,000 |
| | | | (*v*) 2,050—2,450 | 2,600—3,200 |
| | | | (*vi*) 2,500—2,750 | 3,000—3,500 |